



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे 2019-20



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



हिमाचल प्रदेश सरकार

विनियोग लेखे

2019-20

हिमाचल प्रदेश सरकार

विनियोग लेखे
2019 - 20
विषय-सूची

	पृष्ठ
भूमिका	(iii)
विनियोग लेखों का सारांश	(v-xv)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र अनुदान/विनियोग का नाम और संख्या	(xvii-xix)
1. विधान सभा	.. 1-3
2. राज्यपाल और मंत्री-परिषद	.. 4-7
3. न्याय प्रशासन	.. 8-14
4. सामान्य प्रशासन	.. 15-25
5. भू-राजस्व और जिला प्रशासन	.. 26-39
6. आबकारी और कराधान	.. 40-43
7. पुलिस और सम्बद्ध संगठन	.. 44-55
8. शिक्षा	.. 56-74
9. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	.. 75-95
10. लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल तथा भवन	.. 96-113
11. कृषि	.. 114-124
12. उद्यान	.. 125-133
13. सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता	.. 134-164
14. पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	.. 165-174
15. योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	.. 175-186
16. वन और वन्य जीवन	.. 187-198
17. निर्वाचन	.. 199-201
18. उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	.. 202-209
19. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	.. 210-234
20. ग्रामीण विकास	.. 235-245
21. सहकारिता	.. 246-248
22. खाद्य और नागरिक आपूर्ति	.. 249-253
23. विद्युत विकास	.. 254-258
24. मुद्रण और लेखन सामग्री	.. 259-261
25. सड़क और जल परिवहन	.. 262-264
26. पर्यटन और नागर विमानन	.. 265-268
27. श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	.. 269-275
28. शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास	.. 276-286
29. वित्त	.. 287-301
30. विविध सामान्य सेवाएं	.. 302-311
31. जनजातीय विकास	.. 312-398
32. अनुसूचित जाति उप-योजना	.. 399-460
परिशिष्ट	
वर्ष 2019-20 के लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियों के अनुमानों और वास्तविकताओं के अँकड़ों का अनुदानवार विवरण	.. 461

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2019-20 के विनियोग लेखाओं के इस संकलन में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत किये गए हैं। लेखाओं की व्ययित राशियों की तुलना भारत के संविधान की धारा 204 व 205 के अर्न्तगत पारित विनियोग अधिनियमों में संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों से की गई है।

इन लेखाओं में:-

‘मूल’ का तात्पर्य मूल अनुदान या विनियोजन से है।

‘पूरक’ का तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोजन से है।

‘पुनर्वि0’ का तात्पर्य किसी सक्षम - प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोजनों, धन -वापसियों या अभ्यर्पणों से है।

प्रभारित विनियोजन और व्यय को इटालिक में दर्शाया गया है।

हिमाचल प्रदेश विधानमंडल की लोक लेखा समिति के पत्र संख्या VS-PAC(A.G.) 7-6/1998 विधान सभा दिनांक 13 मई 2016 द्वारा निम्नलिखित मानकों को अनुमोदित किया गया, जिन्हें विनियोजन लेखे की टिप्पणियों में अपनाया गया है।

बचत

दत्तमत प्रावधान

बचत ₹ 20 लाख से अधिक या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

प्रभारित विनियोजन

यदि बचत ₹ 8 लाख से अधिक या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

आधिक्य

दत्तमत प्रावधान

यदि आधिक्य ₹ 15 लाख या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी कम हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

प्रभारित विनियोजन

यदि आधिक्य ₹ 6 लाख या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी कम हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

विनियोग लेखाओं का सारांश

विनियोग
विनियोग लेखाओं

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/ विनियोजन	
		राजस्व	पूंजीगत
1		2	3
(₹ हजार में)			
1-	विधान सभा-		
	दत्तमत	41,44,14	5,34,72
	प्रभारित	1,21,41	..
2-	राज्यपाल और मंत्री-परिषद-		
	दत्तमत	21,20,49	..
	प्रभारित	7,53,53	..
3-	न्याय प्रशासन-		
	दत्तमत	2,00,01,14	15,20,00
	प्रभारित	53,43,87	1,17,07
4-	सामान्य प्रशासन-		
	दत्तमत	2,39,09,01	21,93,82
	प्रभारित	15,56,42	..
5-	भू-राजस्व और जिला प्रशासन-		
	दत्तमत	17,48,54,95	10,90,00
	प्रभारित
6-	आबकारी और कराधान-		
	दत्तमत	1,12,99,09	7,08,23
	प्रभारित
7-	पुलिस और सम्बद्ध संगठन-		
	दत्तमत	14,33,06,14	82,21,69
	प्रभारित	17,61	..
8-	शिक्षा-		
	दत्तमत	66,41,11,44	1,07,24,94
	प्रभारित	29,50	..
9-	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण-		
	दत्तमत	22,05,94,42	1,98,36,80
	प्रभारित	16,05	..
10-	लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन-		
	दत्तमत	35,69,93,68	18,08,14,36
	प्रभारित	46,36	1,04,46,02

लेखे

का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
40,78,59	5,33,99	65,55	73
1,21,14	..	27
17,17,50	..	4,02,99
6,71,38	..	82,15
1,65,43,67	8,46,15	34,57,47	6,73,85
42,07,86	..	11,36,01	1,17,07
1,85,02,50	9,02	54,06,51	21,84,80
13,54,74	..	2,01,68
10,96,91,51	3,58,24	6,51,63,44	7,31,76
1,20	1,20	..
				(1,20,000)	
98,67,55	6,93,52	14,31,54	14,71
..
12,20,59,44	61,23,77	2,12,46,70	20,97,92
17,60	..	1
55,30,50,64	77,01,95	11,10,60,80	30,22,99
29,31	..	19
18,28,22,05	1,73,06,45	3,77,72,37	25,30,35
11,19	..	4,86
28,33,10,73	16,24,20,50	7,36,82,95	1,83,93,86
40,77	6,92,23	5,59	97,53,79

अनुदान / विनियोजन की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/ विनियोजन	
		राजस्व	पूंजीगत
1		2	3
(₹ हजार में)			
11- कृषि-			
	दत्तमत	4,87,02,23	74,64,97
	प्रभारित
12- उद्यान-			
	दत्तमत	3,74,98,83	16,35,63
	प्रभारित
13- सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता-			
	दत्तमत	25,86,53,73	8,86,71,48
	प्रभारित	21,63	9,25,50
14- पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य-			
	दत्तमत	4,06,03,22	20,34,91
	प्रभारित
15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना-			
	दत्तमत	74,65,20	3,03,99,00
	प्रभारित
16- वन और वन्य जीवन-			
	दत्तमत	5,92,47,35	18,43,50
	प्रभारित	3,99	..
17- निर्वाचन-			
	दत्तमत	97,73,79	8,00,00
	प्रभारित
18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी-			
	दत्तमत	2,34,05,75	46,90,00
	प्रभारित
19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता-			
	दत्तमत	11,54,38,67	19,97,03
	प्रभारित
20- ग्रामीण विकास-			
	दत्तमत	14,63,62,87	20,03,01
	प्रभारित	5,65	..

लेखे

का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
4,53,58,28	66,16,76	33,43,95	8,48,21
..
2,96,34,84	15,40,19	78,63,99	95,44
..
23,58,63,14	9,34,79,48	2,27,90,59	48,08,00
					(48,07,99,467)
12,37	9,48,20	9,26	22,70
					(22,70,296)
3,36,22,31	14,92,58	69,80,91	5,42,33
..
51,96,41	1,88,65,29	22,68,79	1,15,33,71
..
4,47,22,41	12,09,87	1,45,24,94	6,33,63
3,54	..	45
86,69,12	8,00,00	11,04,67
..
1,33,54,12	27,84,09	1,00,51,63	19,05,91
..
10,55,13,25	5,48,73	99,25,42	14,48,30
..
11,12,45,78	13,99,00	3,51,17,09	6,04,01
5,65

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/ विनियोजन	
		राजस्व	पूंजीगत
1		2	3
(₹ हजार में)			
21-	सहकारिता-		
	दत्तमत	34,73,69	24,09,89
	प्रभारित
22-	खाद्य और नागरिक आपूर्ति-		
	दत्तमत	3,15,26,43	2,36,43
	प्रभारित	5,00	..
23-	विद्युत विकास-		
	दत्तमत	5,45,69,39	6,79,39,00
	प्रभारित
24-	मुद्रण और लेखन सामग्री-		
	दत्तमत	30,32,57	41,58
	प्रभारित
25-	सड़क और जल परिवहन-		
	दत्तमत	3,64,52,41	2,10,58,26
	प्रभारित
26-	पर्यटन और नागर विमानन-		
	दत्तमत	89,16,08	66,29,00
	प्रभारित
27-	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण-		
	दत्तमत	3,58,39,00	83,78,29
	प्रभारित
28-	शहरी विकास,नगर और ग्राम योजना तथा आवास-		
	दत्तमत	5,26,12,44	1,40,27,02
	प्रभारित	4,64,55	..
29-	वित्त-		
	दत्तमत	67,81,25,28	13,77,53
	प्रभारित	45,50,00,08	67,00,74,76
30-	विविध सामान्य सेवाएं-		
	दत्तमत	97,27,51	41,24,04
	प्रभारित	3,05,87	..

लेखे

का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
29,95,04	24,13,39	4,78,65	3,50
					(3,50,000)
..
3,16,75,75	2,17,72	..	18,71	1,49,32	..
				(1,49,32,006)	
5,00
4,16,93,46	5,21,92,36	1,28,75,93	1,57,46,64
..
28,18,12	41,58	2,14,45
..
3,51,60,06	1,92,05,19	12,92,35	18,53,07
..
32,96,53	37,33,57	56,19,55	28,95,43
..
3,19,11,30	83,05,59	39,27,70	72,70
..
4,32,82,67	1,40,33,08	93,29,77	6,06
					(6,06,266)
4,64,55
55,68,29,36	7,42,56	12,12,95,92	6,34,97
42,34,01,54	67,00,75,18	3,15,98,54	42
					(42,183)
85,95,84	37,74,38	11,31,67	3,49,66
..	..	3,05,87

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/ विनियोजन	
		राजस्व	पूंजीगत
1		2	3
(₹ हजार में)			
31-	जनजातीय विकास-		
	दत्तमत	13,60,02,36	4,39,52,49
	प्रभारित	33,96	..
32-	अनुसूचित जाति उप योजना		
	दत्तमत	14,24,41,13	12,69,17,50
	प्रभारित
	जोड़		
	दत्तमत	3,56,12,04,43	66,42,75,12
	प्रभारित	46,37,25,48	68,15,63,35
	सकल जोड़	4,02,49,29,91	1,34,58,38,47

लेखे

का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
9,88,63,75	3,45,48,47	3,71,38,61	94,04,02
17,50	..	16,46
9,11,04,62	10,37,55,09	5,13,36,51	2,31,62,41
..
2,88,30,50,34	56,76,92,56	67,83,03,41	10,14,00,12	1,49,32	48,17,56
				(1,49,32,006)	(48,17,55,733)
43,03,65,34	67,17,15,61	3,33,61,34	98,70,86	1,20	23,12
				(1,20,000)	(23,12,479)
3,31,34,15,68	1,23,94,08,17	71,16,64,75	11,12,70,98	1,50,52	48,40,68
				(1,50,52,006)	(48,40,68,212)

विनियोग लेखे
विनियोग लेखाओं का सारांश
(क्रमशः)

वर्ष 2019-20 में आकस्मिक निधि से कोई अग्रिम नहीं लिया गया।
निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों में आधिक्य का नियमन अपेक्षित है:-

राजस्व प्रवर्ग

22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति-

पूंजीगत प्रवर्ग

13- सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता-

21- सहकारिता-

28- शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास-

निम्नलिखित अनुदानों में भी प्रभारित विनियोजन से आधिक्य का नियमन अपेक्षित है:-

राजस्व प्रवर्ग

05- भू-राजस्व और जिला प्रशासन-

पूंजीगत प्रवर्ग

13- सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता-

29- वित्त-

चूंकि अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के प्रति होती है, अतः उनके सम्मुख दर्शाए गए व्यय के आंकड़ों में वे वसूलियां (परिशिष्टानुसार पृष्ठ संख्या 461) सम्मिलित नहीं होती हैं, जिन्हें लेखाओं में व्यय से कम करके समायोजित किया जाता है। शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखाओं में दर्शाए गए हैं।

मार्च 2019-20 के दौरान 8 अनुदान संख्या (अनुदान संख्या- 04,05,10,11,13,21,31 तथा 32) के अन्तर्गत ₹ 23,73,74,481 का व्यय बिना बजट प्रावधान के हुआ। बिना बजट प्रावधान का व्यय वित्तीय अनियमितताएं और वित्तीय नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है।

मार्च 2020 में ₹ 9,07,85,418 का बजट प्रावधान पांच अनुदान मांगों (अनुदान संख्या- 11,13,22,29 तथा 32) में पुनर्विनियोजन द्वारा किया गया। जबकि निधियों को मूल/अनुपूरक बजट अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित तथा हिमाचल प्रदेश की बजट नियमावली के पैरा 12.5 का उल्लंघन है।

टिप्पणी: परीक्षण किए गए आधार पर की गई जांच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने स्वीकृति आदेशों के आधार पर कोषागार से ₹ 13,73.77 करोड़ की धनराशि को आहरित कर/निकाल कर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के बचत बैंक खातों में हस्तांतरित किया। राज्य सरकार ने उक्त राशि को बजट प्रावधानों के विरुद्ध व्यय के रूप में शामिल कर लिया है। ₹ 13,73.77 करोड़ की राशि में से ₹ 12,02.25 करोड़ राजस्व शीर्षों तथा ₹ 1,71.52 करोड़ पूंजीगत शीर्षों में शामिल हैं।

प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) ने ₹ 13,73.77 करोड़ की पूरी राशि को वास्तविक व्यय के रूप में नहीं लिया है क्योंकि राज्य सरकार ने वास्तविक व्यय के प्रमाण के रूप में वाञ्छर प्रदान नहीं किये है और राशि को उच्चन्त के अन्तर्गत रखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप विनियोग लेखे 2019-20 की अनुदान मांगों में सम्पूर्ण बचत है।

**विनियोग लेखे
विनियोग लेखाओं का सारांश
(समाप्त)**

वर्ष 2019-20 के विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय तथा उस वर्ष के वित्त लेखाओं में दर्शाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दर्शाया गया है:-

	<u>प्रभारित</u>		<u>दत्तमत</u>	
	<u>राजस्व</u>	<u>पूंजीगत</u>	<u>राजस्व</u>	<u>पूंजीगत</u>
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय	43,03,65,34	67,17,15,61	2,88,30,50,34	56,76,92,56
घटाएं-परिशिष्ट में दर्शाई गई कुल वसूलियां	24,03,72,98	61,20,95
शुद्ध जोड़ जैसा कि वित्त लेखाओं की विवरणी संख्या-11 में दर्शाया गया है।	43,03,65,34	67,17,15,61	2,64,26,77,36	56,15,71,61

उपरोक्त वसूलियों के विवरण परिशिष्ट के पृष्ठ संख्या 461 पर दिये गये हैं ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएँ हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जांच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए, मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गयी टिप्पणियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले हिमाचल प्रदेश सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

मामले का महत्व

मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो इन लेखाओं की परिशुद्धता, पारदर्शिता और पूर्णता के दृष्टिकोण से तथा लोक वित्त पर विधायी वित्तीय नियन्त्रण बनाये रखने के लिए आवश्यक है:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान चार दत्तमत्त अनुदानों और तीन विनियोजनों के अन्तर्गत राज्य विधान सभा द्वारा प्राधिकृत राशि से ₹ 49.91 करोड़ का अधिक व्यय किया गया। वर्ष 2013-14 से 2018-19 के दौरान विनियोजनों के अन्तर्गत ₹ 9,154.72 करोड़ का अधिक व्यय सितम्बर, 2020 तक राज्य विधान सभा द्वारा नियमित किया जाना अपेक्षित था। यह संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 का उल्लंघन है जिसमें यह प्रावधान है कि राज्य विधान सभा द्वारा नियमों के अन्तर्गत विधेयक के द्वारा पारित राशि से अधिक धन की समेकित निधि से निकासी नहीं की जाएगी। यह बजटीय और वित्तीय नियन्त्रण की प्रणाली को निष्फल करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबन्धन में वित्तीय अनुशासन हीनता को प्रोत्साहित करता है।

उपरोक्त मुद्दे पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2019-20 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विस्तार से दी गई है।

दिनांक: 26 अप्रैल 2021

स्थान: नई दिल्ली



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1-विधान सभा

(शीर्ष- 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल, 2216-आवास तथा 7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण इत्यादि)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	39,85,27			
		41,44,14	40,78,59	(-)65,55
पूरक	1,58,87			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				65,57
प्रभारित				
मूल	75,02			
		1,21,41	1,21,14	(-)27
पूरक	46,39			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				6,42
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,05,00			
		5,34,72	5,33,99	(-)73
पूरक	2,29,72			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				73

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 65.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 1,58.87 लाख का अनुपूरक अनुदान और ₹ 65.57 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग में प्रभारित विनियोजन में ₹ 0.27 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 6.42 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-			
02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-			
103- विधान मंडल सचिवालय-			
01- विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी- गैर योजना			
मूल	17,21.58		
पूरक	13.93	15,43.32	15,43.33
पुनर्वि०	(-)1,92.19		+0.01

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,92.19 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों और सचिव विधान सभा के विदेशी दौरो पर व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
02- राज्य/संघ राज्य विधान मंडल-			
101- विधान सभा-			
03- हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्य- गैर योजना			
मूल	17,33.41		
पूरक	1,44.94	19,57.27	19,57.28
पुनर्वि०	78.92		+0.01

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 78.92 लाख का आवर्धन विधान सभा सदस्यों के आयकर के अधिक भुगतान और हिमाचल प्रदेश विधान सभा धर्मशाला में विडियो सम्मेलन प्रणाली/लिविक्वड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर/सहायक उपकरणों की स्थापना और माननीय समिति द्वारा दौरो पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

04- पूर्व सदस्यों को मुफ्त यात्रा सुविधा-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1 (समाप्त)

गैर योजना

मूल	12.00			
		61.40	61.40	..
पुनर्वि०	49.40			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 49.40 लाख का आवर्धन विधान सभा के सदस्यों की निशुल्क भ्रमण सुविधा राशि में वृद्धि के कारण हुई।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-2 -राज्यपाल और मंत्री परिषद

शीर्ष- 2012-राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 2013-मंत्री परिषद तथा 2216-आवास)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य(+) बचत(-)
राजस्व प्रवर्ग दत्तमत				
मूल	14,95,43			
		21,20,49	17,17,50	(-)4,02,99
पूरक	6,25,06			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020) प्रभारित				2,44,59
मूल	7,53,53			
		7,53,53	6,71,38	(-)82,15
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				81,42

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,02.99 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 6,25.06 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 2,44.59 का अभ्यर्पण भी अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 82.15 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 81.42 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2013- मंत्री परिषद-			
101- मंत्रियों तथा उप मंत्रियों का वेतन-			
01- मंत्रियों तथा उप मंत्रियों की परिलब्धियां वेतन- गैर योजना			
मूल	10,95.21		
पूरक	4,40.06	13,33.05	11,85.94
पुनर्वि0	(-)2,02.22		(-)1,47.11

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 2 (क्रमशः)

₹ 1,47.11 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,02.22 लाख की कमी मंत्रियों के रिक्त पदों को भरने व यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई जोकि शीतकालीन विधान सभा सत्र के दौरान आतिथ्य एवं मनोरंजन पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 1,47.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

105- मंत्रियों की ऐच्छिक निधि-

01- स्थानीय विकास के लिए-

गैर योजना

मूल	2,60.00			
पूरक	1,80.00	3,97.65	3,86.65	(-)11.00
पुनर्वि०	(-)42.35			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 42.35 लाख की कमी मंत्रियों द्वारा कम विवेकाधीन अनुदान जारी करने के कारण हुई।

(iv) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2012- राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-			
03- राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-			
090- सचिवालय-			
01- राज्यपाल सचिवालय के कर्मचारी वर्ग-			
गैर योजना			
मूल	4,07.09		
		3,62.89	3,62.20
पुनर्वि०	(-)44.20		(-)0.69

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 44.20 लाख की कमी वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

103- पारिवारिक स्थापना-

01- राज्यपाल की पारिवारिक स्थापना-

गैर योजना

मूल	2,72.01			
		2,29.29	2,29.25	(-)0.04
पुनर्वि०	(-)42.72			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 42.72 लाख की कमी वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि यात्रा पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

107- संविदा भत्ते से व्यय-

01- राज्यपाल के संविदा भत्ते-

6
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 2 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	8.00			
		3.80	3.80	..
पुनर्वि०	(-)4.20			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 4.20 लाख की कमी दूरभाष, जल तथा विद्युत प्रभारों/बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

06- मरम्मत-

गैर योजना

मूल	3.10			
	
पुनर्वि०	(-)3.10			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.10 लाख का समस्त विनियोजन मरम्मत कार्यों का निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य(+) बचत(-)
-------	-----------------	-----------------------------------	---------------------

2012- राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-

03- राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-

104- सत्कार भत्ता-

01- राज्यपाल के सत्कार भत्ते-

गैर योजना

मूल	2.00			
		5.50	5.50	..
पुनर्वि०	3.50			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 3.50 लाख का आवर्धन माननीय राज्यपाल के अतिथियों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

105- चिकित्सा सुविधाएं-

01- राज्यपाल, उनके परिवार तथा निजी कर्मचारी वर्ग को चिकित्सा सुविधाएं-

गैर योजना

मूल	0.51			
		3.00	3.00	..
पुनर्वि०	2.49			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 2.49 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों पर अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

108- यात्रा व्यय -

7
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 2 (समाप्त)

01- राज्यपाल तथा उनकी स्थापना के लिए यात्रा व्यय -
गैर योजना

मूल	10.00			
		16.02	16.01	(-)0.01
पुनर्वि०	6.02			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 6.02 लाख का आवर्धन यात्रा पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

03- विद्युत-
गैर योजना

मूल	3.50			
		7.40	7.40	..
पुनर्वि०	3.90			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 3.90 लाख का आवर्धन विद्युत मरम्मत कार्य पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-3- न्याय प्रशासन

(शीर्ष- 2014-न्याय प्रशासन, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2062-सतर्कता, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2216-आवास तथा 4059-लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	2,00,01,14		
	2,00,01,14	1,65,43,67	(-)34,57,47
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			34,57,04
प्रभारित			
मूल	50,46,94		
	53,43,87	42,07,86	(-)11,36,01
पूरक	2,96,93		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			11,35,98
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	7,16,00		
	15,20,00	8,46,15	(-)6,73,85
पूरक	8,04,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			3,73,85
प्रभारित			
मूल	..		
	1,17,07	..	(-)1,17,07
पूरक	1,17,07		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			1,17,07

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹11,36.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में ₹ 2,96.93 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।
- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,73.85 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 8,04.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 373.85 लाख का अभ्यर्पण भी अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 1,17.07 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 1,17.07 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2014- न्याय प्रशासन-			
105- सिविल तथा सत्र न्यायालय-			
01- नागरिक तथा सत्र न्यायालयों स्थापना- गैर योजना			
मूल	1,48,34.88		
		1,17,07.78	
			1,17,07.55
पुनर्वि०	(-)31,27.10		(-)0.23
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31,27.10 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमान का संशोधन न होने, यात्रा पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि विद्युत, दूरभाष व पानी के बिलों की अधिक प्राप्ति और नए वाहनों की खरीद पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।			
114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता -			
01- महाअधिवक्ता- गैर योजना			
मूल	11,93.52		
		10,86.74	
			10,86.74
पुनर्वि०	(-)1,06.78		..
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹1,06.78 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों के संशोधन न होने तथा व्यवसायिक व विशेष सेवाओं की भर्ती पर कम व्यय के कारण हुई।			
02- अन्य विधि अधिकारी- गैर योजना			
मूल	22,07.41		
		18,74.29	
			18,74.29
पुनर्वि०	(-)3,33.12		..
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,33.12 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों के संशोधन न होने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।			
03- राज्य न्याययिक अकादमी पर व्यय- गैर योजना			
मूल	2,95.43		
		2,43.36	
			2,43.36
पुनर्वि०	(-)52.07		..

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 52.07 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों के संशोधन न होने और दूरभाष, विद्युत व जल प्रभारों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

116- राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण-

01- राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण-

गैर योजना

मूल 8,23.76

5,43.00

5,42.99

(-)0.01

पुनर्वि० (-)2,80.76

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,80.76 लाख की कमी राज्य प्रशासनिक पराधिकरण के उन्मूलन और दूरभाष, विद्युत व जल प्रभारों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय व्यय-

053- रखरखाव और मुरम्मत-

48- अभियोजन के भवनों का रखरखाव-

गैर योजना

(i) मूल 1.32

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.32

58- महाधिवक्ता के कार्यालय भवन का रखरखाव-

गैर योजना

(ii) मूल 1.32

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.32

86- हिमाचल प्रदेश राज्य न्याययिक अकादमी भवनों का रखरखाव-

गैर योजना

(iii) मूल 1.32

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.32

उपरोक्त तीन मामलों मार्च 2020 में ₹ 3.96 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं -

105- विशेष जाँच आयोग-

04- हिमाचल प्रदेश राज्यमानव अधिकार आयोग-

गैर योजना

मूल 26.24

13.66

13.66

..

पुनर्वि० (-)12.58

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

मार्च 2020 में अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 12.58 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों के संशोधन न होने के कारण हुई।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2014- न्याय प्रशासन-			
102- उच्च न्यायालय-			
05- ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना (फेज-II)- गैर योजना			
मूल	0.01		
		74.31	
पुनर्वि०	74.30	74.31	..
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 74.30 लाख का आवर्धन ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट -II को अव्ययित शेष भारत सरकार द्वारा निधि प्रदान करने के कारण हुआ।			
108- दण्ड न्यायालय-			
01- गवाहों को यात्रा तथा भोजन राशि- गैर योजना			
मूल	90.00		
		1,21.25	
पुनर्वि०	31.25	1,21.05	(-)0.20
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.25 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक दावों को प्राप्त होने के कारण हुआ।			
800- अन्य व्यय-			
02- हिमाचल प्रदेश राज्य विधि सेवाएं प्राधिकरण- गैर योजना			
मूल	4,38.91		
पूरक		5,47.65	
पुनर्वि०	1,08.74	5,47.65	..
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,08.74 लाख का आवर्धन कम्प्यूटर हार्डवेयर फैंक्स मशीन, फर्नीचर की खरीद पर अधिक व्यय चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति, सम्मेलनों के संगठन और नए वाहनों की खरीद के कारण हुआ।			
04- पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना- गैर योजना			
मूल	12.00		
		2,21.43	
पुनर्वि०	2,09.43	2,21.43	..
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,09.43 लाख का आवर्धन पीड़ितों को मुआवजे/क्षतिपूर्ति के भुगतान के कारण हुआ।			

12
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव और मुरम्मत-

38- उच्च न्यायालय के भवनों का रखरखाव-
गैर योजना

(i) मूल	38.54			
		60.97	60.97	..
पुनर्वि०	22.43			

57- लोकायुक्त भवन का रखरखाव-
गैर योजना

(ii) मूल	1.32			
		6.96	6.96	..
पुनर्वि०	5.64			

2216- आवसीय-

01- साधारण पूल आवास-

053- मुरम्मत एवं रखरखाव-

01- अन्य रखरखाव पर व्यय-
गैर योजना

(iii) मूल	35.13			
		42.71	42.71	..
पुनर्वि०	7.58			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹35.65 लाख का आवर्धन कार्यालय/आवसीय भवनों की मुरम्मत और रखरखाव के कारण हुआ ।

(vi) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	--------------	--------------------------------	-----------------------

2014- न्याय प्रशासन-

102- उच्च न्यायालय-

01- उच्च न्यायालय स्थापना-
गैर योजना

मूल	46,52.35			
पूरक	2,96.93	39,55.62	39,55.59	(-)0.03
पुनर्वि०	(-)9,93.66			

मार्च 2020 में अभ्यर्ण द्वारा विनियोजन में ₹ 9,93.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, व वेतनमानों के संशोधन न होने, संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2062- सतर्कता-

103- लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त-

01- लोकायुक्त-

13
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	3,94.59			
		2,52.27	2,52.27	..
पुनर्वि०	(-)1,42.32			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा विनियोजन में ₹ 1,42.32 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vii) दत्तमत अनुदान में आधिक्य निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाखों में)			
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- कार्यालय भवन -			
051- सामान्य पूल आवास निर्माण हेतु-			
15- न्यायपालिका संरचना का उत्थान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
मूल	2.00		
पूरक	5,70.00	36.06	36.06
पुनर्वि०	(-)5,35.94		..

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,35.94 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जबकि केन्द्र सरकार से ₹ 5,72.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

गैर योजना

पूरक	10.00			
	
पुनर्वि०	(-)10.00			

मार्च 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹10.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण अभ्यर्णित किया गया।

25- जिला न्यायवादी कार्यालयों का निर्माण -
योजना

मूल	3,00.00	3,00.00	..	(-)3,00.00
-----	---------	---------	----	------------

₹ 3,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

(viii) उपरोक्त बचत मुख्यत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाखों में)			
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-			

14
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (समाप्त)

01-	कार्यालय भवन -				
051-	सामान्य पूल आवास निर्माण हेतु-				
15-	न्यायपालिका संरचना का उत्थान- योजना				
(i)	मूल	3,93.00			
			5,64.09	5,64.10	+0.01

पुनर्वि० 1,71.09

31- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय-
गैर योजना

(ii)	मूल	1.00			
			2.00	2.00	..
	पुनर्वि०	1.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,72.09 लाख का आर्वधन प्रमुख कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

(ix) प्रभारित विनियोजन में बचत निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिव्यय (+) बचत (-)
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- कार्यालय भवन-			
051- सामान्य पूल आवास निर्माण हेतु-			
15- न्यायपालिका संरचना का उत्थान- योजना			
पूरक	1,17.07		
	
पुनर्वि०	(-)1,17.07		..

फरवरी 2020 में अनुपूरक विनियोजन द्वारा प्राप्त ₹1,17.07 लाख का समस्त विनियोजन मुख्य कार्यों में व्यय बुक न करने के कारण 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 4- सामान्य प्रशासन

(शीर्ष- 2051-लोक सेवा आयोग, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075- विविध सामान्य सेवाएं, 2216- आवास, 2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 2251- सचिवालय -सामाजिक सेवाएं, 3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 3435- परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 4059-लोक निर्माण कार्य और पूंजीगत परिव्यय तथा 4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	2,19,77,68		
पूरक	19,31,33		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)	2,39,09,01	1,85,02,50	(-)54,06,51
प्रभारित			
मूल	10,03,20		
पूरक	5,53,22		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)	15,56,42	13,54,74	(-)2,01,68
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	2		
पूरक	21,93,80		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)	21,93,82	9,02	(-)21,84,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			20,90,02

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 54,06.51 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 19,31.33 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और ₹ 38,53.73 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग में प्रभारित विनियोजन में ₹ 2,01.68 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 5,53.22 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 21,84.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 21,93.80 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 20,90.02 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएँ-			
090- सचिवालय-			
01- मुख्य सचिवालय- गैर योजना			
मूल	72,97.07		
पूरक	2,62.81	53,98.87	53,98.87
पुनर्वि०	(-)21,61.01		..
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21,61.01 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा कर्मचारियों के कम यात्रा और दूरभाष, विद्युत तथा पानी के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि नए वाहनों की अधिक खरीद, पेट्रोल, तेल, स्नेहक व मुरम्त पर अधिक व्यय और हिमाचल प्रदेश सचिवालय के केंटीन कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के भुगतान पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।			
02- राजस्व विभाग- गैर योजना			
(i) मूल	7,43.83		
		5,62.40	5,62.40
पुनर्वि०	(-)1,81.43		..
03- आबकारी और कराधान विभाग- गैर योजना			
(ii) मूल	1,35.84		
		91.18	91.18
पुनर्वि०	(-)44.66		..
04- गृह विभाग- गैर योजना			
(iii) मूल	4,02.72		
		3,31.85	3,31.85
पुनर्वि०	(-)70.87		..
05- लोक निर्माण विभाग-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

गैर योजना				
(iv)	मूल	6,79.77		
			4,72.80	4,72.80
	पुनर्वि०	(-)2,06.97		..
06- वित्त विभाग-				
गैर योजना				
(v)	मूल	9,10.09		
			7,71.10	7,71.10
	पुनर्वि०	(-)1,38.99		..

उपरोक्त पाँच मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,42.92 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

091- संलग्न कार्यालय-				
01- आवासीय आयुक्त-				
गैर योजना				
	मूल	2,77.93		
		0.01	1,67.76	1,67.60
	पुनर्वि०	(-)1,10.18		(-)0.16

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,10.18 लाख की कमी बाह्य स्रोत वाहनों, पेट्रोल, तेल व स्नेहक, दूरभाष, विद्युत और पानी के बिलों पर कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

2053- जिला प्रशासन-

800- अन्य व्यय-				
01- हिमाचल दिवस, गणतन्त्र दिवस तथा स्वतन्त्रता दिवस समारोहों पर व्यय-				
गैर योजना				
	मूल	40.00		
	पूरक	5,95.00	6,15.57	4,89.86
	पुनर्वि०	(-)19.43		(-)1,25.71

₹ 1,25.71 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 19.43 लाख की कमी बिलों की अपेक्षा से कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,25.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

115- अतिथि गृह सरकारी होस्टल इत्यादि-				
02- नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन का प्रबन्ध-				
गैर योजना				
(i)	मूल	4,00.00		
			7,50.00	..
	पूरक	3,50.00		(-)7,50.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 4 (क्रमशः)

2075- विविध सामान्य सेवाएँ-

800- अन्य व्यय-

03- वीरता पुरस्कार -
गैर योजना

(ii) मूल	2,50.00	2,50.00	..	(-)2,50.00
----------	---------	---------	----	------------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 10,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतिक्रित थे (अक्तूबर 2020)।

04- मृत/शहीद तथा अपंग हुए सैनिकों के परिवार को आर्थिक सहायता-
गैर योजना

मूल	15.00			
पूरक	3,80.00	3,71.70	..	(-)3,71.70
पुनर्वि०	(-)23.30			

₹ 3,71.70 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 23.30 लाख की कमी शहीद तथा अपंग हुए सैनिकों के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अवास्तविक सिद्ध हुई।

₹ 3,71.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

10- 65 वर्ष की आयु से ऊपर के भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन-
गैर योजना

मूल	6,20.00			
पूरक	1,60.00	7,53.03	7,53.03	..
पुनर्वि०	(-)26.97			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.97 लाख की कमी भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

14- अन्य उद्देश्यों के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएं-
गैर योजना

मूल	17,00.00			
		15,67.91	15,67.91	..
पुनर्वि०	(-)1,32.09			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,32.09 लाख की कमी अप्रैल से जून 2019 के दौरान तीन महीनों तक तकनीकी बाधा के कारण हेलिकॉप्टर का संचालन नहीं करने के कारण हुई।

2216- आवास-

05- साधारण पूल आवास-

053- मरम्मत एवं रखरखाव-

04- नई दिल्ली स्थित सरकारी आवासों की
मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	0.67			
		..	0.67	+0.67
पुनर्वि०	(-)0.67			

₹ 0.67 लाख की दृष्टि के बिना प्रावधान के व्यय से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.67 लाख को समस्त प्रावधान में कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया जोकि अनुचित सिद्ध हुआ।

₹ 0.67 लाख के बिना प्रावधान के व्यय के होने के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

800- अन्य व्यय-

04- सम्पदा प्रबन्धन-

गैर योजना

(i) मूल	82.10			
		59.32	59.32	..
पुनर्वि०	(-)22.78			

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

200- अन्य कार्यक्रम-

01- सैनिक कल्याण निदेशालय-

गैर योजना

(ii) मूल	87.95			
		56.58	56.58	..
पुनर्वि०	(-)31.37			

04- विशेष रोजगार कार्यक्रम-

गैर योजना

(iii) मूल	31.25			
		19.48	19.48	..
पुनर्वि०	(-)11.77			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 65.92 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

05- हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण कोष-

गैर योजना

मूल	12,66.84			
		8,64.32	8,64.32	..
पुनर्वि०	(-)4,02.52			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,02.52 लाख की कमी स्वतंत्रता सेनानी के पेंशन बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

06- हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	4.22			
		0.03	0.03	..
पुनर्वि०	(-)4.19			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.19 लाख की कमी स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड का गठन न होने के कारण हुई।

2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं-

090- सचिवालय-

01- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-

गैर योजना

(i) मूल	4,15.61			
		3,11.81	3,11.81	..
पुनर्वि०	(-)1,03.80			

02- स्थानीय स्व-शासन सरकार विभाग-

गैर योजना

(ii) मूल	1,54.63			
		1,06.79	1,06.79	..
पुनर्वि०	(-)47.84			

03- शिक्षा विभाग-

गैर योजना

(iii) मूल	3,76.32			
		2,85.50	2,85.49	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)90.82			

08- युवक सेवा तथा कल्याण विभाग-

गैर योजना

(iv) मूल	82.68			
		71.33	71.33	..
पुनर्वि०	(-)11.35			

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,53.81 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-

60- अन्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

02- पर्यावरण एवं वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग-

गैर योजना

मूल	3,19.21			
		2,40.77	2,40.77	..
पुनर्वि०	(-)78.44			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 78.44 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने और कर्मचारियों द्वारा कम यात्रा करने के कारण हुई।

योजना

मूल	3,25.00			
		1,60.91	1,04.91	(-)56.00
पुनर्वि०	(-)1,64.09			

₹ 56.00 लाख अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,64.09 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 56.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ-

090- सचिवालय-

01- कृषि विभाग-

गैर योजना

(i) मूल 3,13.06

2,28.19 2,28.19 ..

पुनर्वि० (-)84.87

02- उद्यान विभाग-

गैर योजना

(ii) मूल 1,62.18

1,17.65 1,17.65 ..

पुनर्वि० (-)44.53

04- पशुपालन विभाग-

गैर योजना

(iii) मूल 1,34.32

1,08.94 1,08.95 +0.01

पुनर्वि० (-)25.38

05- ग्रामीण एकीकरण विकास तथा पंचायती राज विभाग-

गैर योजना

(iv) मूल 1,29.92

99.99 99.98 (-)0.01

पुनर्वि० (-)29.93

07- उद्योग विभाग-

गैर योजना

(v) मूल 3,21.12

2,36.23 2,36.23 ..

पुनर्वि० (-)84.89

08- परिवहन तथा पर्यटन विभाग-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 4 (क्रमशः)

गैर योजना					
(vi) मूल	1,82.64				
		1,15.59	1,15.58		(-)0.01
पुनर्वि०	(-)67.05				
10- योजना विभाग- गैर योजना					
(vii) मूल	1,30.35				
		92.96	92.95		(-)0.01
पुनर्वि०	(-)37.39				
11- सार्वजनिक वित्त और सार्वजनिक उद्यम प्रकोष्ठ की स्थापना- गैर योजना					
(viii) मूल	50.94				
		14.49	14.49		..
पुनर्वि०	(-)36.45				
13- अन्य सचिवालय विभाग- गैर योजना					
(ix) मूल	1,58.51				
		1,08.34	1,08.34		..
पुनर्वि०	(-)50.17				

उपरोक्त नौ मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,60.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

(v) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं-			
090- सचिवालय -			
07- विधि विभाग- गैर योजना			
मूल	4,56.71		
		5,35.60	5,35.60
पुनर्वि०	78.89		..

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 78.89 लाख का आवर्धन कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते और अंतरिम राहत के भुगतान के कारण हुआ।

2059- लोक निर्माण कार्य-

- 01- कार्यालय भवन-
- 053- रख रखाव तथा मरम्मत-
- 27- सचिवालय भवनों के रखरखाव पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 4 (क्रमशः)

गैर योजना				
(i) मूल	24.53			
		2,56.63	2,56.62	(-)0.01
पुनर्वि०	2,32.10			
28- हिमाचल प्रदेश आवासीय आयुक्त नई दिल्ली के भवनों के रख रखाव पर व्यय- गैर योजना				
(ii) मूल	7.93			
		1,37.76	1,37.76	..
पुनर्वि०	1,29.83			
39- लोक सेवा आयोग के भवनों के रखरखाव पर व्यय- गैर योजना				
(iii) मूल	4.64			
		40.78	40.78	..
पुनर्वि०	36.14			
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,98.07 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों की मरम्मत/रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-				
115- अतिथिगृह, सरकारी हॉस्टल इत्यादि-				
01- आतिथ्य संगठन-				
गैर योजना				
मूल	63.96			
		1,30.69	1,30.69	..
पुनर्वि०	66.73			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 66.73 लाख का आवर्धन बैठकों और सम्मेलनों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
2075- विविध सामान्य सेवाएँ-				
800- अन्य व्यय-				
09- अन्य विविध संगठनों को सहायता-				
गैर योजना				
मूल	5.00			
		6.86	6.86	..
पुनर्वि०	1.86			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.86 लाख का आवर्धन हिमाचल गौरव पुरस्कार प्रेरणा स्रोत और नागरिक सेवा पुरस्कार के प्रस्तुतीकरण के भुगतान के कारण हुआ।				
13- सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत संगठनों को सहायता-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 4 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	6.00			
		36.00	36.00	..
पुनर्वि०	30.00			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.00 लाख का आवर्धन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक खेल परिसर जुन्गा स्थित शिमला में भर्ती रैली के कारण हुआ।

2216- आवास-

05- साधारण पूल आवास-

053- रख-रखाव एवं मरम्मत

01- अन्य रख-रखाव पर व्यय-

गैर योजना

मूल	1,90.16			
पूरक	20.16	3,16.42	3,16.42	..
पुनर्वि०	1,06.10			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,06.10 लाख का आवर्धन भवनों के रखरखाव कार्यों के अधिक निष्पादन से हुआ।

2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-

200- अन्य कार्यक्रम-

09- मृतक स्वतंत्रता सेनानियों के अंतिम संस्कार के लिए अनुग्रह अनुदान-

गैर योजना

मूल	4.00			
		5.90	5.90	..
पुनर्वि०	1.90			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.90 लाख का आवर्धन स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को मृतक स्वतंत्रता सेनानियों के अंतिम संस्कार के लिए अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने के कारण हुआ।

(vi) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

2051- लोक सेवा आयोग-

102- राज्य लोक सेवा आयोग-

01- राज्य लोक सेवा आयोग-

गैर योजना

मूल	10,03.20			
पूरक	5,53.22	13,54.74	13,54.74	..
पुनर्वि०	(-)2,01.68			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 4 (समाप्त)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 2,01.68 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

पूजीगत प्रवर्ग

(vii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय-			
60- अन्य व्यय-			
051- निर्माण-			
05- दिल्ली में राज्य अतिथि घर का निर्माण- योजना			
पूरक	20,90.00		
पुनर्वि०	(-)20,90.00		

मार्च 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 20,90.00 लाख का समस्त प्रावधान अनुदान संख्या 10 में राशि की गलत बुकिंग के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया। जोकि अध्याय 12.5 (i) हिमाचल प्रदेश बजट मैनुअल 1971 तथा हिमाचल प्रदेश वितीय नियम 2009 के 44 (3) का उल्लंघन है।

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूजीगत परिव्यय-

02- समाज कल्याण-				
800- अन्य व्यय-				
03- युद्ध स्मृति स्मारक संग्रहालय धर्मशाला- गैर योजना				
मूल	0.01			
पूरक	99.43	99.43	4.65	(-)94.78
पुनर्वि०	(-)0.01			

₹ 94.78 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-5- भू-राजस्व और जिला प्रशासन

(शीर्ष- 2029-भू-राजस्व, 2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण, 2053- जिला प्रशासन, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2216- आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 2401- फसल कृषि कर्म, 2506- भू-सुधार, 2702- लघु सिंचाई, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी तथा 4059- लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	7,24,58,76			
		17,48,54,95	10,96,91,51	(-)6,51,63,44
पूरक	10,23,96,19			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
				1,04,30,04
प्रभारित				
मूल	..			
		..	1,20	+1,20
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	10,90,00			
		10,90,00	3,58,24	(-)7,31,76
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
				38,73

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 1,20,000 के आधिक्य का नियमितीकरण अपेक्षित है।
- राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,51,63.44 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 10,23,96.19 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 1,04,30.04 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2029- भू- राजस्व-				
102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य-				
02- वन बन्दोबस्त तथा सीमांकन- गैर योजना				
मूल	7,06.37			
		5,97.80	5,97.79	(-)0.01
पूनर्वि०	(-)1,08.57			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,08.57 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि लम्बित देनदारियों की अधिक अदायगी करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
03- बन्दोबस्त अधिकारी शिमला स्थापना- गैर योजना				
मूल	26,77.92			
		17,43.21	17,43.10	(-)0.11
पूनर्वि०	(-)9,34.71			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9,34.71 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि लम्बित देनदारियों की अधिक अदायगी और बाह्य स्रोत सेवाओं के प्रभारों के अधिक भुगतान पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
04- बन्दोबस्त अधिकारी कागंडा स्थापना- गैर योजना				
मूल	23,56.55			
पूरक	0.01	16,40.76	16,40.76	..
पूनर्वि०	(-)7,15.80			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,15.80 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने एवं यात्रा भत्ता पर कम व्यय के कारण हुई ।				
103- भू-अभिलेख				
02- जिला स्थापना प्रभार- गैर योजना				
मूल	1,42,72.51			
		1,04,03.62	1,03,64.89	(-)38.73
पूनर्वि०	(-)38,68.89			
₹ 38.73 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 38,68.89 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने,				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)

विविध वस्तुओं पर कम व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, दूरभाष, जल, विद्युत और यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई जोकि मजदूरी के भुगतान पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

- 03- प्राथमिक तथा सर्वेक्षण भू अभिलेख अभिकरणों का सुदृढीकरण-
मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधि की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

गैर योजना

मूल 3,50.26

1,30.38

1,30.37

(-)0.01

पुनर्वि० (-)2,19.88

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,19.88 लाख की कमी लाभार्थियों से आवदनों की कम प्राप्ति, रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने, और दूरभाष, पानी व बिजली के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

- 04- प्राथमिक तथा सर्वेक्षण भू अभिलेख अभिकरणों
का सुदृढीकरण जिला कर्मचारी वर्ग-
गैर योजना

मूल 23,96.38

17,76.78

17,74.30

(-)2.48

पुनर्वि० (-)6,19.60

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,19.60 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने दूरभाष, पानी व बिजली के बिलों की कम प्राप्ति, यात्रा पर कम व्यय और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि वाहनों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2053- जिला प्रशासन-

- 093- जिला स्थापनाएं-

- 01- सामान्य स्थापना-

गैर योजना

मूल 1,66,39.13

पूरक 0.01

1,52,65.82

1,37,52.45

(-)15,13.37

पुनर्वि० (-)13,73.32

₹ 15,13.37 लाख के अंतिमसारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13,73.32 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने, वेतनमान में संशोधन न होने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और पेट्रोल, तेल, स्नेहक पर कम व्यय के कारण हुई जोकि मजदूरी के भुगतान पर नए कार्यालय के लिए फर्नीचर, वाहनों की खरीद और दर

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)

किराया व कर के भुगतान पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई और अपर्याप्त सिद्ध हुई ।

₹ 15,13.37 लाख की अंतिम सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे(अक्टूबर 2020)।

094-	अन्य स्थापनाएं-				
01-	उप मण्डल स्थापना-				
	गैर योजना				
	मूल	21,45.88			
			17,43.69	17,44.68	+0.99
	पुनर्वि०	(-)4,02.19			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,02.19 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने, वेतनमान में संशोधन न होने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई ।				
04-	भू-अर्जन कर्मचारी वर्ग-				
	गैर योजना				
	मूल	1,51.40			
			33.73	95.99	+62.26
	पुनर्वि०	(-)1,17.67			
	₹ 62.26 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,17.67 लाख की कमी, मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, वेतनमान में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।				
	₹ 62.26 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे(अक्टूबर 2020)।				
05-	जिलाधीश कार्यालय की स्थापना पर व्यय (राहत एवं पुर्नर्वास)-				
	गैर योजना				
	मूल	98.60			
			70.79	70.80	+0.01
	पुनर्वि०	(-)27.81			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27.81 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने, वेतनमान में संशोधन न होने के कारण हुई ।				
800-	अन्य व्यय-				
04-	शिमला रोड यूजर्स एवं पेदेस्ट्रियन अमिनिटी फंड-				
	गैर योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2020 में अभ्यर्पित किया गया जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)

2235- समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

01- पुर्नवास -

202- अन्य पुनर्वास योजनाएं-

01- विस्थापित व्यक्तियों की स्थापना-

गैर योजना

मूल 1,27.59

84.03

84.05

+0.02

पुनर्वि० (-)43.56

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 43.56 लाख की कमी, मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, वेतनमान में संशोधन न होने के कारण हुई ।

2245- प्राकृतिक आपदाओं में राहत-

01- सूखा-

101- अनुग्राहिक राहत-

07- दवाइयों के वितरण पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**गैर योजना**

(i) पूरक 0.01

3,60.00

..

(-)3,60.00

पुनर्वि० 3,59.99

102- पेयजल योजना-

01- ट्रक आदि से पेयजल आपूर्ति-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**गैर योजना**

(ii) पूरक 0.01

1,00.00

..

(-)1,00.00

पुनर्वि० 99.99

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 4,60.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,59.98 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 4,60.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

02- बाढ़, चक्रवात इत्यादि-

101- अनुग्राहिक राहत-

01- कैश डोल- नकद निर्वाहदान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पूरक 31,00.00

31,00.00

..

(-)31,00.00

₹ 31,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे(अक्तूबर 2020)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	35,00.00			
		13,00.00	..	(-)13,00.00

पुनर्वि० (-)22,00.00

₹ 13,00.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22,00.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधि की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई ।

₹ 13,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे(अक्तूबर 2020)।

102- पेयजल आपूर्ति-
01- पेयजल पर व्यय-

गैर योजना

मूल	10.00			
	

पुनर्वि० (-)10.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹10.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

106- क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत एवं पुर्नस्थापना -
01- सड़कों और पुलों के निर्माण पर व्यय-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना-
गैर योजना**

पूरक	2,45,00.00	2,45,00.00		
			..	(-)2,45,00.00

₹ 2,45,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

01- सड़कों और पुलों के निर्माण पर व्यय-
गैर योजना

मूल	85,40.00			
		66,08.00	..	(-)66,08.00

पुनर्वि० (-)19,32.00

₹ 66,08.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19,32.00 लाख की कमी सड़कों और पुलों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 66,08.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

109- क्षतिग्रस्त, जलापूर्ति, जल और मल
कार्यों की मरम्मत एवं पुर्नस्थापना-

01- पेयजल तथा मल निकासी योजनाओं
को हुए नुकसान की मरम्मत पर व्यय-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना
गैर योजना**

पूरक	1,34,00.00	1,34,00.00		
			..	(-)1,34,00.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)

₹ 1,34,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

गैर योजना

मूल	31,00.00			
		24,50.00	..	(-)24,50.00
पुनर्वि०	(-)6,50.00			

₹ 24,50.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,50.00 लाख की कमी क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति, जल व मल निकासी कार्यों की मुरम्मत एवं पुनर्स्थापना पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 24,50.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

111- शोक संतृप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान-

01- अनुग्रह पूर्वक अनुदान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

गैर योजना

पूरक	30,49.00			
		29,99.00	..	(-)29,99.00
पुनर्वि०	(-)50.00			

₹ 29,99.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

29,99.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

गैर योजना

पूरक	75,00.00	75,00.00	..	(-)75,00.00
------	----------	----------	----	-------------

₹ 75,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

113- घरों की मुरम्मत/ एवं पुनः निर्माण हेतु अनुदान-

01- घरों की मरम्मत एवं निर्माण के लिये अनुदान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

पूरक	60.98			
		8,17.00	..	(-)8,17.00
पुनर्वि०	7,56.02			

₹ 8,17.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,56.02 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 8,17.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)

गैर योजना					
मूल	25,00.00				
		4,50.00	..		(-)4,50.00
पुनर्वि०	(-)20,50.00				
₹ 4,50.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20,50.00 लाख की कमी घरों की मुरम्मत/निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।					
₹ 4,50.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।					
193-	स्थानीय निकायों तथा गैर सरकारी निकायों/ संस्थाओं को अनुदान-				
01-	स्थानीय निकायों तथा गैर सरकारी निकायों/ संस्थाओं को सहायता-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	गैर योजना				
(i)	पूरक	64,80.00	64,80.00	..	(-)64,80.00
गैर योजना					
(ii)	पूरक	30,00.00	30,00.00	..	(-)30,00.00
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 94,80.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)। जबकि केन्द्र सरकार से ₹ 4,88,64.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ ।					
05-	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि-				
101-	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से रिजर्व फण्ड एवं जमा लेखा के लिए स्थानान्तरण-				
01-	राष्ट्रीय आपदा राहत कोष को स्थानान्तरण-				
	गैर योजना				
मूल	2,87,00.00				
		2,25,93.00	2,25,93.00	..	
पुनर्वि०	(-)61,07.00				
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में द्वारा प्रावधान में ₹ 61,07.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 5,18,06.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।					
901-	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से घटाई राशि -				
01-	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से घटाई राशि प्रतिक्रिया-				
	गैर योजना				
मूल	(-)2,87,00.00				
		(-)2,25,93.00	..		+2,25,93.00
पुनर्वि०	61,07.00				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)

₹ 2,25,93.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 61,07.00 लाख का आवर्धन मार्च 2020 में राज्य आपदा को ऋण राशि के समरूप स्थानान्तरण अनावश्यक सिद्ध हुआ बजट प्रावधान ऋणात्मक रखा गया था जोकि गलत लेखा प्रणाली को दर्शाती है।

₹ 2,25,93.00 लाख की अंतिम आधिक्य तथा बजट प्रावधान ऋणात्मक रखने के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

80- सामान्य-

102- आपदा उन्मुख क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं पर व्यय-

01- आपदा उन्मुख क्षेत्रों के लिए आकस्मिक योजनाओं पर व्यय-
गैर योजना

पूरक	0.01				
		3,00.00	..		(-)3,00.00
पुनर्वि०	2,99.99				

₹ 3,00.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,99.99 लाख का आवर्धन उडीसा राज्य में सुपर चक्रवात दृश्य (तूफान) से ग्रसितों को सहायता उपलब्ध करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

₹ 3,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

02- तेरहवें वित्तायोग के अन्तर्गत क्षमता निर्माण पर व्यय -
गैर योजना

पूरक	0.01				
		10,00.00	..		(-)10,00.00
पुनर्वि०	9,99.99				

₹ 10,00.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,99.99 लाख का आवर्धन खोज और बचाव के उपकरणों की खरीद के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

₹ 10,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

05- क्षमता निर्माण-
गैर योजना

मूल	5,50.00				
		14,35.00	..		(-)14,35.00
पुनर्वि०	8,85.00				

₹ 14,35.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,85.00 लाख का आवर्धन क्षमता निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

₹ 14,35.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

2506- भूमि सुधार-

102- चकबन्दी-

01- मुख्यालय स्थापना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	4,11.05			
		2,21.46	2,21.36	(-)0.10
पुनर्वि०	(-)1,89.59			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,89.59 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों के संशोधन न होने चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और दूरभाष पानी व बिजली के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

02- जिला स्थापना-

गैर योजना

मूल	3,55.16			
		1,71.27	1,71.26	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1,83.89			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,83.89 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई।

3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

110- राज विवरणिका तथा सांख्यिकी संस्करण-

02- आपदा प्रबन्धन कोष्ठ-

गैर योजना

मूल	64.35			
		38.70	42.49	+3.79
पुनर्वि०	(-)25.65			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.65 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)

2029- भू-राजस्व-

103- भू-अभिलेख-

01- अधीक्षण-

गैर योजना

मूल	2,76.70			
पूरक	0.01	3,14.98	3,15.17	+0.19
पुनर्वि०	38.27			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 38.27 लाख का आवर्धन पटवारी की परीक्षा करने के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)

2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण-

01- स्टाम्प न्याययिक

102- स्टाम्प बेचने पर व्यय -

01- स्टाम्प वैन्डर के द्वारा स्टाम्प बिक्री पर व्यय- -

गैर योजना

मूल 1.00

19.37

13.53

(-)5.84

पुनर्वि० 18.37

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.37 लाख का आवर्धन टिकट विक्रेताओं को टिकट बिक्री पर छूट देने के कारण हुआ ।

02- स्टाम्प न्याययिकेतर-

101- स्टाम्प की लागत-

01- केन्द्रीय भण्डार नासिक-

गैर योजना

मूल 2,26.89

17,54.49

17,54.49

..

पुनर्वि० 15,27.60

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15,27.60 लाख का आवर्धन सुरक्षा मुद्रणालय हैदराबाद और भारत सुरक्षा मुद्रणालय महाराष्ट्र के सम्बन्ध में लम्बित बिलों का भुगतान करने के कारण हुआ ।

102- स्टाम्प की बिक्री पर व्यय-

01- स्टाम्प विक्रेताओं की टिकट बिक्री-

गैर योजना

मूल 1.00

1,63.80

1,29.68

(-)34.12

पुनर्वि० 1,62.80

₹ 34.12 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,62.80 लाख का आवर्धन टिकट विक्रेताओं को टिकटों की बिक्री पर छूट देने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ ।

₹ 34.12 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

02- नोटरीयत टिकटों की बिक्री-

गैर योजना

मूल 1.00

19.04

9.49

(-)9.55

पुनर्वि० 18.04

₹ 9.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.04 लाख का आवर्धन टिकट विक्रेताओं को टिकटों की बिक्री पर छूट देने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 9.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)

03- राजस्व टिकटों की बिक्री-
गैर योजना

मूल	1.00				
		9.73	4.90		(-)4.83
पुनर्वि०	8.73				

₹ 4.83 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.73 लाख का आवर्धन टिकट विक्रेताओं को राजस्व टिकटों की बिक्री पर छूट देने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 4.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

2053- जिला प्रशासन

093- जिला स्थापनाएं-

03- वक्फ न्याय प्राधिकरण पर व्यय-
गैर योजना

मूल	33.65				
पूरक	0.01	59.60	57.58		(-)2.02
पुनर्वि०	25.94				

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.94 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत सेवाओं के प्रभारों के भुगतान और वक्फ न्यायाधिकरण धर्मशाला के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन की अदायगी करने के कारण हुआ जोकि यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

2216- आवास-

05- साधारण पुल आवास-

053- मरम्मत एवं रखरखाव-

01- अन्य रखरखाव पर व्यय-

गैर योजना

मूल	8.26				
		21.29	24.96		+3.67
पुनर्वि०	13.03				

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13.03 लाख का आवर्धन आवासीय भवनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2401- फसल कृषि-कर्म-

111- कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-

04- कृषि गणना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

पूरक	0.08				
		78.88	82.54		+3.66
पुनर्वि०	78.80				

₹ 3.66 लाख के अंतिमआधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 78.80 लाख का आवर्धन मानदेय के भुगतान विविध वस्तुओं और वेतन के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 5 (क्रमशः)

₹ 3.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

2702- लघु सिंचाई-

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

07- सिंचाई आंकड़ों की सुधार योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

पूरक 0.04

17.35

26.43

+9.08

पुनर्वि0 17.31

₹ 9.08 लाख के अंतिमआधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹17.31 लाख का आवर्धन वेतन के भुगतान के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।

₹ 9.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

(v) प्रभारित विनियोजन में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-
शीर्ष कुल विनियोजन वास्तविक

व्यय आधिक्य (+)
बचत (-)
(₹ लाखों में)

2053- जिला प्रशासन-

093- जिला स्थापना-

01- सामान्य स्थापना-
गैर योजना

..

..

1.20

+1.20

बिना बजट प्रावधान के ₹ 1.20 लाख के व्यय के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

पूँजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत्त अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक
व्यय

आधिक्य (+)
बचत (-)

(₹ लाखों में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

30- राजस्व विभाग के भवनों का निर्माण-
गैर योजना

(i) मूल 2,00.00

2,00.00

..

(-)2,00.00

33- तहसील/ उप- तहसील भवन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 5 (समाप्त)

गैर योजना

(ii)	मूल	1,00.00	1,00.00	62.97	(-)37.03
------	-----	---------	---------	-------	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,37.03 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

37- कानूनगो/पटवार भवनों का निर्माण-
योजना

मूल	7,90.00				
		7,51.27	2,95.27		(-)4,56.00
पुनर्वि०	(-)38.73				

₹ 4,56.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 38.73 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई ।

₹ 4,56.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

(vii) आपदा राहत निधि

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना संख्या न० रेव (डी.एम.सी.) (एफ) 4-2/2000-VII दिनांक 21/2/2011 को भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार से सहायता लेने के उद्देश्य से राज्य आपदा प्रबंधन निधि का संगठन किया जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, आग लगने और सूखा इत्यादि पर राहत दिलवा सके। भारत सरकार और राज्य सरकार निधि से क्रमशः 90:10 की औसत से अंशदान दिया जाना है।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार से निधि हेतु अंशदान लोक लेखा में लेखा शीर्ष 8121- सामान्य और अन्य रिजर्व फण्ड तथा 122- राज्य आपदा प्रबंधन निधि के अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन निधि के अधीन अन्य प्राप्त घटकों से अलग पहचान बनाने के लिए वर्गीकरण किया गया है। इसलिए यह फण्ड राज्य सरकार के सामान्य स्त्रोतों का हिस्सा नहीं है। निधि से किसी भी प्रकार का अप्रयुक्त अग्रिम शेष या अन्य कोई भी प्राधिकार भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट विधि से रखा जाता है। मुख्य सचिव के पदेन अध्यक्ष होने के नाते इस फण्ड का संचालन राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा साथ किया जाता है।

कमेटी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सिफारिश की गई राशि को मुख्य शीर्ष 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 05- राज्य आपदा प्रबंधन निधि, 101- रिजर्व फण्ड और जमा लेख का अंतरण राज्य आपदा प्रबंधन निधि से मुख्य शीर्ष 8121- सामान्य और अन्य रिजर्व फण्ड, 122- आपदा प्रबंधन निधि से स्थानान्तरण द्वारा इस फण्ड में 01 अप्रैल 2019 को ₹ 1,92.10 लाख अथ शेष लिया गया और ₹ 2,25,93.00 लाख (भारत सरकार से ₹ 1,97,23.00 लाख और राज्य सरकार से ₹ 28,70.00 लाख वर्ष के दौरान) क्रेडिट किए गए और इस प्रकार निधि योग ₹ 2,27,85.10 लाख अधिक हो गया। मार्च 2020 के अन्त में निधि में ₹ 2,27,85.10 लाख जमा रहे (विवरण हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2019-20 के वित्त लेखों की विवरणी संख्या 21 में दर्शाया गया है)। मुख्यशीर्ष 2245 के अन्तर्गत कोई भी व्यय नहीं किया गया । अतः व्यय को मुख्यशीर्ष 8121 और 8235 को स्थानांतरित नहीं किया गया ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-6- आबकारी और कराधान

(शीर्ष- 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2043- राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत संग्रहण प्रभार, 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2216- आवास, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4047- राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय)।

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	81,04,50		
	1,12,99,09	98,67,55	(-)14,31,54
पूरक	31,94,59		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			14,31,34
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	7,00,00		
	7,08,23	6,93,52	(-)14,71
पूरक	8,23		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टिप्पणियां तथा अभियुक्तियां

- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 14,31.54 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 31,94.59 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ ।
- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 14.71 लाख की बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 8.23 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा विभाग द्वारा कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई ।

राजस्व प्रवर्ग

- दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2039- राज्य उत्पाद शुल्क-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- जिला स्थापना पर व्यय-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	7,55.30			
		7,15.66	7,15.65	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)39.64			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 39.64 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण और यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई।

- 104- लिंकर और स्प्रिट की खरीद-
02- शराब की क्लीनिकल सैंपलिंग-
गैर योजना

मूल	45.00			
		10.56	10.56	..
पुनर्वि०	(-)34.44			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.44 लाख की कमी शराब की क्लीनिकल सैंपलिंग पर कम व्यय के कारण हुई।

- 2043- राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत संग्रहण प्रभार-**

- 800- अन्य व्यय-
01- राज्य वस्तुएं एवं सेवा कर-
गैर योजना

मूल	1,29.00			
		36.93	36.93	..
पुनर्वि०	(-)92.07			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 92.07 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

- 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर-**

- 104- संग्रहण प्रभार यात्रियों तथा माल पर कर-
01- मुख्यालय की स्थापना-
गैर योजना

मूल	7,07.36			
		6,28.01	6,28.01	..
पुनर्वि०	(-)79.35			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 79.35 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वाहनों की पेट्रोल/मरम्मत/ रखरखाव और विज्ञापन एवं प्रचार के प्रकाशन पर कम व्यय के कारण हुई।

- 02- जिला स्थापना-
गैर योजना

मूल	51,08.39			
		38,64.50	38,64.31	(-)0.19
पुनर्वि०	(-)12,43.89			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6 (क्रमशः)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12,43.89 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और विभाग में दैनिक मजदूरों का नियमितीकरण करने के कारण हुई।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम -

110- अन्य बीमा योजनाएं-

02- छोटे व्यापारियों के लिए दुर्घटना समूह बीमा संरक्षण-
गैर योजना

मूल 50.00

पुनर्वि० (-)50.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान बीमा मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

**3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं
को क्षतिपूर्ति तथा स्वत्वार्पण-**

107- स्थानीय क्षेत्रों में माल आने पर कर-

01- स्थानीय शहरी निकायों को सहायता अनुदान-
गैर योजना

मूल 6,18.40

5,71.49

5,71.49

पुनर्वि० (-)46.91

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46.91 लाख की कमी सहायता अनुदान कम जारी होने के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

2040- विक्रय एवं व्यापार इत्यादि पर कर-

101- संग्रहण प्रभार-

01- मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कर्मचारी-
गैर योजना

मूल 2,18.41

पूरक 16,03.97

19,36.05

19,36.05

पुनर्वि० 1,13.67

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,13.67 लाख का आवर्धन मुल्य वर्धित कर जानकारी तकनीकी योजना पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

02- रखरखाव व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6 (समाप्त)

गैर योजना

मूल	1.67			
		51.67	51.67	..
पुनर्वि०	50.00			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों की मरम्मत/रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-7- पुलिस और सम्बद्ध संगठन

शीर्ष- 2055-पुलिस, 2056-जेल, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2062- सतर्कता, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2216-आवास, 2250-अन्य सामाजिक सेवाएं, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय।

	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	14,29,07,80		
	14,33,06,14	12,20,59,44	(-)2,12,46,70
पूरक	3,98,34		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			2,11,91,04
प्रभारित			
मूल	..		
	17,61	17,60	(-)1
पूरक	17,61		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	68,33,07		
	82,21,69	61,23,77	(-)20,97,92
पूरक	13,88,62		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			12,17,38

टिप्पणियां तथा अभ्यक्तियां

- राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,12,46.70 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 3,98.34 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।
- पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 20,97.92 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 13,88.62 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 12,17.38 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2055- पुलिस-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

गैर योजना

मूल 20,13.58

16,70.28

16,70.28

..

पुनर्वि० (-)3,43.30

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,43.30 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

003- शिक्षा और प्रशिक्षण-

01- पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र-

गैर योजना

मूल 18,52.79

15,50.02

15,50.02

..

पुनर्वि० (-)3,02.77

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,02.77 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

101- आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-

01- आपराधिक अन्वेषण-

गैर योजना

मूल 49,62.21

41,94.44

41,94.44

..

पुनर्वि० (-)7,67.77

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,67.77 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि सुरक्षा उपकरणों की खरीद/मरम्मत और नई वाहनों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

योजना				
पूरक	1,29.33			
पुनर्वि०	(-)1,29.33			
मार्च 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 1,29.33 लाख समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया ।				
108-	राज्य मुख्यालय पुलिस-			
01-	राज्य रिजर्व पुलिस-			
गैर योजना				
मूल	1,02,57.29			
		79,56.14	79,56.14	..
पुनर्वि०	(-)23,01.15			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 23,01.15 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि हथियारों, बारूद, वर्दी, वस्तुओं, बाह्य स्रोत वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
02-	अन्य सरकारी संस्थाओं के लिए पुलिस-			
गैर योजना				
मूल	43,49.86			
		29,36.34	29,36.34	..
पुनर्वि०	(-)14,13.52			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14,13.52 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।				
05-	भारतीय रिजर्व वाहिनी-			
गैर योजना				
मूल	3,27,59.33			
		2,47,86.75	2,47,86.75	..
पुनर्वि०	(-)79,72.58			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 79,72.58 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जबकि नए वाहनों की खरीद स्थानान्तरण व्यय बिलों की अधिक प्राप्ति, वर्दी, वस्तुओं, दूरभाष, पानी और बिजली प्रभारों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
109-	जिला पुलिस-			
01-	जिला कार्यकारिणी बल-			
गैर योजना				
मूल	6,19,55.40			
		5,38,11.32	5,38,11.32	..
पुनर्वि०	(-)81,44.08			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 81,44.08 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जबकि लोक सभा मतदान के लिए वाहनों को किराए पर लेना, नए वाहनों की खरीद,दूरभाष,पानी और विद्युत प्रभारों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

111- रेलवे पुलिस-

01- अपराध पुलिस-

गैर योजना

मूल 5,69.18

3,96.82

3,96.82

..

पुनर्वि० (-)1,72.36

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,72.36 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई ।

114- बेतार तथा कम्प्यूटर-

01- पुलिस रेडियो कर्मचारी वर्ग-

गैर योजना

मूल 26,58.75

21,59.13

21,59.13

..

पुनर्वि० (-)4,99.62

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,99.62 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और बिलों को भेजने की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि दूरभाष, पानी और विद्युत प्रभारों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण-

02- सुरक्षा सम्बन्धी व्यय-

गैर योजना

मूल 98.44

35.57

35.57

..

पुनर्वि० (-)62.87

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 62.87 लाख की कमी मानदेय पर कम व्यय के कारण हुई।

116- न्यायालिक विज्ञान-

01- राज्य फौरंसिक विज्ञान प्रयोगशाला-

गैर योजना

मूल 8,37.35

7,28.63

7,28.48

(-)0.15

पुनर्वि० (-)1,08.72

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,08.72 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि डीओक्सीराइवो न्यूक्लिक एसिड किट की खरीद और रखरखाव कार्य पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

03-	न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला की सशक्तिकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	पूरक	2,69.00			
			83.12	83.12	..
	पुनर्वि०	(-)1,85.88			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,85.88 लाख की कमी बाह्य स्रोत सेवाओं के बिलों की कम प्राप्ति डीओक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड किटों, उपभोग्य तथा रखरखाव कार्य की खरीद पर कम व्यय होने के कारण हुई।				
2056-	जेल-				
101-	जेल-				
01-	जेलों की स्थापना- गैर योजना				
	मूल	30,47.58			
			29,09.50	29,09.50	..
	पुनर्वि०	(-)1,38.08			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,38.08 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि जेल के लिए किराने की वस्तुओं की खरीद और बाह्य स्रोत सेवाओं की अधिक नियुक्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
02-	जेलों के प्रशासन का आधुनिकीकरण- गैर योजना				
	मूल	2,98.22			
			2,00.02	2,00.02	..
	पुनर्वि०	(-)98.20			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 98.20 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।				
2062-	सतर्कता-				
104-	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के सतर्कता आयोग-				
01-	राज्य सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो- गैर योजना				
	मूल	32,57.96			
			25,07.76	25,07.76	..
	पुनर्वि०	(-)7,50.20			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,50.20 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद, दूरभाष, पानी व विद्युत प्रभारों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

02-	सतर्कता निदेशालय- गैर योजना				
	मूल	66.20			
			45.35	45.35	..
	पुनर्वि०	(-)20.85			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.85 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।				
2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-				
106-	नागरिक रक्षा-				
01-	मुख्यालय कर्मचारी वर्ग- केन्द्रीय प्रायोजित योजना गैर योजना				
	मूल	12.48			
			6.77	6.77	..
	पुनर्वि०	(-)5.71			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.71 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।				
01-	मुख्यालय कर्मचारी वर्ग- गैर योजना				
	मूल	30.90			
			18.44	18.44	..
	पुनर्वि०	(-)12.46			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.46 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।				
107-	होम गार्ड-				
01-	मुख्यालय कर्मचारी वर्ग- केन्द्रीय प्रायोजित योजना गैर योजना				
	मूल	21.14			
			11.21	11.21	..
	पुनर्वि०	(-)9.93			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.93 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने, रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।				
	गैर योजना				
	मूल	3,24.35			
			1,38.00	1,38.00	..
	पुनर्वि०	(-)1,86.35			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,86.35 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने, दूरभाष, पानी व विद्युत बिलों पर कम व्यय होने के कारण हुई ।

02- जिला कर्मचारी वर्ग-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	4,41.30			
		4,12.22	4,12.22	..
पुनर्वि०	(-)29.08			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 29.08 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

108- अग्नि संरक्षण तथा नियंत्रण-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-
गैर योजना

मूल	91.03			
		66.18	66.18	..
पुनर्वि०	(-)24.85			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.85 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

2250- अन्य सामाजिक सेवाएं-

800- धार्मिक संस्थाओं को सहायता-
02- धार्मिक संस्थाओं को सहायता-
गैर योजना

मूल	3.50			
	
पुनर्वि०	(-)3.50			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3.50 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2055- पुलिस-

- 101- अपराधिक अन्वेषण और सर्तकता-
02- राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	0.04			
		70.40	70.40	..
पुनर्वि०	70.36			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 70.36 लाख का आवर्धन राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के अन्तर्गत बाह्य स्रोत सेवाओं के भुगतान के कारण हुआ।

109- जिला पुलिस-

02- पंचायत चौकीदारों/गृह रक्षकों पर व्यय (समन सेवाओं हेतु)-

गैर योजना

मूल	3,00.00			
		3,50.15	3,50.15	..
पुनर्वि०	50.15			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.15 लाख का आवर्धन पंचायत चौकीदारों को वारंट/समनों को बांटने के कार्य पर भुगतान के लिए अनुदान जारी करने के कारण हुआ।

03- पुलिस के साथ कानून व्यवस्था हेतु तैनात गृह रक्षकों पर व्यय-

गैर योजना

मूल	49,82.89			
		65,34.16	65,34.16	..
पुनर्वि०	15,51.27			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹15,51.27 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों, गृह रक्षक स्वयं सेवक जो पुलिस के साथ ड्युटी पर तैनात कानून और व्यवस्था बनाए रखने के भुगतान और यात्रा पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण-

01- जिला कार्यकारिणी बल-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**गैर योजना**

मूल	0.06			
पूरक	0.01	1,64.05	1,19.59	(-)44.45
पुनर्वि०	1,63.98			

₹ 44.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,63.98 लाख का आवर्धन नए वाहनों की खरीद, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अधिक संगठन और उपकरणों की खरीद के कारण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 44.45 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

गैर योजना

मूल	0.06			
		10.94	10.94	..
पुनर्वि०	10.88			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.88 लाख का आवर्धन कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अधिक संगठन और नए वाहनों की खरीद के कारण हुआ।

02- सुरक्षा संबंधी व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
गैर योजना

मूल	2,59.69			
		3,77.73	3,77.73	..
पुनर्वि०	1,18.04			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,18.04 लाख का आवर्धन मानदेय की अदायगी यात्रा व्यय के दावों की अधिक प्राप्ति और सीमा क्षेत्र में मरम्मत कार्य पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ जोकि दूरभाष, बिजली एवं पानी प्रभारों, बाह्य स्रोत वाहनों, पेट्रोल,तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय करने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई ।

116- न्यायालिक विज्ञान-

02- महिलाओं और बच्चों के लिए साइबर अपराध की रोकथाम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	0.03			
		19.83	19.83	..
पुनर्वि०	19.80			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.80 लाख का आवर्धन कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अधिक संगठन के कारण हुआ।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव और मरम्मत-

20- जेल विभाग के भवनों के रखरखाव पर व्यय-
गैर योजना

(i) मूल	51.15			
		1,01.15	1,01.15	..
पुनर्वि०	50.00			

31- पुलिस विभाग के भवनों के रखरखाव पर व्यय-
गैर योजना

(ii) मूल	2,11.90			
		2,26.90	2,26.90	..
पुनर्वि०	15.00			

47- अग्नि शमन विभाग के भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

गैर योजना				
(iii)	मूल	5.85		
			9.55	9.55
	पुनर्वि०	3.70		..
62-	सर्तकता विभाग एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के भवनों का रखरखाव-			
गैर योजना				
(iv)	मूल	4.38		
			27.61	27.61
	पुनर्वि०	23.23		..
उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 91.93 लाख की आवर्धन रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ ।				
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-				
106- सिविल रक्षा-				
02- जिला कर्मचारी वर्ग-				
गैर योजना				
	मूल	5.48		
			6.83	6.83
	पुनर्वि०	1.35		..
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.35 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों को भुगतान के कारण हुआ ।				
107- होम गार्ड-				
02- जिला कर्मचारी वर्ग-				
गैर योजना				
	मूल	29,32.92		
			30,55.99	30,55.99
	पुनर्वि०	1,23.07		..
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,23.07 लाख का आवर्धन गृह रक्षक कर्मचारियों की मजदूरी और उनके परिवारों को अतिशयोक्ति मुआवजों के भुगतान के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुए बचत से अशतः संतुलित हुई।				
108- अग्नि से संरक्षण तथा नियंत्रण-				
02- जिला कर्मचारी वर्ग-				
गैर योजना				
	मूल	30,11.74		
			32,78.95	32,78.86
	पुनर्वि०	2,67.21		(-)0.09

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,67.21 लाख का आर्वधन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के भुगतान, अग्निरोधी सूट की खरीद, बिलों को भेजने की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जो कि रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति और दूरभाष, पानी और बिजली के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2216- आवास-

06- पुलिस आवास-

053- मरम्मत एवं रखरखाव-

02- राज्य फौरसिक प्रयोगशाला के आवासीय भवनों की मरम्मत-
गैर योजना

मूल	0.01			
		4.00	4.00	..
पुनर्वि०	3.99			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.99 लाख का आर्वधन पूल भवनों के रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाखों में)			

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-

211- पुलिस आवास-

03- पुलिस बलों का आधुनिकीकरण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
गैर योजना

पूरक	0.01			
पूरक	5,10.43	4,43.48	4,43.48	..
पुनर्वि०	(-)66.96			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 66.96 लाख की कमी मशीनों और उपकरणों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना**

(i) मूल 4,74.00 4,74.00 .. (-)4,74.00

योजना

(ii) मूल 28,83.00 31,15.65 27,53.87 (-)3,61.78

पूरक 2,32.65

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (समाप्त)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में ₹ 8,35.78 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतिक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

05- राज्य फौरंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण-
योजना

मूल	7,35.00			
		4,49.00	4,16.00	(-)33.00
पुनर्वि०	(-)2,86.00			

₹ 33.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,86.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 33.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

09- न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला की सशक्तिकरण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
गैर योजना

पूरक	4,60.00			
		30.98	30.98	..
पुनर्वि०	(-)4,29.03			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,29.03 लाख की कमी मशीनरी और उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई।

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

800- अन्य व्यय-

02- अग्निशमन सेवा विभाग के कार्यालय भवनों का निर्माण-
योजना

मूल	10,71.00			
		6,51.02	6,51.02	..
पुनर्वि०	(-)4,19.98			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,19.98 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 शिक्षा

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2202-सामान्य शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए ऋण)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	66,41,11,31			
		66,41,11,44	55,30,50,64	(-)11,10,60,80
पूरक	13			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				10,70,28,85
प्रभारित				
मूल	..			
		29,50	29,31	(-)19
पूरक	29,50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				19
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	96,85,03			
		1,07,24,94	77, 01,95	(-)30,22,99
पूरक	10,39,91			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				30,22,99

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 11,10,60.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 10,70,28.85 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 30,22.99 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 10,39.91 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2059- लोक निर्माण कार्य-			
01- कार्यालय भवन-			
053- रखरखाव तथा मरम्मत-			
70- प्राथमिक पाठशालाओं के भवनों का रखरखाव- योजना			
मूल	14,02.00		
		9,56.48	9,56.48
पुनर्वि०	(-)4,45.52		..

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,45.52 लाख की कमी कोविड-19 के पूर्ण बन्द होने से निधियों का आहरण नहीं किया जा सका।

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

001- निदेशन एवं प्रशासन-

01- निदेशालय-

गैर योजना

मूल
 22,05.07 | | || | | 18,40.56 | 18,40.57 |
| पुनर्वि० | (-)3,64.51 | | +0.01 |

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,64.51 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

योजना

मूल
 11,98.00 | | || | | 30.16 | 30.16 |
| पुनर्वि० | (-)11,67.84 | | .. |

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,67.84 लाख की कोविड-19 के पूर्ण बन्द होने से निधियों को नही निकाला जा सका।

101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय-

01- शिक्षा पर व्यय-

गैर योजना

मूल
 17,93,04.31 | | || | | 13,84,77.80 | 13,84,77.79 |
| पुनर्वि० | (-)4,08,26.51 | | (-)0.01 |

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,08,26.51 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, दैनिक वेतन भोगियों का नियमितीकरण न होने और बच्चों की कम उपस्थिति के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

योजना				
मूल	1,87.00			
पुनर्वि०	(-)1,87.00			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,87.00 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 के पूर्ण बन्द होने से निधियों को न निकालने के कारण कम कर दिया गया।				
03- माध्यमिक स्कूल- गैर योजना				
(i) मूल	12,08,95.88			
		10,47,50.48	10,47,50.48	..
पुनर्वि०	(-)1,61,45.40			
योजना				
(ii) मूल	40,18.00			
		30,13.54	30,13.54	..
पुनर्वि०	(-)10,04.46			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,71,49.86 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, और कोविड-19 के पूर्ण बन्द होने से निधियों को नहीं निकाला जा सका।				
11- उर्दू और पंजाबी शिक्षकों पर खर्च- योजना				
मूल	90.00			
		38.04	44.08	+6.04
पुनर्वि०	(-)51.96			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 51.96 लाख की कमी मानदेय मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
12- अटल वर्दी योजना- योजना				
मूल	22,30.00			
		20,68.46	21,54.34	+85.88
पुनर्वि०	(-)1,61.54			
₹ 85.88 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,61.54 लाख की कमी कोविड-19 के कारण पूर्ण बन्द होने से निधियों को नहीं निकाला जा सका जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
₹ 85.88 लाख के अंतिम आवर्धन के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।				
102- अराजकीय प्राथमिक पाठशालाओं को सहायता-				
03- निजी पाठशालाओं में कमजोर वर्ग के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

योजना					
मूल	2,00.00				
		14.13	14.13		..
पुनर्वि०	(-)1,85.87				
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,85.87 लाख की कमी कोविड-19 के कारण पूर्ण बन्द होने से निधियों का आहरण नहीं किया जा सका ।					
104-	निरीक्षण-				
01-	जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी-				
	गैर योजना				
मूल	20,54.44				
		17,02.61	17,02.61		..
पुनर्वि०	(-)3,51.83				
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,51.83 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और कोविड-19 के पूर्ण बन्द होने के कारण निधियों को नहीं निकाला जा सका जोकि बाह्य स्रोत वाहनों/ पेट्रोल, तेल स्नेहकों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।					
02-	खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी-				
	गैर योजना				
मूल	58,00.00				
		53,64.37	53,64.38		+0.01
पुनर्वि०	(-)4,35.63				
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,35.63 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोतों की अदायगी पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।					
107-	अध्यापक प्रशिक्षण-				
04-	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों पर व्यय-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
(i)	मूल	1.00			
					..
पुनर्वि०	(-)1.00				..
111-	सर्व शिक्षा अभियान-				
01-	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत				
	सहायता अनुदान-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
(ii)	मूल	1.00			
					..
पुनर्वि०	(-)1.00				..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

योजना					
(iii) मूल	1.00				
		
पुनर्वि०	(-)1.00				
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3.00 लाख के समस्त प्रावधान को कम कर दिया गया जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं।					
04- समग्र शिक्षा अभियान-					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
योजना					
(i) मूल	2,53,16.00				
		2,38,88.93	2,38,88.93		..
पुनर्वि०	(-)14,27.07				
योजना					
(ii) मूल	28,11.00				
		26,54.32	26,54.32		..
पुनर्वि०	(-)1,56.68				
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15,83.75 लाख की कमी कोविड-19 के कारण पूर्ण बन्द होने से निधियों को नहीं निकाला जा सका।					
800- अन्य व्यय-					
01- उपहार माध्याह्न भोजन-					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
योजना					
मूल	62,95.00				
		48,64.01	47,59.23		(-)1,04.78
पुनर्वि०	(-)14,30.99				
₹ 1,04.78 लाख अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14,30.99 लाख की कमी कोविड-19 के कारण पूर्ण बन्द होने से निधियों को नहीं निकाला जा सका जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि ₹ 50,66.57 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।					
₹ 1,04.78 लाख अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।					
गैर योजना					
(i) मूल	5,00.00				
		4,84.79	4,84.79		..
पुनर्वि०	(-)15.21				
योजना					
(ii) मूल	17,83.00				
		14,65.48	14,65.48		..
पुनर्वि०	(-)3,17.52				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,32.73 लाख की कमी कोविड-19 के कारण पूर्ण बन्द होने से निधियों का आहरण नहीं किया जा सका।

06- स्कूल प्रबन्धन कमेटी को अनुदान-
गैर योजना

(i) मूल	25.00			
		18.53	18.53	..

पुनर्वि० (-)6.47

योजना

(ii) मूल	13,56.00			
		12,82.40	12,82.40	..

पुनर्वि० (-)73.60

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 80.07 लाख की कमी 01/01/2020 के बाद अध्यापक को स्कूल प्रबंधन समिति के विस्तार की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

02- माध्यमिक शिक्षा-

001- निदेशालय और प्रशासन-

01- निदेशालय-

गैर योजना

मूल	20,39.85			
		16,67.77	16,66.94	(-)0.83

पुनर्वि० (-)3,72.08

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,72.08 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

109- राजकीय माध्यमिक विद्यालय-

01- उच्चतर पाठशालाएँ-

गैर योजना

मूल	22,02,96.35			
पूरक	0.01	19,76,60.20	19,73,07.74	(-)3,52.46

पुनर्वि० (-)2,26,36.16

₹ 3,52.46 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,26,36.16 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि सूचना तकनीकी अध्यापकों की नियुक्ति के भुगतान/अदायगी, भवनों का किराया, नगर निगम कर, लम्बित देनदारियों का भुगतान और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 3,52.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

योजना

मूल	21,06.00			
		16,74.20	15,04.21	(-)1,69.99

पुनर्वि० (-)4,31.80

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

₹ 1,69.99 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,31.80 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 1,69.99 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

05- सूचना और संचार तकनीकी कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

योजना

(ii) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

06- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(iii) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

योजना

(iv) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

10- माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(v) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

योजना

(vi) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 6.00 लाख के समस्त प्रावधान को कम कर दिया गया जिसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2020)।

14- माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के
लिए अंतर्वेशित शिक्षा पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

योजना				
(i) मूल	91.00			
	
पुनर्वि०	(-)91.00			
योजना				
(ii) मूल	11.00			
	
पुनर्वि०	(-)11.00			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,02.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।				
15-	स्टूडेंट डिजिटल योजना (लैपटॉप/टेबलेट)-			
योजना				
मूल	11,85.00			
		16,84.09	..	(-)16,84.09
पुनर्वि०	4,99.09			
₹ 16,84.09 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,99.09 लाख का आवर्धन श्रीनिवासा रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना के अर्न्तगत होनहार विद्यार्थियों को लेपटाप खरीदने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
₹ 16,84.09 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।				
16-	शिक्षक शिक्षा प्रोग्राम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
योजना				
(i) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			
योजना				
(ii) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त होने के कारण कम कर दिया गया।				
21-	मुख्यमंत्री ज्ञान दीप योजना- गैर योजना			
मूल	3,00.00			
		70.00	..	(-)70.00
पुनर्वि०	(-)2,30.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

₹ 70.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,30.00 लाख की कमी लाभार्थियों से आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई ।

₹ 70.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

- 24- प्रचलित सूचना एवं संचार तकनीक प्रयागशालाओं और अन्य प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन/रखरखाव -
योजना

मूल 32,90.00

..

पुनर्वि० (-)32,90.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 32,90.00 लाख का समस्त प्रावधान ई-बिड को अंतिम रूप न दिए जाने और पूर्णबन्द होने के कारण कम कर दिया गया।

- 27- मेधा प्रोत्साहन योजना-
गैर योजना

मूल 5,00.00

1,83.79 1,42.81 (-)40.98

पुनर्वि० (-)3,16.21

₹ 40.98 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,16.21 लाख की कमी लाभार्थियों से आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 40.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

- 29- समग्र शिक्षा अभियान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 1,95,80.00

78,98.94 78,98.94 ..

पुनर्वि० (-)1,16,81.06

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,16,81.06 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

योजना

मूल 21,72.00

8,77.66 8,77.66 ..

पुनर्वि० (-)12,94.34

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12,94.34 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी निधियों के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी कम जारी होने के कारण हुई।

- 30- खेल से स्वास्थ्य योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

गैर योजना

पूरक	0.01			
		1,12.17	..	(-)1,12.17

पुनर्वि० 1,12.16

₹ 1,12.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,12.16 लाख का आवर्धन राज्य में नई योजना लागू होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 1,12.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-

102- विश्वविद्यालय को सहायता-

01- हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय-

योजना

मूल	69,10.00			
		50,88.22	50,88.22	..

पुनर्वि० (-)18,21.78

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹18,21.78 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

103- राजकीय कालेज तथा संस्थान-

01- राजकीय महाविद्यालय-

गैर योजना

मूल	3,22,83.23			
		2,79,13.29	2,79,13.23	(-)0.06

पुनर्वि० (-)43,69.94

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 43,69.94 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, लाभार्थियों से आवेदनों की कम प्राप्ति और पूर्णबन्द होने के कारण हुई जोकि यात्रा पर अधिक व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति, किराये दर और कर बिलों पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

योजना

मूल	3,80.00			
		2,79.72	2,79.72	..

पुनर्वि० (-)1,00.28

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.28 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

02- प्रशिक्षण महाविद्यालय-

गैर योजना

मूल	3,72.08			
		2,23.88	2,23.83	(-)0.05

पुनर्वि० (-)1,48.20

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,48.20 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

07- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	42,35.00			
		13,32.86	13,32.86	..
पुनर्वि०	(-)29,02.14			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 29,02.14 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

योजना

मूल	4,71.00			
		1,48.10	1,48.10	..
पुनर्वि०	(-)3,22.90			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,22.90 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि जारी करने के अनुपात में राज्य की कम हिस्सेदारी जारी करने कारण हुई।

09- खेल से स्वास्थ्य योजना-
गैर योजना

पूरक	0.01			
		1,05.58	..	(-)1,05.58
पुनर्वि०	1,05.57			

₹ 1,05.58 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,05.57 लाख का आवर्धन राज्य में नई योजना लागू होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 1,05.58 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

04- प्रौढ़ शिक्षा-

103- ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम-

05- साक्षर भारत योजनाएं-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

योजना

(ii) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

05- भाषा विकास-

103- संस्कृत शिक्षा-

01- संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण-
गैर योजना

मूल 6,65.05

5,34.83

5,34.83

..

पुनर्वि० (-)1,30.22

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,30.22 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

योजना

मूल 35.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)35.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 35.00 लाख का समस्त प्रावधान रिक्त पदों को न भरने के कारण कम कर दिया गया।

80- सामान्य-

107- छात्रवृत्तियां-

07- अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों
के बच्चों को छात्रवृत्ति पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल 2.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)2.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

08- अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक

छात्रवृत्ति योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

पूरक 0.01

6,90.75

..

(-)6,90.75

पुनर्वि० 6,90.74

₹ 6,90.75 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,90.74 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 8,64.30 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

₹ 6,90.75 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

योजना

मूल	5,00.00	5,00.00	..	(-)5,00.00
-----	---------	---------	----	------------

5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

09- अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल 70.00

..

पुनर्वि० (-)70.00

योजना

(ii) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 71.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

18- कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना-
गैर योजना

मूल	2,12.00	2,12.00	..	(-)2,12.00
-----	---------	---------	----	------------

₹ 2,12.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

19- मुख्य मंत्री प्रोत्साहन योजना-
गैर योजना

मूल 3.18

60.00 .. (-)60.00

पुनर्वि० 56.82

₹ 60.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 56.82 लाख का आर्वधन छात्रवृत्ति मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 60.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

20- आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य श्रेणी के
छात्रों के लिए छात्रवृत्ति-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

योजना

मूल 3,50.00

पुनर्वि० (-)3,50.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3,50.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया ।

800- अन्य व्यय-**01- राष्ट्रीय कैडेट कोर सामान्य स्थापना-****गैर योजना**

मूल 6,08.83

4,95.87

4,95.87

..

पुनर्वि० (-)1,12.96

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,12.96 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

17- राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन-**गैर योजना**

मूल 3,36.79

3,08.75

3,08.75

..

पुनर्वि० (-)28.04

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.04 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-

03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-**277- शिक्षा-****06- अल्पसंख्यक समुदाय को छात्रवृत्ति-****केन्द्रीय प्रायोजित योजना****योजना**

मूल 50.00

1.22

1.22

..

पुनर्वि० (-)48.78

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 48.78 लाख की कमी कोविड-19 के कारण पूर्णबन्द होने से निधियों का आहरण नहीं किया जा सका। जबकि भारत सरकार से ₹ 1.22 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-**02- समाज कल्याण-****101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-****01- विकलांग बच्चों का कल्याण-****केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

योजना

मूल	30.00			
		1.36	1.36	..
पुनर्वि०	(-)28.64			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.64 लाख की कमी गैर योजना से देनदारियों को पूरा करने के कारण किया गया जोकि हिमाचल प्रदेश बजट मैनुअल 1971 के पैरा 12.9(1) के (v) का उल्लंघन है।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

107- अध्यापक प्रशिक्षण-

04- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों पर व्यय-
योजना

मूल	1.00			
पूरक	0.05	16,00.32	16,00.33	+0.01
पुनर्वि०	15,99.27			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15,99.27 लाख का आवर्धन वेतन की अदायगी के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

05- प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अभिभावक/शिक्षक
संघ को सहायता अनुदान-
योजना

मूल	10,98.00			
		23,25.11	23,25.11	..
पुनर्वि०	12,27.11			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12,27.11 लाख का आवर्धन अभिभावक शिक्षक संघ के वेतन के भुगतान के कारण हुआ।

02- माध्यमिक शिक्षा-

101- निरीक्षण-

01- निरीक्षणालय-

गैर योजना

मूल	16,41.06			
		17,95.18	17,95.08	(-)0.10
पुनर्वि०	1,54.12			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,54.12 लाख का आवर्धन वेतन के भुगतान और बाह्य स्रोत वाहनों/पेट्रोल,तेल व स्नेहक पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

109-	राजकीय माध्यमिक शिक्षा-				
20-	स्कूल प्रबंधन समिति को सहायता अनुदान-				
	गैर योजना				
	मूल	25.00			
			10,03.01	10,03.01	..
	पुनर्वि०	9,78.01			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,78.01 लाख का आवर्धन अध्यापकों को स्कूल प्रबंधन समिति के भुगतान के कारण हुआ।				
25-	बोर्ड परीक्षाओं के दौरान क्लोज सर्किट टेलिविजन किराये पर लेना-				
	योजना				
	पूरक	12.00			
			92.00	92.00	..
	पुनर्वि०	80.00			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 80.00 लाख का आवर्धन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल और परीक्षा केन्द्र में बन्द सर्किट टीवी० की स्थापना के कारण हुआ।				
800-	अन्य व्यय-				
01-	उच्चतर शिक्षा के अर्न्तगत अभिभावक/ शिक्षक संघ को सहायता अनुदान-				
	योजना				
	मूल	6,58.00			
			22,08.88	22,08.88	..
	पुनर्वि०	15,50.88			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15,50.88 लाख का आवर्धन अभिभावक शिक्षक संघ के वेतन के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
02-	निजि सस्थानों के निरीक्षण पर व्यय-				
	गैर योजना				
	मूल	50.00			
			66.00	66.00	..
	पुनर्वि०	16.00			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.00 लाख का आवर्धन सदस्यों की विशेष जाँच टीम को पारिश्रमिक के भुगतान के कारण हुआ।				
03-	विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-				
102-	विश्वविद्यालय के सहायता-				
01-	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय-				
	गैर योजना				
	मूल	10,50.00			
			12,87.50	12,87.50	..
	पुनर्वि०	2,37.50			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,37.50 लाख का आवर्धन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कर्मचारियों को वेतन भुगतान के कारण हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

07- केन्द्रीय कलस्टर विश्वविद्यालय-
गैर योजना

पूरक	0.02			
		1,98.00	1,98.00	..
पुनर्वि०	1,97.98			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,97.98 लाख का आर्वधन सरदार वल्लभ भाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय मण्डी के कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ ।

104- निजी कालेजों तथा सस्थानों को सहायता-
01- निजी महाविद्यालयों को सहायता-
योजना

मूल	8,00.00			
		15,77.45	15,77.45	..
पुनर्वि०	7,77.45			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,77.45 लाख का आर्वधन सहायता अनुदान के लिए प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

01- सरकारी महाविद्यालयों को अभिभावकों/शिक्षक
संघ के अर्न्तगत सहायता अनुदान-
गैर योजना

मूल	52.50			
		1,37.21	1,37.21	..
पुनर्वि०	84.71			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 84.71 लाख का आर्वधन विश्वविद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ के शिक्षकों को वेतन के भुगतान के कारण हुआ।

80- सामान्य-

004- अनुसंधान-

02- शिक्षा तकनीकी कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	8.00			
		12.13	12.13	..
पुनर्वि०	4.13			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.13 लाख का आर्वधन वेतन के भुगतान के कारण हुआ ।

800- अन्य व्यय-

08- सैनिक स्कूल पर व्यय--
गैर योजना

मूल	47.02			
		1,77.00	1,57.00	(-)20.00
पुनर्वि०	1,29.98			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

₹ 20.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,29.98 लाख का आर्वधन सैनिक स्कूल सुजानपुर के मेस व अकादमिक भवनों के छात्रावास के मरम्मत और रखरखाव के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 20.00 लाख अन्तिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

- 16- स्कूली शिक्षा हेतू पर्यावरण अभिविन्यास-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	6.00			
		9.19	9.19	..
पुनर्वि०	3.19			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.19 लाख का आर्वधन वेतन के भुगतान और बकाया मंहगाई के कारण हुआ ।

2205- कला एवं संस्कृति-

- 105- सार्वजनिक पुस्तकालय-

- 01- राज्य एवं जिला पुस्तकालय-
गैर योजना

मूल	5,55.30			
		6,10.28	6,10.25	(-)0.03
पुनर्वि०	54.98			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.98 लाख का आर्वधन वेतन के भुगतान और वस्तुओं की खरीद के कारण हुआ ।

पूँजीगत प्रवर्ग

- (v) दत्तमत अनुदान प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-
- | | | | |
|-------|------------|---------------|-----------------------|
| शीर्ष | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | आधिक्य (+)
बचत (-) |
| | | (₹ लाखों में) | |

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-

- 01- सामान्य शिक्षा-

- 201- प्राथमिक शिक्षा-

- 01- भवन-

योजना

(i) मूल	8,23.00			
		7,18.94	7,18.94	..
पुनर्वि०	(-)1,04.06			

- 202- माध्यमिक शिक्षा-

- 01- भवन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (समाप्त)

योजना				
(ii)	मूल	28,19.00		
	पूरक	6,64.91	32,87.40	32,87.40 ..
	पुनर्वि०	(-)1,96.51		

उपरोक्त दो मामलों में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,00.57 लाख की कमी कोविड-19 के कारण पूर्णबन्द होने से निधियों का आहरण नहीं किया जा सका।

05- सामान्य क्षेत्र के पिछड़ खण्डों में शिक्षित छात्रावास का निर्माण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i)	मूल	37.00		
	पुनर्वि०	(-)37.00

योजना

(ii)	मूल	4.00		
	पुनर्वि०	(-)4.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 41.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही ।

09- मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केन्द्र-
गैर योजना

	मूल	15,00.00		
	पुनर्वि०	(-)15,00.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹15,00.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-

01- भवन-
योजना

	मूल	45,02.00		
	पूरक	2,75.00	35,95.61	35,95.61 ..
	पुनर्वि०	(-)11,81.39		

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,81.39 लाख की कमी कोविड-19 के कारण पूर्णबन्द होने से निधियों का आहरण नहीं किया जा सका।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-9- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 2216-आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	21,72,35,27		
		22,05,94,42	(-)3,77,72,37
पूरक	33,59,15		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			3,72,54,25
प्रभारित			
मूल	..		
		16,05	(-)4,86
पूरक	16,05		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			3,26
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	1,53,18,46		
		1,98,36,80	(-)25,30,35
पूरक	45,18,34		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			25,30,36

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,77,72.37 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 33,59.15 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 3,72,54.25 लाख का अभ्यर्पण भी अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।
- पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 25,30.35 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 45,18.34 लाख का अनुपूरक अनुदान तथा ₹ 25,30.36 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रख-रखाव और मुरम्मत-

36- चिकित्सा महाविद्यालय के
भवनों का रख-रखाव-

योजना

पूरक 8,56.00

पूरक 5.00

पुनर्वि० (-)3,46.37

5,14.63

5,14.63

..

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,46.37 लाख की कमी रखरखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- पाश्चात्य

चिकित्सा पद्धति-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

गैर योजना

मूल 30,36.41

18,43.31

18,42.34

(-)0.97

पुनर्वि० (-)11,93.10

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11,93.10 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति तथा विज्ञापनों और प्रचार पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

योजना

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख की कमी पानी तथा विद्युत बिलों पर शून्य व्यय के कारण हुई।

02- जिला स्थापना-

गैर योजना

मूल 18,80.35

12,75.49

12,75.46

(-)0.03

पुनर्वि० (-)6,04.86

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,04.86 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, दूरभाष, पानी और बिजली के बिलों पर कम व्यय तथा रोगी कल्याण समिति के तहत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को सरकारी अनुबन्ध में परिवर्तित करने के कारण हुई ।

योजना

मूल	36.64			
		27.96	27.96	..
पुनर्वि०	(-)8.68			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.68 लाख की कमी आवदनों की कम प्राप्ति तथा कार्यालय मदों की खरीद न करने के कारण हुई ।

04- निदेशन,दन्त स्वास्थ्य सेवाएं-
गैर योजना

मूल	1,37.63			
		1,02.32	1,02.32	..
पुनर्वि०	(-)35.31			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35.31 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई ।

102- कर्मचारी राज्य बीमा योजना-

01- कर्मचारी राज्य बीमा योजना (अस्पताल तथा औषधालय)-
गैर योजना

मूल	2,70.50			
	
पुनर्वि०	(-)2,70.50			

मार्च 2020 में ₹ 2,70.50 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा सहितगत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया ।

109- पाठशाला स्वास्थ्य योजना-

01- पाठशाला स्वास्थ्य सेवा-
गैर योजना

मूल	39.51			
		24.89	24.89	..
पुनर्वि०	(-)14.62			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.62 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होना तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई ।

110- अस्पताल तथा औषधालय-

03- शहरी स्वास्थ्य-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	2,42,09.92			
पूरक	0.01	1,81,52.32	1,81,51.49	(-)0.83
पुनर्वि०	(-)60,57.61			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 60,57.61 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, रोगी कल्याण समिति के तहत विभिन्न श्रेणीयों के कर्मचारीयों को सरकारी अनुबन्ध में परिवर्तित न करने और विद्युत, पानी और दूरभाष बिलों पर कम व्यय के कारण हुई ।

08- नये स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एक मुश्त प्रावधान-
योजना

मूल	1.00			
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2020 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा कार्यालय मदों की कोइ भी खरीद न करने के कारण कम कर दिया गया।

200- अन्य स्वास्थ्य सेवाएँ-

01- दन्त क्लीनिक (शहरी)-

गैर योजना

मूल	43,98.66			
पुनर्वि०	(-)63.13	43,35.53	43,35.52	(-) 0.01

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 63.13 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने तथा सहायता अनुदान राशि के मामले प्राप्त न होने के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय

गैर योजना

मूल	5,29.71			
पुनर्वि०	(-)1,21.00	4,08.71	4,08.80	+0.09

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,21.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने वेतनमानों में संशोधन न होने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

02- जिला स्थापना-

गैर योजना

मूल	81,54.11			
पुनर्वि०	(-)19,00.58	62,53.53	62,55.05	+1.52

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19,00.58 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने तथा कोविड-19 से हुए पूर्णबन्द के कारण हुई।

101- आयुर्वेद-

01- आयुर्वेदिक चिकित्सालय-
गैर योजना

मूल	10,52.97			
		9,01.70	9,01.72	+0.02
पुनर्वि०	(-)1,51.27			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,51.27 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि दूरभाष, बिजली तथा पानी के बिलों पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- आयुर्वेदिक फार्मसी-
गैर योजना

मूल	5,53.51			
		3,90.64	3,90.65	+0.01
पुनर्वि०	(-)1,62.87			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,62.87 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने तथा कोविड-19 से हुए पूर्णबन्द के कारण हुई।

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य
चिकित्सा पद्धति-

110- अस्पताल तथा औषधालय-
01- ग्रामीण स्वास्थ्य-
गैर योजना

मूल	4,27,88.43			
		3,09,21.06	3,09,19.69	(-)1.37
पुनर्वि०	(-)1,18,67.37			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,18,67.37 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, रोगी कल्याण समिति के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को सरकारी अनुबन्ध में प्रतिवर्तित करने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा बिजली, पानी व दूरभाष बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

योजना

मूल	44,96.36			
		37,10.91	37,10.90	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)7,85.45			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,85.45 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, दूरभाष, बिजली व पानी के बिलों पर कम व्यय, मरम्मत कार्यों के कम निष्पादन होने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

05- नये स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एक मुश्त प्रावधान-
योजना

मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2020 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा कार्यालय मदों की शून्य खरीद होने के कारण कम कर दिया गया।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-
चिकित्सा की अन्य पद्धतियाँ-

101- आयुर्वेद-

01- आयुर्वेदिक अस्पताल-

गैर योजना

मूल 2,77.76

2,32.89

2,32.88

(-)0.01

पुनर्वि० (-)44.87

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.87 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने तथा कोविड-19 से हुए पूर्णबन्द के कारण हुई जोकि दूरभाष, बिजली व पानी के बिलों के अधिक भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- आयुर्वेदिक औषधालय-

गैर योजना

मूल 1,06,73.54

पूरक 0.02

92,13.12

92,13.15

+0.03

पुनर्वि० (-)14,60.44

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14,60.44 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने तथा कोविड-19 से हुए पूर्णबन्द के कारण हुई जोकि किराया बिलों की अधिक प्राप्ति तथा राज्य स्तरीय योगा दिवस के आयोजन के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण
और अनुसंधान-

101- आयुर्वेद-

01- आयुर्वेदिक महाविद्यालय-

गैर योजना

मूल 18,61.02

13,15.56

13,15.49

(-)0.07

पुनर्वि० (-)5,45.46

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,45.46 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, आवेदनों की कम प्राप्ति से हुई जोकि लंबित देनदारियों के भुगतान से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

105- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-
01- इन्दिरा गांधी चिकित्सा
महाविद्यालय, शिमला-
गैर योजना

मूल 2,11,78.60

1,71,89.47 1,64,73.71 (-)7,15.76

पुनर्वि0 (-)39,89.13

₹ 7,15.76 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 39,89.13 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने तथा बिजली, पानी और दूरभाष के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि कोविड-19 मामलों के लिए आवश्यक वस्तुओं की अधिक खरीद तथा वाहनों की अधिक खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 7,15.76 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

03- विभिन्न विषयों पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण-
गैर योजना

मूल 4,30.40

3,08.34 3,08.34 ..

पुनर्वि0 (-)1,22.06

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,22.06 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

योजना

मूल 35.00

1.07 1.07 ..

पुनर्वि0 (-)33.93

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 33.93 लाख की कमी टेलीफोन, बिजली तथा पानी के बिलों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

04- दन्त चिकित्सा महाविद्यालय-
गैर योजना

मूल 19,29.73

16,07.51 16,07.49 (-)0.02

पुनर्वि0 (-)3,22.22

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,22.22 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने बिजली, पानी व दूरभाष के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं के अधिक भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

05- निदेशालय चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान-
गैर योजना

मूल 2,78.29

1,40.36 1,40.36 ..

पुनर्वि0 (-)1,37.93

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,37.93 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने बिजली, पानी व टेलीफोन के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

06- डॉ० राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा-
गैर योजना

मूल	1,13,05.33			
		1,07,72.02	1,07,22.31	(-)49.71
पुनर्वि०	(-)5,33.31			

₹ 49.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,33.31 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने से हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं पर अधिक भुगतान, उपकरणों की अधिक खरीद, दूरभाष, बिजली व पानी के बिलों का अधिक भुगतान तथा दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 49.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

07- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय
का उन्नयन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			
योजना				
(ii) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

08- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना-
योजना

(iii) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

उपरोक्त तीनों मामलों में ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया जिसके कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2020)।

11- इंद्रा-म्यूरल अनुसन्धान निधि-
गैर योजना

मूल	1,00.00			
		41.97	41.97	..
पुनर्वि०	(-)58.03			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 58.03 लाख की कमी इंद्रा-म्यूरल अनुसन्धान कार्य में कम व्यय होने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

- 12- डॉ० यंशवत सिंह परमार राजकीय
चिकित्सा महाविद्यालय नाहन-
गैर योजना

मूल	39,27.66				
		37,68.03	37,68.02		(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1,59.63				

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,59.63 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं के अधिक भुगतान, कोविड-19 के लिए आवश्यक वस्तुओं के रखरखाव तथा वाहनों के अधिक खरीद से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

- 14- पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय
चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा-
गैर योजना

मूल	31,01.65				
पूरक	2,04.18	31,74.74	31,74.66		(-)0.08
पुनर्वि०	(-)1,31.09				

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,31.09 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई जोकि कोविड-19 में आवश्यक वस्तुओं की अधिक खरीद तथा वाहनों की अधिक खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

- 17- डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कालेज टांडा में डोरिएट्रिक केन्द्र-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पूरक	4,88.44				
	
पुनर्वि०	(-)4,88.44				

अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 4,88.44 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा संहितागत औपचारिकता को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

- 06- लोक स्वास्थ्य-
101- रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-
02- क्षय रोग अस्पताल-
गैर योजना

मूल	10,19.49				
		7,06.82	7,06.81		(-)0.01
पुनर्वि०	(-)3,12.67				

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,12.67 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, बिजली, पानी, दूरभाष बिलों पर कम व्यय तथा कोविड-19 से पूर्णबन्द के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

योजना				
मूल	1,83.00			
		74.70	74.69	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1,08.30			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,08.30 लाख की कमी सामाग्री की खरीद, बिजली, पानी व दूरभाष बिलों पर कम व्यय होने के कारण हुई।				
05-	मानसिक चिकित्सा एवं पुनर्वास चिकित्सालय- गैर योजना			
मूल	85.50			
पूरक	0.02	64.95	64.94	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)20.57			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.57 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने तथा कोविड-19 से पूर्णबन्द के कारण हुई।				
योजना				
मूल	2,32.00			
		2,07.12	2,07.12	..
पुनर्वि०	(-)24.88			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.88 लाख की कमी उपकरणों की खरीद पर कम व्यय, दूरभाष, पानी तथा बिजली बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अनुदान राशि मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
07-	कुष्ठ रोग अस्पताल- गैर योजना			
मूल	4,64.17			
		2,33.54	2,32.65	(-)0.89
पुनर्वि०	(-)2,30.63			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,30.63 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।				
योजना				
मूल	20.00			
	
पुनर्वि०	(-)20.00			
₹ 20.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा टेलीफोन, पानी तथा बिजली बिलों पर कम व्यय होने के कारण कम कर दिया गया ।				
08-	गलागण्ड माला उपचार- गैर योजना			
मूल	25.72			
		11.88	11.88	..
पुनर्वि०	(-)13.84			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13.84 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

21-	राष्ट्रीय उपाजित प्रतिरक्षी अपूर्णता सहलक्षण कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	2.00			
	पुनर्वि०	(-)2.00
23-	अघात केन्द्रों पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00
(iii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00
	उपरोक्त तीनों मामलों में ₹ 4.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।				
107-	लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं-				
01-	जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं पर व्यय- गैर योजना				
	मूल	2,48.31			
	पुनर्वि०	(-)80.93	1,67.38	1,67.37	(-)0.01
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 80.93 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं पर अधिक व्यय करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।				
200-	अन्य प्रणालियां-				
05-	मुख्यमंत्री आर्शीवाद योजना- गैर योजना				
	मूल	15,00.00			
	पुनर्वि०	(-)3,98.71	11,01.29	11,01.29	..
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,98.71 लाख की कमी लाभार्थियों द्वारा कम मांग की प्राप्ति होने के कारण हुई ।				
06-	निशुल्क दवाईयां- गैर योजना				
	मूल	15,00.00			
	पुनर्वि०	(-)1,59.01	13,40.99	13,40.99	..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,59.01 लाख की कमी निविदाओं को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण हुई।

2211- परिवार कल्याण-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- राज्य मुख्यालय-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना**

(i)	मूल	3,02.00			
			2,28.33	2,28.32	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)73.67			

गैर योजना

(ii)	मूल	25.06			
			7.08	7.08	..
	पुनर्वि०	(-)17.98			

उपरोक्त दोनों मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 91.65 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

योजना

	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			

₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा दूरभाष, बिजली व पानी के बिलों पर कोई भी व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।

02- जिला मुख्यालय-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना**

	मूल	1,43.00			
			81.76	81.76	..
	पुनर्वि०	(-)61.24			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 61.24 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

गैर योजना

	मूल	5,77.23			
			2,62.64	2,62.64	..
	पुनर्वि०	(-)3,14.59			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,14.59 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने वेतनमानों में संशोधन न करने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा बिजली, पानी व दूरभाष बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

योजना					
मूल	1.00				
	
पुनर्वि०	(-)1.00				
₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा दूरभाष, बिजली व पानी के बिलों पर कोई भी व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।					
003-	प्रशिक्षण-				
01-	सहायक उपचारिका मिडवाईफ/दाई तथा महिला स्वास्थ्य विजिटर पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण इत्यादि- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
(i)	मूल	2,42.00			
			1,45.36	1,45.30	(-)0.06
	पुनर्वि०	(-)96.64			
	गैर योजना				
(ii)	मूल	1,97.22			
			1,11.96	1,11.95	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)85.26			
101-	ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं-				
01-	ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
(iii)	मूल	30,25.00			
			26,18.06	26,18.06	..
	पुनर्वि०	(-)4,06.94			
	गैर योजना				
(iv)	मूल	1,03,97.63			
			71,37.43	71,37.39	(-)0.04
	पुनर्वि०	(-)32,60.20			
102-	शहरी परिवार कल्याण सेवाएं-				
01-	शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
(v)	मूल	4,24.00			
			3,38.29	3,38.29	..
	पुनर्वि०	(-)85.71			
	गैर योजना				
(vi)	मूल	14,15.81			
			7,40.30	7,40.30	..
	पुनर्वि०	(-)6,75.51			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46,10.26 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

200- अन्य सेवाएं तथा प्रतियां-

02- इन्दिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना-
गैर योजना

मूल 20.00

7.00

7.00

..

पुनर्वि० (-)13.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13.00 लाख की कमी विभिन्न वस्तुओं पर कम व्यय के कारण हुई।

योजना

(i) मूल 70.00

48.20

48.20

..

पुनर्वि० (-)21.80

03- सर्वश्रेष्ठ महिला जन्म अनुपात के लिए पंचायतों को अतिरिक्त विकास अनुष्ठान-
गैर योजना

(ii) मूल 50.00

35.00

35.00

..

पुनर्वि० (-)15.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36.80 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

04- भ्रूण हत्या के सूचक को प्रोत्साहन -
योजना

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

05- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रावधान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 2,49,08.00

1,77,07.00

1,77,07.00

..

पुनर्वि० (-)72,01.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 72,01.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि ₹ 1,71,84.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

06- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

01- कार्यालय भवन-					
053- रख-रखाव और मुरम्मत-					
49- स्वास्थ्य विभाग के भवनों का रखरखाव-					
गैर योजना					
(i)	पूरक	0.01			
			30.72	30.72	..
	पुनर्वि०	30.71			
50- आयुर्वेद विभाग के भवनों का रखरखाव-					
गैर योजना					
(ii)	मूल	0.01			
			1,00.00	1,00.00	..
	पुनर्वि०	99.99			
53- दन्त विभाग के भवनों का रख रखाव-					
गैर योजना					
(iii)	मूल	0.01			
			10.93	10.93	..
	पुनर्वि०	10.92			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,41.62 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों पर मुरम्मत तथा रखरखाव पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं पाश्चात्य चिकित्सा -					
110- अस्पताल तथा औषधालय -					
03- शहरी स्वास्थ्य-					
योजना					
	मूल	44,00.00			
	पूरक	0.01	55,80.53	55,79.65	(-)0.88
	पुनर्वि०	11,80.52			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11,80.52 लाख का आवर्धन अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान कोठीपुरा को अधिक ऊर्जा उपलब्ध करवाने के कारण हुआ जोकि दूरभाष, बिजली व पानी के बिलों पर कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने वेतनमानों को संशोधन न करने तथा सामाग्री की कम खरीद करने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

07- बायो मेडिकल वेस्ट-					
गैर योजना					
	मूल	55.34			
			87.51	87.74	+0.23
	पुनर्वि०	32.17			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.17 लाख का आवर्धन नगर निगम को बायो मैडिकल वेस्ट के बिलों का भुगतान करने के कारण हुआ जोकि संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

05-	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान-				
101-	आयुर्वेद-				
05-	राष्ट्रीय आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	5,03.00			
			28,69.72	28,69.72	..
	पुनर्वि०	23,66.72			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23,66.72 लाख का सारभूत आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ। जबकि ₹ 15,88.07 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।				
	योजना				
	मूल	56.00			
			3,18.86	3,18.86	..
	पुनर्वि०	2,62.86			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,62.86 लाख का सारभूत आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की अधिक हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।				
105-	पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-				
01-	इन्दिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला-				
	योजना				
	मूल	11,43.00			
	पूरक	1,03.10	13,35.59	15,35.59	+2,00.00
	पुनर्वि०	89.49			
	₹ 2,00.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 89.49 लाख का आवर्धन सामग्री तथा आपूर्ति पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि कोविड-19 में आवश्यक वस्तुओं की कम खरीद तथा सहायता अनुदान के मामलों कम प्राप्त होने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई तथा अपर्याप्त सिद्ध हुआ।				
	₹ 2,00.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।				
06-	डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कालेज टांडा-				
	योजना				
	मूल	9,02.00	9,02.00	9,51.99	+49.99
	₹ 49.99 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।				
13-	डाक्टर राधाकृष्णन राजकीय मैडिकल कालेज हमीरपुर- गैर योजना				
	मूल	13,76.14			
	पूरक	1,56.47	22,13.11	22,13.11	..
	पुनर्वि०	6,80.50			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,80.50 लाख का आवर्धन अतिरिक्त कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति, कोविड-19 में आवश्यक वस्तुओं के संरक्षण, बाह्य स्रोत सेवाओं को अधिक भुगतान तथा किराया बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि दूरभाष, बिजली व पानी के बिलों पर कम व्यय से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

- 15- लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा
महाविद्यालय एवं अस्पताल नैर चौक-
गैर योजना

मूल	34,40.22			
पूरक	0.36	52,35.64	52,36.48	+0.84
पुनर्वि०	17,95.06			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17,95.06 लाख का आवर्धन अतिरिक्त कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति, बाह्य स्रोत सेवाओं के अधिक भुगतान, बाह्य स्रोत वाहनो के भुगतान, पेट्रोल, तेल, स्नेहक व वाहनों की मरम्मत के भुगतान, दूरभाष, बिजली व पानी के अधिक भुगतान, कोविड-19 में आवश्यक वस्तुओं के अधिक संरक्षण तथा सामग्री व एम्बुलेंस की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

- 18- स्वास्थ्य विज्ञान के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय-
गैर योजना

पूरक	0.02			
		1,22.00	1,22.00	..
पुनर्वि०	1,21.98			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,21.98 लाख का आवर्धन नवनिर्मित अटल चिकित्सा तथा अनुसंधान विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश को सहायता प्रदान करने के कारण हुआ।

- 06- लोक स्वास्थ्य-

- 001- निदेशन तथा प्रशासन-

- 04- औषध प्रशासन तथा खाद्य सुरक्षा-
गैर योजना

मूल	2,38.72			
पूरक	0.03	3,04.23	3,04.22	(-)0.01
पुनर्वि०	65.48			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 65.48 लाख का आवर्धन वेतन का अधिक भुगतान, खाद्य व सम्बन्धित वस्तुओं के अधिक सैंपल प्राप्त करने भारतीय सुरक्षा प्राधिकरण खाद्य/अधिसूचित प्रयोगशालाओं में सम्बन्धित वस्तुओं का विश्लेषण किया गया तथा बाहरी स्रोतों पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ ।

- 101- रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण-

- 21- राष्ट्रीय उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता सहलक्षण कार्यक्रम-
योजना

मूल	1,30.00			
पूरक	3,76.92	5,51.01	5,51.01	..
पुनर्वि०	44.09			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.09 लाख का आवर्धन रोगियों को मुफ्त/ निशुल्क उपचार प्रदान करने के कारण हुआ।

200- अन्य चिकित्सा पद्धतियां-

08- हिमाचल स्वास्थ्य सेवा योजना-
गैर योजना

मूल 5,00.00

17,00.00

17,00.00

..

पुनर्वि० 12,00.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12,00.00 लाख का आवर्धन हिमाचल स्वास्थ्य सेवा योजना ज्यादा लागू करने के कारण हुआ।

09- सहारा योजना-

गैर योजना

पूरक 0.01

3,71.48

3,71.48

..

पुनर्वि० 3,71.47

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,71.47 लाख का आवर्धन नई स्वास्थ्य योजना लागू करने के कारण हुआ।

2216- आवास-

05- साधारण पूल आवास-

053- रखरखाव एवं मरम्मतें-

01- अन्य रखरखाव व्यय-

गैर योजना

(i) पूरक 9.25

47.06

47.06

..

पुनर्वि० 37.81

05- निदेशक चिकित्सा शिक्षा के आवासीय भवनों का रखरखाव-

गैर योजना

(ii) मूल 5.28

53.28

53.28

..

पुनर्वि० 48.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 85.81 लाख का आवर्धन सरकारी आवासीय भवनों की मरम्मत व रखरखाव करने के कारण हुआ।

पूँजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

व्यय

(₹ लाखों में)

आधिक्य (+)

बचत (-)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

110- अस्पताल तथा औषधालय-

01- शहरी स्वास्थ्य-

योजना

मूल	17,83.00			
पूरक	16,09.20	33,66.35	33,66.35	..
पुनर्वि०	(-)25.85			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.85 लाख की कमी क्षेत्रीय अधिकारियों से अनुमान प्राप्त न होने तथा उपकरणों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

03- दंत चिकित्सा सेवा के तहत विकास कार्य-

गैर योजना

मूल	33.31			
		5.39	5.39	..
पुनर्वि०	(-)27.92			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27.92 लाख की कमी मशीनरी तथा उपकरणों की कोई भी खरीद न करने के कारण हुई।

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-

110- अस्पताल तथा औषधालय-

01- ग्रामीण स्वास्थ्य-

योजना

मूल	39,17.00			
पूरक	88.64	37,77.93	37,77.93	..
पुनर्वि०	(-)2,27.71			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,27.71 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

105- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

01- मैडिकल कालेज-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

05- नाहन के चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(ii) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (समाप्त)

- 06- हमीरपुर में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 23,03.00

11,05.04 11,05.04 ..

पुनर्वि० (-)11,97.96

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,97.96 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

- 07- चम्बा में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 10,38.00

..

पुनर्वि० (-)10,38.00

₹ 10,38.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 3054-सड़क तथा पुल, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5054-सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	35,40,27,60			
		35,69,93,68	28,33,10,73	(-)7,36,82,95
पूरक	29,66,09			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				7,36,44,63
प्रभारित				
मूल	..			
		46,36	40,77	(-)5,59
पूरक	46,36			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	12,92,53,03			
		18,08,14,36	16,24,20,50	(-)1,83,93,86
पूरक	5,15,61,33			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				2,47,47,42
प्रभारित				
मूल	2,00,00			
		1,04,46,02	6,92,23	(-)97,53,79
पूरक	1,02,46,02			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 7,36,82.95 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 29,66.09 लाख की अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल प्रावधान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा जोकि अच्छा बजट बनाने तथा व्यय पर प्रभावी नियन्त्रण की आवश्यकता की ओर इंगित करता है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,83,93.86 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 5,15,61.33 लाख का अनुपूरक अनुदान तथा ₹ 2,47,47.42 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग में प्रभारित विनियोजन में ₹ 97,53.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में ₹ 1,02,46.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ और विभाग द्वारा किसी भी राशि का अभ्यर्पण नहीं किया गया।

राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2059- लोक निर्माण कार्य-			
80- सामान्य-			
001- निदेशन और प्रशासन-			
01- निदेशन-			
गैर योजना			
(i) मूल	22,08.47		
पूरक	3.58	15,14.02	15,12.57
पुनर्वि०	(-)6,98.03		(-)1.45
03- डिजाईन-			
गैर योजना			
(ii) मूल	6,19.07		
पुनर्वि०	(-)2,51.30	3,67.77	3,67.27
04- वास्तुकला-			
गैर योजना			
(iii) मूल	2,69.06		
पुनर्वि०	(-)62.36	2,06.70	2,06.69

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,11.69 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

- 051- निर्माण-
- 01- सरकारी गैर आवासीय भवन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

योजना				
मूल	1,80.00			
		1,53.05	1,53.05	..
पुनर्वि०	(-)26.95			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.95 लाख की कमी सरकारी भवनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।				
03-	शिमला/धर्मशाला स्थित विधान सभा भवन- योजना			
मूल	20.00			
पूरक	40.00	20.00	20.00	..
पुनर्वि०	(-)40.00			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40.00 लाख की कमी कोविड-19 के कारण लॉकडाऊन/कर्फ्यू लगने से हुई।				
052-	मशीनरी तथा उपकरण-			
02-	मरम्मत तथा रखरखाव- गैर योजना			
मूल	44.34			
		12.38	12.38	..
पुनर्वि०	(-)31.96			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.96 लाख की कमी मशीनरी तथा उपकरणों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई।				
053-	रख-रखाव और मरम्मत-			
03-	निष्पादन- गैर योजना			
मूल	1,44,56.18			
		1,04,84.85	1,04,84.85	..
पुनर्वि०	(-)39,71.33			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 39,71.33 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों का संशोधन न होने के कारण हुई।				
04-	गैर आवासीय भवनों के रख-रखाव पर व्यय- गैर योजना			
मूल	30,97.62			
		29,32.71	29,33.40	+0.69
पुनर्वि०	(-)1,64.91			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,64.91 लाख की कमी कार्यालय भवनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।				
05-	कार्य भारित कर्मचारियों को स्थाई स्थापना में बदलना-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	1,27,42.30			
		85,34.92	85,33.94	(-)0.98
पुनर्वि०	(-)42,07.38			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42,07.38 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों का संशोधन न होने के कारण हुई।

06- वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव का प्रावधान-

गैर योजना

मूल	1,27,42.30			
		85,34.92	76,73.58	(-)8,61.34
पुनर्वि०	(-)42,07.38			

₹ 8,61.34 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42,07.38 लाख की कमी वसूली के समायोजन के लिए रखरखाव के प्रावधान पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 8,61.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

2216- आवास-

05- सामान्य मूल निवास-

053- मरम्मत तथा रखरखाव-

01- अन्य रखरखाव व्यय-

गैर योजना

मूल	20,99.44			
		18,65.11	18,63.68	(-)1.43
पुनर्वि०	(-)2,34.33			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,34.33 लाख की कमी आवासीय भवनों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई।

3054- सड़कें तथा पुल-

01- राष्ट्रीय राजमार्ग-

337- सड़क कार्य-

01- राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव-

गैर योजना

मूल	5,88.50			
		5,23.28	5,23.28	..
पुनर्वि०	(-)65.22			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 65.22 लाख की कमी कोविड-19 के कारण लॉकडाउन/कर्फ्यू लगने से हुई।

04- जिला और अन्य सड़कें-

105- रख-रखाव तथा मरम्मत-

03- सड़कों के रखरखाव पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

गैर योजना				
मूल	69,28.86			
पुनर्वि०	(-)69,28.86			
₹ 69,28.86 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा हिमाचल प्रदेश सड़क तथा अन्य आधारिक संरचना विकास निगम से विभिन्न सड़कों के रखरखाव की निधि को निर्माण कार्य विभाग में बदलने के कारण कम कर दिया गया।				
05-	लोक निर्माण विभाग कार्यशाला नाहन फाउण्डरी-			
गैर योजना				
मूल	70.63			
		14.25	15.21	+0.96
पुनर्वि०	(-)56.38			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 56.38 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के कम प्राप्त होने, रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।				
06-	वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव का प्रावधान-			
गैर योजना				
मूल	7,53,55.36			
		4,55,69.69	4,62,92.31	+7,22.62
पुनर्वि०	(-)2,97,85.67			
₹ 7,22.62 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,97,85.67 लाख की कमी वसूली के समायोजन के लिए रखरखाव के प्रावधान पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।				
₹ 7,22.62 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।				
07-	स्थाई स्थापना में बदले गए कार्य प्रभारित कामगार सड़क निर्माण कार्य-			
गैर योजना				
मूल	7,53,55.36			
पूरक	58.00	5,30,27.21	5,30,21.98	(-)5.23
पुनर्वि०	(-)2,23,86.15			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,23,86.15 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।				
13-	अन्य रखरखाव व्यय-मशीनरी और उपकरण-			
गैर योजना				
(i) मूल	3,33.96			
		2,73.56	2,75.20	+1.64
पुनर्वि०	(-)60.40			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

	योजना				
(ii)	मूल	2,00.00			
			1,64.10	1,64.30	+0.20
	पुनर्वि०	(-)35.90			
14-	पुल तथा अन्य रख-रखाव पर व्यय- गैर योजना				
(iii)	मूल	12,42.70			
			11,16.87	11,22.25	+5.38
	पुनर्वि०	(-)1,25.83			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,22.13 लाख की कमी मुख्यतः कोविड-19 में पूर्णबन्द लगाने के कारण हुई।				
17-	सड़को के रख-रखाव पर व्यय- गैर योजना				
	मूल	21,96.83			
			22,43.31	21,73.31	(-)70.00
	पुनर्वि०	46.48			
	₹ 70.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 46.48 लाख का आवर्धन सड़कों की मरम्मत के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ ।				
	₹ 70.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।				
	योजना				
	पूरक	70.00	70.00	..	(-)70.00
	फरवरी 2020 में अनूपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 70.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे(अक्तूबर 2020)।				
18-	पूलों के रखरखाव पर व्यय- गैर योजना				
	मूल	8,44.93			
			7,54.37	7,54.37	..
	पुनर्वि०	(-)90.56			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 90.56 लाख की कमी कोविड-19 में पूर्णबन्द/कर्फ्यु के कारण हुई।				
19-	निष्पादन- गैर योजना				
	मूल	1,73,38.55			
	पूरक	20.75	1,28,89.66	1,28,87.87	(-)1.79
	पुनर्वि०	(-)44,69.64			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 44,69.64 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने तथा बिजली, पानी व टेलीफोन बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

20- वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव का प्रावधान-
गैर योजना

मूल	3,21,11.40			
		2,13,00.50	2,14,13.76	+1,13.26
पुनर्वि०	(-)1,08,10.90			

₹ 1,13.26 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,08,10.90 लाख की कमी वसूलियों के समायोजन हेतुरखरखाव पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 1,13.26 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

21- स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार
मशीनरी एवं उपकरण-
गैर योजना

(i) मूल	89,34.85			
पूरक	12.00	62,85.17	62,84.32	(-)0.85
पुनर्वि०	(-)26,61.68			

22- स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार-पुल (सेतू)-
गैर योजना

(ii) मूल	92,19.39			
पूरक	12.00	68,69.36	68,69.54	+0.18
पुनर्वि०	(-)23,62.03			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50,23.71 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

23- स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार
सड़क निर्माण कार्य-
गैर-योजना

मूल	1,39,57.16			
पूरक	10.00	95,20.40	95,19.55	(-)0.85
पुनर्वि०	(-)44,46.76			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 44,46.76 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

27- माननीय मुख्यमंत्री के अधीन स्वतन्त्र
गुणवत्ता नियंत्रण जाँच उड़ान दस्ता-
योजना

मूल	4,00.00			
		..	30.97	+30.97
पुनर्वि०	(-)4,00.00			

₹ 30.97 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,00.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकता को पूरा न करने के कारण हुई तथा अनावश्यक सिद्ध हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

₹ 30.97 लाख का व्यय बिना बजट प्रावधान किया गया जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

800-	अन्य व्यय-				
04-	ग्रामीण सड़कें-				
	योजना				
	मूल	2,00.00			
			1,51.15	1,50.94	(-)0.21
	पुनर्वि०	(-)48.85			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 48.85 लाख की कमी मुख्यतः कोविड-19 में पूर्णबन्द/कर्फयु के कारण हुई।

80-	सामान्य-				
001-	निदेशन और प्रशासन-				
01-	निदेशन और पर्यवेक्षण-				
	गैर योजना				
	मूल	60,14.61			
	पूरक	2.00	41,36.42	41,36.29	(-)0.13
	पुनर्वि०	(-)18,80.19			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 18,80.19 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, बाहरी स्रोत वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक तथा वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।

05-	वास्तुकार-				
	गैर योजना				
	मूल	6,37.25			
	पूरक	1.80	4,41.85	4,41.85	..
	पुनर्वि०	(-)1,97.20			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,97.20 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, बाहरी स्रोतों वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक तथा वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।

800-	अन्य व्यय-				
03-	आउटपुट आधारित कार्य निष्पादन				
	रखरखाव अनुबन्ध-				
	गैर योजना				
	मूल	23,54.00			
			3,45.36	3,45.36	..
	पुनर्वि०	(-)20,08.64			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20,08.64 लाख की सारभूत कमी कोविड-19 में पूर्णबन्द/कर्फयु के कारण हुई ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुईः-	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2059- लोक निर्माण कार्य-				
80- सामान्य-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-				
गैर योजना				
(i) मूल	90,00.00			
		2,35,93.86	2,35,93.86	..
पुनर्वि०	1,45,93.86			
02- स्कन्ध विनिर्माण-				
गैर योजना				
(ii) मूल	40,00.00			
		51,00.31	51,00.31	..
पुनर्वि०	11,00.31			
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-				
गैर योजना				
(iii) मूल	50,00.00			
		99,65.56	99,65.56	..
पुनर्वि०	49,65.56			
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,06,59.73 लाख का सारभूत आवर्धन विभिन्न विभागों द्वारा निर्माण कार्य के लिए सामग्री की खरीद भण्डारण (Storage) के कारण हुआ ।				
3054- सड़क तथा पुल-				
04- जिला और अन्य सड़कें-				
105- मरम्मत तथा रखरखाव-				
02- अन्य रखरखाव व्यय सड़क निर्माण कार्य-				
गैर योजना				
मूल	2,37,44.68			
		3,18,21.36	3,18,56.26	+34.90
पुनर्वि०	80,76.68			
₹ 34.90 लाख की अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 80,76.68 लाख का आवर्धन विभिन्न सड़कों के मरम्मत करने के कारण हुआ जोकि दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति करने से हुई कमी से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।				
₹ 34.90 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।				
15- अन्य रखरखाव व्यय-सड़क निर्माण कार्य-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	38,86.77			
		41,65.23	42,29.85	+64.62
पुनर्वि०	2,78.46			

₹ 64.62 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,78.46 लाख का आवर्धन विभिन्न सड़कों के रखरखाव पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 64.62 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

16- मशीनरी तथा उपकरण के रखरखाव पर व्यय-

गैर योजना

मूल	2,68.43			
		3,07.38	3,07.38	..
पुनर्वि०	38.95			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 38.95 लाख का आवर्धन मशीनरी तथा उपकरणों के रख रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग**(vi) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- सामान्य पूल आवास का निर्माण-

04- जिला प्रशासन-

योजना

(i) मूल	1,20.00			
		90.40	90.40	..
पुनर्वि०	(-)29.60			

38- भवनों के विवाचन मामलों की अदायगी (भवन)-

गैर योजना

(ii) पूरक	10.80			
		0.35	0.35	..
पुनर्वि०	(-)10.45			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40.05 लाख की कमी कोविड-19 में पूर्णबन्द/कर्फ्यू के कारण हुई।

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सरकारी आवासीय भवन-

106- सामान्य पूल आवास-

01- विभिन्न जिलों में आवासीय भवनों का निर्माण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)

गैर योजना					
(i)	मूल	15,00.00			
			11,48.66	11,48.67	+0.01
	पुनर्वि०	(-) 3,51.34			
योजना					
(ii)	मूल	37,88.00			
			26,26.30	26,26.29	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)11,61.70			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15,13.04 लाख की कमी अति आवश्यक कार्यों के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।					
5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-					
04- जिला तथा अन्य सड़कें-					
101- पुल-					
01- पुलों का निर्माण-					
गैर योजना					
(i)	मूल	15,00.00			
			5,59.31	5,59.31	..
	पुनर्वि०	(-) 9,40.69			
योजना					
(ii)	मूल	2,00.00			
	पूरक	5,50.33	2,39.55	2,39.55	..
	पुनर्वि०	(-)5,10.78			
337- सड़क निर्माण कार्य-					
02- ग्रामीण सड़कों का निर्माण-					
योजना					
(iii)	मूल	52,39.00			
	पूरक	31,94.88	81,71.07	81,71.07	..
	पुनर्वि०	(-)2,62.81			
06- प्रतिपूरक पौधारोपण (वन भूमि की लागत और नेट प्रेजेन्ट वैलयु की अदायगी)-					
गैर योजना					
(iv)	पूरक	3,66.51			
			1,74.71	1,74.71	..
	पुनर्वि०	(-)1,91.80			
योजना					
(v)	मूल	10,00.00			
	पूरक	17,56.01	27,14.82	27,14.82	..
	पुनर्वि०	(-)41.19			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -10 (क्रमशः)

उपरोक्त पाँच मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19,47.27 लाख की कमी कोविड-19 में पूर्णबन्द/कर्फ्यू के कारण हुई।

- 09- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्यों के अन्तर्गत कार्यक्रम एवं प्रशासनिक व्यय निधि-
योजना

मूल	39,49.00				
		90,30.00	87,39.00		(-)2,91.00
पूरक	50,81.00				

₹ 2,91.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

- 10- ब्लैक स्पॉट्स का सुधार-
गैर योजना

मूल	40,00.00				
		39,79.04	39,31.01		(-)48.03
पुनर्वि०	(-)20.96				

₹ 48.03 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.96 लाख की कमी कोविड-19 में पूर्णबन्द/कर्फ्यू के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 48.03 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

- 11- मुख्यमंत्री सड़क योजना-
गैर योजना

मूल	50,00.00				
		26,80.43	27,15.62		+35.19
पुनर्वि०	(-)23,19.57				

₹ 35.19 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्षण द्वारा प्रावधान में ₹ 23,19.57 लाख की कमी कोविड-19 में पूर्णबन्द/कर्फ्यू के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 35.19 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

- 12- बरोटीवाला-परवाणु और बरोटीवाला गुनाई परवाणु सड़क को चौड़ा करना-
गैर योजना

मूल	1.00				
		..	1.00		+1.00
पुनर्वि०	(-)1.00				

₹ 1.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई।

₹ 1.00 लाख का व्यय बिना प्रावधान के हुआ जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

- 16- भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त प्रशासनिक और आकस्मिक प्रभार-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -10 (क्रमशः)

	गैर योजना			
(i)	मूल	0.01		
	पूरक	1,16.80	50.80	50.80 ..
	पुनर्वि०	(-)66.01		
17-	मुख्य जिला और अन्य के तहत मशीनरी और उपकरणों की खरीद-योजना			
(ii)	मूल	1,00.00		
		
	पुनर्वि०	(-)1,00.00		
19-	राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक के अन्तर्गत सड़क निर्माण-योजना			
(iii)	मूल	3,96,75.00		
			2,30,16.48	2,30,16.48 ..
	पुनर्वि०	(-)1,66,58.52		
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,68,24.53 लाख की कमी कोविड-19 में लगे पूर्णबन्द/कर्फ्यू के कारण हुई।			
21-	विश्व बैंक राज्य सड़कें-योजना			
	मूल	75,00.00		
		
	पुनर्वि०	(-)75,00.00		
	₹ 75,00.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।			
23-	हिमाचल सड़क सुधार योजना-गैर योजना			
	मूल	25,00.00		
			24,64.22	24,77.06 +12.84
	पुनर्वि०	(-)35.78		
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35.78 लाख की कमी कोविड-19 में लगे पूर्णबन्द/कर्फ्यू के कारण हुई ।			
24-	माननीय मुख्यमंत्री के अधीन स्वतन्त्र गुणवत्ता नियंत्रण जाँच उड़ान दस्ता-योजना			
	मूल	3,00.00		
		
	पुनर्वि०	(-)3,00.00		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -10 (क्रमशः)

₹ 3,00.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

(vii) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- कार्यालय भवन-			
051- सामान्य पुल आवास का निर्माण-			
07- लोक निर्माण- योजना			
(i) मूल	4,49.00		
पूरक	6,63.00	11,74.99	11,74.99
पुनर्वि०	62.99		..
12- सामान्य प्रशासन- योजना			
(ii) मूल	1,50.00		
		2,03.55	2,03.55
पुनर्वि०	53.55		..
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,16.54 लाख का आवर्धन चले हुए कार्यों को समाप्त करने के कारण हुआ।			
80- सामान्य-			
051- निर्माण-			
05- अन्य प्रशासनिक सेवाएं- योजना			
मूल	10,00.00		
		29,95.25	29,95.25
पुनर्वि०	19,95.25		..
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19,95.25 लाख का अनुदान मांग संख्या 04 के अंतर्गत व्यय को गलत बुक करने के कारण हुआ। इस तरह की बुकिंग हिमाचल प्रदेश की बजट नियमावली 1971 के पैरा 12.5 (i) तथा हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 44(3) का उल्लंघन है।			
5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-			
04- जिला तथा अन्य सड़कें-			
337- सड़क निर्माण कार्य-			
02- ग्रामीण सड़कों का निर्माण-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	60,00.00			
		94,32.96	1,60,76.45	+66,43.49
पुनर्वि०	34,32.96			

₹ 66,43.49 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34,32.96 लाख का आवर्धन कोविड-19 में लगे पूर्णबन्द के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 66,43.49 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

20- केन्द्रीय निधि के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजना

मूल	72,39.00			
पूरक	17,17.00	91,94.52	91,94.52	..
पुनर्वि०	2,38.52			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,38.52 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों के कारण हुआ।

(viii) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	--------------	--------------------------------	-----------------------

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

337- सड़क निर्माण कार्य-

02- ग्रामीण सड़कों का निर्माण-

गैर योजना

पूरक	66,97.02	66,97.02	53.54	(-)66,43.48
------	----------	----------	-------	-------------

₹ 66,43.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

15- मध्यस्थता मामलों के भुगतान (सड़कें एवं पुल)-

गैर योजना

पूरक	35,49.00	35,49.00	..	(-)35,49.00
------	----------	----------	----	-------------

फरवरी 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 35,49.00 लाख का समस्त विनियोजन अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)

(ix) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजना	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-			
04- जिला तथा अन्य सड़कें-			
337- सड़क निर्माण कार्य-			
15- मध्यस्थता मामलों के भुगतान (सड़के एवं पुल)-			
योजना			
मूल	2,00.00	2,00.00	6,38.69
			+4,38.69

₹ 4,38.69 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -10 (क्रमशः)

(x) उच्चंत लेन देन-

अनुदान के अंतर्गत लघु-शीर्ष 'उच्चंत' के अंतर्गत लेखांकित किए गए व्यय में ₹ 6,24,08.08 लाख (₹ 6,24,08.08 लाख राजस्व प्रवर्ग में तथा पूंजीगत प्रवर्ग में ₹ 0.00 व्यय) सम्मिलित है।

यह शीर्ष अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है बल्कि यह उन कुछ अंतरिम लेन देनों के समायोजन के लिए है जिनके संबन्ध में लेनदेन को पूर्ण तथा अंतिम रूप से लेखांकित मानने के पूर्व आगामी अदायगी या मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार इस शीर्ष के अंतर्गत लेन-देनों को, यदि उन्हें अंतिम लेखा शीर्ष के अंतर्गत समायोजित नहीं किया जाता तो, उसे वर्षानुवर्ष आगे ले जाया जाता है।

उच्चंत शीर्ष के तीन उप-खंड है:-

- (1) स्कन्ध
- (2) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम तथा
- (3) कार्यशाला उच्चंत।

इन प्रत्येक उपखंडों के अंतर्गत लेनदेनों के स्वरूप तथा उनके लेखांकन का वर्णन निम्न प्रकार से है:-

(i) स्कन्ध:-

इस शीर्ष को ऐसी सामग्री के मूल्य को डेबिट किया जाता है जिसे किसी विशेष कार्य हेतु नहीं बल्कि मंडलों के सामान्य उपयोग के लिए प्राप्त किया गया हो। इसमें निर्माण कार्यों की जारी की गई सामग्री अथवा अन्य मंडलों को अंतरित अथवा अन्यथा निपटाई गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। अतः यह उप शीर्ष स्टॉक में पड़ी सामग्री तथा विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभारों, यदि कोई हो, के मूल्य के संदर्भ में डेबिट बकाया दर्शाएगा।

(ii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम:-

यह उप-शीर्ष, क्रेडिट पर बेचे गए स्टॉक, निक्षेप-निर्माण कार्यों पर प्राप्त निक्षेपों से अधिक किए गए व्यय, भंडार, जो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, हेतु की गई अदायगी, अपलेखित न किए गए रोकड या भंडारों की क्षति तथा सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूल की जाने वाली राशि से संबंधित मूल्य के संदर्भ में डेबिटों के समायोजन के लिए है। इस प्रकार डेबिट-शेष, वसूली योग्य राशि को दर्शाता है।

(iii) कार्यशाला उच्चंत:-

इस उप-शीर्ष को, विभागीय कार्यशालाओं में कार्यों या अन्य संचालनों पर किए गए सभी प्रभारों को डेबिट किया जाता है। कार्य की पूर्णता पर, उस कार्य से संबद्ध प्रभारों को जो इस उप-शीर्ष को डेबिट किए गए हों, को वसूली अथवा संबंधित अंतिम शीर्ष को अंतरण द्वारा समाशोधित किया जाता है। इस प्रकार इस शीर्ष के अंतर्गत डेबिट-शेष अपूर्ण कार्यों/संचालनों या कार्यों पर किए गए व्यय आदि से संबद्ध प्रभारों, जो वसूल या समायोजित नहीं किए गए हैं, को दर्शाता है।

विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन अथ तथा अन्त शेषों सहित, वर्ष 2019-20 के दौरान इस अनुदान के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए 'उच्चंत' लेनदेनों का विश्लेषण, निम्नवत् दिया जाता है:-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (समाप्त)

शीर्ष	01 अप्रैल 2019 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाखों में)	क्रेडिट	31 मार्च 2020 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
राजस्व प्रवर्ग				
2059- लोक निर्माण कार्य				
80- सामान्य-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)2,08,55.99	3,83,26.87	4,17,01.71	(-)2,42,30.83*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+17,24.83	56,83.17	46,29.72	+27,78.28
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+4,18,13.03	1,83,98.04	2,49,44.63	+3,52,66.44
04- कार्यशाला उच्चंत-	+0.07	0.00	0.00	+0.07
कुल 2059	+2,26,81.94	6,24,08.08	7,12,76.06	+1,38,13.96
कुल राजस्व प्रवर्ग	+2,26,81.94	6,24,08.08	7,12,76.06	+1,38,13.96
पूंजीगत प्रवर्ग				
5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-				
03- राज्य उच्च मार्ग				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)15.03	0.00	0.00	(-)15.03*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)16.87	0.00	0.00	(-)16.87*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)22.98	0.00	0.00	(-)22.98*
04- कार्यशाला उच्चंत-	(-)1,99.52	0.00	0.00	(-)1,99.52*
कुल 5054	(-)2,54.40	0.00	0.00	(-)2,54.40*
कुल पूंजीगत प्रवर्ग-	(-)2,54.40	0.00	0.00	(-)2,54.40*
कुल माँग का जोड़-	+2,24,27.54	6,24,08.08	7,12,76.06	+1,35,59.56

* ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- कृषि

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2401- फसल कृषि-कर्म, 2402- मृदा तथा जल संरक्षण, 2403-पशु पालन, 2407-बागान, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2435- अन्य कृषि कार्यक्रम, 2810-नई तथा नवीकरण ऊर्जा, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	4,49,42,00			
		4,87,02,23	4,53,58,28	(-)33,43,95
पूरक	37,60,23			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
				33,43,21
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	74,64,97			
		74,64,97	66,16,76	(-)8,48,21
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
				8,22,99

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 33,43.95 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 37,60.23 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2401- फसल- कृषि-कर्म-				
001- निदेशन तथा प्रशासन-				
01- निदेशालय-				
गैर योजना				
(i) मूल	13,22.19			
पूरक	0.01	9,81.36	9,81.15	(-)0.21
पुनर्वि0	(-)3,40.84			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

02- जिला एवं क्षेत्रीय कर्मचारी-
गैर योजना

(ii) मूल 25,79.33

17,01.02

17,01.02

..

पुनर्वि० (-)8,78.31

103- बीज -

01- बीजों का वितरण-

गैर योजना

(iii) मूल 15,28.95

पूरक 0.01

11,41.56

11,41.56

..

पुनर्वि० (-)3,87.40

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16,06.55 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

105- खाद तथा उर्वरक-

04- भू- विज्ञान तथा रसायन -

गैर योजना

(i) मूल 5,65.22

3,53.47

3,53.47

..

पुनर्वि० (-)2,11.75

07- गुण नियन्त्रक प्राप्तियों का विकास (उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला)-

गैर योजना

(ii) मूल 83.55

55.30

55.30

..

पुनर्वि० (-)28.25

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,40.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

12- प्राकृतिक खेत खुशहाल किसान-

गैर योजना

मूल 10,00.00

पूरक 0.03

8,61.86

6,61.98

(-)1,99.88

पुनर्वि० (-)1,38.17

₹ 1,99.88 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,38.17 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 1,99.88 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-

25- सामान्य कृषि विस्तार-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

गैर योजना				
मूल	29,11.30			
		20,82.58	20,82.50	(-)0.08
पुनर्वि०	(-)8,28.72			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8,28.72 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
111-01-	कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी- कृषि सांख्यिकी विभाग (समय पर रिपोर्टिंग योजना)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
मूल	80.00			
		50.14	50.14	..
पुनर्वि०	(-)29.86			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 29.86 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
गैर योजना				
मूल	1,10.10			
		54.12	54.12	..
पुनर्वि०	(-)55.98			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 55.98 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
113-01-	कृषि इंजीनियरिंग- कृषि उपकरण तथा संयंत्र- गैर योजना			
मूल	97.93			
		66.81	66.81	..
पुनर्वि०	(-)31.12			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31.12 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और दैनिक वेतन भोगियों को काम पर कम लगाने के कारण हुई।				
115-01-	लघु/ उपांतक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना- मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना- योजना			
मूल	26.00			
		14.30	14.30	..
पुनर्वि०	(-)11.70			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.70 लाख की कमी किसानों द्वारा आपातकालीन दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

800-	अन्य व्यय-				
13-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	5,63.00			
			4,12.72	4,12.72	..
	पुनर्वि०	(-)1,50.28			
	योजना				
(ii)	मूल	62.00			
			46.59	46.59	..
	पुनर्वि०	(-)15.41			
16-	खाद्य सुरक्षा मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iii)	मूल	9,77.00			
			8,65.72	8,65.72	..
	पुनर्वि०	(-)1,11.28			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,76.97 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति और राज्य की हिस्सेदारी के अनुपात में कम व्यय के कारण हुई जबकि भारत सरकार से ₹ 18,97.71 लाख का अनुदान क्रमांक संख्या (i) से प्राप्त हुआ था।				
18-	मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस रेनोवेशन योजना- गैर योजना				
(i)	मूल	3,00.00			
		
	पुनर्वि०	(-)3,00.00			
19-	मुख्यमंत्री जैविक खेती पुरस्कार योजना- गैर योजना				
(ii)	मूल	50.00			
	पुनर्वि०	(-)50.00			
20-	फसल विविधिकरण योजना (जापान अंतराष्ट्रीय सरकारी अभिकरण) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना चरण-II योजना				
(iii)	मूल	1,50.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1,50.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

21-	जल से कृषि को बल योजना- गैर योजना				
(iv)	मूल	25,00.00			
			22,11.08	22,11.08	..
	पुनर्वि०	(-)2,88.92			
22-	प्रवाह सिंचाई योजना- गैर योजना				
(v)	मूल	25,00.00			
			21,90.97	21,90.97	..
	पुनर्वि०	(-)3,09.03			
	उपरोक्त पाँच मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,97.95 लाख की कमी मुख्यतः किसानों से कम प्रतिक्रिया प्राप्त होने के कारण हुई।				
23-	सौर सिंचाई योजना- गैर योजना				
	मूल	30,00.00			
			19,53.69	19,53.69	..
	पुनर्वि०	(-)10,46.31			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,46.31 लाख की कमी मुख्यतः किसानों से मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
24-	परम्परागत कृषि विकास योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	8,05.00			
			1,54.50	1,54.50	..
	पुनर्वि०	(-)6,50.50			
	योजना				
(ii)	मूल	92.00			
			17.16	17.16	..
	पुनर्वि०	(-)74.84			
25-	मृदा स्वास्थ्य उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iii)	मूल	2,18.00			
			2,01.32	2,01.13	(-)0.19
	पुनर्वि०	(-)16.68			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,42.02 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई इसी कारण राज्य का हिस्सा अप्रयुक्त रहा।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

2402- भू तथा जल संरक्षण-

101- मृदा सर्वेक्षण और परीक्षण-

01- कृषि योग्य बंजर भूमि का संरक्षण (कृषि विभाग)-
गैर योजना

(i) मूल 2,74.70

1,76.39

1,76.39

..

पुनर्वि० (-)98.31

102- मृदा संरक्षण -

01- कृषि भूमि भू- संरक्षण (कृषि विभाग)-
गैर योजना

(ii) मूल 23,63.29

पूरक 2.83

18,11.77

18,11.73

(-)0.04

पुनर्वि० (-)5,54.34

03- भू-संरक्षण अनुसंधान निरूपन केन्द्र की स्थापना (कृषि विभाग)-
गैर योजना

(iii) मूल 60.12

47.15

47.15

..

पुनर्वि० (-)12.97

04- नदी घाटी परियोजना में भू-संरक्षण
(कृषि विभाग)-
गैर योजना

(iv) मूल 1,86.18

1,15.65

1,15.65

..

पुनर्वि० (-)70.53

उपरोक्त चार मामलो में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,36.15 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

04- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 13,03.00

पूरक 0.01

6,63.32

6,00.41

(-)62.91

पुनर्वि० (-)6,39.69

₹ 62.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,39.69 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई जबकि भारत सरकार से ₹ 12,42.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 62.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

योजना

मूल	1,45.00			
पूरक	0.01	73.35	73.35	..
पुनर्वि०	(-)71.66			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 71.66 लाख की कमी मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई इसी कारण राज्य का हिस्सा अप्रयुक्त रहा।

2407- बागान-

01- चाय-

800- अन्य व्यय-

01- हिमाचल प्रदेश में चाय विकास-

गैर योजना

मूल	1,43.09			
		97.91	97.91	..
पुनर्वि०	(-)45.18			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 45.18 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2810- नई तथा नवीनीकरण ऊर्जा-

01- जैव ऊर्जा-

103- बायोमास-

01- गोबर गैस संयंत्र की स्थापना-

गैर योजना-

मूल	5,97.50			
		4,41.95	4,41.95	..
पुनर्वि०	(-)1,55.55			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,55.55 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई। मुख्य शीर्ष 2810-नई और नवीकरण ऊर्जा के अन्तर्गत उपमुख्यशीर्ष 01-बायोएनर्जी मुख्य एवं लघुशीर्ष की लेखाओं की सूची में नहीं दर्शाया गया है जोकि पिछले दो वर्षों से गलत तरीके से संचालित की जा रही थी।

(iii) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2401- फसल- कृषि-कर्म-

104- कृषि फार्म-

03- मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना-

गैर योजना

पूरक	0.01			
		9,98.14	9,98.14	..
पुनर्वि०	9,98.13			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,98.13 लाख का आवर्धन किसानों से भूमि संरक्षण/सुरक्षा उपकरण के मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

109-	विस्तार तथा किसानों का प्रशिक्षण-				
27-	प्रौद्योगिकी एवं विस्तार पर राष्ट्रीय मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजना				
(i)	मूल	8,25.00			
	पूरक	0.01	11,38.93	11,38.93	..
	पुनर्वि०	3,13.92			
30-	बीज और उपजाऊ सामग्री पर उप-मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजना				
(ii)	मूल	3,05.00			
			4,11.33	4,11.33	..
	पुनर्वि०	1,06.33			
(iii)	मूल	33.00			
			45.72	45.72	..
	पुनर्वि०	12.72			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,32.97 लाख का आवर्धन मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ और इसी तरह राज्य की हिस्सेदारी उस अनुपात में प्रदान की गई।

31-	कृषि मेकेनाईजेशन पर उप-मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजना				
(i)	मूल	8,25.00			
	पूरक	7,57.31	34,27.80	34,27.80	..
	पुनर्वि०	18,45.49			
(ii)	मूल	92.00			
			3,80.68	3,80.68	..
	पुनर्वि०	2,88.68			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21,34.17 लाख का आवर्धन मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

32-	राष्ट्रीय बांस मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना-				
-----	--	--	--	--	--

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

योजना					
(i)	पुनर्वि०	2,07.30	2,07.30	2,07.30	..

योजना					
(ii)	पुनर्वि०	23.03	23.03	23.03	..

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,30.33 लाख का आवर्धन मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ और इसी तरह राज्य की हिस्सेदारी उस अनुपात में प्रदान की गई।

निधियों को मूल/अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित था तथा हिमाचल प्रदेश की बजट पुस्तिका के पैरा संख्या 12.5 का उल्लंघन है।

800- अन्य व्यय-

14- फसल विविधिकरण योजना (जापान अंतराष्ट्रीय सहकारी अभिकरण)-
गैर योजना

..	..	2,95.61	+2,95.61
----	----	---------	----------

₹ 2,95.61 लाख का व्यय बिना प्रावधान के किया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

2402- भू-तथा जल संरक्षण-

800- अन्य व्यय-

03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना-
योजना**

मूल	3,55.00			
		7,05.19	6,88.09	(-)17.10
पुनर्वि०	3,50.19			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.50.19 लाख का आवर्धन मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

योजना

मूल	40.00			
		75.13	75.13	..
पुनर्वि०	35.13			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 35.13 लाख का आवर्धन मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ और इसी अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी प्रदान की गई।

2403- पशुपालन-

107- चारा तथा चारागाह विकास-

05- उत्तम चारा उत्पादन योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)-

योजना

मूल	4,00.00			
		6,96.99	6,96.99	..
पुनर्वि०	2,96.99			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,96.99 लाख का आवर्धन किसानों से चारा और चारा बीज की मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-

103- बीज-

01- अभिवृद्धि बीजों का क्रय-
गैर योजना

मूल	39,97.58			
		39,69.29	39,69.29	..
पुनर्वि०	(-)28.29			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.29 लाख की कमी मुख्यतः अभिवृद्धि बीजों की कम खरीद के कारण हुई।

4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-

102 मृदा संरक्षण-

02- लघु किसान विकास एजेंसी-
योजना

मूल	7,00.00			
	
पुनर्वि०	(-)7,00.00			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,00.00 लाख का समस्त प्रावधान मुख्यतः परियोजनाओं को मंजूरी न मिलने के कारण कम कर दिया गया।

03- सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम
से प्रभावी सिंचाई योजना-
योजना

मूल	16,00.00			
		15,08.34	14,82.31	(-)26.03
पुनर्वि०	(-)91.66			

₹ 26.03 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 91.66 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 26.03 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (समाप्त)

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः-	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय			
102- मृदा संरक्षण-			
02- लघु किसान विकास संस्थान- योजना			
	..	0.82	+0.82
₹ 0.82 लाख का व्यय बिना प्रावधान के किया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 12 - उद्यान

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2401-फसल कृषि-कर्म, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6401- फसल कृषि-कर्म के लिए ऋण)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,50,92,00			
		3,74,98,83	2,96,34,84	(-)78,63,99
पूरक	24,06,83			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				32,73,93
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	16,35,63			
		16,35,63	15,40,19	(-)95,44
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				95,44

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

(i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 78,63.99 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 24,06.83 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक और ₹ 32,73.93 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।

राजस्व प्रवर्ग

(ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2401- फसल कृषि-कर्म-			
119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-			
01- निदेशालय-			
गैर योजना			
मूल	12,77.08		
		9,42.63	9,42.63
पुनर्वि0	(-)3,34.45		..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,34.45 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

02- जिला तथा अधीनस्थ कर्मचारी-
गैर योजना

मूल	30,94.25			
		23,10.66	23,10.51	(-)0.15
पुनर्वि०	(-)7,83.59			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,83.59 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

05- उद्यान विकास-
गैर योजना

मूल	16,74.16			
		15,37.49	15,22.49	(-)15.00
पुनर्वि०	(-)1,36.67			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,36.67 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, बिजली, पानी और दूरभाष बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

06- वनस्पति पोषण कार्यक्रम-
गैर योजना

मूल	1,39.20			
		1,16.16	1,16.16	..
पुनर्वि०	(-)23.04			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 23.04 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

योजना

मूल	14.00			
		10.73	10.73	..
पुनर्वि०	(-)3.27			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.27 लाख की कमी पौधों की पोषण सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

09- मधुमखी पालन योजना-
गैर योजना

मूल	3,48.79			
		2,29.84	2,29.84	..
पुनर्वि०	(-)1,18.95			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,18.95 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

योजना					
	मूल	9.00			
			5.76	5.76	..
	पुनर्वि०	(-)3.24			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.24 लाख की कमी बागवानी सामग्री, मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।					
10-	पुष्प कृषि विकास- गैर योजना				
	मूल	1,48.43			
			1,13.35	1,13.35	..
	पुनर्वि०	(-)35.08			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35.08 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।					
योजना					
	मूल	10.00			
			4.10	4.10	..
	पुनर्वि०	(-)5.90			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.90 लाख की कमी फूलों की खेती की सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।					
11-	राजकीय उधानों तथा पौधशालाओं की स्थापना तथा रख-रखाव- गैर-योजना				
	मूल	9,69.12			
			6,01.06	6,01.06	..
	पुनर्वि०	(-)3,68.06			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,68.06 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
योजना					
	मूल	22.00			
			7.34	7.34	..
	पुनर्वि०	(-)14.66			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.66 लाख की कमी सामग्री की खरीद पर कम व्यय, किराए, दर और कर से सम्बन्धित दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।					
15-	खुम्ब खेती परियोजना -				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

गैर योजना				
मूल	3,10.59			
		1,93.28	1,93.28	..
पुनर्वि०	(-) 1,17.31			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,17.31 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
योजना				
मूल	38.00			
		13.32	13.32	..
पुनर्वि०	(-)24.68			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.68 लाख की कमी सामग्री की खरीद, मशीनरी और उपकरणों पर कम व्यय के कारण हुई।				
18-	कृषक प्रशिक्षण-योजना			
मूल	30.00			
		19.86	19.86	..
पुनर्वि०	(-)10.14			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.14 लाख की कमी प्रशिक्षण शिविरों के कम आयोजन के कारण हुई।				
19-	प्रशिक्षण और विस्तार-गैर योजना			
मूल	30,24.21			
		19,59.34	19,59.34	..
पुनर्वि०	(-)10,64.87			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,64.87 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
योजना				
मूल	5.00			
	
पुनर्वि०	(-)5.00			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण कम कर दिया गया।				
26-	फल प्रसंस्करण योजना-गैर योजना			
मूल	7,35.39			
		5,31.21	5,31.20	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)2,04.18			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,04.18 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

योजना

मूल	43.00			
		26.54	26.54	..
पुनर्वि०	(-)16.46			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16.46 लाख की कमी बागवानी सामग्री की खरीद पर कम व्यय और किराया, दर और कर बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

35- अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-

योजना

मूल	12.00			
		6.96	6.96	..
पुनर्वि०	(-)5.04			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण प्रावधान में ₹ 5.04 लाख की कमी मुख्यतः बाह्य स्रोतों पर कम व्यय के कारण हुई।

50- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजना**

मूल	2,67.00			
		2,12.95	2,12.95	..
पुनर्वि०	(-)54.05			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 54.05 लाख की कमी मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 18,97.71 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

योजना

मूल	30.00			
		23.97	23.97	..
पुनर्वि०	(-)6.03			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6.03 लाख की कमी मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई इसी कारण राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

51- सेब तथा आम की फसल के लिए

मौसम आधारित बीमा-**योजना**

मूल	16,45.00			
		11,89.51	11,89.51	..
पुनर्वि०	(-)4,55.49			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,55.49 लाख की कमी मुख्यतः बीमा प्रीमियम के भुगतान की कम आवश्यकता के कारण हुई।

57- उद्यान विकास परियोजना-
योजना

मूल 78,97.00

40,00.00 .. (-)40,00.00

पुनर्वि० (-)38,97.00

₹ 40,00.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 38,97.00 लाख की कमी विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना के लिए कम आवश्यकता के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 40,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

62- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-
योजना

मूल 72.00

46.76 46.76 ..

पुनर्वि० (-)25.24

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.24 लाख की कमी पूर्णबन्ध में निधि का उपयोग नहीं किया जा सका जोकि भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 48,34.70 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

64- प्लास्टिक क्रेटस पर उपदान-
गैर योजना

(i) मूल 2,00.00

..

पुनर्वि० (-)2,00.00

69- मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस नवीकरण योजना-
गैर योजना

(ii) मूल 1,00.00

..

पुनर्वि० (-)1,00.00

70 - प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान-
गैर योजना

(iii) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

71- बागवानी सुरक्षा योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

गैर योजना				
(iv)	मूल	1.00		
	पुनर्वि०	(-)1.00		
	उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,02.00 लाख का समस्त प्रावधान निविदा प्रक्रिया को बहुत देर से पूरा करने और कंपनी सम्बन्धी वस्तुओं की आपूर्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और निधि अप्रयुक्त रही।			
72-	हिमाचल पुष्प क्रान्ति योजना-			
	गैर योजना			
	मूल	10,00.00		
			9,81.67	8,59.77
				(-)1,21.90
	पुनर्वि०	(-)18.33		
	₹ 1,21.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।			
73-	मुख्यमंत्री मधु विकास योजना--			
	गैर योजना			
	मूल	5,00.00		
			2,73.81	2,73.81
				..
	पुनर्वि०	(-)2,26.19		
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,26.19 लाख की कमी मुख्यतः किसानों से योजना के अन्तर्गत मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।			
75-	मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना--			
	गैर योजना			
	मूल	5,00.00		
			2,98.84	2,98.84
				..
	पुनर्वि०	(-)2,01.16		
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,01.16 लाख की कमी मुख्यतः किसानों के खुम्ब इकाई कार्यों को पूरा न करने कारण हुई।			
77-	हिमाचल उपोष्णकटिबंधीय उद्यान सिंचाई और अतिरिक्त मूल्य संवर्धन परियोजना- योजना			
	पूरक	0.01		
			4,00.00	..
				(-)4,00.00
	पुनर्वि०	3,99.99		
	₹ 4,00.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,99.99 लाख का आवर्धन मुख्यतः नई परियोजनाओं को लागू करने के कारण हुआ जोकि अनुचित सिद्ध हुआ।			
	₹ 4,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः शीर्ष	निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए अनुदान	आधिक्य से अंशतः वास्तविक व्यय	प्रतिसन्तुलित हुई- आधिक्य (+) बचत (-)
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	
	(₹ लाखों में)		
2401- फसल कृषि-कर्म-			
119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-			
04- पौध संरक्षण योजना- गैर योजना			
मूल	0.01		
		33.79	33.79
पुनर्वि०	33.78		..
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33.78 लाख का आवर्धन मुख्यतः कीटनाशकों पर उपदान प्रदान करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुआ।			
22- उद्यानिक विपणन स्कीम- योजना			
मूल	9,03.00		
		21,05.00	21,05.00
पुनर्वि०	12,02.00		..
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12,02.00 लाख का आवर्धन मुख्यतः किसानों के बकाया दावों का अधिक समाशोधन करने के कारण हुआ।			
56- उद्यान एकीकृत विकास मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
मूल	11,85.00		
		16,43.53	16,43.53
पुनर्वि०	4,58.53		..
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,58.53 लाख का आवर्धन मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।			
योजना			
मूल	1,71.49		
		2,63.21	2,10.21
पुनर्वि०	91.72		(-)53.00
₹ 53.00 लाख की बचत की अंतिम दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 91.72 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।			
₹ 53.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।			
62- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 12 (समाप्त)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	5,92.00			
		9,93.60	9,93.60	..

पुनर्वि० 4,01.60

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,01.60 लाख का आवर्धन मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

74- एंटी हेल नेट पर उपदान -
गैर योजना

मूल	20,00.00			
पूरक		20,39.56	20,39.56	..

पुनर्वि० 39.56

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 39.56 लाख का आवर्धन मुख्यतः ओला विरोधी जालों के मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2415- कृषि अनुसंधान और शिक्षा-

01- फसल कृषि कर्म-

004- अनुसंधान-

03- डॉ० यशवन्त सिंह परमार बागवानी और वानिकी

विश्वविद्यालय की सहायता के लिए अनुदान-
योजना

मूल	59,23.00			
पूरक	9,23.49	94,23.00	94,23.00	..
पुनर्वि०	25,76.51			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25,76.51 लाख का आवर्धन मुख्यतः कर्मचारियों की पेंशन और वेतन की लम्बित देनदारी का समाशोधन करने के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुईः--

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-

119- बागवानी तथा साग भाजी फसलें-

02- पौद्य संरक्षण औजारों की खरीद-

गैर योजना

मूल	12,93.10			
		11,97.69	11,97.69	..
पुनर्वि०	(-)95.41			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 95.41 लाख की कमी मुख्यतः पूर्ण बन्द के कारण आपूर्ति आदेश को पूरा नहीं किया जा सकने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -13-सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2215-जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2700-मुख्य सिंचाई, 2701- मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2711-बाढ नियंत्रण तथा जल निकास, 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4711-बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिव्यय (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	25,86,53,61			
		25,86,53,73	23,58,63,14	(-)2,27,90,59
पूरक	12			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				2,28,34,00
प्रभारित				
मूल	..			
		21,63	12,37	(-)9,26
पूरक	21,63			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				9,25
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	7,09,04,61			
		8,86,71,48	9,34,79,48,	+48,08,00
पूरक	1,77,66,87			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
मूल	..			
		9,25,50	9,48,20	+22,70
पूरक	9,25,50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)
टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत अनुदान में ₹ 48,07,99,467 के आधिक्य का नियमितीकरण अपेक्षित है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 22,70,296 के आधिक्य का नियमितीकरण अपेक्षित है।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,27,90.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 2,28,34.00 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (iv) राजस्व प्रवर्ग में प्रभारित विनियोजन में ₹ 9.26 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 21.63 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (v) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 48,08.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 1,77,66.87 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (vi) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 22.70 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 9,25.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (vii) दत्तमत अनुदान में बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2215- जलापूर्ति तथा सफाई-			
01- जलापूर्ति-			
001- निदेशन तथा प्रशासन			
01- निदेशन-			
गैर योजना			
मूल	38,97.72		
पूरक	0.01	25,05.91	(-)0.01
पुनर्वि0	(-)13,91.82		
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13,91.82 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।			
02- निष्पादन-			
गैर योजना			
मूल	1,40,64.49		
पूरक	0.01	96,57.79	+0.29
पुनर्वि0	(-)44,06.71		

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 44,06.71 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

005-	सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल-				
01-	सर्वेक्षण तथा अन्वेषण खण्ड- गैर योजना				
	मूल	2,73.38			
			1,91.65	1,91.66	+0.01
	पुनर्वि०	(-)81.73			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 81.73 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
101-	शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम-				
02-	विभिन्न जिलों में शहरी जलापूर्ति योजनाओं का रख-रखाव व मरम्मत- गैर योजना				
	मूल	2,40,82.80			
			2,11,35.08	2,11,38.88	+3.80
	पुनर्वि०	(-)29,47.72			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 29,47.72 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, विद्युत बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
04-	वसूलियों का समायोजन करने हेतु रख-रखाव में प्रावधान- गैर योजना				
	मूल	1,07,97.10			
			80,12.74	80,08.94	(-)3.80
	पुनर्वि०	(-)27,84.36			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27,84.36 लाख की कमी वसूलियों के कम समायोजन के कारण हुई।				
102-	ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-				
03-	ग्रामीण पेय जलापूर्ति योजना का रखरखाव तथा मरम्मत- गैर योजना				
	मूल	6,20,59.09			
			4,95,11.66	4,95,13.99	+2.33
	पुनर्वि०	(-)1,25,47.43			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,25,47.43 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और प्रशिक्षण शिवरों के कम आयोजन के कारण हुई जोकि मानदेय और बिजली बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

12-	वसूलियों के समायोजन करने हेतु रखरखाव में प्रावधान- गैर योजना				
	मूल	4,30,88.38			
			2,89,40.99	2,92,91.55	+3,50.56
	पुनर्वि०	(-)1,41,47.39			
	₹ 3,50.56 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,41,47.39 लाख की कमी वसूलियों के कम समायोजन के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।				
	₹ 3,50.56 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।				
14-	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	11,00.00			
			6,35.63	6,35.63	..
	पुनर्वि०	(-)4,64.37			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,64.37 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,57,98.23 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
2700-	मुख्य सिंचाई-				
	01- शाहनहर परियोजना (गैर वाणिज्यिक) -				
	001- निदेशन और प्रशासन-				
	01- स्थापना पर व्यय-				
	गैर योजना				
	मूल	10,75.43			
	पूरक	0.01	7,59.89	7,59.89	..
	पुनर्वि०	(-)3,15.55			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,15.55 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
799-	उचंत-				
	01- स्टॉक-				
	योजना				
	(i) मूल	2,78.30			
			0.15	0.15	..
	पुनर्वि०	(-)2,78.15			
	02- स्टॉक विनिर्माण-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

	योजना				
(ii)	मूल	2,02.40			
			10.33	10.33	..
	पुनर्वि०	(-)1,92.07			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,70.22 लाख की कमी सामग्री की खरीद और उच्चत शीर्ष के अर्न्तगत कम बुकिंग के कारण हुई।				
03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम- योजना				
	मूल	1,45.48			
		
	पुनर्वि०	(-)1,45.48			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,45.48 लाख का समस्त प्रावधान सामग्री की कम खरीद और उच्चतं शीर्ष के अर्न्तगत कम बुकिंग के कारण कम कर दिया गया।				
2701-	मध्यम सिंचाई -				
	11- गिरी बाटा परियोजना (गैर वाणिज्यक)-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	स्थापना पर व्यय-				
	गैर योजना				
	मूल	38.70			
			4.66	4.66	..
	पुनर्वि०	(-)34.04			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 34.04 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
799-	उच्चंत-				
01-	उच्चंत (स्टॉक) पर व्यय-				
(i)	योजना				
	मूल	3.30			
		
	पुनर्वि०	(-)3.30			
02-	स्टॉक निर्माता-				
	योजना				
(ii)	मूल	1.10			
		
	पुनर्वि०	(-)1.10			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम- योजना				
(iii)	मूल	1.10			
	पुनर्वि०	(-)1.10
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.50 लाख का समस्त प्रावधान परियोजना को पूरा करने के लिए सामग्री की कम आवश्यकता के कारण कम कर दिया गया।				
12-	<i>बल्ह घाटी परियोजना (गैर वाणिज्य)-</i>				
001-	निदेशन एवं प्रशासन-				
01-	स्थापना पर व्यय-				
	गैर योजना				
	मूल	98.37			
			24.41	24.40	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)73.96			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 73.96 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
799-	उच्चंत-				
01-	उच्चंत (स्टॉक) पर व्यय-				
(i)	योजना				
	मूल	3.30			
	पुनर्वि०	(-)3.30
02-	स्टॉक निर्माता-				
	योजना				
(ii)	मूल	1.10			
	पुनर्वि०	(-)1.10
03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम-				
	योजना				
(iii)	मूल	2.20			
	पुनर्वि०	(-)2.20

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6.60 लाख का समस्त प्रावधान परियोजना को पूरा करने के लिए सामग्री की कम आवश्यकता के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

13-	भाभौर साहिब परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-			
001-	निदेशन तथा प्रशासन-			
01-	स्थापना पर व्यय-			
	गैर योजना			
(i)	मूल	17.68		
			13.44	13.44
	पुनर्वि०	(-)4.24		..
15-	चंगर क्षेत्र सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-			
001-	रखरखाव और मरम्मत-			
01-	अन्य रखरखाव व्यय-			
	गैर योजना			
(ii)	मूल	65.97		
			38.53	40.14
	पुनर्वि०	(-)27.44		+1.61
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31.68 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।			
799-	उच्चंत-			
01-	उच्चंत (स्टॉक) पर व्यय-			
(i)	योजना			
	मूल	22.00		
		
	पुनर्वि०	(-)22.00		..
02-	स्टॉक निर्माता-			
	योजना			
(ii)	मूल	4.40		
		
	पुनर्वि०	(-)4.40		..
03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम-			
	योजना			
(iii)	मूल	1.65		
		
	पुनर्वि०	(-)1.65		..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28.05 लाख का समस्त प्रावधान परियोजना को पूरा करने के लिए सामग्री की कम आवश्यकता के कारण कम कर दिया गया।

16-	<i>बहाव सिंचाई परियोजना सिधाटा (गैर वाणिज्यिक)-</i>			
001-	निदेशन और प्रशासन-			
01-	स्थापना पर व्यय-			
	गैर योजना			
	मूल	3,54.06		
			1,90.01	1,90.00
				(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)1,64.05		
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,64.05 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।			
799-	उच्चंत-			
01-	उच्चंत (स्टॉक) पर व्यय-			
	योजना			
(i)	मूल	93.50		
		
	पुनर्वि०	(-)93.50		..
02-	स्टॉक निर्माण-			
	योजना			
(ii)	मूल	16.50		
		
	पुनर्वि०	(-)16.50		..
03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम-			
	योजना			
(iii)	मूल	38.50		
		
	पुनर्वि०	(-)38.50		..
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,48.50 लाख का समस्त प्रावधान परियोजना के लिए सामग्री की आवश्यकता न होने के कारण कम कर दिया गया।			
20-	<i>फिनासिंह परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-</i>			
799-	उच्चंत-			
02-	स्टॉक निर्माण-			
	योजना			
(i)	मूल	55.00		
			16.52	16.52
	पुनर्वि०	(-)38.48		..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम- योजना				
(ii)	मूल	35.20			
	पुनर्वि०	(-)35.20
21-	हल्दी सुनराग बटांटा मध्यम सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-				
799-	उच्चंत-				
01-	स्टॉक- योजना				
(iii)	मूल	55.00			
	पुनर्वि०	(-)55.00
02-	स्टॉक निर्माण- योजना				
(iv)	मूल	11.00			
	पुनर्वि०	(-)11.00
03-	लोक निर्माण विविध अग्रिम- योजना				
(v)	मूल	4.95			
	पुनर्वि०	(-)4.95
2702-	लघु सिंचाई -				
01-	सतही जल-				
799-	उच्चंत-				
02-	स्टॉक निर्माण- योजना				
(vi)	मूल	4,40.00			
	पुनर्वि०	(-)3,38.50	1,01.50	1,06.24.	+4.74
03-	लोक निर्माण विविध अग्रिम- योजना				
(vii)	मूल	3,30.00			
	पुनर्वि०	(-)1,49.15	1,80.85	1,80.85	..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

उपरोक्त सात मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,32.28 लाख की कमी उच्चत शीर्ष के अर्न्तगत सामग्री की कम खरीद और कम बुकिंग के कारण हुई।

03-	रखरखाव-				
102-	उठाऊ सिंचाई योजनाएं-				
01-	अन्य रखरखाव व्यय-				
	गैर योजना				
	मूल	52,62.46			
			51,92.77	52,45.98	+53.21
	पुनर्वि०	(-)69.69			

₹ 53.21 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 69.69 लाख की कमी बिजली के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 53.21 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

80-	सामान्य-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	स्थापना पर व्यय-				
	गैर योजना				
	मूल	1,16,35.35			
			76,91.73	76,91.76	+0.03
	पुनर्वि०	(-)39,43.62			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 39,43.62 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, पेट्रोल,तेल,स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई जोकि वाहनों की खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02-	वर्क चार्ज स्टाफ के लिए स्थापना पर व्यय-				
	गैर योजनो				
	मूल	2,74,11.87			
			2,05,47.96	2,05,48.35	+0.39
	पुनर्वि०	(-)68,63.91			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 68,63.91 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई ।

06-	वसूलियों का समायोजन करने हेतु रखरखाव में प्रावधान-				
	गैर योजना				
	मूल	2,74,11.87			
			2,00,73.05	2,00,75.25	+2.20
	पुनर्वि०	(-)73,38.82			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 73,38.82 लाख की कमी वसूली के कम समायोजन के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

2711- बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास-

01- बाढ़ नियन्त्रण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशन-

गैर योजना

मूल 4,90.16

3,47.52

3,47.52

..

पुनर्वि0 (-)1,42.64

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,42.64 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(viii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अर्न्तगत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2215- जलापूर्ति तथा सफाई-

01- जलापूर्ति-

001- निदेशन तथा प्रशासन

07- हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई-

गैर योजना

मूल 0.01

पूरक 0.07

54.03

53.85

(-)0.18

पुनर्वि0 53.95

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 53.95 लाख का आवर्धन नए कार्यालय के निर्माण और नए बनाए गए पदों को भरने के कारण हुआ।

005- सर्वेक्षण जाँच पडताल-

02- आउटसोर्सिंग द्वारा विभागीय प्रस्ताव रिपोर्ट तैयार करना-

गैर योजना

मूल 57.75

2,23.35

2,00.66

(-)22.69

पुनर्वि0 1,65.60

₹ 22.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,65.60 लाख का आवर्धन विशेषज्ञ को परामर्श शुल्क का भुगतान करने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ ।

₹ 22.69 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

102- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

13-	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन तथा सामग्री हेतु व्यय- गैर योजना				
	मूल	43,74.47			
			83,82.34	80,21.34	(-)3,61.00
	पुनर्वि०	40,07.87			
	₹ 3,61.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40,07.87 लाख का आवर्धन जलापूर्ति योजना के रखरखाव के लिए अधिक आवश्यकता और मजदूरी के अन्तर्गत अधिक वसूली के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 3,61.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।				
	योजना				
	पूरक	0.01			
			24.10	11.21	(-)12.89
	पुनर्वि०	24.09			
	₹ 12.89 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.09 लाख का आवर्धन भू-जलापूर्ति योजना के रखरखाव के लिए अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 12.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे। (अक्टूबर 2020)।				
799-	उच्चंत-				
01-	उच्चंत पर व्यय (स्टॉक)- योजना				
	मूल	56,92.50			
			2,18,36.89	2,18,55.36	+18.47
	पुनर्वि०	1,61,44.39			
	₹ 18.47 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,61,44.39 लाख का आवर्धन विभिन्न योजनाओं के लिए सामग्री की अधिक खरीद और उच्चंत शीर्ष के अन्तर्गत अस्थायी बंकिंग होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।				
	₹ 18.47 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।				
03-	विविध लोक निर्माण अग्रिम- योजना				
	मूल	51,86.50			
			1,43,33.62	1,43,36.41	+2.79
	पुनर्वि०	91,47.12			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 91,47.12 लाख का आवर्धन विभिन्न योजनाओं के लिए सामग्री की अधिक खरीद और उच्चंत शीर्ष के अन्तर्गत अस्थायी बंकिंग होने के कारण हुई जब भी योजनाओं पर वास्तव में उपयोग किया जाता तो इस राशि को उल्टा दर्ज किया जाएगा।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

2216- आवासीय -

05- साधारण पूल आवास-

053- रखरखाव और मरम्मत-

01- अन्य रखरखाव व्यय-

गैर योजना

मूल 5.26

7.63

7.63

..

पुनर्वि० 2.37

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.37 लाख का आवर्धन भवनों के रखरखाव कार्य के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

2701- मध्यम सिंचाई -

20- फिनासिंह परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-

799- उच्चत-

01- स्टॉक-

योजना

(i) मूल 2,20.00

10,24.14

10,24.14

..

पुनर्वि० 8,04.14

2702- लघु सिंचाई -

01- सतही जल-

799- उच्चत-

01- स्टॉक-

योजना

(ii) मूल 16,50.00

20,04.97

20,04.97

..

पुनर्वि० 3,54.97

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11,59.11 लाख का आवर्धन विभिन्न योजनाओं के लिए सामग्री की अधिक खरीद, उच्चत शीर्ष के अर्न्तगत अस्थायी बुकिंग के कारण हुआ।

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

07- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन तथा सामग्री हेतु व्यय-

गैर योजना

मूल 16,37.28

23,21.66

23,24.92

+3.26

पुनर्वि० 6,84.38

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,84.38 लाख का आवर्धन सिंचाई योजनाओं के रखरखाव और अधिक वसूली के समायोजन के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

2711- बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास-

01- बाढ़ नियन्त्रण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशन-

योजना

पूरक 0.01

2,73.00

2,73.00

..

पुनर्वि० 2,72.99

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,72.99 लाख का आवर्धन रेणुका जी बांध में पानी के घटक के लिए राज्य की हिस्सेदारी के भुगतान के कारण हुआ।

799- उच्चंत-

01- स्टॉक-

योजना

(i) मूल 3,79.50

24,03.46

24,03.46

..

पुनर्वि० 20,23.96

03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

योजना

(ii) मूल 75.90

27,22.75

27,22.75

..

पुनर्वि० 26,46.85

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 46,70.81 लाख का आवर्धन विभिन्न योजनाओं के लिए सामग्री की अधिक खरीद, उच्चत शीर्ष के अर्न्तगत अस्थायी बुकिंग के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

02- स्वां योजना के लिए मुरम्मत एवं रखरखाव-

गैर योजना

मूल 97.81

1,13.34

1,15.02

+1.68

पुनर्वि० 15.53

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.53 लाख का आवर्धन योजनाओं के रखरखाव कार्य के निष्पादन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

(ix) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2215- जलापूर्ति तथा सफाई-			
01- जलापूर्ति-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
02- निष्पादन-			
गैर योजना			
पूरक	9.25
पुनर्वि०	(-)9.25

अनुपूरक विनियोजन द्वारा प्राप्त ₹ 9.25 लाख के समस्त विनियोजन को मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा महामारी कोविड-19 के कारण कोष से निधियों को नहीं निकलवाने के कारण कम कर दिया गया।

पूंजीगत प्रवर्ग

(x) दत्तमत अनुदान में आधिक्ये मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- जलापूर्ति-			
102- ग्रामीण जलापूर्ति-			
01- विभिन्न जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं- योजना			
मूल	11,16.00	12,07.69	(-)44.35
पुनर्वि०	91.69	11,63.34	(-)44.35

₹ 44.35 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 91.69 लाख का आवर्धन ग्राम पंचायतों के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 44.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

16- ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि/
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

योजना				
मूल	98,00.00			
		1,06,53.00	1,02,74.92	(-)3,78.08
पुनर्वि०	8,53.00			

₹ 3,78.08 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,53.00 लाख का आवर्धन नाबार्ड के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के निर्माण कार्य पूरा करने के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 3,78.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

23- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	61,39.00			
		94,62.98	1,52,14.35	+57,51.37
पुनर्वि०	33,23.98			

₹ 57,51.37 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33,23.98 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 57,51.37 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

योजना

मूल	10,73.60			
		14,01.44	13,09.84	(-)91.60
पुनर्वि०	3,27.84			

₹ 91.60 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,27.84 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 91.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

01- शाहनगर परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-

800- अन्य व्यय-

01- नहरें-

गैर योजना

पुनर्वि०	4.52	4.52	..	(-)4.52
----------	------	------	----	---------

₹ 4.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.52 लाख का आवर्धन निजी भूमि को किराए पर लेने के लिए मुआवजे के भुगतान के कारण हुआ परन्तु अप्रयुक्त रहने के कारण अनावश्यक सिद्ध हुआ निधियों को मूल /पूरक अनुदानों से प्राप्त किया जाना चाहिए

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

था। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित तथा हिमाचल प्रदेश की बजट पुस्तिका 1971 के पैरा 12.5 का उल्लंघन है।

₹ 4.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

101- सतही जल-

01- विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजनाएं-
योजना

मूल	2,86.00	2,86.00	3,37.60	+51.60
-----	---------	---------	---------	--------

₹ 51.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

06- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना
(त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम)के अन्तर्गत विभिन्न
जिलों में उठाऊसिंचाई योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	44,36.00			
		80,87.94	80,38.00	(-)49.94

पुनर्वि० 36,51.94

₹ 49.94 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36,51.94 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 49.94 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

योजना

मूल	4,94.00			
		5,51.14	4,96.74	(-)54.40

पुनर्वि० 57.14

₹ 54.40 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.14 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ इसी कारण राज्य की हिस्सेदारी उस अनुपात में प्रदान की गई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 54.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

09- नाबार्ड के अन्तर्गत वर्षा जल संग्रहण-
योजना

पूरक	0.01			
		4,75.00	4,75.00	..

पुनर्वि० 4,74.99

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,74.99 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत निर्माण के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय--

01- बाढ़ नियन्त्रण-

800- अन्य व्यय-

05- ग्रामीण आधारीक संरचना विकास निधि
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के
अन्तर्गत बाढ़ नियन्त्रण कार्य पर व्यय-
योजना

मूल	3,63.00	3,63.00	4,51.51	+88.51
-----	---------	---------	---------	--------

₹ 88.51 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे। (अक्टूबर 2020)।

13- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत दौलतपुर से
गगरेट पुल तक स्वां तथा इसकी चार
सहायक नदियों का तटीयकरण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	40.00			
पूरक	1,77,66.83	2,67,64.26	2,67,64.26	..
पुनर्वि०	89,57.43			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 89,57.43 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

योजना

मूल	25,01.00			
		25,00.00	26,74.00	+1,74.00
पुनर्वि०	(-1.00)			

₹ 1,74.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

(xi) उपरोक्त आधिक्य निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-

01- जलापूर्ति-

101- शहरी जलापूर्ति-

01- विभिन्न जिलों में शहरी जलापूर्ति योजनाएं-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

योजना					
मूल	53,86.00				
		52,71.94	52,66.22		(-)5.72
पुनर्वि०	(-)1,14.06				
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,14.06 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।					
102-	ग्रामीण जलापूर्ति-				
01-	विभिन्न जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं- गैर योजना				
पूरक	0.01				
		24.77	..		(-)24.77
पुनर्वि०	24.76				
₹ 24.77 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.76 लाख का आवर्धन क्षतिपूर्ति भूमि के भुगतान के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।					
₹ 24.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।					
22-	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) के अन्तर्गत हैण्ड पंप की स्थापना- योजना				
मूल	8,53.00				
		..	44.08		+44.08
पुनर्वि०	(-)8,53.00				
₹ 44.08 लाख के बिना प्रावधान के व्यय की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,53.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्य के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया जोकि अवास्तविक सिद्ध हुआ।					
₹ 44.08 लाख के बिना प्रावधान के व्यय के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।					
24-	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत (राष्ट्रीय विकास बैंक)- योजना				
(i)	मूल	1,00,07.00			
		
पुनर्वि०	(-)1,00,07.00				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

25-	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत मल निकासी परियोजनाएं- योजना				
(ii)	मूल	1.00			
			..	0.08	+0.08
	पुनर्वि०	(-)1.00			
26-	पुरानी पेयजल आपूर्ति योजनाओं का पुनः निर्माण/नवीनीकरण (बाह्य सहायता प्राप्त) योजना				
(iii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
02-	मल निकासी तथा सफाई-				
102-	ग्रामीण सफाई सेवाएं-				
04-	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मल निकासी योजनाएं- योजना				
(iv)	मूल	1.00			
			..	0.08	+0.08
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,00,10.00 लाख का समस्त प्रावधान निधियां प्रदान करने वाली संस्था से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
	उपरोक्त क्रमांक संख्या (ii) और (iv) पर ₹ 0.16 लाख का व्यय बिना बजट प्रावधान के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।				
4700-	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	शाहनगर परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-				
800-	अन्य व्यय-				
01-	नहरें-				
	योजना				
	पूरक	0.02			
			23.01	..	(-)23.01
	पुनर्वि०	22.99			
	₹ 23.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.99 लाख का आवर्धन मध्यस्थता मामलों की देनदारी का भुगतान करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 23.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

101- सतही जल-

02- विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजनाएं-
योजना

(i) मूल 2,00.00 2,00.00 1,78.10 (-)21.90

03- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
के तहत विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजना-
योजना

(ii) मूल 44,89.00 44,89.00 42,02.21 (-)2,86.79

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 3,08.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

04- नाबार्ड के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में बहाव सिंचाई योजना-
योजना

मूल 31,42.00

23,90.53

23,90.53

..

पुनर्वि० (-)7,51.47

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,51.47 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

06- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना
(त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम)के अन्तर्गत विभिन्न
जिलों में उठाऊ सिंचाई योजना-
गैर योजना

मूल 4,50.00

4,50.00

4,00.00

(-)50.00

₹ 50.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

07- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना
(त्वरित सिंचाई लाभ योजना)
के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में जल प्रवाह सिंचाई योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 29,58.00

24,44.40

24,35.77

(-)8.63

पुनर्वि० (-)5,13.60

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,13.60 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जबकि भारत सरकार से ₹ 3,24,56.03 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

योजना

मूल 3,29.00

2,71.86

2,50.31

(-)21.55

पुनर्वि० (-)57.14

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

₹ 21.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.14 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई इसी कारण राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 21.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

10- जल से कृषि को बल-
गैर योजना

मूल 25,00.00

.. ..

पुनर्वि० (-)25,00.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25,00.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

11- जल संरक्षण द्वारा हिमाचल प्रदेश के किसानों की आय
दोगुनी करने हेतु योजना (बाह्य सहायता द्वारा)-

मूल 66.00

.. 0.94 +0.94

पुनर्वि० (-)66.00

₹ 0.94 लाख का बिना बजट प्रावधान की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 66.00 लाख का समस्त प्रावधान निधियां प्रदान करने वाली संस्था से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

102- भू-जल-

03- नाबार्ड के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में ट्यूबवेल योजना-
योजना

मूल 13,47.00 13,47.00 12,18.50 (-)1,28.50

₹ 1,28.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

313- लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कमान क्षेत्र विकास-

01- लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कमान क्षेत्र विकास-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 26,06.00

.. ..

पुनर्वि० (-)26,06.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 26,06.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

योजना				
मूल	25,92.00			
		23,03.00	22,14.22	(-)88.78
पुनर्वि०	(-)2,89.00			

₹ 88.78 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,89.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई इसी कारण राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 88.78 की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय--

01- बाढ़ नियन्त्रण-

800- अन्य व्यय-

10- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला

मण्डी तथा हमीरपुर में जाहू तक

सीर खड्ड का तटीयकरण बाढ़ नियन्त्रण कार्य पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल 6.00

..

पुनर्वि० (-)6.00

योजना

(ii) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

12- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत तृतीय चरण

में पंजाब सीमा की तरफ स्वां खड्ड में बाढ़ सरक्षण कार्य-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(iii) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

15- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत

तहसील इंदौरा में छौंछ खड्ड में बाढ़ सरक्षण कार्य-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

	योजना				
(iv)	मूल	6.00			
		
	पुनर्वि०	(-)6.00			
16-	जिला कल्लू में पलचान से औट का तटीयकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(v)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
17-	जिला शिमला में पब्वर नदी का तटीयकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(vi)	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	योजना				
(vii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
18-	ब्यास नदी और इसकी सहायक नदियों का तहसील नादौन (हमीरपुर) और ज्वालामुखी तथा रक्कड़ (कांगड़ा) में तटीयकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(viii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
19-	जिला कांगड़ा में जबेर और गरली खड्ड का तटीयकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(ix)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
21-	जिला मण्डी में बाढ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत सुकेती खड्ड और इसकी सहायक नदियों का तटीयकरण-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना				
(x)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00
22-	हिमाचल प्रदेश बाढ तथा नदी प्रबंधन परियोजना (बाह्य सहायता प्राप्त)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(xi)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00

उपरोक्त ग्यारह मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया इसी कारण राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

(xii) प्रभारित विनियोजन में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- शाहनगर परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-			
800- अन्य व्यय-			
01- नहरें- योजना			
पूरक	8,79.96	8,79.96	9,07.49
			+27.53

₹ 27.53 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

(xiii) उच्चंत लेन-देन

- (i) इस अनुदान के अन्तर्गत सम्मिलित व्यय ₹ 4,52,64.42 लाख में (राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत ₹ 4,52,64.42 लाख और पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत ₹ 0.00) 'उच्चंत' लघु शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गये हैं।
- (ii) उच्चंत लेन-देनों के स्वरूप का वर्णन अनुदान संख्या-10 लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन के अन्तर्गत पैरा नं०- (x) में किया गया है।
- (iii) इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान लेखाबद्ध किए गए 'उच्चंत' लेन-देनों का विश्लेषण विभिन्न उप शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक एवं अंतिम शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

शीर्ष	01 अप्रैल 2019 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2020 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
राजस्व प्रवर्ग				
2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-				
01- जलापूर्ति-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	+20,94.09	2,18,55.36	2,31,46.36	+8,03.09
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+21,62.76	5,03.44	3,14.42	+23,51.78
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+4,32,43.38	1,43,36.41	1,93,04.05	+3,82,75.74
कुल योग 2215-	+4,75,00.23	3,66,95.21	4,27,64.83	+4,14,30.61
2700-मुख्य सिंचाई-				
01- शाह नहर परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	+5,88.25	0.15	9.16	+5,79.24
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+32.52	10.33	0.00	+42.85
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)30.44	0.00	0.00	(-)30.44*
कुल योग 2700-	+5,90.33	10.48	9.16	+5,91.65

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2019 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2020 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाखों में)		
2701- मध्यम सिंचाई-				
11- गिरी बाटा परियोजना (गैर वाणिज्यिक)				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)3.96	0.00	0.00	(-)3.96*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)8.41	0.00	0.00	(-)8.41*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+35.11	0.00	0.00	+35.11
कुल योग- 2701-11-	+22.74	0.00	0.00	+22.74
15- चंगर क्षेत्र सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक) -				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)0.54	0.00	0.00	(-)0.54*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)2.42	0.00	0.00	(-)2.42*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+5.93	0.00	0.00	+5.93
कुल- 2701-15-	+2.97	0.00	0.00	+2.97
16- सिधाटा बहाव सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक) -				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	+2.09	0.00	0.00	+2.09
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+1.75	0.00	0.00	+1.75
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)3.93	0.00	0.00	(-)3.93*
कुल-2701-16-	(-)0.09	0.00	0.00	(-)0.09*
20- फीना सिंह नहर परियोजना (गैर वाणिज्यिक) -				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	+8,64.35	10,24.14	8,61.83	+10,26.66
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+38.50	16.52	0.00	+55.02
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल- 2701-20-	+9,02.85	10,40.66	8,61.83	+10,81.68

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2019 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाखों में)	क्रेडिट	31 मार्च 2020 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
21- हल्दी सुनराग बंटान्टा नादौन मध्यम सिंचाई परियोजना-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	0.00	0.00	0.00	0.00
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+2.01	0.00	0.00	+2.01
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)0.01	0.00	0.00	(-)0.01*
कुल-2701-21-	+2.00	0.00	0.00	+2.00
80- सामान्य-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	+1,85.80	0.00	0.00	+1,85.80
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-) 26.20	0.00	0.00	(-)26.20*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+1,24.24	0.00	0.00	+1,24.24
कुल-2701-80-	+2,83.84	0.00	0.00	+2,83.84
कुल 2701-	+12,14.31	10,40.66	8,61.83	+13,93.14
2702- लघु सिंचाई-				
01- सतही जल-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	+45.73	20,04.97	20,46.28	+4.42
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+1,79.29	1,06.24	71.49	+2,14.04
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+1,59.83	1,80.85	2,11.98	(-)1,90.96*
कुल 2702-01-	+ 65.19	22,92.06	23,29.75	+ 27.50
80- सामान्य-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-) 6,28.73	0.00	0.00	(-)6,28.73*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+5,53.79	0.00	0.00	+5,53.79
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+3,15.57	0.00	0.00	+3,15.57
कुल 2702-80-	+2,40.63	0.00	0.00	+2,40.63
कुल 2702-	+3,05.82	22,92.06	23,29.75	+2,68.13

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2019 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2020 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाखों में)		
2711-बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास-				
01- बाढ़ नियंत्रण-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	+69,96.02	24,03.46	26,91.01	+67,08.47
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+4,80.25	99.80	10.19	+5,69.86
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+4,16.10	27,22.75	3,20.35	+28,18.50
कुल 2711-	+78,92.37	52,26.01	30,21.55	+1,00,96.83
कुल राजस्व प्रवर्ग-	+5,75,03.06	4,52,64.42	4,89,87.12	+5,37,80.36
पूँजीगत प्रवर्ग-				
4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-				
01- जलापूर्ति-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	+30.71	0.00	0.00	+30.71
कुल 4215-	+30.71	0.00	0.00	+30.71
4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-				
01- शाहनहर परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	+38.42	0.00	0.00	+38.42
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+37.54	0.00	0.00	+37.54
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+96.89	0.00	0.00	+96.89
कुल 4700-	+1,72.85	0.00	0.00	+1,72.85
4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-				
01- मध्यम सिंचाई पर व्यय-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)0.15	0.00	0.00	(-)0.15*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+10.82	0.00	0.00	+10.82
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+13.54	0.00	0.00	+13.54
कुल 4701-01-	+24.21	0.00	0.00	+24.21

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2019 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2020 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाखों में)		
15- चंगर क्षेत्र परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	+83.49	0.00	0.00	+83.49
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+2.98	0.00	0.00	+2.98
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)2.72	0.00	0.00	(-)2.72*
कुल-4701-15-	+83.75	0.00	0.00	+83.75
16- सिधाता बहाव सिंचाई योजना (गैर वाणिज्यिक)-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	+68.54	0.00	0.00	+68.54
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)14.71	0.00	0.00	(-)14.71*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+32.91	0.00	0.00	+32.91
कुल-4701-16-	+86.74	0.00	0.00	+86.74
80- सामान्य-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)1,32.94	0.00	0.00	(-)1,32.94*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)0.83	0.00	0.00	(-)0.83*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+1,55.24	0.00	0.00	+1,55.24
कुल-योग 4701-80-	+21.47	0.00	0.00	+21.47
कुल- 4701-	+2,16.17	0.00	0.00	+2,16.17

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (समाप्त)

शीर्ष	01 अप्रैल 2019 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2020 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाख में)		
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)6,08.15	0.00	0.00	(-)6,08.15*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)12.72	0.00	0.00	(-)12.72*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+5,64.43	0.00	0.00	+5,64.43
कुल 4702-	(-)56.44	0.00	0.00	(-)56.44*
4711- बाढ़ नियन्त्रण पर पूंजीगत परिव्यय-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)8.77	0.00	0.00	(-)8.77*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	+9.98	0.00	0.00	+9.98
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+27.88	0.00	0.00	+27.88
कुल 4711-	+29.09	0.00	0.00	+29.09
कुल-पूंजीगत प्रवर्ग	+3,92.38	0.00	0.00	+3,92.38
कुल मांग	+5,78,95.44	4,52,64.42	4,89,87.12	+5,41,72.74

टिप्पणी: * ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या- 14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2403-पशु पालन, 2404-डेरी विकास, 2405-मछली पालन, 4403-पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	4,06,03,15		
	4,06,03,22	3,36,22,31	(-)69,80,91
पूरक	7		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			54,98,93
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	18,46,02		
	20,34,91	14,92,58	(-)5,42,33
पूरक	1,88,89		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			5,42,32

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 69,80.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 0.07 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ और मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा। ₹ 54,98.93 लाख का अभ्यर्पण भी अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 5,42.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 1,88.89 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा। जोकि ठीक से बजट बनाने और व्यय पर प्रभावी नियन्त्रण की आवश्यकता को इंगित करता है।

राजस्व प्रवर्ग

- दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------------	-----------------------

2403- पशु पालन-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- मुख्यालय स्थापना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

गैर योजना					
(i)	मूल	5,54.94			
			4,96.80	4,96.79	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-) 58.14			
02- क्षेत्रीय स्थापना-					
गैर योजना					
(ii)	मूल	1,37.32			
			88.57	88.56	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)48.75			
03- जिला प्रशासन-					
गैर योजना					
(iii)	मूल	13,33.75			
			11,10.67	11,13.46	+2.79
	पुनर्वि०	(-)2,23.08			
101- पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य-					
01- अस्पताल तथा औषधालय-					
गैर योजना					
(iv)	मूल	2,77,28.43			
			2,21,54.70	2,21,53.31	(-)1.39
	पुनर्वि०	(-)55,73.73			
उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 59,03.70 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
योजना					
	मूल	9,08.22			
			9,19.96	8,33.36	(-)86.60
	पुनर्वि०	11.74			
₹ 86.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।					
07- खुर एवं मुँह की बिमारियों पर नियन्त्रण-					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
योजना					
(i)	मूल	3,48.87			
	पूरक	0.01	1,38.93	1,38.92	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)2,09.95			
योजना					
(ii)	मूल	45.33			
	पूरक	0.01	13.48	13.48	..
	पुनर्वि०	(-)31.86			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,41.81 लाख की कमी मुख्यतः सामग्री और आपूर्ति की कम खरीद के कारण हुई।

10-	पशुओं की बिमारियों के नियन्त्रण के लिए राज्य को सहायता- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	68.00			
			28.79	28.79	..
	पुनर्वि०	(-)39.21			
	योजना				
(ii)	मूल	7.56			
			2.65	2.65	..
	पुनर्वि०	(-)4.91			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 44.12 लाख की कमी सामग्री व वस्तुओं की कम खरीद और शिविरों के कम आयोजन के कारण हुई।

13-	पेस्ट डेस पेंटाईटिस रूमिनेटस नियन्त्रण कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	30.00			
			9.53	9.53	..
	पुनर्वि०	(-)20.47			
	योजना				
(ii)	मूल	3.33			
			1.07	1.07	..
	पुनर्वि०	(-)2.26			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.73 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति और मशीनरी की कम सामग्री की खरीद के कारण हुई।

102-	पशु तथा भैंस विकास-				
02-	पशु प्रजनन फार्म योजना- गैर योजना				
(i)	मूल	6,24.53			
			4,31.65	4,31.66	+0.01
	पुनर्वि०	(-)1,92.88			
06-	वीर्य प्रयोगशालाओं की स्थापना- गैर योजना				
(ii)	मूल	5,30.18			
			4,12.81	4,12.80	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)1,17.37			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,10.25 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

- 18- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को
चारे के लिए अनुदान-
गैर योजना

मूल	4,00.00	4,00.00	..	(-)4,00.00
-----	---------	---------	----	------------

₹ 4,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

- 103- कुक्कुट विकास-
02- कुक्कुट विकास पर व्यय-
गैर योजना

मूल	4,26.56			
		3,34.46	3,34.47	+0.01

पुनर्वि० (-)92.10

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 92.10 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

- 09- 5000 ब्रायलर योजना-
गैर योजना

मूल	2,00.00			
		2,79.00	..	(-)2,79.00

पुनर्वि० 79.00

₹ 2,79.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 79.00 लाख का आवर्धन कुक्कुट इकाई की स्थापना न होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 2,79.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

- 104- भेड़ तथा ऊन विकास-
01- चंबा में ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला-
गैर योजना

(i) मूल	42.27			
		8.39	8.38	(-)0.01

पुनर्वि० (-)33.88

- 04- भेड़ एवं ऊन विकास पर व्यय-
गैर योजना

(ii) मूल	5,36.61			
		4,44.05	4,44.05	..

पुनर्वि० (-)92.56

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,26.44 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

10- गरीबी रेखा से नीचे के कृषक को बकरी पालन योजना-

गैर योजना

मूल	2,00.00	2,00.00	..	(-)2,00.00
-----	---------	---------	----	------------

₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

106- अन्य पशु धन विकास-

07- गौवंश संवर्धन बोर्ड को सहायता-

गैर योजना

(i) मूल 5,00.00

..

पुनर्वि० (-)5,00.00

योजना

(ii) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,01.00 लाख का समस्त प्रावधान गौ सेवा आयोग में निधियों के स्थानान्तरण के कारण कम कर दिया गया।

10- भेड व बकरी पालन को प्रोत्साहन-

योजना

मूल	66.00	66.00	..	(-)66.00
-----	-------	-------	----	----------

₹ 66.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

109- विस्तार तथा प्रशिक्षण-

02- पशु चिकित्सा परिषद को सहायता अनुदान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल 6.00

4.00 4.00 ..

पुनर्वि० (-)2.00

योजना

(ii) मूल 6.00

4.00 4.00 ..

पुनर्वि० (-)2.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों के कम जारी होने के कारण हुई और राज्य की हिस्सेदारी भी उसी अनुपात में कम जारी की गई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

2404- डेयरी विकास-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-
गैर योजना

मूल 54.03

31.48

31.48

..

पुनर्वि० (-)22.55

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22.55 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

03- एकीकृत दुग्ध विकास परियोजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

04- दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं को सहायता अनुदान-
गैर योजना

मूल 3,00.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)3,00.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,00.00 लाख का समस्त प्रावधान माँग संख्या 14 से माँग संख्या 18 को स्थान्तरण करने के कारण कम कर दिया गया। इस तरह का स्थान्तरण हिमाचल प्रदेश की बजट नियमावली के पैरा 12.5 (i) वित्तीय नियम 1971 तथा वित्तीय नियम 2009 के नियम 44 (3) का उल्लंघन है।

2405- मत्स्य पालन-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

02- जिला स्तरीय-
गैर योजना

मूल 12,99.78

9,88.32

9,88.79

+0.47

पुनर्वि० (-)3,11.46

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,11.46 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोतों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

101- अंतर्देशीय मत्स्य पालन-

06- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

योजना					
(i)	मूल	35.00			
			61.10	..	(-)61.10
	पुनर्वि०	26.10			
योजना					
(ii)	मूल	1.00			
			6.23	..	(-)6.23
	पुनर्वि०	5.23			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 67.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.33 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनुचित सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से क्रमांक न० (i) में ₹ 18,97.71 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

उपरोक्त दो मामलो में ₹ 67.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

07- नीली क्रांति-एकीकृत मत्स्य पालन प्रबंधन एवं विकास-केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल	7,14.00				
पूरक	0.01	9,11.95	5,63.62		(-)3,48.33
पुनर्वि०	1,97.94				

योजना

मूल	79.48				
		1,07.44	70.97		(-)36.47
पुनर्वि०	27.96				

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 3,84.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,25.90 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 3,84.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

(iv) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)

2403- पशुपालन-

101- पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य-

11- राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल	0.01				
		3.00	3.00		..
पुनर्वि०	2.99				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.99 लाख का आवर्धन कार्यालय वस्तुओं की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

102- पशु तथा भैंस विकास-

13- पशु गणना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना**

मूल	0.01			
पूरक	0.01	15.42	15.42	..
पुनर्वि०	15.40			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.40 लाख का आवर्धन प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

16- गोजातीय नस्ल प्रजनन पर राष्ट्रीय परियोजना-
योजना

मूल	0.01			
		98.49	98.49	..
पुनर्वि०	98.48			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 98.48 लाख का आवर्धन मंडी और शिमला के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और दुग्ध विकास को लागू करने के कारण हुआ।

19- गौ सेवा आयोग-
गौर योजना

मूल	0.01			
पूरक	0.01	5,00.00	5,00.00	..
पुनर्वि०	4,99.98			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,99.98 लाख का आवर्धन गायों के कल्याण और संरक्षण के लिए गौवंश समवर्धन बोर्ड से निधियों के स्थानान्तरण करने के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

01- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना-
योजना-**

(i) मूल	4,74.00			
		4,86.48	4,86.48	..
पुनर्वि०	12.48			

02- राष्ट्रीय पशुधन मिशन-
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना-
योजना-**

(ii) मूल	0.03			
पूरक	0.01	12,54.91	12,54.91	..
पुनर्वि०	12,54.87			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(क्रमशः)

योजना-				
(iii) मूल	0.03			
		1,68.74	1,68.74	..
पुनर्वि०	1,68.71			
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14,36.06 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 18,97.71 लाख का अनुदान क्रमांक संख्या (i) में प्राप्त हुआ।				

2404- डेयरी विकास-

191-	सहकारी समितियों तथा अन्य निकायों को सहायता-			
02-	हिमाचल प्रदेश दुग्ध संगठन को सहायता अनुदान-			
गैर योजना				
मूल	3,00.01			
		3,37.71	3,37.71	..
पुनर्वि०	37.70			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 37.70 लाख का आवर्धन सहकारी संस्थाओं को सहायता अनुदान प्रदान करने के कारण हुआ।				

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-			
101- पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य-			
01- भवन कार्यक्रम-			
गैर योजना			
मूल	7,48.57		
		2,51.18	2,51.18
पुनर्वि०	(-)4,97.39		
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,97.39 लाख की कमी मशीनरी की खरीद न होने के कारण हुई।			
योजना-			
मूल	7,90.00		
		7,45.08	7,45.08
पुनर्वि०	(-)44.92		
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 44.92 लाख की कमी कोविड-19 के कारण निधियों की निकासी न होने के कारण हुई।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 14-(समाप्त)

4405- मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय-

101- अन्तर्देशीय मछली पालन-

05- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

के अन्तर्गत निर्माण कार्य-

योजना

मूल 6.00

3.00

3.00

..

पुनर्वि० (-)3.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा हिस्सेदारी पद्धति में परिवर्तन के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 18,97.71 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 - योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना

(शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2401-फसल कृषि-कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2403-पशु-पालन, 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, 2851- ग्राम तथा लघु उद्योग, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवार्यें, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य जीवों पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5002- भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाईनों पर पूंजीगत परिव्यय, 5054-सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	74,65,20		
		74,65,20	(-)22,68,79
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			22,68,78
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	3,03,99,00		
		3,03,99,00	(-)1,15,33,71
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			30,39,88

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,15,33.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में प्राप्त ₹ 30,39.88 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2202- सामान्य शिक्षा-			
01- प्रारम्भिक शिक्षा-			
101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय-			
01- शिक्षा पर व्यय-			
गैर योजना			
मूल	1,58.98		
		77.42	
		77.42	..
पुनर्वि०	(-)81.56		
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 81.56 लाख की कमी कोविड-19 से पूर्णबन्द/कर्फ्यू के कारण हुए कम व्यय के कारण हुई।			
03- माध्यमिक विद्यालय-			
गैर योजना			
मूल	1,84.95		
		71.35	
		71.35	..
पुनर्वि०	(-)1,13.60		
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,13.60 लाख की कमी मार्च महीने के दौरान कोविड-19 से पूर्णबन्द/कर्फ्यू के कारण हुए कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने और वेतनमान संशोधनों के न होने के कारण हुई।			
योजना			
मूल	1,00.00		
		..	
	
पुनर्वि०	(-)1,00.00		
मार्च 2020 में ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान रिक्त पदों को न भरने और वेतनमान संशोधनों के न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।			
800- अन्य व्यय-			
01- मध्याह्न आहार योजना-			
योजना			
मूल	2,20.00		
		1,06.87	
		1,06.87	..
पुनर्वि०	(-)1,13.13		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,13.13 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी कम जारी करने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 50,66.57 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-
पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

101- स्वास्थ्य उप-केन्द्र-

01- स्वास्थ्य उप-केन्द्र-
गैर योजना

मूल 13,74.89

9,86.16

9,86.15

(-)0.01

पुनर्वि0 (-)3,88.73

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,88.73 लाख की कमी दूरभाष, विद्युत और जल के बिलों पर हुए कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने, वेतनमान संशोधनों के न होने, मशीनरी, उपकरणों की खरीद न होने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-

01- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र -
गैर योजना

मूल 3,29.73

2,51.73

2,51.74

+0.01

पुनर्वि0 (-)78.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 78.00 लाख की कमी मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद न होने, रिक्त पदों को न भरने, वेतनमान संशोधनों के न होने, सामग्री की कम खरीद और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

104- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-

01- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-
गैर योजना

मूल 88.44

28.01

28.00

(-)0.01

पुनर्वि0 (-)60.43

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 60.43 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमान संशोधनों के न होने और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

110- अस्पताल तथा औषधालय-

01- ग्रामीण स्वास्थ्य-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

गैर योजना					
(i)	मूल	3.50			
			0.86	0.86	..
	पुनर्वि०	(-)2.64			
800-	अन्य व्यय-				
04-	तपेदिक दवाईयों की खरीद-				
	गैर योजना				
(ii)	मूल	1.61			
			0.73	0.73	..
	पुनर्वि०	(-)0.88			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.52 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।				
04-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-				
101-	आयुर्वेद-				
02-	आयुर्वेदिक औषधालय-				
	गैर योजना				
	मूल	14,13.41			
			10,41.31	10,41.31	..
	पुनर्वि०	(-)3,72.10			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,72.10 लाख की कमी कोविड-19 से पूर्णबन्द/ कर्फ्यू के कारण मशीनरी, उपकरण, सामग्री की खरीद न होने, रिक्त पदों को न भरने और वेतनमान संशोधनों के न होने के कारण हुई।				
06-	लोक स्वास्थ्य-				
101-	रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण-				
01-	मलेरिया विरोधी संगठन-				
	गैर योजना				
	मूल	4.09			
			0.56	0.56	..
	पुनर्वि०	(-)3.53			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.53 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।				
13-	बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना-				
	(न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)-				
	गैर योजना				
	मूल	1,24.19			
			94.63	94.63	..
	पुनर्वि०	(-)29.56			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 29.56 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद, रिक्त पदों को न भरने और वेतनमान संशोधनों के न होने के कारण हुई।

2401- फसल कृषि कर्म-

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-

05- उद्यान विकास-

गैर योजना

मूल 15.17

3.58

3.59

+0.01

पुनर्वि० (-)11.59

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.59 लाख की कमी बागवानी उपकरण और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

11- राजकीय उद्यानों तथा पौद्यशालाओं की स्थापना तथा रख-रखाव-

गैर योजना

मूल 11.38

3.54

3.54

..

पुनर्वि० (-)7.84

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7.84 लाख की कमी सरकारी सामग्री को विश्व बैंक सोसायटी में स्थानांतरित करने के कारण हुई।

2406- वानिकी तथा वन्य जीवन-

01- वानिकी--

102- समाज तथा फार्म वानिकी -

18- समाजिक वानिकी कार्यक्रम-

गैर योजना

मूल 5,39.80

4,05.58

4,05.58

..

पुनर्वि० (-)1,34.22

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,34.22 लाख की कमी कोविड-19 से पूर्णबन्द/कर्फ्यू के कारण सामग्री की कम खरीद और भुगतान न किये जा सकने के कारण हुई।

2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

102- लघु उद्योग-

05- लघु उद्योगों हेतु उपदान-

गैर योजना

मूल 2.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)2.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

मार्च 2020 में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान लाभार्थियों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

28- ग्रामीण इंजीनियरिंग आधारित उद्योग केंद्र-
गैर योजना

मूल 33.05

पुनर्वि० (-)33.05

मार्च 2020 में ₹ 33.05 लाख का समस्त प्रावधान योजना को देरी से अंतिम रूप देने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-

101- नीति आयोग-

01- मुख्यालय-
योजना

मूल 7,53.11

5,72.84

5,72.81

(-)0.03

पुनर्वि० (-)1,80.27

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,80.27 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमान संशोधनों के न होने के कारण हुई।

02- जिले-
योजना

मूल 5,37.79

4,19.37

4,19.36

(-)0.01

पुनर्वि० (-)1,18.42

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,18.42 लाख की कमी बैठकों के कम आयोजन अधिकारियों/कर्मचारियों के कम स्थानांतरण, रिक्त पदों को न भरने, वेतनमान संशोधनों के न होने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

20- राज्य अभिनव निधि-
योजना

मूल 2,00.00

पुनर्वि० (-)2,00.00

मार्च 2020 में ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अन्य विभागों से अभिनव के प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

21- सत्त विकास हेतु लक्ष्य-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

योजना				
मूल	26.10			
		0.91	0.91	..
पुनर्वि०	(-)25.19			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.19 लाख की कमी विविध वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

पूंजीगत प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- सामान्य शिक्षा-			
201- प्रारम्भिक शिक्षा-			
07- भवनों का निर्माण- योजना			
(i) मूल	7,00.00		
		5,34.75	5,34.75
पुनर्वि०	(-)1,65.25		..
202- माध्यमिक शिक्षा-			
06- भवनों का निर्माण- योजना			
(ii) मूल	5,00.00		
		4,17.37	4,17.37
पुनर्वि०	(-)82.63		..
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-			
103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-			
01- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (निर्माण कार्य)- योजना			
(iii) मूल	6,00.00		
		34.05	34.05
पुनर्वि०	(-)5,65.95		..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

03-	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-				
101-	आयुर्वेद-				
01-	आयुर्वेद (निर्माण कार्य)-				
	योजना				
(iv)	मूल	70.00			
			52.74	52.74	..
	पुनर्वि०	(-)17.26			
4401-	फसल कृषिकर्म पर पूंजीगत परिव्यय-				
119-	बागवानी तथा वनस्पति फसलें-				
03-	भवन -				
	योजना				
(v)	मूल	75.00			
			2.01	2.01	..
	पुनर्वि०	(-)72.99			
800-	अन्य व्यय-				
01-	भवन-				
	योजना				
(vi)	मूल	40.00			
			16.06	16.06	..
	पुनर्वि०	(-)23.94			
उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9,28.02 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।					
4402-	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-				
800-	अन्य व्यय-				
01-	कृषि-				
	योजना				
	मूल	45.00			
			89.34	33.69	(-)55.65
	पुनर्वि०	44.34			
₹ 55.65 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.34 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।					
₹ 55.65 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।					
4406-	वानिकी और वन्य जीवों				
	पर पूंजीगत परिव्यय-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

01- वानिकी-				
800- अन्य व्यय-				
02- वानिकी-				
योजना				
मूल	80.00			
		22.40	42.93	+20.53
पुनर्वि०	(-)57.60			
<p>₹ 20.53 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.60 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।</p> <p>₹ 20.53 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।</p>				
4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-				
102- लघु उद्योग-				
09- ग्राम तथा लघु उद्योग-				
योजना				
मूल	45.00			
	
पुनर्वि०	(-)45.00			
<p>मार्च 2020 में ₹ 45.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।</p>				
5002- भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय-				
01- पूंजी का लाभांश दायित्व-				
120- नई लाइनें (निर्माण)-				
01- रेलवे लाइनों का निर्माण-				
योजना				
मूल	26,19.00			
	
पुनर्वि०	(-)26,19.00			
<p>मार्च 2020 में ₹ 26,19.00 लाख का समस्त प्रावधान रेलवे कार्यों के परिवहन विभाग में स्थानांतरित करने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।</p>				
5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
04- जिला तथा अन्य सड़कें-				
800- अन्य व्यय-				
06- पिछड़े क्षेत्रों की सड़कें-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

योजना				
(i)	मूल	33,13.00		
			40,53.40	24,65.10
				(-)15,88.30
	पुनर्वि०	7,40.40		
5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
800- अन्य व्यय-				
01- विकेन्द्रीयकृत नियोजन क्षेत्र-				
योजना				
(ii)	मूल	79,52.00		
			83,76.85	56,44.62
				(-)27,32.23
	पुनर्वि०	4,24.85		
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 43,20.53 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11,65.25 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ ।				
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 43,20.53 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020) ।				
02- विधायक क्षेत्र स्थानीय विकास निधि योजना-				
योजना				
	मूल	1,02,00.00		
			97,97.99	64,52.42
				(-)33,45.57
	पुनर्वि०	(-)4,02.01		
₹ 33,45.57 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,02.01 लाख की कमी विधान सभा प्रति सदस्य आवंटन में कमी के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 33,45.57 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।				
03- स्थानीय जिला नियोजन विकास में जन सहयोग-				
योजना				
	मूल	22,00.00		
			18,58.67	11,66.24
				(-)6,92.43
	पुनर्वि०	(-)3,41.33		
₹ 6,92.43 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,41.33 लाख की कमी लाभार्थियों के हिस्से को कम जमा करने के कारण, सरकारी हिस्सेदारी को कम आहरित किये जा सकने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 6,92.43 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

04- मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना-
योजना

मूल	6,00.00	6,00.00	4,99.82	(-)1,00.18
-----	---------	---------	---------	------------

₹ 1,00.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

05- जिला योजना अधिकारियों/कर्मचारियों
के लिए आवास का निर्माण-
योजना

मूल	60.00			
-----	-------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)60.00
----------	----------	----	----	----

मार्च 2020 में ₹ 60.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-				
01- जलापूर्ति-				
102- ग्रामीण जलापूर्ति-				
01- विभिन्न जिलों में ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमें- योजना				
(i) मूल	12,20.00			
		13,76.59	13,76.59	..
पुनर्वि०	1,56.59			
4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-				
101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-				
01- भवन कार्यक्रम योजना				
(ii) मूल	40.00			
		49.32	49.32	..
पुनर्वि०	9.32			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (समाप्त)

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

101- सतही जल-

01- विभिन्न जिलों में उठाऊसिंचाई योजनाएं-
योजना

(iii) मूल 40.00

77.58

77.58

..

पुनर्वि० 37.58

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,03.49 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-16- वन और वन्य जीवन

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4406-वानिकी और वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	5,92,47,27			
		5,92,47,35	4,47,22,41	(-)1,45,24,94
पूरक	8			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1,45,19,57
प्रभारित				
मूल	..			
		3,99	3,54	(-)45
पूरक	3,99			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				46
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	18,43,50			
		18,43,50	12,09,87	(-)6,33,63
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				6,33,63

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 0.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 0.46 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2059- लोक निर्माण कार्य-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

01-	कार्यालय भवन-				
053-	रख-रखाव और मरम्मत-				
69-	वन विभाग हेतु रख-रखाव पर व्यय-				
	गैर योजना				
	मूल	50.41			
			40.04	40.04	..
	पुनर्वि०	(-)10.37			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.37 लाख की कमी मुख्यतः कोविड-19 में रखरखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।				
2402-	भू तथा जल संरक्षण-				
102-	मृदा संरक्षण-				
12-	सुरक्षात्मक वनीकरण मृदा संरक्षण और प्रदर्शन (वन विभाग)-				
	गैर योजना				
	मूल	13,67.57			
			8,84.39	8,84.39	..
	पुनर्वि०	(-)4,83.18			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,83.18 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।				
	योजना				
	मूल	8,97.00			
			7,95.12	7,95.12	..
	पुनर्वि०	(-)1,01.88			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,01.88 लाख की कमी मुख्यतः दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।				
2406-	वानिकी तथा वन्य जीवन -				
01-	वानिकी-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	निदेशालय-				
	गैर योजना				
	मूल	16,05.21			
			10,02.62	10,02.61	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)6,02.60			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,02.60 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में सशोधन न करने के कारण हुई।				
02-	परिमण्डल/मण्डलीय स्थापना-				
	गैर योजना				
	मूल	3,69,35.31			
			2,78,63.85	2,78,58.32	(-)5.53
	पुनर्वि०	(-)90,71.46			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनिर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 90,71.46 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

योजना

मूल	11,47.00			
		7,89.90	7,89.90	..
पुनर्वि०	(-)3,57.10			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,57.10 लाख की कमी पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय, पानी, बिजली व टेलीफोन बिलों की कम प्राप्ति तथा कोविड-19 में सामग्री की खरीद पर कम व्यय होने के कारण हुई।

070- संचार तथा भवन-

01- भवनों, सड़कों तथा रास्तों का रखरखाव-

योजना

मूल	8,80.00			
		7,26.38	7,26.37	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1,53.63			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,53.63 लाख की कमी रखरखाव कार्यों के कम निष्पादन तथा कोविड-19 के दौरान बिलों के भुगतान न होने के कारण हुई।

101- वन संरक्षण, विकास और संपोषण-

01- वनों की चकबन्दी तथा सीमांकन-

गैर योजना

(i) मूल	18.21			
		6.90	6.90	..
पुनर्वि०	(-)11.31			

योजना

(ii) मूल	50.00			
		25.97	25.97	..
पुनर्वि०	(-)24.03			

02- वन पुनोत्पादन-

गैर योजना

(iii) मूल	37.84			
		1.50	1.50	..
पुनर्वि०	(-)36.34			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 71.68 लाख का कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

03- एकीकृत वन सुरक्षा योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

योजना				
मूल	2,59.00			
		1,70.92	1,70.92	..
पुनर्वि०	(-)88.08			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 88.08 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने, सेगोष्ठियों और कार्यशालाओं के आयोजन पर कम व्यय, रखरखाव कार्यों के कम निष्पादन तथा कोविड-19 में सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।				
योजना				
मूल	29.00			
		21.89	21.89	..
पुनर्वि०	(-)7.11			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7.11 लाख की कमी मुख्यतः केन्द्रीय हिस्सेदारी प्राप्त न होने से राज्य की हिस्सेदारी को अभ्यर्पित करने के कारण हुई।				
04-	कार्मिक योजना संगठन-			
योजना				
मूल	45.00			
		29.71	29.71	..
पुनर्वि०	(-)15.29			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15.29 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।				
08-	हिमाचल प्रदेश वन इको सिस्टम कलाइमेट प्रूफिंग प्राजेक्ट-			
योजना				
मूल	32,91.00			
		29,64.36	29,64.36	..
पुनर्वि०	(-)3,26.64			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,26.64 लाख की कमी पौधारोपण कार्यों, लैंटाना घास हटाने व मिट्टी संरक्षण की कम मांग प्राप्त होने तथा रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
10-	हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकीय प्रबंधन और			
आजीविका सुधार परियोजना-				
योजना				
मूल	23,03.00			
पूरक	0.03	19,94.49	19,94.48	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)3,08.54			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,08.54 लाख की कमी सामग्री की खरीद, पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

102-	सामाजिक और फार्म वानिकी-				
04-	वृक्ष आवरण में सुधार-				
	योजना				
	मूल	13,50.00			
			12,90.59	12,90.79	+0.20
	पुनर्वि०	(-)59.41			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 59.41 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों को भुगतान न करने, कार्यों के कम निष्पादन तथा कोविड-19 में सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।				
05-	विभागीय पौधारोपण और सार्वजनिक वितरण				
	हेतु नर्सरिया लगाना/बढ़ाना -				
	योजना				
	मूल	8,85.00			
			8,38.40	8,38.40	..
	पुनर्वि०	(-)46.60			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46.60 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों को भुगतान न करने तथा सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।				
07-	वृक्षारोपण और नर्सरियों का रख-रखाव-				
	योजना				
	मूल	2,75.00			
			2,20.35	2,20.35	..
	पुनर्वि०	(-)54.65			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 54.65 लाख की कमी मुख्यतः दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।				
33-	उद्यानों के एकीकृत विकास हेतु				
	अभियान-राष्ट्रीय बाँस योजना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
(i)	मूल	9.00			
		
	पुनर्वि०	(-)9.00			
	योजना				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
34-	राज्य वन विकास एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय				
	वनारोपण कार्यक्रम का क्रियान्वयन-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
	योजना			
(iii)	मूल	2,69.00		
			45.42	45.42
				..
	पुनर्वि०	(-)2,23.58		
	योजना			
(iv)	मूल	30.00		
			5.05	5.05
				..
	पुनर्वि०	(-)24.95		
35-	स्थायी कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत कृषि-वानिकी मिशन-केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
	योजना			
(v)	मूल	1,00.00		
			28.40	28.40
				..
	पुनर्वि०	(-)71.60		
	योजना			
(vi)	मूल	10.00		
			3.30	3.30
				..
	पुनर्वि०	(-)6.70		
	उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,36.83 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम निधियाँ जारी करने तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी कम जारी करने के कारण हुई। जबकि क्रम संख्या (iii) में भारत सरकार से ₹ 2,45.41 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।			
36-	नगर वन उद्यान योजना-			
	योजना			
	मूल	20.00		
		
				..
	पुनर्वि०	(-)20.00		
	मार्च 2020 में ₹ 20.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पण द्वारा योजना के अन्तर्गत कार्य के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।			
37-	स्त्रोत सत्ता एवं जलवायु लचीली वर्षा पोषित कृषि के लिए एकीकृत विकास परियोजना-			
	योजना			
	पूरक	26,93.00		
	पूरक	0.01	12,19.59	12,19.59
				..
	पुनर्वि०	(-)14,73.42		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14,73.42 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।			
38-	सामुदायिक वन संवर्धन योजना- योजना			
	मूल	2,00.00		
			1,73.12	1,73.12 ..
	पुनर्वि०	(-)26.88		
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.88 लाख की कमी कोविड-19 में कार्यशालाओं के आयोजन पर कम व्यय तथा बिलों व मजदूरी का भुगतान न करने के कारण हुई।			
40-	वनावर्धन संचालन- योजना			
	मूल	2,00.00		
			1,50.43	1,50.43 ..
	पुनर्वि०	(-)49.57		
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 49.57 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा सेमिनारों एवं कार्यशालाओं के आयोजन पर कम व्यय होने के कारण हुई।			
105-	वन उत्पाद -			
01-	सरकारी ऐजेंसी द्वारा वनों से लकड़ी तथा अन्य उत्पाद हटाना- गैर योजना			
	मूल	66.25		
			17.35	17.35 ..
	पुनर्वि०	(-)48.90		
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 48.90 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।			
02-	उपभोक्ताओं और खरीदारों द्वारा वनों से इमारती लकड़ी और अन्य उत्पाद हटाना- गैर योजना			
	मूल	27.75		
		
	पुनर्वि०	(-)27.75		
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 27.75 लाख का समस्त प्रावधान मुख्यतः दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण कम कर दिया गया।			
03-	प्रवाहित काष्ठ तथा समपृष्ठित वनोत्पादन- गैर योजना			
	मूल	30.98		
			16.27	16.27 ..
	पुनर्वि०	(-)14.71		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.71 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

05- शटल और बोबिन निर्माणशाला स्थापना-
योजना

मूल	22.00			
		16.65	16.65	..
पुनर्वि०	(-)5.35			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.35 लाख की कमी मुख्यतः बिलों के भुगतान न होने के कारण हुई।

07- वनों से चीड़ की पतियों का संग्रह एवं निष्कासन
पर आधारित उद्योगों में निवेश हेतु उपदान-
योजना

(i) मूल	10.00			
	
पुनर्वि०	(-)10.00			

800- अन्य व्यय-

08- स्मृति वन योजना-
योजना

(ii) मूल	20.00			
	
पुनर्वि०	(-)20.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में ₹ 30.00 लाख का समस्त प्रावधान पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा कोविड-19 के कारण योजना का निष्पादन न होने तथा देय राशि जारी न होने के कारण कम कर दिया गया।

09- विद्यार्थी वन मित्र योजना-
योजना

मूल	2,00.00			
		65.32	65.32	..
पुनर्वि०	(-)1,34.68			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,34.68 लाख की कमी कोविड-19 में देय राशि का भुगतान तथा रखरखाव कार्यों के न होने के कारण हुई।

10- वन समृद्धि जन समृद्धि-
योजना

मूल	1,50.00			
		93.58	93.58	..
पुनर्वि०	(-)56.42			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 56.42 लाख की कमी सामग्री की खरीद पर कम व्यय, कोविड-19 में कुछ बिलों के भुगतान न किये जा सकने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम आयोजन तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

02-	पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-				
110-	वन्य जीव संरक्षण-				
01-	वन्य प्राणी-				
	गैर योजना				
	मूल	13,57.70			
			9,62.71	9,62.71	..
	पुनर्वि०	(-)3,94.99			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,94.99 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

योजना

	मूल	3,35.00			
			2,31.26	2,31.26	..
	पुनर्वि०	(-)1,03.74			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,03.74 लाख की कमी संगोष्ठियों व शिविरों के आयोजनों पर कम व्यय, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण तथा पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।

10-	राष्ट्रीय पार्कों और शरण स्थलों				
	के विकास हेतु सहायता-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
	मूल	3,04.00			
			2,73.05	2,73.05	..
	पुनर्वि०	(-)30.95			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.95 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, सामग्री की खरीद, संगोष्ठियों व कार्यशालाओं के आयोजन पर कम व्यय के कारण हुई।

योजना

	मूल	60.50			
			29.81	29.81	..
	पुनर्वि०	(-)30.69			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.69 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी कम जारी करने के कारण हुई।

111-	प्राणी उपवन/चिड़ियाघर-				
01-	हिमालयन प्राणी उपवन व कृषकों का विकास-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	2,20.90			
		1,94.93	1,94.93	..
पुनर्वि०	(-)25.97			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.97 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

योजना

मूल	2,10.00			
		1,28.42	1,28.42	..
पुनर्वि०	(-)81.58			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 81.58 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, वाहनों की मरम्मत तथा बिजली बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

02- हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण और प्रजनन सोसायटी के लिए सहायता अनुदान-

योजना

मूल	3,75.00			
		1,75.00	1,75.00	..
पुनर्वि०	(-)2,00.00			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख की कमी आवश्यकताओं की कम प्राप्ति के कारण हुई।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)

2406- वानिकी तथा वन्य जीवन-

01- वानिकी-

102- सामाजिक और फार्म वानिकी-

39- प्रायोगिक सिल्वीकल्चरल फेलिंग-

योजना

मूल	2,00.00			
		5,48.98	5,48.98	..
पुनर्वि०	3,48.98			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,48.98 लाख का आवर्धन कांटेदार तारों की खरीद व कंक्रीट सीमेंट बाउ पोस्ट पर अधिक व्यय, दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुआ जोकि संगोष्ठियों व कार्यशालाओं के आयोजन पर कम व्यय तथा मरम्मत कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

41- एक बूटा बेटी के नाम-
गैर योजना

पूरक 0.04

29.79

29.79

..

पुनर्वि० 29.75

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.75 लाख का आवर्धन किटों की खरीद व नवजात बालिका के मातापिता के नाम पटिका बनाने में अधिक व्यय करने तथा जन जागरण कार्यक्रमों के अधिक आयोजन करने के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिव्यय (+) बचत (-)
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- सरकारी आवासीय भवन-			
700- अन्य आवास-			
10- वानिकी के अन्तर्गत निर्माण- योजना			
मूल 6,50.00	4,44.64	4,44.64	..
पुनर्वि० (-)2,05.36			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,05.36 लाख की कमी पूर्णबन्द में ठेकेदारों द्वारा कुछ अपूर्ण कार्यों का भुगतान न किया जा सकने के कारण हुई।			
4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- वानिकी-			
070- संचार तथा भवन-			
01- सडके तथा पुल- योजना			
मूल 1,50.00	1,25.50	1,25.50	..
पुनर्वि० (-)24.50			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.50 लाख की कमी मुख्यतः कोविड-19 में कार्यों के पूरा न होने तथा पूरा हुए कुछ कार्यों के बिलों का भुगतान न होने के कारण हुई।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (समाप्त)

02-	भवन- योजना				
	मूल	9,50.00			
			5,94.64	5,94.64	..
	पुनर्वि०	(-)3,55.36			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,55.36 लाख की कमी कोविड-19 में कार्यों के पूरा न होने तथा पूरा हुए कुछ कार्यों के बिलों का भुगतान न होने तथा नगर निगम शिमला द्वारा अनुमोदित न होने के कारण हुई।				
02-	पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन-				
110-	वन्य जीव-				
03-	वन्य प्राणी- योजना				
	मूल	30.00			
			18.28	18.28	..
	पुनर्वि०	(-)11.72			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.72 लाख की कमी मुख्यतः कोविड-19 में कार्यों के पूरा न होने के कारण हुई।				
10-	राष्ट्रीय पार्कों एवं शरण स्थलों के विकास के लिए सहायता- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	45.00			
			11.65	11.65	..
	पुनर्वि०	(-)33.35			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 33.35 लाख की कमी भारी बर्फबारी के कारण सड़क प्रबंधन कार्य के संचालित न होने के कारण हुई।				
	योजना				
	मूल	4.50			
			1.15	1.15	..
	पुनर्वि०	(-)3.35			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.35 लाख की कमी मुख्यतः केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी न करने के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 17-निर्वाचन

(शीर्ष- 2015-निर्वाचन, 2059-लोक निर्माण-कार्य तथा 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ और 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिवयय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	65,78,16			
		97,73,79	86,69,12	(-)11,04,67
पूरक	31,95,63			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				2,49,92
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	..			
		8,00,00	8,00,00	..
पूरक	8,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 11,04.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 31,95.63 लाख की अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ और ₹ 2,49.92 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2015- निर्वाचन-				
101- निर्वाचन आयोग-				
01- राज्य निर्वाचन आयोग-				
गैर योजना				
मूल	1,90.85			
		1,33.10	1,32.74	(-)0.36
पुनर्वि0	(-)57.75			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-17 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.75 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरन के कारण हुई।

- 103- मतदाता सूचियों का निर्माण और मुद्रण-
01- विधानसभा-
गैर योजना

मूल	5,52.47			
पूरक	2,11.08	8,66.73	4,40.79	(-)4,25.94
पुनर्वि०	1,03.18			

₹ 4,25.94 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,03.18 लाख का आवर्धन मानदेय के भुगतान, छपाई के कागज की अधिक खरीद, बाह्य स्रोतों पर, अन्य प्रभारों, विज्ञापनों और प्रचार पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 4,25.94 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

- 105- संसद के चुनाव आयोजन के लिए प्रभार-
01- संसद-
गैर योजना

मूल	42,17.02			
पूरक	27,49.97	66,15.05	61,86.61	(-)4,28.44
पुनर्वि०	(-)3,51.94			

₹ 4,28.44 लाख की सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्षण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,51.94 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, मानदेय, बाह्य स्रोतों के मोटर वाहनों और अन्य प्रभारों की कम अदायगी के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 4,28.44 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

- 108- मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करना-
01- मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करना-
गैर योजना

मूल	39.96			
पूरक	19.99	50.68	50.68	..
पुनर्वि०	(-)9.27			

मार्च 2020 में अभ्यर्षण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.27 लाख की कमी कार्यालय वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

- (iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

- 2015- निवारचन-

- 102- निर्वाचन अधिकारी-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-17(समाप्त)

01- मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा उसके कर्मचारी-
गैर योजना

मूल	15,39.67			
पूरक	46.97	16,49.06	16,49.05	(-)0.01
पुनर्वि०	62.42			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 62.42 लाख का आवर्धन अतिरिक्त महंगाई भत्ते के भुगतान और बाह्य स्रोतों व कार्यालय वस्तुओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, यात्रा भत्ते और कर्मचारियों को कम प्रशिक्षण के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी

(शीर्ष- 2057-पूर्ति तथा निपटान, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6885- उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य ऋण)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,34,05,75			
		2,34,05,75	1,33,54,12	(-)1,00,51,63
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				84,70,49
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	46,90,00			
		46,90,00	27,84,09	(-)19,05,91
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				19,05,89

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,00,51.63 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में ₹ 84,70.49 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

2216- आवास-

05- सामान्य पूल आवास-

053- रख रखाव और मरम्मत-

01- अन्य रख-रखाव व्यय-

विनियोजन लेखे
अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

गैर योजना				
मूल	3.54			
पुनर्वि०	(-)3.54			
मार्च 2020 में ₹ 3.54 लाख का समस्त प्रावधान कार्य के निष्पादन न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।				
2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-				
102- लघु उद्योग-				
05- लघु उद्योगों हेतु उपदान-योजना				
मूल	5.00			
		1.00	1.00	..
पुनर्वि०	(-)4.00			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.00 लाख की कमी उपदान के लिए कम मांग की प्राप्ति के कारण हुई।				
10- औद्योगिक विकास एवं प्रशिक्षण- गैर योजना				
मूल	1,00.00			
		40.14	40.14	..
पुनर्वि०	(-)59.86			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 59.86 लाख की कमी प्रशिक्षण शिविरों और कार्यशालाओं के आयोजन पर कम व्यय के कारण हुआ।				
13- जिला उद्योग केन्द्र- गैर योजना				
मूल	16,56.54			
		14,50.37	14,50.33	(-)0.04
पुनर्वि०	(-)2,06.17			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,06.17 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय, कार्य के कम निष्पादन, कर्मचारियों द्वारा कम यात्रा, वाहनों पेट्रोल, तेल और स्नेहक पर कम व्यय के कारण हुई।				
15- सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना- गैर योजना				
मूल	4.13			
		0.11	0.11	..
पुनर्वि०	(-)4.02			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.02 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				

विनियोजन लेखे
अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

19- सूचना एवं प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस-
योजना

मूल	5,95.00			
		5,53.67	4,09.07	(-)1,44.60
पुनर्वि०	(-)41.33			

₹ 1,44.60 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 41.33 लाख की कमी विभिन्न एंजसियों द्वारा ई-जिला, ई-कार्यालय और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का अंतिम तिमाही में भुगतान की प्रक्रिया न होने तथा कार्य के निष्पादन न होने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोतों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,44.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

विशेष केंद्रीय सहायता-

योजना

मूल	17,20.00			
		10,51.91	11,97.14	+1,45.24
पुनर्वि०	(-)6,68.09			

₹ 1,45.24 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,68.09 लाख की कमी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के कार्यान्वयन में देरी और ई-कार्यालय की हार्डवेयर खरीद को रद्द करने के कारण हुई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुई।

₹ 1,45.24 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

23- आपदा जोखिम न्यूनीकरण-
योजना

मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अन्य विविध वस्तुओं पर व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।

24- खाद्य प्रसंस्करण हेतु राज्य मिशन-

गैर योजना

मूल	5,00.00	5,00.00	..	(-)5,00.00
-----	---------	---------	----	------------

₹ 5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

योजना

मूल	3,29.00			
		2,70.66	..	(-)2,70.66
पुनर्वि०	(-)58.34			

₹ 2,70.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 58.34 लाख की कमी लाभार्थियों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

विनियोजन लेखे

अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

₹ 2,70.66 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

25- लघु उद्योगों को ब्याज अनुदान-
गैर योजना

(i) मूल 1,00.00

पुनर्वि० (-)1,00.00

26- उम्मायल केन्द्र-
गैर योजना

(ii) मूल 1,00.00

पुनर्वि० (-)1,00.00

28- ग्रामीण इंजीनियरिंग आधारित उद्योग केन्द्र-
योजना

(iii) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

103- हथकरघा उद्योग-

25- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम -
योजना

(iv) मूल 13.00

पुनर्वि० (-)13.00

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2,14.00 लाख का समस्त प्रावधान लाभार्थियों से माँग के न प्राप्त होने के कारण कम कर दिया गया।

104- हस्तशिल्प उद्योग-

05- हस्तशिल्प का सर्वेक्षण-
गैर योजना

मूल 4.69

पुनर्वि० (-)1.12

3.57

3.55

(-)0.02

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.12 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

107- रेशम उत्पादन उद्योग-

01- रेशम उत्पादन उद्योग का विकास-

विनियोजन लेखे
अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	6,29.12			
		5,57.42	5,57.39	(-)0.03
पुनर्वि०	(-)71.70			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 71.70 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और कर्मचारियों द्वारा कम यात्रा व्यय करने के कारण हुई।

योजना

मूल	1,00.00			
		79.25	79.22	(-)0.03
पुनर्वि०	(-)20.75			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.75 लाख की कमी लाभार्थियों से मांग की प्राप्ति न होने और कार्यालय वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-**10- मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना-****गैर योजना**

मूल	1,00,00.00			
		31,80.75	31,80.77	+0.02
पुनर्वि०	(-)68,19.25			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 68,19.25 लाख की कमी दावों के कम निपटान के कारण हुई।

2852- उद्योग-**80- सामान्य-****102- औद्योगिक उत्पादकता-****01- औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं संवर्धन योजना-****गैर योजना**

मूल	65.59			
		50.97	50.94	(-)0.03
पुनर्वि०	(-)14.62			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.62 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

योजना

मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रतिपूर्ति के भुगतान न होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोजन लेखे
अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

800- अन्य व्यय-

01- उत्पादन तथा कला प्रदर्शनी-
गैर योजना

मूल	11.17			
		2.87	2.86	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)8.30			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8.30 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने और कार्यालय वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

योजना

मूल	1,00.00			
		59.31	59.31	..
पुनर्वि०	(-)40.69			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40.69 लाख की कमी विज्ञापन और प्रचार पर कम व्यय के कारण हुई।

02- निवेश स्कीम को बढ़ावा-
गैर योजना

(i) मूल	14,03.00	14,03.00	6,00.00	(-)8,03.00
---------	----------	----------	---------	------------

योजना

(ii) मूल	97.00	97.00	56.95	(-)40.05
----------	-------	-------	-------	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 8,43.05 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

2853- अलौह खनन तथा धातु उद्योग-

02- खानों का विनियमन तथा विकास-

102- खनिज खोज-

01- खनिज अन्वेषण स्टाफ और अन्य कार्य-

गैर योजना

मूल	10,63.69			
		9,05.30	9,05.22	(-)0.08
पुनर्वि०	(-)1,58.39			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,58.39 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

योजना

मूल	46.00			
		25.55	25.54	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)20.45			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.45 लाख की कमी, मशीनरी, उपकरणों और कार्यालय वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

विनियोजन लेखे
अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2852- उद्योग-			
80- सामान्य-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- निदेशालय-			
गैर योजना			
मूल	3,74.62		
		3,54.33	3,87.23
पुनर्वि०	(-)20.29		+32.90

₹ 32.90 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.29 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 32.90 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
60- अन्य व्यय-			
051- निर्माण -			
01- उद्योग-			
योजना			
मूल	45.00		
		18.39	18.39
पुनर्वि०	(-)26.61		..

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.61 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-

- 101- औद्योगिक क्षेत्र-
- 02- राज्य कला औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल 15,00.00

पुनर्वि० (-)15,00.00

..

विनियोजन लेखे
अनुदान संख्या-18 (समाप्त)

योजना				
(ii)	मूल	3,75.00		
	पुनर्वि०	(-)3,75.00
800-	अन्य व्यय-			
05-	औद्योगिक अधोसंरचना उन्नयन योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजना			
(iii)	मूल	1.00		
	पुनर्वि०	(-)1.00
(iv)	मूल	1.00		
	पुनर्वि०	(-)1.00

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में ₹ 18,77.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्य का निष्पादन न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236-पोषण, 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु ऋण)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	10,47,75,06			
		11,54,38,67	10,55,13,25	(-)99,25,42
पूरक	1,06,63,61			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				86,92,75
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	19,97,01			
		19,97,03	5,48,73	(-)14,48,30
पूरक	2			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				14,48,30

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 99,25.42 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 1,06,63.61 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ और ₹ 86,92.75 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मुरम्मत-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

77-	महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय भवनों का रखरखाव - योजना				
	मूल	75.00			
			18.68	18.68	..
	पुनर्वि०	(-)56.32			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 56.32 लाख की कमी विभागीय भवनों के रखरखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।				
2225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-				
	01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-				
	001- निदेशन और प्रशासन-				
	01- निदेशालय-				
	योजना				
	मूल	6,85.00			
			55.56	55.56	..
	पुनर्वि०	(-)6,29.44			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,29.44 लाख की सारभूत कमी पेंशन सॉफ्टवेयर सर्वर विज्ञापन और प्रचार तथा कार्यालय वस्तुओं पर कम व्यय के कारण हुई।				
	02- जिला कर्मचारी वर्ग-				
	गैर योजना				
	मूल	11,30.96			
	पूरक	0.01	10,06.91	10,06.91	..
	पुनर्वि०	(-)1,24.06			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,24.06 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितिकरण के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोतों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।				
	02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-				
	283- आवास-				
	01- आवास-				
	योजना				
	मूल	1,00.00	1,00.00	68.80	(-)31.20
	₹ 31.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।				
	03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-				
	001- निदेशन तथा प्रशासन-				
	01- पिछड़ा श्रेणी आयोग/कमीशन -				
	गैर योजना				
	मूल	1,27.92			
	पूरक	0.01	78.19	78.19	..
	पुनर्वि०	(-)49.74			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 49.74 लाख की कमी अन्य पिछड़ा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति न होने और रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

102- आर्थिक विकास-

01- अन्य पिछड़े वर्गों का आर्थिक विकास-
गैर योजना

मूल 3.16

0.13

0.13

..

पुनर्वि० (-)3.03

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.03 लाख की कमी यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई।

02- गुज्जर, लबाणा, गद्दी जातियों के कल्याण हेतु गठित बोर्ड-
योजना

मूल 20.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)20.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख का समस्त प्रावधान बोर्ड की बैठक न होने के कारण कम कर दिया गया।

80- सामान्य-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य
उपक्रमों को सहायता-

01- अल्पसंख्यक विकास निगम को
सहायता अनुदान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 63.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)63.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 63.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

800- अन्य व्यय-

01- सिविल सेवाओं कोचिंग हेतु सहायता-
गैर योजना

मूल 5.00

0.80

0.80

..

पुनर्वि० (-)4.20

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.20 लाख की कमी सिविल सेवाओं के लिए अनुशिक्षण के अन्तर्गत मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- समाजिक कल्याण-

102- बाल कल्याण-

03- शिशु गृह-

गैर योजना

मूल 1,07.41

66.11

66.11

..

पुनर्वि० (-)41.30

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 41.30 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितिकरण और राज्य स्तरीये बाल दिवस के आयोजन न होने के कारण हुई।

योजना

मूल 2,09.00

99.85

99.85

..

पुनर्वि० (-)1,09.15

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,09.15 लाख की कमी कुछ लाभार्थियों द्वारा 18 वर्ष की आयु पूरी न करने, रिक्त पदों को न भरने तथा आश्रम में राशन व बिस्तर आदि पर कम व्यय के कारण हुई।

05- एकीकृत शिशु कल्याण सेवाएं-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजना**

मूल 1,68,27.00

पूरक 11,98.63

1,56,35.98

1,56,35.98

..

पुनर्वि० (-)23,89.65

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 23,89.65 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, किराए के आवास की मंजूरी, आगंनबाडी कार्यकर्ताओं के लिए विद्यालय किटों की कम खरीद, शिवरों के आयोजन के न होने, प्रशिक्षण के कम आयोजन और कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,34,04.05 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

योजना

मूल 31,87.00

25,16.70

25,16.70

..

पुनर्वि० (-)6,70.30

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,70.30 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पूर्व विद्यालय किटों पर व्यय न होना, आगंनबाडी कार्यकर्ता के लिए शिवरों प्रशिक्षण के आयोजन न होने के कारण हुई जबकि आगंनबाडी कार्यकर्ता/सहायकों/मिनी आगंनबाडी कार्यकर्ता के बकाया भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

06- शिशुओं का उत्थान-
योजना

मूल 11.00

पुनर्वि० (-)11.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11.00 लाख का समस्त प्रावधान क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

11- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायकों को मानदेय-
गैर योजना

मूल 54,60.64

पूरक 6,08.65

59,23.48

59,23.48

..

पुनर्वि० (-)1,45.81

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,45.81 लाख की कमी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

13- बेटों है अनमोल-
योजना

मूल 9,15.00

8,31.07

6,21.07

(-)2,10.00

पुनर्वि० (-)83.93

₹ 2,10.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 83.93 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2,10.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

15- एकीकृत शिशु संरक्षण योजना के अन्तर्गत
शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में आवास एवं
गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित शिशु घर-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 9,28.00

8,81.01

8,81.01

..

पुनर्वि० (-)46.99

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46.99 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, कम प्रवेश और बाह्य स्रोतों पर कम व्यय के कारण हुई।

योजना

मूल 1,03.00

76.76

76.76

..

पुनर्वि० (-)26.24

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.24 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने कम प्रवेश और बाह्य स्रोतों पर कम व्यय के कारण हुई।

18- राज्य बाल संरक्षण आयोग-
गैर योजना

मूल	34.80	34.80	..	(-)34.80
-----	-------	-------	----	----------

₹ 34.80 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

20- बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	1.00			
-----	------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)1.00			
----------	---------	--	--	--

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा सीधे योजना के वित्त पोषण के कारण कम कर दिया गया।

21- राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुसदन योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	1,70.00			
---------	---------	--	--	--

		14.19	14.19	..
--	--	-------	-------	----

पुनर्वि०	(-)1,55.81			
----------	------------	--	--	--

योजना

(ii) मूल	10.00			
----------	-------	--	--	--

		3.47	3.47	..
--	--	------	------	----

पुनर्वि०	(-)6.53			
----------	---------	--	--	--

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,62.34 लाख की कमी शिशुसदनों को बन्द करने और निधियों के पर्याप्त मात्रा में बची हुई राशि की उपलब्धता के कारण हुई।

103- महिला कल्याण-
01- स्टेट होम्स-
गैर योजना

मूल	37.33			
-----	-------	--	--	--

		25.68	25.68	..
--	--	-------	-------	----

पुनर्वि०	(-)11.65			
----------	----------	--	--	--

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.65 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, राशन, बिस्तर, बिजली और पानी के प्रभारों पर कम व्यय के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

योजना				
मूल	60.00			
		24.38	24.38	..
पुनर्वि०	(-)35.62			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35.62 लाख की कमी राशन व बिस्तरों पर कम व्यय, प्रस्तावों की कम प्राप्ति और राज्य स्तर के महिला दिवस के उत्सव को न मनाने के कारण हुई।				
07-	राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत किशोरियों के पोषाहार- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
(i)	मूल	1.00		
		
	पुनर्वि०	(-)1.00		..
	योजना			
(ii)	मूल	1.00		
		
	पुनर्वि०	(-)1.00		..
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को स्कूल छोड़कर जाने वाली लड़कियों और पिछले वर्ष के पर्याप्त बची हुई राशि की उपलब्धता को सीमित करने के कारण कम कर दिया गया।				
11-	बलात्कार पीड़िताओं को सहायता सेवाएँ- योजना			
	मूल	20.00		
		
	पुनर्वि०	(-)20.00		..
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20.00 लाख के समस्त प्रावधान को योजना को बंद करने के कारण कम कर दिया गया।				
12-	महिलाओं को नैतिक संकट से बचाव के लिए वैकल्पिक अवसर हेतु योजना- योजना			
	मूल	1,10.00		
	पूरक	0.01	25.84	25.84
	पुनर्वि०	(-)84.17		..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 84.17 लाख की कमी प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

13- महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्र-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	1,08.00			
		60.00	60.00	..
पुनर्वि०	(-)48.00			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 48.00 लाख की कमी पिछले वर्ष की अव्ययित निधि की उपलब्धता के कारण हुई।

15- मदर टेरेसा मातृ आश्रय संबल योजना-
गैर योजना

(i) मूल	1,02.65			
		69.77	69.77	..
पुनर्वि०	(-)32.88			

18- विधवा पुनर्विवाह योजना-
योजना

(ii) मूल	60.00			
		46.50	46.50	..
पुनर्वि०	(-)13.50			

उपरोक्त दो मामलों में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46.38 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

19- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	6,73.00			
		1,64.91	1,64.91	..
पुनर्वि०	(-)5,08.09			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,08.09 लाख की कमी विभाग के एस्को खाते में भारत सरकार से निधि की कम प्राप्ति के कारण हुई।

20- सशक्त महिला योजना-
योजना

मूल	3,01.00			
		2,37.34	2,37.34	..
पुनर्वि०	(-)63.66			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 63.66 लाख की कमी पंचायत में ब्लॉक और जिला स्तर के जागरूकता शिवरों के कम आयोजन के कारण हुई।

21- महिला शक्ति केन्द्र-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल 5.00

..

पुनर्वि० (-) 5.00
योजना

(ii) मूल 50.00

..

पुनर्वि० (-)50.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 55.00 लाख का समस्त प्रावधान पिछले वर्ष की अव्ययित निधि की उपलब्धता के कारण कम कर दिया गया। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,70.26 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

22- पोषण अभियान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल 9,15.00

पूरक 12,53.48 10,62.34 10,62.34 ..

पुनर्वि० (-)11,06.14

योजना

(ii) मूल 80.00

पूरक 5,64.82 1,97.40 1,97.40 ..

पुनर्वि० (-)4,47.42

उपरोक्त दो मामलों में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15,53.56 लाख की कमी पूर्णबंद के कारण सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताओं से मोबाइल फोन और अन्य आपूर्ति की प्राप्ति न होने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,70.26 लाख का अनुदान क्रमांक संख्या (i) पर प्राप्त हुआ।

107- स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-

03- हिमाचल प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण को सहायता-
योजना

मूल 2.00

..

पुनर्वि० (-) 2.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 के कारण व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।

04- परिवार सहायता-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 4,00.00

3,27.80

3,27.80

..

पुनर्वि० (-)72.20

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 72.20 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

09- वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

पूरक 75.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)75.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 75.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्य योजना प्रस्तुत न करने के कारण कम कर दिया गया।

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

102- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन-

01- सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल 34,31.00

34,07.78

34,07.78

..

पुनर्वि० (-)23.22

गैर योजना

(ii) मूल 3,24,78.52

पूरक 45,32.50

3,69,88.73

3,69,88.73

..

पुनर्वि० (-)22.29

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 45.51 लाख की कमी सामाजिक अँकेक्षण विभाग से लेखा परीक्षा बिल की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

06- सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत

ट्रांसजेंडर्स को पेंशन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

गैर योजना					
मूल	20.57				
		0.18	0.18		..
पुनर्वि०	(-)20.39				
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.39 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।					
104-	निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना- सरकारी भविष्य निधि-				
01-	निक्षेप सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत देय राशि-				
गैर योजना					
(i)	मूल	2,20.00			
			1,43.24	1,44.11	+0.87
पुनर्वि०	(-)76.76				
200-	अन्य कार्यक्रम-				
12-	सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रहित भुगतान-				
गैर योजना					
(ii)	मूल	6,00.00			
			4,24.12	4,22.76	(-)1.36
पुनर्वि०	(-)1,75.88				
15-	बेकसूर मोटर दुर्घटना की प्रतिपूर्ति अदायगी-				
गैर योजना					
(iii)	मूल	1,00.00			
			50.47	50.47	..
पुनर्वि०	(-)49.53				
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,02.17 लाख की कमी प्रत्याशित मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।					
24-	सफाई कर्मचारियों तथा जल उपचार संयंत्रों के कर्मचारियों को जीवन बीमा सुरक्षा-				
गैर योजना					
मूल	10.00				
	
पुनर्वि०	(-)10.00				
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 10.00 लाख के समस्त प्रावधान मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

800-	अन्य व्यय-				
06-	वित्त विभाग के पास पेंशनरों की आरक्षित निधि-				
	गैर योजना				
	मूल	42,40.00			
		
	पुनर्वि०	(-)42,40.00			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा ₹ 42,40.00 लाख का समस्त प्रावधान विभिन्न विभागों को आरक्षित निधि के संवितरण के कारण और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान न करने के कारण कम कर दिया गया। यह 2012-13 से किया जा रहा है।				
77-	ऊर्जा निदेशालय के पेंशनर-				
	गैर योजना				
	मूल	1.55			
		
	पुनर्वि०	(-)1.55			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.55 लाख का समस्त प्रावधान चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
82-	शहरी विकास विभाग के पेंशनर-				
	गैर योजना				
	मूल	10.12			
			2.53	2.53	..
	पुनर्वि०	(-)7.59			
90-	स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन के पेंशनर-				
	गैर योजना				
(ii)	मूल	6.73			
			3.12	3.12	..
	पुनर्वि०	(-)3.61			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.20 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
2236-	पोषण -				
	02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण-				
	101- विशेष पोषण कार्यक्रम-				
	05- पोषाहार योजना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
	मूल	48,34.00			
			36,41.41	28,77.70	(-)7,63.71
	पुनर्वि०	(-)11,92.59			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

₹ 7,63.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,92.59 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 7,63.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

योजना

मूल	5,37.00			
		3,93.94	3,09.08	(-)84.86
पुनर्वि०	(-)1,43.06			

₹ 84.86 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,43.06 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधि के अनुपात में अनुपातिक व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 84.86 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

01- पुनर्वास-

202- अन्य पुनर्वास योजनाएं-

05- शराबबंदी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर रोक की नीति-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

पूरक	0.01			
		45.03	45.03	..
पुनर्वि०	45.02			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45.02 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

योजना

पूरक	0.01			
		87.94	87.94	..
पुनर्वि०	87.93			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 87.93 लाख का आवर्धन राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और शराब की रोकथाम पर विशेष अभियान के आयोजन और स्थापना पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

02- समाज कल्याण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

101- विकलांगों का कल्याण-

03- विकलांगों का उत्थान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	48.00			
पूरक	0.01	2,11.29	2,11.29	..
पुनर्वि०	1,63.28			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,63.28 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

योजना

मूल	4,00.00			
		4,19.55	4,19.55	..
पुनर्वि०	19.55			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.55 लाख का आवर्धन पाँच कर्मचारियों के बकाया भुगतान के कारण हुआ जोकि प्रस्तावों की कम प्राप्ति और रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ।

102- बाल कल्याण-

22- बलात्कार, बाल उत्पीडन और वस्तुस्थिति
पृष्ठभूमि के मामूली पीडितों को पुनर्वास सहायता-
योजना

पूरक	0.01			
		9.44	9.44	..
पुनर्वि०	9.43			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.43 लाख का आवर्धन नई योजना के अन्तर्गत मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

103- महिला कल्याण-

05- राज्य महिला आयोग-
गैर योजना

मूल	81.42			
		1,05.10	1,05.10	..
पुनर्वि०	23.68			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.68 लाख का आवर्धन अंतरिम राहत, मंहगाई भत्ते की दरों और विधि अधिकारी की नियुक्ति में वृद्धि होने के कारण हुआ।

15- मदर टेरेसा मातृ आश्रय संबल योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

	योजना				
(i)	मूल	7,00.00			
			8,37.61	8,37.61	..
	पुनर्वि०	1,37.61			
17-	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना- योजना				
(ii)	मूल	4,75.00			
			5,54.30	5,54.30	..
	पुनर्वि०	79.30			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,16.91 लाख का आवर्धन लम्बित आवेदनों/प्रस्तावों की मंजूरी के निपटान के कारण हुआ।				
19-	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना- योजना				
	मूल	74.00			
			1,30.61	1,04.49	(-)26.12
	पुनर्वि०	56.61			
	₹ 26.12 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 56.61 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधि के अनुपात में व्यय के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 26.12 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।				
23-	सक्षम गुडिया बोर्ड- गैर योजना				
	पूरक	0.01			
			8.00	8.00	..
	पुनर्वि०	7.99			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.99 लाख का आवर्धन मानदेय और कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के कारण हुआ।				
107-	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-				
02-	अन्य स्वैच्छिक संगठन- योजना				
	मूल	5,02.00			
			8,36.39	7,55.90	(-)80.49
	पुनर्वि०	3,34.39			
	₹ 80.49 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,34.39 लाख का आवर्धन राज्य समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों के बकाये की लम्बित देनदारियों के भुगतान के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 80.49 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-				
800-	अन्य व्यय-				
03-	सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(i)	मूल	2,72.20			
	पूरक	72.40	5,62.65	5,62.61	(-)0.04
	पुनर्वि०	2,18.05			
04-	अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(ii)	मूल	15.55			
			24.52	24.52	..
	पुनर्वि०	8.97			
05-	कोष तथा लेखा विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(iii)	मूल	38.87			
	पूरक	9.00	78.03	77.97	(-)0.06
	पुनर्वि०	30.16			
07-	मत्स्य विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(iv)	मूल	7.77			
	पूरक	2.00	22.50	22.50	..
	पुनर्वि०	12.73			
09-	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(v)	मूल	13.22			
			16.67	16.63	(-)0.04
	पुनर्वि०	3.45			
10-	नगर एवं ग्राम योजना विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(vi)	मूल	5.44			
	पूरक	2.22	12.64	12.64	..
	पुनर्वि०	4.98			
11-	तकनीकी शिक्षा विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(vii)	मूल	34.22			
	पूरक	9.16	72.66	72.66	..
	पुनर्वि०	29.28			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

12-	कृषि विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(viii)	मूल	93.32			
	पूरक	39.15	2,32.32	2,32.32	..
	पुनर्वि०	99.85			
13-	मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(ix)	मूल	10.88			
	पूरक	4.00	30.88	30.86	(-)0.02
	पुनर्वि०	16.00			
14-	उद्यान विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(x)	मूल	28.00			
	पूरक	25.00	1,51.55	1,51.40	(-)0.15
	पुनर्वि०	98.55			
15-	पशुपालन विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xi)	मूल	93.32			
	पूरक	20.00	1,79.88	1,79.88	..
	पुनर्वि०	66.56			
16-	उद्योग विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xii)	मूल	24.88			
	पूरक	15.00	1,10.30	1,10.15	(-)0.15
	पुनर्वि०	70.42			
17-	खाद्य और आपूर्ति विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xiii)	मूल	28.00			
	पूरक	5.22	61.16	61.16	..
	पुनर्वि०	27.94			
18-	परिवहन विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xiv)	मूल	54.43			
	पूरक	7.00	78.94	78.94	..
	पुनर्वि०	17.51			
20-	जेल विभाग के पेंशनर्स-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

	गैर योजना				
(xv)	मूल	9.34			
	पूरक	1.50	20.34	20.34	..
	पुनर्वि०	9.50			
21-	गृह रक्षा विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xvi)	मूल	12.44			
	पूरक	1.50	20.40	20.40	..
	पुनर्वि०	6.46			
22-	सैनिक कल्याण विभाग हमीरपुर के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xvii)	मूल	0.78			
	पूरक	1.50	6.78	6.78	..
	पुनर्वि०	4.50			
23-	लोक संपर्क विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xviii)	मूल	23.33			
	पूरक	5.00	49.10	49.10	..
	पुनर्वि०	20.77			
24-	हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xix)	मूल	1.55			
	पूरक	0.50	6.05	6.05	..
	पुनर्वि०	4.00			
26-	ग्रामीण विकास विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xx)	मूल	69.99			
	पूरक	12.00	1,13.24	1,13.22	(-)0.02
	पुनर्वि०	31.25			
27-	सचिवालय प्रशासन विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xxi)	मूल	1,55.54			
	पूरक	14.72	2,75.52	2,74.49	(-)1.03
	पुनर्वि०	1,05.26			
28-	हिमाचल प्रदेश आवासीय आयुक्त नई दिल्ली के पेंशनर्स-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

	गैर योजना				
(xxii)	मूल	2.33			
			11.33	11.33	..
	पुनर्वि०	9.00			
29-	पंचायती राज विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xxiii)	मूल	31.10			
	पूरक	1.50	43.04	43.04	..
	पुनर्वि०	10.44			
30-	भाषा कला और संस्कृति विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xxiv)	मूल	2.48			
	पूरक	3.50	16.98	16.98	..
	पुनर्वि०	11.00			
31-	पुलिस विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xxv)	मूल	2,33.32			
	पूरक	65.00	6,05.58	6,05.58	..
	पुनर्वि०	3,07.26			
33-	माध्यमिक उच्चतर शिक्षा विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xxvi)	मूल	5,83.31			
	पूरक	1,40.00	11,44.07	11,44.05	(-)0.02
	पुनर्वि०	4,20.76			
34-	आयुर्वेदा विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xxvii)	मूल	31.10			
	पूरक	20.00	1,45.56	1,45.56	..
	पुनर्वि०	94.46			
35-	स्वास्थ्य विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xxviii)	मूल	2,73.24			
	पूरक	49.00	5,88.13	5,88.30	+0.17
	पुनर्वि०	2,65.89			
36-	निर्वाचन विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xxix)	मूल	5.13			
	पूरक	2.00	15.07	15.07	..
	पुनर्वि०	7.94			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

37-	राज्यपाल सचिवालय के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xxx)	मूल	5.44			
			8.44	8.44	..
	पुनर्वि०	3.00			
38-	उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xxxix)	मूल	69.99			
	पूरक	13.00	1,29.95	1,29.95	..
	पुनर्वि०	46.96			
39-	लोक सेवा आयोग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xxxix)	मूल	6.21			
	पूरक	3.50	23.21	23.21	..
	पुनर्वि०	13.50			
40-	भू अभिलेख विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xxxix)	मूल	55.21			
	पूरक	7.93	83.25	83.24	(-)0.01
	पुनर्वि०	20.11			
42-	श्रम एवं रोजगार विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xxxix)	मूल	20.21			
	पूरक	1.50	29.19	29.19	..
	पुनर्वि०	7.48			
43-	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xxxix)	मूल	1.55			
	पूरक	1.50	12.05	12.05	..
	पुनर्वि०	9.00			
44-	भू एकत्रीकरण के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xxxix)	मूल	10.88			
			17.81	17.81	..
	पुनर्वि०	6.93			
47-	अग्निशमन सेवा विभाग के पेंशनर्स-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

	गैर योजना				
(xxxvii)	मूल	4.65			
	पूरक	5.20	37.60	37.60	..
	पुनर्वि०	27.75			
49-	आबकारी और कराधान विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xxxviii)	मूल	31.10			
	पूरक	10.00	69.67	69.67	..
	पुनर्वि०	28.57			
50-	सहकारिता विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xxxix)	मूल	54.43			
	पूरक	7.00	87.39	87.39	..
	पुनर्वि०	25.96			
51-	चिकित्सा शिक्षा के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xL)	मूल	48.21			
	पूरक	12.74	99.55	99.50	(-)0.05
	पुनर्वि०	38.60			
53-	आतिथ्य सत्कार संगठन के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xLi)	मूल	2.32			
			6.82	6.82	..
	पुनर्वि०	4.50			
60-	महाधिवक्ता के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xLii)	मूल	1.55			
	पूरक	0.50	5.04	5.04	..
	पुनर्वि०	2.99			
62-	खेल एवं युवा सेवाओं के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xLiii)	मूल	1.25			
	पूरक	1.00	6.21	6.21	..
	पुनर्वि०	3.96			
63-	जनजातीय विकास के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xLiv)	मूल	0.31			
			2.61	2.61	..
	पुनर्वि०	2.30			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

65-	बंदोबस्त अधिकारी शिमला के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xLv)	मूल	7.78			
	पूरक	4.59	24.37	24.37	..
	पुनर्वि०	12.00			
66-	लघु बचत संगठन के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xLvi)	मूल	0.78			
	पूरक	1.00	6.34	6.34	..
	पुनर्वि०	4.56			
67-	योजना विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xLvii)	मूल	1.55			
	पूरक	4.00	13.33	13.33	..
	पुनर्वि०	7.78			
69-	सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xLviii)	मूल	18.66			
	पूरक	4.00	39.66	39.66	..
	पुनर्वि०	17.00			
70-	राज्य निर्वाचन आयोग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(xLix)	मूल	0.48			
	पूरक	0.50	2.15	2.15	..
	पुनर्वि०	1.17			
71-	वन विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(L)	मूल	2,33.32			
	पूरक	48.00	4,13.46	4,13.46	..
	पुनर्वि०	1,32.14			
73-	प्रारंभिक शिक्षा विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना				
(Li)	मूल	5,13.29			
	पूरक	2,75.00	14,50.72	14,50.65	(-)0.07
	पुनर्वि०	6,62.43			
78-	लोक निर्माण विभाग के पेंशनर्स-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

गैर योजना				
(Lii)	मूल	2,79.98		
	पूरक	1,34.44	8,67.87	8,67.87
	पुनर्वि०	4,53.45		..
81-	न्यायिक अकादमी के पेंशनर्स- गैर योजना			
(Liii)	मूल	0.78		
	पूरक	0.45	2.23	2.23
	पुनर्वि०	1.00		..
83-	राजस्व विभाग- गैर योजना			
(Liv)	मूल	99.24		
	पूरक	30.00	1,74.75	1,74.75
	पुनर्वि०	45.51		..
86-	महिला एवं बाल विकास विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना			
(Lv)	मूल	7.78		
	पूरक	5.00	31.00	31.00
	पुनर्वि०	18.22		..
87-	विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण विभाग के पेंशनर्स- गैर योजना			
(Lvi)	मूल	0.45		
			1.56	1.56
	पुनर्वि०	1.11		..
92-	हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण के पेंशनर्स- गैर योजना			
(Lvii)	मूल	1.34		
			2.59	2.59
	पुनर्वि०	1.25		..

उपरोक्त सतावन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36,12.17 लाख का आर्वधन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

पूजीगत प्रवर्ग

(iv)	दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)	

4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूजीगत परिव्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

03-	पिछड़े वर्गों का कल्याण-				
190-	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश-				
01-	पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम में निवेश-				
	योजना				
	मूल	8,52.00			
		
	पुनर्वि०	(-)8,52.00			
	मार्च 2020 में अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 8,52.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
80-	सामान्य-				
800-	अन्य व्यय-				
01-	भवनों का निर्माण-				
	योजना				
	मूल	3,00.00			
			1,42.36	1,42.36	..
	पुनर्वि०	(-)1,57.64			
	मार्च 2020 में अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,57.64 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।				
03-	पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं के छात्रावास का निर्माण-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
(i)	मूल	2,94.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2,94.00			
	योजना				
(ii)	मूल	1,00.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1,00.00			
4235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-				
02-	सामाजिक कल्याण-				
102-	बाल कल्याण-				
03-	विशेष बच्चों के लिए आवासीय संस्थान-गैर योजना				
(iii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(समाप्त)

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3,95.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रास्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

800- अन्य व्यय-

01- भवनों का निर्माण-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना**

मूल	51.00			
पूरक	0.01	19.45	19.45	..
पुनर्वि०	(-)31.56			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31.56 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम अनुमोदन के कारण हुई।

**6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों,
अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण
हेतु ऋण-**

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

190- सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों को ऋण-

01- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिवारों
के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण-
योजना

मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 - ग्रामीण विकास

(शीर्ष 2216-आवास, 2230- श्रम तथा रोजगार, 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्रामीण रोजगार, 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	14,63,62,84			
		14,63,62,87	11,12,45,78	(-)3,51,17,09
पूरक	3			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				3,10,09,41
प्रभारित				
मूल	..			
		5,65	5,65	..
पूरक	5,65			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	20,03,00			
		20,03,01	13,99,00	(-)6,04,01
पूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,51,17.09 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 3,10,09.41 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,04.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 0.01 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2216- आवास-			
03- ग्रामीण आवास-			
102- भूमिहीनों के लिए आवास स्थल की व्यवस्था-			
04- मुख्यमंत्री आवास योजना- योजना			
मूल	8,22.00		
	10,71.00	10.50	(-)10,60.50
पुनर्वि०	2,49.00		
₹ 10,60.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,49.00 लाख का आवर्धन मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
₹ 10,60.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।			
05- गरीबी रेखा से निचे सामान्य श्रेणी के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मुरम्मत योजना- योजना			
मूल	4,78.00		
	1,13.93	..	(-)1,13.93
पुनर्वि०	(-)3,64.07		
₹ 1,13.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,64.07 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 1,13.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।			
07- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
(i) मूल	24,28.00		
	
पुनर्वि०	(-)24,28.00		
योजना			
(ii) मूल	2,70.00		
	
पुनर्वि०	(-)2,70.00		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 26,98.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया तथा राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

2230- श्रम तथा रोजगार-

03- प्रशिक्षण-

003- दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण-

01- हिमाचल प्रदेश के सिलाई केन्द्र-

गैर योजना

मूल 1,11.73

49.52

61.96

+12.44

पुनर्वि० (-)62.21

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 62.21 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

06- स्वरोजगार योजना-

101- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-

03- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजना**

(i) मूल 5,19.00

5,19.00

3,22.62

(-)1,96.38

गैर योजना

(ii) मूल 7,00.00

6,96.60

6,64.16

(-)32.44

पुनर्वि० (-)3.40

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,28.82 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

05- राष्ट्रीय ग्रामीण आजाविका मिशन योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजना**

मूल 17,77.00

7,27.40

4,76.61

(-)2,50.79

पुनर्वि० (-)10,49.60

₹ 2,50.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,49.60 लाख की कमी भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 26,23.55 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 2,50.79 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

	योजना				
(i)	मूल	1,97.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1,97.00			
07-	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(ii)	मूल	28,97.00			
		
	पुनर्वि०	(-)28,97.00			
	योजना				
(iii)	मूल	3,21.00			
		
	पुनर्वि०	(-)3,21.00			
08-	श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वरुन मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iv)	मूल	29,32.00			
		
	पुनर्वि०	(-)29,32.00			
	योजना				
(v)	मूल	3,25.00			
		
	पुनर्वि०	(-)3,25.00			
800-	अन्य व्यय-				
06-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(vi)	मूल	14,80.00			
		
	पुनर्वि०	(-)14,80.00			
	योजना				
(vii)	मूल	1,64.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1,64.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

07-	बालिका गौरव पुरस्कार योजना- गैर योजना				
(viii)	मूल	1,50.00			
	पुनर्वि०	(-)1,50.00			
	उपरोक्त आठ मामलों में ₹ 84,66.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा राज्य की अनुपातिक हिस्सेदारी अप्रयुक्त रहने के कारण कम कर दिया गया। जबकि क्रम संख्या (ii) में भारत सरकार से ₹ 89.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
2505-	ग्रामीण रोजगार-				
02-	ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-				
101-	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-				
01-	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजना				
	मूल	2,96,15.00	1,73,77.10	1,73,77.10	..
	पुनर्वि०	(-)1,22,37.90			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,22,37.90 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 17,79.83 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
2515-	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-				
003-	प्रशिक्षण-				
01-	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र- गैर योजना				
	मूल	2,44.58	2,13.07	2,13.07	..
	पुनर्वि०	(-)31.51			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31.51 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, मजदूरी पर कम व्यय तथा किराया बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
101-	पंचायती राज-				
01-	पंचायती राज विभाग- गैर योजना				
	मूल	27,33.11	22,89.24	22,89.14	(-)0.10
	पुनर्वि०	(-)4,43.87			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,43.87 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों/वाहनों की मुरम्मत टेलीफोन, पानी व बिजली आदि के बिलों पर कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

102- सामुदायिक विकास-

01- ग्रामीण विकास योजना-
गैर योजना

मूल 1,14,82.35

79,51.28

79,51.24

(-)0.04

पुनर्वि० (-)35,31.07

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35,31.07 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति व यात्रा भत्ते दावों की कम प्राप्ति, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण तथा संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई।

16- कार्यालय भवन/भंडार का निर्माण/नवीनीकरण योजना-
योजना

मूल 7,23.00

7,16.40

2,50.12

(-)4,66.28

पुनर्वि० (-)6.60

₹ 4,66.28 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

18- महिला मंडलों को प्रोत्साहन हेतु अनुदान-
योजना

(i) मूल 1,29.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1,29.00

20- स्वच्छता योजना के अन्तर्गत राज्य प्रोत्साहन योजना-
योजना

(ii) मूल 2,17.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)2,17.00

23- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-
योजना

(iii) मूल 7.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)7.00

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 3,53.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

197-	पंचायत समितियों को सहायता-				
05-	पंचायत समितियों को सहायता अनुदान-				
	गैर योजना				
	मूल	18,00.00	18,00.00	8,94.51	(-)9,05.49
	₹ 9,05.49 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।				
198-	ग्राम पंचायतों को सहायता-				
04-	पांचवे राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अनुदान-				
	गैर योजना				
	मूल	1,07,99.12			
			1,02,63.45	99,48.53	(-)3,14.92
	पुनर्वि०	(-) 5,35.67			
	₹ 3,14.92 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,35.67 लाख की कमी विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 3,14.92 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।				
06-	वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों को प्रदर्शन अनुदान-				
	गैर योजना				
	मूल	59,72.00			
		
	पुनर्वि०	(-)59,72.00			
	₹ 59,72.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
(iv)	उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
			(₹ लाख में)		
2501-	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-				
06-	स्वरोजगार कार्यक्रम-				
101-	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-				
11-	मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना-				
	गैर योजना				
	पूरक	0.01			
			1,00.00	1,00.00	..
	पुनर्वि०	99.99			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.99 लाख का आवर्धन मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के कार्यान्वयन के कारण हुआ।				
800-	अन्य व्यय-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

03-	मातृ शक्ति बीमा योजना- गैर योजना				
	मूल	2,00.00			
			2,98.00	2,98.00	..
	पुनर्वि०	98.00			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 98.00 लाख का आवर्धन लम्बित देनदारियों को निपटाने के कारण हुआ।				
2505-	ग्रामीण रोजगार-				
	02- ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-				
101-	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-				
04-	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई का संचालन - केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजना				
	पूरक	0.01			
			1,95.29	1,95.29	..
	पुनर्वि०	1,95.28			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,95.28 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा निधियां जारी करने के कारण हुआ।				
2515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-				
101-	पंचायती राज-				
10-	पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत खनिजों पर रॉयल्टी के बदले सहायता अनुदान- गैर योजना				
	मूल	0.01			
			45.83	45.83	..
	पुनर्वि०	45.82			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45.82 लाख का आवर्धन खनन अधिकारियों द्वारा टैक्स के आफलाइन एकत्रण को ग्राम पंचायतों में वितरण करने के कारण हुआ।				
15-	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजना				
	मूल	5,92.00			
			7,03.50	7,03.50	..
	पुनर्वि०	1,11.50			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,11.50 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा निधियों की प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 6,00.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

योजना					
मूल	66.00				
		78.17	78.17		..
पुनर्वि०	12.17				
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.17 लाख का आवर्धन केन्द्रीय सरकार की हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य सरकार की हिस्सेदारी अधिक जारी करने के कारण हुआ।					
102-	सामुदायिक विकास-				
23-	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना-				
	योजना				
मूल	59.00				
पूरक	0.01	21,80.91	16,47.30		(-)5,33.61
पुनर्वि०	21,21.90				
₹ 5,33.61 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21,21.90 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के कारण हुआ जोकि संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।					
₹ 5,33.61 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।					
196-	जिला परिषदों को सहायता-				
04-	पांचवें राज्य वित्तयोग के अन्तर्गत				
	जिला परिषदों को अनुदान-				
	गैर योजना				
(i)	मूल	95,60.31			
			1,12,42.53	1,10,53.63	(-)1,88.90
	पुनर्वि०	16,82.22			
197-	पंचायत समितियों को सहायता-				
04-	पांचवें राज्य वित्तयोग के अन्तर्गत				
	पंचायत समितियों को सहायता अनुदान-				
	गैर योजना				
(ii)	मूल	8,07.57			
			9,39.60	8,82.86	(-)56.74
	पुनर्वि०	1,32.03			
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,45.64 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18,14.25 लाख का आवर्धन पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि तथा कर्मचारियों को स्थायी वेतनमान प्रदान करने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।					
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,45.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

पूँजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय-			
03- ग्रामीण आवास-			
800- अन्य व्यय-			
01- पंचायत निरीक्षक/उप-निरीक्षकों के आवासों का निर्माण- योजना			
मूल	1,15.00	1,15.00	..
			(-)1,15.00

₹ 1,15.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-

101- पंचायती राज-			
03- ग्राम गौरव पट्ट- गैर योजना			
मूल	4,00.00		
	
पुनर्वि०	(-)4,00.00		..

₹ 4,00.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा पंचायत निधियों से ग्राम गौरव पथ का निर्माण न करने के कारण कम कर दिया गया।

103- ग्रामीण विकास-			
02- मुख्यमंत्री लोक भवन- गैर योजना			
मूल	10,00.00	10,00.00	5,25.00
			(-)4,75.00

₹ 4,75.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

(vi) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-			
101- पंचायती राज-			
01- भवन-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (समाप्त)

गैर योजना

पूरक	0.01			
		4,00.00	3,86.00	(-)14.00
पुनर्वि०	3,99.99			

₹ 14.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,99.99 लाख का आवर्धन पंचायत घरों/पंचायत सामुदायिक केन्द्रों की मुरम्मत/निर्माण के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 14.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-21- सहकारिता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2425-सहकारिता, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6425-सहकारिता हेतु ऋण)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	33,52,79			
		34,73,69	29,95,04	(-)4,78,65
पूरक	1,20,90			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
				4,78,66
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,00			
		24,09,89	24,13,39	+3,50
पूरक	24,07,89			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
				1,00

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,50,000 के आधिक्य का नियमितिकरण अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,78.65 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 1,20.90 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ और ₹ 4,78.66 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3.50 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से ₹ 1.00 लाख का अभ्यर्पण अनुचित सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

2425- सहकारिता-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-21 (क्रमशः)

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

गैर योजना

(i) मूल 5,04.51

3,19.49

3,19.49

..

पुनर्वि० (-)1,85.02

02- जिला कर्मचारी वर्ग-

गैर योजना

(ii) मूल 19,92.40

16,71.15

16,71.16

+0.01

पुनर्वि० (-)3,21.25

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,06.27 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने और वेतन मानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक
व्यय

(₹ लाखों में)

आधिक्य (+)
बचत (-)**2425- सहकारिता-**

101- सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा-

01- लेखापरीक्षा कर्मचारी वर्ग-

गैर योजना

मूल 7,81.37

पूरक 47.58

8,51.78

8,51.78

..

पुनर्वि० 22.83

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.83 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत सेवाओं की लम्बित देनदारियों का निपटारा करने के कारण हुआ जबकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ ।

पूँजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक
व्यय

(₹ लाखों में)

आधिक्य (+)
बचत (-)**6425- सहयोग के लिए ऋण-**

107- जमा सहकारिताओं को कर्ज-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-21 (समाप्त)

02- जमा सहकारिताओं को ऋण-
केंद्र प्रायोजित योजना
योजना

मूल 1.00

..

4.50

+4.50

पुनर्वि० (-)1.00

₹ 4.50 लाख के बिना बजट प्रावधान के व्यय की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान बैंक द्वारा गलत मुख्यशीर्ष में अंकित करने के कारण कम कर दिया गया जोकि अनुचित सिद्ध हुआ।

₹ 4.50 लाख का व्यय बिना बजट प्रावधान के हुआ जिसके कारण प्रतीक्षित थे(अक्टूबर 2020)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2236-पोषण, 2408-खाद्य भंडारण तथा भांडागार, 3456-नागरिक आपूर्ति, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं तथा 4408- खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान/विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	2,75,36,07		
		3,15,26,43	3,16,75,75
पूरक	39,90,36		+1,49,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
प्रभारित			
मूल	..	5,00	5,00
पूरक	5,00		..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	2,00,00		
		2,36,43	2,17,72
पूरक	36,43		(-)18,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31मार्च 2020)			18,70

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,49,32,006 के आधिक्य का नियमितीकरण अपेक्षित हैं ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,49.32 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 39,90.36 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)

(iii) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2059- लोक निर्माण कार्य-			
01- कार्यालय भवन-			
053- रखरखाव तथा मरम्मत-			
17- खाद्य और आपूर्ति विभाग के रखरखाव पर व्यय- गैर योजना			
मूल	0.01		
		27.55	27.55
पुनर्वि०	27.54		..
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.54 लाख का आवर्धन रखरखाव कार्य पर अधिक व्यय के कारण हुआ ।			
2408- खाद्य भंडारण और भांडागार--			
01- खाद्य-			
102- खाद्य सहायता-			
12- चीनी की खरीद- गैर योजना			
मूल	51,14.25		
		80,47.75	80,47.75
पुनर्वि०	29,33.50		..
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29,33.50 लाख का आवर्धन चीनी उपदान के प्रतिपूर्ति के कारण हुआ ।			
13- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गेहूं और चावल पर उपदान- गैर योजना			
मूल	5,00.00		
		11,97.44	13,47.00
पुनर्वि०	6,97.44		+1,49.56
₹ 1,49.56 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,97.44 लाख का आवर्धन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोविड-19 के दौरान दो महीने का गेहूं आटा और चावल अग्रिम जारी करने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।			
₹ 1,49.56 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।			
800- अन्य व्यय-			
02- हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	20,00.00			
पूरक	13,73.06	63,57.05	63,57.05	..
पुनर्वि०	29,83.99			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29,83.99 लाख का आवर्धन राज्य में पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करने के कारण हुआ ।

(iv) उपरोक्त आधिक्य निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत के कारण अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2236- पोषण-

02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण-

101- विशेष पोषण कार्यक्रम-

06- अन्नपूर्णा योजना-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना**

मूल 15.00

पुनर्वि० (-)15.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 15.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत के खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न का आबंटन न करने के कारण कम कर दिया गया ।

2408- खाद्य भंडारण और भांडागार-

01- खाद्य

102- खाद्य सहायता-

11- दालों, गेहूं, चावल, तेल और आयोडीन युक्त नमक की उपदान पर खरीद-
गैर योजना

मूल 1,73,85.75

1,11,50.20

1,11,50.20

पुनर्वि० (-) 62,35.55

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 62,35.55 लाख की सारभूत कमी उपदान वाली वस्तुओं की कम खरीद के कारण हुई।

3456- नागरिक आपूर्ति-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)

गैर योजना				
(i)	मूल	4,30.81		
			3,45.18	3,45.18
	पुनर्वि०	(-) 85.63		..
02- जिला कार्यालय- गैर योजना				
(ii)	मूल	10,09.33		
			8,43.68	8,43.44
	पुनर्वि०	(-) 1,65.65		(-)0.24
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,51.28 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
04- उपभोक्ता जागरूकता- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	18.00		
		
	पुनर्वि०	(-)18.00		..
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-				
106- भार और माप का विनियमन-				
01- भार तथा माप संगठन- गैर योजना				
	मूल	3,41.44		
			2,18.85	2,18.85
	पुनर्वि०	(-) 1,22.59		..
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,22.59 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
पूंजीगत प्रवर्ग				
(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिव्यय (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)	
4408- खाद्य भंडारण और भांडागार पर पूंजी परिव्यय-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (समाप्त)

01- खाद्य-

101- खरीद तथा पूर्ति-

01- गेहू की खरीद-

गैर योजना

मूल 0.01

पूरक 6.00

पुनर्वि0 (-)6.01

₹ 6.01 का समस्त प्रावधान मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मशीनों और उपकरणों की आपूर्ति न करने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

02- भंडारण और भांडागार-

101- ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम-

02- हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता निवारण फोरम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

पूरक 27.33

14.64

14.64

..

पुनर्वि0 (-)12.69

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12.69 लाख की कमी कोविड-19 में गैर भवन/भवन परिसंपत्ति की कम खरीद के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-23- विद्युत विकास

(शीर्ष 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2801-विद्युत, 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	5,05,71,08			
		5,45,69,39	4,16,93,46	(-)1,28,75,93
पूरक	39,98,31			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				14,86,75
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	4,29,39,01			
		6,79,39,00	5,21,92,36	(-)1,57,46,64
पूरक	2,49,99,99			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				2,02,12,74

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,28,75.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 39,98.31 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और ₹ 14,86.75 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,57,46.64 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 2,49,99.99 लाख का अनुपूरक अनुदान तथा ₹ 2,02,12.74 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-23 (क्रमशः)

103- संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-

01- विद्युत निरीक्षणालय-

गैर योजना

मूल 3,10.94

1,73.44

1,73.44

..

पुनर्वि० (-)1,37.50

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,37.50 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और मौजूदा पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति होने के कारण हुई ।

2801- विद्युत-

01- जल ऊर्जा उत्पादन-

101- विद्युत का क्रय-

01- सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड-

गैर योजना

मूल 10,00.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)10,00.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 10,00.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया ।

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- ऊर्जा निदेशालय-

गैर योजना

मूल 7,60.51

पूरक 0.03

5,08.09

5,07.91

(-)0.18

पुनर्वि० (-)2,52.45

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,52.45 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

101- विद्युत बोर्डों को सहायता-

07- शुल्क रोल बैंक पर अनुदान-

गैर योजना

मूल 4,75,00.00

पूरक 39,98.27

5,13,89.00

4,00,00.00

(-)1,13,89.00

पुनर्वि० (-)1,09.27

₹ 1,13,89.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,09.27 लाख की कमी लाभार्थियों से उपदान मामलों की कम माँग के कारण हुई ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-23 (क्रमशः)

₹ 1,13,89.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे(अक्टूबर 2020)।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2801- विद्युत-			
80- सामान्य-			
800- अन्य व्यय-			
03- मध्यस्थता शुल्क के भुगतान पर व्यय- गैर योजना			
मूल	5.00		
		17.51	
			..
पुनर्वि०	12.51		

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.51 लाख का आवर्धन व्यवसायिक और विशेष सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- पनबिजली उत्पादन-			
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-			
07- हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम- योजना			
(i) मूल	23,00.00		
पूरक	20,00.00	37,25.00	
पुनर्वि०	(-)5,75.00		..
09- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड योजना में अंशदान- योजना			
(ii) मूल	32,73.00		
		18,64.00	
पुनर्वि०	(-)14,09.00		..

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹19,84.00 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-23 (क्रमशः)

6801- विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य
उपक्रमों को ऋण-

01- हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण-
योजना

मूल 1,85,00.00

3,37.26

..

(-)3,37.26

पुनर्वि0 (-)1,81,62.74

₹ 3,37.26 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,81,62.74 लाख की सारभूत कमी एशियाई विकास बैंक द्वारा ऋणों को बन्द करने के कारण हुई; जोकि अनुचित सिद्ध हुई।

₹ 3,37.26 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

02- हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को ऋण-
गैर योजना

पूरक 49,99.99

50,00.00

..

(-)50,00.00

पुनर्वि0 0.01

₹ 50,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

04- ऊर्जा परियोजनाओं के लिए के0एफ0डब्ल्यू
की हिस्सेदारी-
योजना

मूल 66.00

..

..

..

पूरक (-)66.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 66.00 लाख का समस्त प्रावधान के के0एफ0डब्ल्यू ऋण द्वारा रद्द करने के कारण कम कर दिया गया।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिव्यय से अंशत प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिव्यय (+) बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

6801- विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य
उपक्रमों को ऋण-

01- हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम
को ऋण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-23 (समाप्त)

गैर योजना				
मूल	0.01			
		..	3,48.80	+3,48.80
पुनर्वि०	(-)0.01			
₹ 3,48.80 लाख के बिना प्रावधान के व्यय के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।				
02- हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम लिमिटेड को ऋण-				
योजना				
मूल	94,00.00			
		2,74,00.00	3,68,54.56	+94,54.56
पूरक	1,80,00.00			
₹ 94,54.56 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-24- मुद्रण और लेखन सामग्री

(शीर्ष- 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	29,12,80			
		30,32,57	28,18,12	(-)2,14,45
पूरक	1,19,77			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
				2,05,32
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	41,58			
		41,58	41,58	..
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,14.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 1,19.77 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- निदेशालय-			

विनियोजन लेखे
अनुदान संख्या-24 (क्रमशः)

गैर योजना				
मूल	1,46.26			
		1,18.69	1,18.69	..
पुनर्वि०	(-)27.57			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27.57 लाख की कमी रिक्त पदों का न भरने के कारण हुई।				
103- सरकारी मुद्रणालय-				
01- हिमाचल प्रदेश सरकारी मुद्रणालय-				
गैर योजना				
मूल	19,22.87			
पूरक	1.77	16,30.43	16,30.43	..
पुनर्वि०	(-)2,94.21			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,94.21 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि लोकसभा चुनाव के लिए लेखन सामग्री की खरीद, वार्षिक रखरखाव तथा नवीनीकरण पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिव्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।				
104- अन्य साधनों से मुद्रण की लागत-				
01- निजि मुद्रणालय-				
गैर योजना				
(i) मूल	11.74			
		9.45	9.45	..
पुनर्वि०	(-)2.29			
02- अन्य सरकारी मुद्रणालय-				
गैर योजना				
(ii) मूल	21.03			
		8.01	8.01	..
पुनर्वि०	(-)13.02			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15.31 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिव्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिव्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)	
2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण-				
101- लेखन सामग्री भण्डार क्रय तथा आपूर्ति-				
01- लेखन सामग्री-				

विनियोजन लेखे
अनुदान संख्या-24 (समाप्त)

गैर योजना

मूल	4,47.78			
		5,60.40	5,60.40	..
पुनर्वि०	1,12.62			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,12.62 लाख का आवर्धन सामग्री और लेखन सामग्री की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

102- फॉर्म का मुद्रण, भंडारण और वितरण-

01- फार्मों की आपूर्ति-

गैर योजना

मूल	7.99			
		17.38	17.38	..
पुनर्वि०	9.39			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.39 लाख का आवर्धन अतिरिक्त मंहगाई भत्ते और अन्तरिम राहत के भुगतान के कारण हुआ।

105- सरकारी प्रकाशन-

01- सरकारी विक्रय डिपो-

गैर योजना

मूल	51.56			
		61.32	52.19	(-)9.13
पुनर्वि०	9.76			

₹ 9.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.76 लाख का आवर्धन अतिरिक्त मंहगाई भत्ते और अन्तरिम राहत के भुगतान के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 9.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-25- सड़क और जल परिवहन

(शीर्ष- 2041-वाहनों पर कर, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3055-सड़क परिवहन, 3056-अंतर्देशीय जल परिवहन, 3075-अन्य परिवहन सेवाएं, 5002- भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय, 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत तथा 5056 अन्तर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	2,74,63,42		
		3,64,52,41	(-)12,92,35
पूरक	89,88,99		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			3,47,85

पूंजीगत प्रवर्ग
दत्तमत

मूल	62,27,01		
		2,10,58,26	(-)18,53,07
पूरक	1,48,31,25		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			2,00

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 12,92.35 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 89,88.99 लाख का अनुपूरक अनुदान क्रमशः अत्याधिक और ₹ 3,47.85 का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 18,53.07 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 1,48,31.25 लाख का अनुपूरक अनुदान और ₹ 2.00 लाख का अभ्यर्पण क्रमशः अत्याधिक और अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2041- वाहनों पर कर-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- मुख्यालय तथा क्षेत्र कर्मचारी वर्ग-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-25- (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	11,33.55			
पूरक	1,99.00	12,06.20	2,62.03	(-)9,44.17
पुनर्वि०	(-)1,26.35			

₹ 9,44.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,26.35 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 9,44.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

101- गरीब परिवारों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना-

04- यात्रियों को अनुग्रह अनुदान अदायगी-

गैर योजना

मूल	68.00			
		48.00	48.00	..
पुनर्वि०	(-) 20.00			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की कमी दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

3055- सड़क परिवहन-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

गैर योजना

मूल	11,75.13			
पूरक	55.00	10,86.64	10,86.30	(-)0.34
पुनर्वि०	(-)1,43.49			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,43.49 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई।

04- कम्प्यूटरीकरण-

योजना

मूल	75.00			
		19.74	19.74	..
पुनर्वि०	(-)55.26			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 55.26 लाख की कमी मानक वस्तु के निष्पादन न करने के कारण हुई।

3056- अंतर्देशीय जल परिवहन-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- अंतर्देशीय जल परिवहन हेतु कर्मचारी वर्ग की व्यवस्था-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-25- (समाप्त)

योजना

मूल 1,00

पुनर्वि० (-) 1.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

पूंजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-			
050- भूमि तथा भवन-			
01- बस स्टैंड का निर्माण- गैर योजना			
(i) मूल 5,00.00	5,00.00	..	(-)5,00.00
योजना			
(ii) मूल 10,53.00	10,53.00	..	(-)10,53.00
03- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के भवनों का निर्माण- योजना			
(iii) मूल 1,50.00	1,50.00	1,14.93	(-)35.07
07- परिवहन नगर योजना			
(iv) मूल 2,63.00	2,63.00	..	(-)2,63.00

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 18,51.07 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

08- आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्र-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 1,00

पुनर्वि० (-) 1.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-26- पर्यटन और नागर विमानन

(शीर्ष 2059-लोक निर्माण-कार्य, 3053-नागर विमानन, 3452-पर्यटन, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत(-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	69,20,36			
		89,16,08	32,96,53	(-)56,19,55
पूरक	19,95,72			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				82,55
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	57,79,00			
		66,29,00	37,33,57	(-)28,95,43
पूरक	8,50,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि(31 मार्च 2020)				59,74

टिप्पणियाँ तथा अभ्यक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 56,19.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 19,95.72 लाख का अनुपूरक अनुदान और ₹ 82.55 लाख का अभ्यर्पण क्रमशः अनावश्यक और अपर्याप्त सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा जोकि बेहतर बजट बनाने और व्यय पर प्रभावी नियन्त्रण की आवश्यकता को इंगित करता है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 28,95.43 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 8,50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान तथा ₹ 59.74 लाख का अभ्यर्पण क्रमशः अनावश्यक और अपर्याप्त सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

3452- पर्यटन-

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-26 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	2,08.46			
पूरक	29.13	1,87.47	1,87.47	..
पुनर्वि०	(-)50.12			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50.12 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमान में संशोधन न होने तथा वाहनों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

02- क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग-

गैर योजना

मूल	4,19.24			
पूरक	6.67	4,05.80	4,05.80	..
पुनर्वि०	(-)20.11			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.11 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और वेतनमान में संशोधन न होने के कारण हुई।

योजना

मूल	30.00			
		10.00	10.00	..
पुनर्वि०	(-)20.00			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

03- पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचा विकास निवेश कार्यक्रम-

योजना

मूल	52,37.00			
पूरक	3,32.41	55,37.00	..	(-)55,37.00
पुनर्वि०	(-)32.41			

₹ 55,37.00 लाख की अंतिम सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.41 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अन्यायपूर्ण सिद्ध हुआ।

₹ 55,37.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

003- प्रशिक्षण-

01- प्रशिक्षणार्थियों के लिए शिष्यवृत्तियां/छात्रवृत्तियां-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजना**

मूल	2.00			
	
पुनर्वि०	(-)2.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-26 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान पूर्णबंद होने के कारण कम कर दिया गया।

योजना-

मूल	17.00			
		9.49	9.49	..
पुनर्वि०	(-)7.51			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.51 लाख की कमी पूर्णबंद होने और प्रस्तावों की प्राप्ति न हाने के कारण हुई।

104- संवर्धन तथा प्रचार-

08- पर्यटन संरचना के लिए प्रोत्साहन-

योजना

मूल	15.00			
पूरक	28.44	31.60	31.60	..
पुनर्वि०	(-)11.84			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.84 लाख की कमी बैठकों के कम आयोजन के कारण हुई।

(iv)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)	

3452- पर्यटन-

80- सामान्य-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

योजना

मूल	17.00			
		89.68	89.68	..
पुनर्वि०	72.68			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 72.68 लाख का आवर्धन व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लम्बित बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

(v)	दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)	

5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-

02- विमान पत्तन-

102- एरोड्राम्स-

01- हैलीपैड और हवाई अड्डों का निर्माण -

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-26 (समाप्त)

योजना				
मूल	4,29.00			
		9,29.00	4,29.00	(-)5,00.00
पूरक	5,00.00			

₹ 5,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-

01- पर्यटन अवसंरचना-

800- अन्य व्यय-

01- विभिन्न कार्यों का निर्माण-

योजना

मूल	3,50.00			
पूरक	3,50.00	6,40.26	2,70.74	(-)3,69.52
पुनर्वि0	(-)59.74			

₹ 3,69.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 59.74 लाख की कमी सूरज कुण्ड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के कम बिलों की प्राप्ति के कारण हुई जोकि अप्रत्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 3,69.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

03- नई राहें नई मंजिलें-

गैर योजना

मूल	50,00.00	50,00.00	30,33.83	(-)19,66.17
-----	----------	----------	----------	-------------

₹ 19,66.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 27 - श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2216 आवास, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230- श्रम तथा रोजगार, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6202- शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति के लिए ऋण)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,97,63,42			
		3,58,39,00	3,19,11,30	(-)39,27,71
पूरक	60,75,58			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				31,52,36
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	83,78,29			
		83,78,29	83,05,59	(-)72,70
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				72,70

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 39,27.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 60,75.59 लाख का अनुपूरक अनुदान तथा ₹ 31,52.36 लाख का अभ्यर्पण क्रमशः अनावश्यक और अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

2203- तकनीकी शिक्षा

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

गैर योजना				
मूल	2,93.90			
		2,21.02	2,21.02	..
पुनर्वि०	(-)72.88			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 72.88 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
105- बहुतकनीकी विद्यालय-				
01- राजकीय बहुतकनीकी विद्यालय-				
गैर योजना				
मूल	38,84.25			
		32,26.30	32,26.30	..
पुनर्वि०	(-)6,57.95			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,57.95 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और दैनिक वेतन भोगियों के नियमितिकरण न होने के कारण हुई।				
योजना				
मूल	10,70.00			
		10,46.30	10,47.43	+1.13
पुनर्वि०	(-)23.70			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.70 लाख की कमी संकाय की कम भर्ती,संगोष्ठियों/शिवरों के कम आयोजन होने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों एवं बिजली, दूरभाष, पानी के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अतिरिक्त मंहगाई भत्ते और अंतरिम राहत के बकाया भुगतान पर हुए अधिक व्यय के कारण अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
112- इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान-				
01- राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय/ तकनीकी कालेज तथा मूल संस्थान -				
गैर योजना				
मूल	8,36.31			
		5,35.37	5,35.31	(-)0.06
पुनर्वि०	(-)3,00.94			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,00.94 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, मशीनरी तथा उपकरणों की कम खरीद, अन्य प्रभारों पर कम व्यय, बिजली,दूरभाष, पानी के बिलों की कम प्राप्ति एवं दैनिक वेतन भोगियों के कम नियमितीकरण होने के कारण हुई।				
योजना				
मूल	12,10.00			
		11,58.33	11,58.34	+0.01
पुनर्वि०	(-)51.67			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 51.67 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, मशीनरी तथा उपकरणों की कम खरीद, अन्य प्रभारों पर कम व्यय, बिजली, दूरभाष, पानी के बिलों की कम प्राप्ति एवं दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई जोकि अतिरिक्त मंहगाई भत्ते और अंतरिम राहत के बकाया भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अनुदान- गैर योजना

मूल 10.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)10.00

मार्च 2020 में ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सहायता अनुदान के आवेदनों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजित द्वारा कम कर दिया गया।

2230- श्रम तथा रोजगार-

01- श्रम-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-

गैर योजना

मूल 1,65.46

1,11.11

1,11.11

..

पुनर्वि० (-)54.35

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.35 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

101- औद्योगिक सम्बन्ध-

01- श्रम नियमों को लागू करना-

गैर योजना

मूल 5,28.20

पूरक 15.50

4,46.02

4,46.00

(-)0.02

पुनर्वि० (-)97.68

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 97.68 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई।

02- झगड़ों का निपटारा-

गैर योजना

मूल 1,70.96

पूरक 4.00

1,37.58

1,37.58

..

पुनर्वि० (-)37.38

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 37.38 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, बिजली, दूरभाष, पानी के बिलों की कम प्राप्ति, लघु विभिन्ता और दौरो पर कम व्यय के कारण हुई।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

102- कार्य की परिस्थितयां तथा सुरक्षा-

01- कारखानों का निरीक्षणालय-

गैर योजना

मूल 4.94

पूरक 7.00

10.40

10.40

..

पुनर्वि० (-)1.54

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.54 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

02- रोजगार सेवाएं-

101- रोजगार सेवाएं-

01- रोजगार सेवाओं का आवरण विस्तार -

गैर योजना

मूल 10,53.70

पूरक 6.50

8,86.99

8,86.97

(-)0.02

पुनर्वि० (-)1,73.21

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,73.21 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई।

02- व्यवसायिक सुझाव तथा रोजगार मंत्रणा-

गैर योजना

मूल 34.83

26.29

26.29

..

पुनर्वि० (-)8.54

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.54 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

योजना

मूल 45.72

19.76

19.76

..

पुनर्वि० (-)25.96

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.96 लाख की कमी बाह्य स्रोतों, कर्मचारियों की कम नियुक्ति, संगोष्ठियों के कम आयोजन, बिजली, दूरभाष, पानी के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

03- विश्व विद्यालय रोजगार तथा सुझाव-

गैर योजना

(i) मूल 4.78

पूरक 6.30

8.63

8.63

..

पुनर्वि० (-)2.45

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

05- विशेष रोजगार कार्यालय अनुसूचित जाति-

गैर योजना

(ii) मूल	16.08			
		5.94	5.94	..
पुनर्वि०	(-)10.14			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.59 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

03- प्रशिक्षण-

003- दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण-

05- दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-

गैर योजना

मूल	54,98.35			
पूरक	2,21.00	53,17.90	53,17.82	(-)0.08
पुनर्वि०	(-)4,01.45			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,01.45 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, संकाय की कम नियुक्ति, अन्य प्रभारों, किराया, दर, करों पर कम व्यय और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

योजना

मूल	8,12.00			
		15,61.31	7,86.06	(-)7,75.25
पुनर्वि०	7,49.31			

₹ 7,75.25 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,49.31 लाख का आवर्धन अन्य प्रभारों और मानदेय के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि बाह्य वाहनों पर कम व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण पर कम व्यय के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 7,75.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

09- कौशल विकास भत्ता-

गैर योजना

मूल	99,00.00			
		46,20.39	46,20.14	(-)0.25
पुनर्वि०	(-)52,79.61			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 52,79.61 लाख की कमी संगोष्ठियों के कम आयोजन,संबद्धता शुल्क, विज्ञापन प्रचार पर कम व्यय, बिजली,दूरभाष, पानी के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

10- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में उन्नयन-

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

योजना

मूल 50.00

पुनर्वि० (-)50.00

मार्च 2020 में ₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान संगोष्ठियों के आयोजन न होने, संबद्धता शुल्क पर व्यय न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------	-----------------------

(₹ लाखों में)

2230- श्रम एवं रोजगार-

03- प्रशिक्षण-

800- अन्य व्यय-

01- हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम -

योजना

मूल 3.00

पूरक 55,46.25 89,25.00 89,25.00 ..

पुनर्वि० 33,75.75

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33,75.75 लाख का आवर्धन अतिरिक्त मंहगाई भत्ते और अंतरिम राहत के बकाया भुगतान पर हुए अधिक व्यय तथा सहायता उपदान के लिए प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------	-----------------------

(₹ लाखों में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

02- तकनीकी शिक्षा-

104- बहुशिल्प-

01- भवन-

गैर योजना

(i) मूल 1,00.00

69.00 69.00 ..

पुनर्वि० (-)31.00

105- इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान-

01- भवन-

गैर योजना

(ii) मूल 2,00.00

1,42.00 1,42.00 ..

पुनर्वि० (-)58.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(समाप्त)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 89.00 लाख की कमी मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

योजना

मूल	40,40.00			
		20,40.00	20,40.00	..
पुनर्वि०	(-)20,00.00			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20,00.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

(v)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
				(₹ लाखों में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

02- तकनीकी शिक्षा-

105- इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान-

03- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण-

गैर योजना

मूल	1,00.00			
		1,16.31	1,16.31	..
पुनर्वि०	16.31			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.31 लाख का आवर्धन मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर हुए अधिक व्यय के कारण हुआ।

योजना

मूल	21,46.00			
		41,46.00	41,46.00	..
पुनर्वि०	20,00.00			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20,00.00 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 28- शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास

(शीर्ष 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2215- जलापूर्ति तथा सफाई, 2216-आवास, 2217- शहरी विकास, 4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	5,26,12,39		
	5,26,12,44	4,32,82,67	(-)93,29,77
पूरक	5		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			71,33,42
प्रभारित			
मूल	..		
	4,64,55	4,64,55	..
पूरक	4,64,55		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	41,99,00		
	1,40,27,02	1,40,33,08	+6,06
पूरक	98,28,02		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			31,97

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,06,266 के आधिक्य का नियमितीकरण अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 93,29.77 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में ₹ 71,33.42 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 6.06 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में ₹ 31.97 लाख का अभ्यर्पण अन्यायपूर्ण सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-			
02- मल जल तथा सफाई-			
105- सफाई सेवाएं			
04- मुरम्मत और रखरखाव-			
योजना			
मूल	11,97.00	11,97.00	4,57.91
			(-)7,39.09

₹ 7,39.09 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

2217- शहरी विकास-

80- सामान्य-				
001- निदेशन तथा प्रशासन-				
01- स्थानीय निकायों का निदेशालय-				
गैर योजना				
मूल	3,28.59			
		2,56.20	2,56.20	..
पुनर्वि०	(-)72.39			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 72.39 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि परामर्श शुल्क के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

02- नगर एवं ग्राम योजना संगठन का निदेशालय-

गैर योजना				
मूल	16,40.75			
पूरक	0.01	12,51.80	12,51.81	+0.01
पुनर्वि०	(-)3,88.96			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,88.96 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और विशेष सैल में लगे सेवानिवृत्त अधिकारियों के इस्तीफे के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोतों से अधिक नियुक्ति और विज्ञापन, प्रकाशन, पानी, बिजली और दूरभाष बिलों की अधिक प्राप्ति पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

191- नगर निगम को सहायता स्वर्ण जयंती शाहगार योजना-

04- दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
---	--	--	--	--

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

	योजना				
(i)	मूल	1,00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	योजना				
(ii)	मूल	1,00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
45-	केन्द्रीय वित्तायोग पुरस्कार- गैर योजना				
(iii)	मूल	18,34.56			
			12,62.89	12,62.89	..
	पुनर्वि०	(-)5,71.67			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,73.67 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण हुई।				
49-	स्मार्ट सिटी मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	37,40.00			
		
	पुनर्वि०	(-)37,40.00			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 37,40.00 लाख समस्त प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने के कारण हुई।				
	योजना				
	मूल	37,40.00			
			21,40.00	21,40.00	..
	पुनर्वि०	(-)16,00.00			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16,00.00 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने और केन्द्र की हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।				
50-	प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास (शहरी) केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	5,00.00			
			1,56.29	..	(-)1,56.29
	पुनर्वि०	(-)3,43.71			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

₹ 1,56.29 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,43.71 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई जोकि अवास्तविक सिद्ध हुई।

₹ 1,56.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

योजना

मूल	55.00			
		17.37	17.37	..
पुनर्वि०	(-)37.63			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 37.63 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी होने के कारण हुई।

51- पार्किंग का निर्माण-
गैर योजना

(i) मूल	50.00	50.00	25.00	(-)25.00
---------	-------	-------	-------	----------

52- बाल पार्को का विकास-
गैर योजना

(ii) मूल	50.00	50.00	25.00	(-)25.00
----------	-------	-------	-------	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 50.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

55- कूड़ा संवर्धन संयंत्र की स्थापना और
लैंड फिल साइट का विकास-
मूल

1,00	
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

56- विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित ग्रेटर शिमला
जलापूर्ति योजना-
गैर योजना

मूल	1,19,00.00			
		1,07,39.00	1,07,39.00	..
पुनर्वि०	(-)11,61.00			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,61.00 लाख की कमी वेतन भुगतान के लिए अनुदान संख्या-13 में निधियों को प्रदान करने के कारण हुई। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित और हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली पुस्तिका 1971 के पैरा 12.5 (i) एवं हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 44 (3) का उल्लंघन है।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

57-	अटल श्रेष्ठ शहर योजना- गैर योजना				
	मूल	2,00.00	2,00.00	..	(-)2,00.00
	₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।				
192-	नगर पालिकाओं -नगर परिषदों को सहायता-				
12-	सृजन उन्नयन हेतु विशेष राज्य वित्तायोग पुरस्कार- गैर योजना				
	मूल	2,00.00			
	पुनर्वि०	(-)2,00.00			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख के समस्त प्रावधान को योजना के अन्तर्गत व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।				
14-	केन्द्रीय वित्तायोग पुरस्कार- गैर योजना				
	मूल	35,65.97			
			24,23.74	24,23.74	..
	पुनर्वि०	(-)11,42.23			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,42.23 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा दूसरी किस्त जारी न होने के कारण हुई।				
18-	प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास (शहरी)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	12,56.00			
			10,00.59	1.22	(-)9,99.37
	पुनर्वि०	(-)2,55.41			
	₹ 9,99.37 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,55.41 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों को कम जारी करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 9,99.37 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।				
	योजना				
	मूल	1,45.00			
			1,07.85	1,07.85	..
	पुनर्वि०	(-)37.15			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 37.15 लाख की कमी केन्द्र की हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

19- बाल पार्कों का विकास-
गैर योजना

मूल	4,00.00	4,00.00	84.58	(-)3,15.42
-----	---------	---------	-------	------------

₹ 3,15.42 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की
समितियों या इसके समतुल्य को सहायता-

04- दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी
आजीविका मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल 1,00

..

पुनर्वि० (-)1.00

योजना

(ii) मूल 1,00

..

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

13- केन्द्रीय वित्तायोग पुरस्कार-
गैर योजना

मूल	7,73.47			
-----	---------	--	--	--

		5,26.37	5,26.37	..
--	--	---------	---------	----

पुनर्वि० (-)2,47.10

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,47.10 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा दूसरी किस्त जारी नहीं होने के कारण हुई।

16- प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास (शहरी)-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	6,00.00			
-----	---------	--	--	--

		1,48.80	..	(-)1,48.80
--	--	---------	----	------------

पुनर्वि० (-)4,51.20

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

₹ 1,48.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,51.20 लाख की कमी भारत सरकार से कम निधियां जारी होने के कारण हुईं जोकि अवास्तविक सिद्ध हुईं।

₹ 1,48.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

योजना

मूल	62.00			
		14.88	14.88	..

पुनर्वि० (-)47.12

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 47.12 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुईं।

17- बाल पार्कों का विकास-
गैर योजना

मूल	1,00.00	1,00.00	..	(-)1,00.00
-----	---------	---------	----	------------

₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिव्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुईं:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिव्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मुरम्मत-

10- नगर एवं ग्राम योजना विभाग के कार्यालय भवनों का रखरखाव-

गैर योजना

मूल	0.01			
		10.01	10.01	..

पुनर्वि० 10.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख का आवर्धन रखरखाव कार्य के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-

02- मल जल तथा सफाई-

105- सफाई सेवाएं-

04- मुरम्मत और रखरखाव-

गैर योजना

मूल	3,50.00			
पूरक	0.01	3,53.30	10,73.90	+7,20.60
पुनर्वि०	3.29			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

₹ 7,20.60 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

2216- आवास-

02- शहरी आवास-

105- भू-संपदा विनियमितीकरण और विकास अधिनियम,2016 के अन्तर्गत निर्माण -

01- हिमाचल प्रदेश भू-संपदा नियामक प्राधिकरण-
गैर योजना

पूरक	0.02			
		1,00.00	1,00.00	..
पुनर्वि०	99.98			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.98 लाख का आवर्धन नए कार्यालय की स्थापना और योजना के लिए नए नियुक्त कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के कारण हुआ।

2217- शहरी विकास-

80- सामान्य-

191- नगर निगम को सहायता-

48- अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	26,03.00			
		36,37.38	34,29.38	(-)2,08.00
पुनर्वि०	10,34.38			

₹ 2,08.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,34.38 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्सा जारी होने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 67,92.05 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 2,08.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

योजना

मूल	2,78.00			
		4,45.66	4,45.66	..
पुनर्वि०	1,67.66			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,67.66 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य का हिस्सा जारी करने के कारण हुआ।

192- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता-

04- दीनदयाल अन्तोदय योजना
राष्ट्रीय आजिविका मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

योजना				
मूल	1,46.00			
		6,22.31	6,22.31	..
पुनर्वि०	4,76.31			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,76.31 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।				
योजना				
मूल	15.00			
		69.15	69.15	..
पुनर्वि०	54.15			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.15 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य का हिस्सा जारी करने के कारण हुआ।				
16-	स्वच्छ भारत मिशन हेतु सहायता अनुदान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
योजना				
मूल	2,00.00			
		5,13.20	5,13.20	..
पुनर्वि०	3,13.20			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,13.20 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 7,63.20 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
योजना				
मूल	22.00			
		56.80	56.80	..
पुनर्वि०	34.80			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.80 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।				
17-	अटल मिशन कायाकल्प और शहरी रूपांतरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
योजना				
मूल	11,00.00			
		18,68.87	18,68.87	..
पुनर्वि०	7,68.87			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,68.87 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 67,92.05 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
21-	नगर पालिकाओं/नगर परिषद क्षेत्रों की सड़कों की मुरम्मत-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	6,00.00			
पूरक	0.01	8,00.00	8,00.00	..
पुनर्वि०	1,99.99			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,99.99 लाख का आवर्धन कार्यालय भवन के रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

पूजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूजीगत परिव्यय-

02- मल निकासी तथा सफाई-				
106- जलमल सेवाएं				
02- विभिन्न जिलों में जलोस्तर मल व्यवस्था योजना- योजना				
मूल	29,92.00			
		63,42.00	63,80.03	+38.03
पूरक	33,50.00			

₹ 38.03 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

4217- शहरी विकास पर पूजीगत परिव्यय-

01- राज्य की राजधानी का विकास-				
190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश-				
01- शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड में इक्विटी/निवेश- योजना				
मूल	10,00.00			
पूरक	64,78.02	75,04.90	75,04.90	..
पुनर्वि०	26.88			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.88 लाख का आवर्धन शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड में निवेश के कारण हुआ।

(vii) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

4217- शहरी विकास पर पूजीगत परिव्यय-

03- लघु तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (समाप्त)

051- निर्माण-

05- प्रारूप विकास योजना विस्तार-
योजना

मूल 2,07.00

1,48.15

1,48.15

..

पुनर्वि0 (-)58.85

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 58.85 लाख की कमी पूर्णबंद के दौरान बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या- 29 -वित्त

(शीर्ष- 2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2048- ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग, 2049- ब्याज अदायगी, 2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2059- लोक निर्माण कार्य, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3451- सचिवालय आर्थिक सेवायें, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण, 6004- केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम तथा 7610- सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण)

	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	67,74,49,49		
	67,81,25,28	55,68,29,36	(-)12,12,95,92
पूरक	6,75,79		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020) प्रभारित			13,04,07,65
मूल	45,50,00,00		
	45,50,00,08	42,34,01,54	(-)3,15,98,54
पूरक	8		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020) पूंजीगत प्रवर्ग			3,38,87
दत्तमत			
मूल	13,77,51		
	13,77,53	7,42,56	(-)6,34,97
पूरक	2		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020) प्रभारित			4,77,45
मूल	32,61,75,04		
	67,00,74,76	67,00,75,18	+42
पूरक	34,38,99,72		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			5

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन पर हुए ₹ 42,183 के आधिक्य का नियमितीकरण अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत अनुदान में ₹ 12,12,95.92 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 6,75.79 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और ₹ 13,04,07.65 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 3,15,98.54 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में ₹ 3,38.87 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,34.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में ₹ 4,77.45 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (v) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन पर हुए ₹ 0.42 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से, फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 34,38,99.72 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (vi) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं-			
103- लघु बचत संगठन-			
01- लघु बचत संगठन-			
गैर योजना			
मूल	86.28		
		56.18	
पुनर्वि०	(-)30.10		
		56.18	..
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.10 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पेट्रोल, तेल स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।			
02- जिला स्थापना-			
गैर योजना			
मूल	69.91		
		39.31	
पुनर्वि०	(-)30.60		
		37.24	(-)2.07
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.60 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।			

2048- ऋण की कमी या परिहार के लिए विनियोग-

- 101- ऋण शोधन निधि-
- 01- ऋण शोधन निधि हेतु हस्तांतरण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

गैर योजना				
(i)	मूल	1,00.00		
		
	पुनर्वि०	(-)1,00.00		
200-	अन्य विनियोग-			
01-	गारंटी निधि हेतु हस्तांतरण-			
	गैर योजना			
(ii)	मूल	1,00.00		
		
	पुनर्वि०	(-)1,00.00		
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना बंद करने के कारण कम कर दिया गया।			
2054-	खजाना तथा लेखा प्रशासन-			
095-	लेखा एवं खजाना निदेशालय-			
01-	मुख्यालय संगठन-			
	गैर योजना			
	मूल	8,83.06		
			7,25.05	7,25.05
	पुनर्वि०	(-)1,58.01		..
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,58.01 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पेशेवरों की कम भर्ती, बिजली, पानी, दूरभाष बिलों और बाह्य स्रोतों पर कम व्यय के कारण हुई।			
097-	खजाना स्थापना-			
01-	जिला स्थापना तथा उप कोषागार-			
	गैर योजना			
	मूल	33,24.10		
			27,33.16	27,43.68
	पुनर्वि०	(-)5,90.94		+10.52
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,90.94 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जोकि पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ।			
098-	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा-			
01-	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा संगठन-			
	गैर योजना			
	मूल	10,14.28		
			7,46.95	7,46.95
	पुनर्वि०	(-)2,67.33		..

विनियोग लेखे

अनुदान संख्यत- 29 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,67.33 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-

01- नागरिक-

101- अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते-

03- 1.11.1966 से अधिवर्षिकी-

गैर योजना

मूल 35,12,77.05

30,07,34.59

32,32,42.50

+2,25,07.91

पुनर्वि० (-)5,05,42.46

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,05,42.46 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

₹ 2,25,07.91 लाख का अंतिम आधिक्य अतिरिक्त मंहगाई भत्ते, अंतरिम राहत दरों में वृद्धि और वृद्धावस्था भत्ते लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण हुआ।

102- पेंशन का साराशीकृत मूल्य-

02- 1.11.1966 से देय राशि-

गैर योजना

मूल 7,10,64.00

2,50,25.95

2,50,07.46

(-)18.49

पुनर्वि० (-)4,60,38.05

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,60,38.05 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

104- उपदान-

02- 1.11.1966 से देय उपदान-

गैर योजना

मूल 6,71,40.00

4,98,12.11

4,97,37.02

(-)75.09

पुनर्वि० (-)1,73,27.89

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,73,27.89 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

₹ 75.09 लाख की अंतिम बचत अपेक्षा से कम उपदान मामलों की प्राप्ति के कारण हुई।

105- पारिवारिक पेंशन-

02- 1.11.1966 से देय राशि-

गैर योजना

मूल 8,85,78.07

7,61,53.80

6,31,63.24

(-)1,29,90.56

पुनर्वि० (-)1,24,24.27

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,24,24.27 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या- 29 (क्रमशः)

₹ 1,29,90.56 लाख की अंतिम बचत अपेक्षा से कम पारिवारिक पेंशन मामलों की प्राप्ति के कारण हुई।

111- विधायकों को पेंशन-

01- राज्य के विधायक-

गैर योजना

मूल 28,89.45

23,85.30

21,10.42

(-)2,74.88

पुनर्वि० (-)5,04.15

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,04.15 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

₹ 2,74.88 लाख की अंतिम बचत अपेक्षा से कम पेंशन मामलों की प्राप्ति के कारण हुई।

115- अवकाश नकदीकरण हितलाभ-

01- अवकाश भुगतान-

गैर योजना

मूल 4,06,91.00

3,72,68.18

3,72,40.22

(-)27.96

पुनर्वि० (-)34,22.82

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34,22.82 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

₹ 27.96 लाख का अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण -

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

102- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन-

05- अटल पेंशन योजना-

गैर योजना

मूल 15,00.00

5,86.21

5,86.21

..

पुनर्वि० (-)9,13.79

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9,13.79 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत उपर्यक्त अभिदाताओं की अनुपलब्धता के कारण हुई।

3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-

091- सम्बद्ध कार्यालय-

01- वित्त और सार्वजनिक उद्यम संस्थागत निदेशालय-

गैर योजना

मूल 20,00.00

1,62.73

1,62.73

..

पुनर्वि० (-)18,37.27

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या- 29 (क्रमशः)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 18,37.27 लाख की कमी सहकारी संस्थाओं से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

111- जन्म-मृत्यु सांख्यिकी-

01- मुख्यालय तथा जिला कर्मचारी वर्ग-
गैर योजना

मूल 12,82.52

9,31.11

9,31.06

(-)0.05

पुनर्वि० (-)3,51.41

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,51.41 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और बाह्य स्रोतों पर कम व्यय के कारण हुई।

02- यांत्रिक सारणीकरण अंग-

गैर योजना

(i) मूल 20.65

11.69

11.69

..

पुनर्वि० (-)8.96

03- राज्य आय अनुमान ईकाई अंक के सुधार की स्थापना-
गैर योजना

(ii) मूल 26.56

7.67

7.65

(-)0.02

पुनर्वि० (-)18.89

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27.85 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(vii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाखों में)

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

095- लेखा तथा खजाना-

04- विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन
प्रणाली (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)-
योजना

मूल 10,00.000

पूरक 6,75.79

17,95.20

17,95.20

..

पुनर्वि० 1,19.41

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या- 29 (क्रमशः)

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,19.41 लाख का आवर्धन पेशेवरों को परामर्श शुल्क के भुगतान के कारण हुआ जोकि बिलों की कम प्राप्ति, रिक्त पदों को न भरने और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और शिविरों के कम आयोजन के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव और मरम्मत-

04- आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के रखरखाव पर व्यय-
गैर योजना

(i) मूल	0.01			
		35.14	35.14	..
पुनर्वि०	35.13			

43- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग का व्यय-
गैर योजना

(ii) मूल	0.01			
		16.03	16.03	..
पुनर्वि०	16.02			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 51.15 लाख का आवर्धन अवरोध मुक्त आवास बनाने के लिए लिफ्ट की स्थापना के कारण हुआ।

2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-

01- सिविल-

101- अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते-

02- 1-1-1996 से अधिवर्षिता

गैर योजना

पुनर्वि०	0.68	0.68	..	(-)0.68
----------	------	------	----	---------

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 0.68 लाख का आवर्धन पेंशन के भुगतान के कारण हुआ।

₹ 0.68 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)। निधियों को मूल/अनुपूरक बजट अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। पुनर्विनियोजन द्वारा बजट प्रावधान हिमाचल प्रदेश बजट के पैरा 12.5 का उल्लंघन है।

105- पारिवारिक पेंशन-

01- 1.11.1966 से पूर्व देय राशि-

गैर योजना

मूल	13,92.43			
		18,29.55	18,13.00	(-)16.55
पुनर्वि०	4,37.12			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,37.12 लाख का आवर्धन पेंशन में अधिक भुगतान के कारण हुआ।

117- परिभाषित योगदान पेंशन योजना के लिए
सरकारी योगदान-

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

01- अंशदायी पेंशन योजना-
गैर योजना

मूल 4,30,10.00

4,66,61.03

4,66,60.69

(-)0.34

पुनर्वि० 36,51.03

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36,51.03 लाख का आवर्धन पेंशन के भुगतान के कारण हुआ।

(viii) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुई:-

शीर्ष

कुल विनियोजन

वास्तविक

व्यय

(₹ लाखों में)

आधिक्य (+)

बचत (-)

2049- ब्याज अदायगी-

01- आंतरिक ऋण पर ब्याज-

101- बाजार ऋणों पर ब्याज-

89- प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण (नए ऋण)

गैर योजना

मूल 3,31,20.18

..

..

..

पुनर्वि० (-)3,31,20.18

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्षण द्वारा ₹ 3,31,20.18 लाख का संपूर्ण विनियोजन निर्धारित समय के अनुसार ब्याज का भुगतान न करने के कारण कम कर दिया गया। ऐसा विनियोजन 2010-11 से किया जा रहा है।

200- अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज-

07- कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक-

गैर योजना

मूल 1,60,00.00

1,36,62.06

1,36,62.07

+0.01

पुनर्वि० (-)23,37.94

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्षण द्वारा ₹ 23,37.94 लाख की कमी निर्धारित समय के अनुसार ब्याज के कम भुगतान के कारण हुआ।

03- अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-

104- राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज-

01- सामान्य भविष्य निधि-

गैर योजना

मूल 12,65,95.00

14,48,36.66

11,43,72.11

(-)3,04,64.55

पुनर्वि० 1,82,41.66

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 1,82,41.66 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।
₹ 3,04,64.55 लाख की अंतिम बचत ब्याज दर के घटकर 8.9 प्रतिशत से 7.9 प्रतिशत होने के कारण हुई।

03- भारतीय सेवाएं भविष्य निधि-
गैर योजना

मूल	10,59.00	10,59.00	4,14.49	(-)6,44.51
-----	----------	----------	---------	------------

₹ 6,44.51 की अंतिम बचत बजट के पिछले वर्षों की प्रवृत्ति के अनुसार रखने के कारण हुई ।

108- बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज-

01- हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा स्कीम-
गैर योजना

मूल	23,46.00	23,46.00	15,15.67	(-)8,30.33
-----	----------	----------	----------	------------

₹ 8,30.33 लाख की अंतिम बचत ब्याज दर की 8 प्रतिशत से 7.9 प्रतिशत तक घटती प्रवृत्ति के कारण हुई।

(ix) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत प्रभारित विनियोजन पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2049- ब्याज अदायगी-			
01- आंतरिक ऋण पर ब्याज-			
101- बाजार ऋणों पर ब्याज-			
14- 8.73 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2022- गैर योजना			
(i) मूल	13,96.80		
पुनर्वि०		31,42.80	31,42.80
			..
21- 8.48 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2017- गैर योजना			
(ii) पूरक	0.01		
पुनर्वि०		22,56.00	22,56.00
			..
23- 12.15 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2008-			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

	गैर योजना				
(iii)	पूरक	0.01			
			15,85.50	15,85.50	..
	पुनर्वि०	15,85.49			
49-	5.60 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2004- गैर योजना				
(iv)	पूरक	0.01			
			42,15.00	42,15.00	..
	पुनर्वि०	42,14.99			
50-	6.35 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2004- गैर योजना				
(v)	पूरक	0.01			
			8,12.00	8,12.00	..
	पुनर्वि०	8,11.99			
51-	8.50 प्रतिशत पावर बॉन्ड- गैर योजना				
(vi)	पूरक	0.01			
			17,82.50	17,82.50	..
	पुनर्वि०	17,82.49			
52-	7.77 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2005- गैर योजना				
(vii)	पूरक	0.01			
			8,81.25	8,81.25	..
	पुनर्वि०	8,81.24			
53-	7.39 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2015- गैर योजना				
(viii)	पूरक	0.01			
			8,97.50	8,97.50	..
	पुनर्वि०	8,97.49			
56-	7.36 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2004- गैर योजना				
(ix)	पूरक	0.01			
			16,40.00	16,40.00	..
	पुनर्वि०	16,39.99			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

उपरोक्त नौ मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 1,58,15.67 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

115- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज-

01- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम प्रभार पर ब्याज-

गैर योजना

मूल	0.01			
		2,41.69	2,87.82	+46.13
पुनर्वि०	2,41.68			

₹ 46.13 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 2,41.68 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 46.13 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

02- ओवरडाफ्ट पर ब्याज-

गैर योजना

मूल	0.01			
		70.11	70.14	+3.03
पुनर्वि०	70.10			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 70.10 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

116- 14 दिन के खजाना बिलों पर ब्याज-

01- 14 दिन के खजाना बिलों पर ब्याज -

गैर योजना

मूल	4,00.00	4,00.00	9,86.68	+5,86.68
पुनर्वि०				

₹ 5,86.68 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

200- अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज-

05- राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम से ऋण-

गैर योजना

मूल	10,00.00			
		11,96.14	11,96.14	..
पुनर्वि०	1,96.14			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 1,96.14 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

305- ऋण का प्रबन्ध-

01- ऋण का प्रबन्ध-

गैर योजना

मूल	5,60.00			
		5,90.00	6,33.86	+43.86
पुनर्वि०	30.00			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

₹ 43.86 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 30.00 लाख का आवर्धन ब्याज भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 43.86 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

04- केन्द्रीय सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज-

101- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में योजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज-

01- खण्ड विकास ऋण पर ब्याज-

गैर योजना

मूल 61,81.32

67,11.00

67,11.00

..

पुनर्वि० 5,29.68

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 5,29.68 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(x) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

08- कोषागार संगठन-
योजना

मूल 4,00.00

3,91.05

2,61.55

(-)1,29.50

पुनर्वि० (-)8.95

₹ 1,29.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

7610- सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण -

201- भवन निर्माण अग्रिम-

01- सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम-
योजना

मूल 6,00.00

78.72

80.70

+1.98

पुनर्वि० (-)5,21.28

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,21.28 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

02- मन्त्रियों/उप मन्त्रियों तथा राज्य सभा के पीठासीन अधिकारियों को अग्रिम-
गैर योजना

मूल 50.00

30.00

..

(-)30.00

पुनर्वि० (-)20.00

₹ 30.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की कमी मामलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई जोकि अवास्तविक सिद्ध हुई। ₹ 30.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

03- हाई कोर्ट के जजों/लोकायुक्त इत्यादि के अग्रिम-
गैर योजना

(i) मूल 7.50

..

..

..

पुनर्वि० (-)7.50

202- मोटर वाहन को क्रय करने के लिए अग्रिम-

03- मंत्रियों तथा राज्य विधान सभा के अधिकारियों को मोटर कार हेतु अग्रिम-
गैर योजना

(ii) मूल 20.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)20.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 27.50 लाख का समस्त प्रावधान मामलों की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।

800- अन्य अग्रिम-

04- शिक्षा ऋण-
गैर योजना

मूल 3,00.00

8.14

8.14

..

पुनर्वि० (-)2,91.86

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,91.86 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

(xi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-
शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य (+)
व्यय बचत (-)
(₹ लाखों में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या- 29 (क्रमशः)

34-	विश्व बैंक समर्थित एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली(बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)के अन्तर्गत कोषागार भवन- योजना				
	पूरक	0.01			
			1,01.77	1,01.77	..
	पुनर्वि०	1,01.76			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,01.76 लाख का आवर्धन कार्यालय भवन के निर्माण के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

39-	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग- योजना				
	पूरक	0.01			
			2,90.40	2,90.40	..
	पुनर्वि०	2,90.39			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,90.39 लाख का आवर्धन हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण से कार्यालय आवास खरीदने के कारण हुआ।

(xii)	प्रभारित विनियोजन में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-				
	शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
			(₹ लाखों में)		

6003-	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-				
110-	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम-				
03-	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ओवर ड्राफ्ट और कमियां- गैर योजना				
	पूरक	9,23,63.73			
			9,28,31.71	9,28,32.19	+0.48
	पुनर्वि०	4,67.98			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 4,67.98 लाख का आवर्धन भारतीय रिजर्व बैंक के लिए गए अर्थोपाय अग्रिम के पुनर्भुगतान के कारण हुआ।

6004-	केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम-				
02-	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण-				
101-	एक मुश्त ऋण-				
01-	साधारण ऋण- गैर योजना				
	मूल	41,19.95			
			42,67.08	42,67.08	..
	पुनर्वि०	1,47.13			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 1,47.13 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या- 29 (समाप्त)

(xiii) उपरोक्त आधिक्य निम्नवत् शीर्ष के अर्न्तगत प्रभारित विनियोजन पर हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-			
108- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण-			
02- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण- गैर योजना			
मूल	20,00.00		
		13,92.82	
			13,92.82
पुनर्वि०	(-)6,07.18		..

मार्च 2019 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 6,07.18 लाख की कमी निर्धारित समय के अनुसार ऋण के पुनर्भुगतान के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30- विविध सामान्य सेवाएं

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2202- सामान्य शिक्षा, 2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 2250- अन्य सामाजिक सेवाएं, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4220- सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	91,08,97			
		97,27,51	85,95,84	(-)11,31,67
पूरक	6,18,54			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				9,40,26
प्रभारित				
मूल	..			
		3,05,87	..	(-)3,05,87
पूरक	3,05,87			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	41,04,04			
		41,24,04	37,74,38	(-)3,49,66
पूरक	20,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1,88,46

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹11,31.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 6,18.54 लाख का अनुपूरक अनुदान और क्रमशः ₹ 9,40.26 लाख का अभ्यर्पण अनावश्यक तथा अपर्याप्त सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 3,05.87 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 3,05.87 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई जोकि बेहतर बजट बनाने और व्यय पर प्रभावी नियन्त्रण की आवश्यकता को इंगित करता है।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,49.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 20.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 1,88.46 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-			
003- प्रशिक्षण -			
03- हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान- गैर योजना			
मूल	4,69.53		
		3,68.39	
			3,68.20
			(-)0.19
पुनर्वि०	(-)1,01.14		
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,01.14 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं के अधिक भुगतान, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की मजदूरी की दरों में अधिक वृद्धि और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधिक आयोजन के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।			
118- नागरिकता अधिनियम का प्रशासन-			
01- राज्य सूचना आयोग पर व्यय- गैर योजना			
मूल	2,55.32		
		2,35.62	
			2,35.61
			(-)0.01
पुनर्वि०	(-)19.70		
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19.70 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि किराए के बिलों की अधिक प्राप्ति, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति और सजावट पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।			
2202- सामान्य शिक्षा-			
05- भाषा विकास-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- निदेशालय- गैर योजना			
मूल	4,35.73		
		2,61.91	
			2,61.91
			..
पुनर्वि०	(-)1,73.82		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,73.82 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की अधिक पात्रता, बाह्य स्रोत सेवाओं का अधिक भुगतान, विज्ञापन और प्रचार पर अधिक व्यय और चिकित्सा प्रतिपूति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

102- आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन-

01- हिंदी का विकास-

गैर योजना

मूल	71.21			
		56.13	56.14	+0.01
पुनर्वि०	(-)15.08			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15.08 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

गैर योजना

मूल	12,24.65			
		10,02.86	10,02.87	+0.01
पुनर्वि०	(-)2,21.79			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,21.79 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने, बाह्य स्रोत सेवाओं का भुगतान, खेल वस्तुओं की खरीद और विभागीय गतिविधियों पर कम व्यय तथा कर्मचारियों द्वारा कम दौरे के कारण हुई।

योजना

मूल	1,50.00			
		1,11.32	1,11.32	..
पुनर्वि०	(-)38.68			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 38.68 लाख की कमी रखरखाव और खेल वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

104- खेलकूद-

01- पर्वतीय संस्थान तथा सम्बन्धित खेलकूद, मनाली-

गैर योजना

मूल	5,30.40			
पूरक	0.01	3,33.74	3,33.73	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1,96.67			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,96.67 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति और पर्वतारोहण तथा खेल के लिए वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

800- अन्य व्यय-

04- हिमाचल खेल परिषद-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

2205- कला एवं संस्कृति-

102- कला तथा संस्कृति का संवर्धन-

02- उत्सवों पर व्यय-

योजना

मूल 3,20.00

पूरक 0.01 2,37.31 2,16.31 (-)21.00

पुनर्वि० (-)82.70

₹ 21.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 82.70 लाख की कमी सम्मेलन के आयोजन न होने के कारण हुई जोकि मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। ₹ 21.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

04- कला केन्द्र-

गैर योजना

मूल 36.03

25.64 25.60 (-)0.04

पुनर्वि० (-)10.39

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.39 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने और प्रदर्शनी पर कम व्यय के कारण हुई।

05- अन्य संस्थानों को सहायता

गैर योजना

(i) मूल 10.00

7.30 7.30 ..

पुनर्वि० (-)2.70

योजना

(ii) मूल 30.00

16.45 16.45 ..

पुनर्वि० (-)13.55

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16.25 लाख की कमी कोविड-19 के कारण अनुदान जारी न होने के कारण हुई।

07- वृत्तचित्र कलाकारों को वित्तीय सहायता-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	30.00			
		0.52	0.52	..
पुनर्वि०	(-)29.48			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 29.48 लाख की कमी योजना में संशोधन के कारण हुई।

103- पुरातत्व विज्ञान-

01- प्राचीन कला और कला भू-निधि अधिनियम
1972 के क्रियान्वयन पर व्यय-

गैर योजना

मूल	2,05.79			
		1,58.69	98.81	(-)59.88
पुनर्वि०	(-)47.10			

₹ 59.88 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 47.10 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि सहायता अनुदान के अधिक मामलों की प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 59.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

योजना

मूल	1,19.00			
		1,18.46	8.19	(-)1,10.27
पुनर्वि०	(-)0.54			

₹ 1,10.27 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

104- अभिलेखागार-

01- राजकीय अभिलेखागार की स्थापना-

गैर योजना

मूल	96.23			
		75.59	75.94	+0.35
पुनर्वि०	(-)20.64			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.64 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने और संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

107- संग्रहालय-

01- हिमाचल राजकीय संग्रहालय-

गैर योजना

मूल	2,75.09			
		2,17.69	2,17.70	+0.01
पुनर्वि०	(-)57.40			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 57.40 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

2220- सूचना तथा प्रचार-

01- फिल्में-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

गैर योजना

मूल 6,64.18

5,68.70

5,68.69

(-)0.01

पुनर्वि० (-)95.48

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 95.48 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और विभिन्न मदों पर कम व्यय के कारण हुई।

02- जिला स्थापना-

गैर योजना

मूल 8,60.72

7,27.90

7,27.88

(-)0.02

पुनर्वि० (-)1,32.82

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,32.82 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

105- फिल्मों का निर्माण-

01- इलेक्ट्रॉनिक प्रचार सामग्री का

उत्पादन और प्रदर्शन-

गैर योजना

मूल 2,05.18

1,76.60

1,76.60

..

पुनर्वि० (-)28.58

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28.58 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और कोविड-19 पूर्णबन्द के कारण हुए कम व्यय के कारण हुई।

60- अन्य-

102- सूचना केन्द्र-

01- प्रैस सूचना बैंक सेवाओं पर व्यय-

गैर योजना

मूल 2,47.58

2,26.57

2,26.57

..

पुनर्वि० (-)21.01

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21.01 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने और कोविड-19 पूर्णबन्द के कारण हुए कम व्यय के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं के भुगतान पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

2250- अन्य सामाजिक सेवाएं-

103- पवित्र स्थानों, मंदिरों आदि का रखरखाव-

01- मंदिरों का प्रबन्ध-

गैर योजना

मूल 1,34.25

83.82

83.51

(-)0.31

पुनर्वि० (-)50.43

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.43 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

02- मंदिरों के लिए रिवाल्विंग फंड हेतु सहायता अनुदान-

गैर योजना

मूल 3,00.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)3,00.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,00.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष**कुल अनुदान****वास्तविक
व्यय****आधिक्य (+)
बचत (-)****(₹ लाखों में)****2059- लोक निर्माण कार्य-**

01- कार्यालय भवनों-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

23- सार्वजनिक संबंध विभाग तथा भवनों पर अनुरक्षण व्यय-

गैर योजना

मूल 0.01

57.75

57.75

..

पुनर्वि० 57.74

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.74 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों की मरम्मत/रखरखाव के कारण हुआ।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

003- प्रशिक्षण-

02- हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण व्यय-

गैर योजना

मूल 84.51

1,12.06

1,12.06

..

पुनर्वि० 27.55

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.55 लाख का आवर्धन कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ते और अंतरिम राहत के भुगतान के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

2205- कला एवं संस्कृति-

104- अभिलेखागार-

01- राजकीय अभिलेखागार की स्थापना-
योजना

मूल	2.00			
पूरक	0.01	11.04	11.04	..
पुनर्वि०	9.03			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.03 लाख का आवर्धन राज्य अभिलेखागार में लिखित विरासत के डिजिटलकरण के लिए सहायता प्रदान करने के कारण हुआ जोकि संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2220- सूचना तथा प्रचार-

60- अन्य-

101- विज्ञापन और दृश्य प्रचार-

01- विज्ञापन और दृश्य प्रचार पर व्यय-
गैर योजना

मूल	12,29.32			
पूरक	6,18.51	23,31.39	23,31.39	..
पुनर्वि०	4,83.56			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,83.56 लाख का आवर्धन विज्ञापन और प्रचार पर अधिक व्यय, नए वाहनों की अधिक खरीद, बैठक और सम्मेलन पर अधिक व्यय और दूरभाष, बिजली और पानी के बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

102- सूचना केंद्र-

02- हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण योजना-
गैर योजना

मूल	50.00			
		1,22.64	1,22.64	..
पुनर्वि०	72.64			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 72.64 लाख का आवर्धन प्रदेश के सभी राज्य/जिला स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को लैपटाप प्रदान करने के कारण हुआ।

107- गीत और नाटक सेवाएँ-

01- गीत और नाटक सेवाओं पर व्यय-
गैर योजना

मूल	1,99.30			
		3,25.31	3,25.31	..
पुनर्वि०	1,26.01			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,26.01 लाख का आवर्धन विशेष प्रचार अभियान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

(vi) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-				
शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय		आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाखों में)		

2205- कला एवं संस्कृति-

103- पुरातत्व विज्ञान-				
01- प्राचीन कला और भू-निधि				
अधिनियम 1972 के क्रियान्वयन पर व्यय-				
गैर योजना				
पूरक	3,05.87	3,05.87	..	(-)3,05.87

₹ 3,05.87 लाख का समस्त विनियोजन अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-				
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाखों में)		

4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय-

80- सामान्य-				
051- निर्माण-				
06- हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान भवनों का निर्माण-				
योजना				
मूल	2,00.00	2,00.00	38.80	(-)1,61.20

₹ 1,61.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

03- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-				
101- युवक छात्रावास-				
01- भवन-				
योजना				
मूल	5,00.00			
		4,57.00	4,57.00	..
पुनर्वि०	(-)43.00			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 43.00 लाख की कमी प्रमुख कार्यों पर कम व्यय के कारण हुई।

102- खेल क्रीडा स्थल-

04- मुख्य मंत्री खेल विकास योजना-				
गैर योजना				
मूल	6,80.00			
		5,79.80	5,79.80	..
पुनर्वि०	(-)1,00.20			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (समाप्त)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.20 लाख की कमी योजना पर कम व्यय के कारण हुई।

4220- सूचना तथा प्रचार पर
पूंजीगत परिव्यय-

60- अन्य -

101- भवन-

01- लोक निर्माण-
योजना

मूल 30.00

पुनर्वि० (-)30.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.00 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 पूर्णबंद/कर्फ्यू के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 31-जनजातीय विकास

(शीर्ष -2014 - न्याय प्रशासन, 2015- निर्वाचन, 2029- भू-राजस्व, 2030- स्टॉम्प तथा पंजीकरण, 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2055- पुलिस, 2056- जेल, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2062-सतर्कता, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2202- सामान्य शिक्षा, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2215- जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2217- शहरी विकास, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230- श्रम एवं रोजगार, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236- पोषण, 2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं, 2401- फसल कृषि- कर्म, 2402- मृदा तथा जल संरक्षण, 2403- पशु पालन, 2404- दुग्ध विकास, 2405- मछली पालन, 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, 2408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार, 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2425- सहकारिता, 2435- अन्य कृषि कार्यक्रम, 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2506- भूमि-सुधार, 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2702- लघु सिंचाई, 2810- नई तथा नवीकरण उर्जा, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852- उद्योग, 2853- अलौह खनन तथा धातु उद्योग, 3054- सड़कों तथा पुल, 3452- पर्यटन, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 3456- सिविल आपूर्ति, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403- पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय, 4408-खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711-बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6801- बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण)

	कुल अनुदान/विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिव्यय (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	13,60,01,92		
		13,60,02,36	9,88,63,75
पूरक	44		(-)3,71,38,61

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020) 3,29,18,53

प्रभारित

मूल	..				
		33,96	17,50	(-)16,46	
पूरक	33,96				

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020) 7

पूंजीगत प्रवर्ग**दत्तमत**

मूल	3,75,37,95				
		4,39,52,49	3,45,48,47	(-)94,04,02	
पूरक	64,14,54				

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020) 92,72,79

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,71,38.61 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 3,29,18.53 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 16.46 लाख की बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 33.96 लाख का अनुपूरक अनुदान और ₹ 0.07 लाख का अभ्यर्पण क्रमशः अत्याधिक तथा अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 94,04.02 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 64,14.54 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)

2014- न्याय प्रशासन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सिविल तथा सत्र न्यायालय पर व्यय-
गैर योजना

(i) मूल	2,49.99				
		2,17.88	2,17.88	..	
पुनर्वि०	(-)32.11				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

03- अन्य विधि अधिकारियों पर व्यय-
गैर योजना

(ii) मूल	90.94			
		68.70	68.73	+0.03
पुनर्वि०	(-)22.24			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.35 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2029- भू-राजस्व-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

गैर योजना

(i) मूल	5,78.66			
		4,59.26	4,59.02	(-)0.24
पुनर्वि०	(-)1,19.40			

03- प्राथमिक तथा पर्यवेक्षण भू-अभिलेख संस्थानों
का सुदृढीकरण (जिला प्रभार)-
गैर योजना

(ii) मूल	1,30.42			
		75.34	75.34	..
पुनर्वि०	(-)55.08			

2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- करों की वसूली पर व्यय-

गैर योजना

(iii) मूल	1,05.53			
		82.66	82.69	+0.03
पुनर्वि०	(-)22.87			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,97.35 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

2053- जिला प्रशासन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

गैर योजना

मूल	12,29.94			
		9,01.03	9,00.93	(-)0.10
पुनर्वि०	(-)3,28.91			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,28.91 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दूरभाष, बिजली, पानी बिलों व चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा दौरों पर कम व्यय करने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोतों के वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक व वाहनों

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

की मरम्मत पर अधिक व्यय, नए वाहनों की खरीद व दैनिक मजदूरी के अधिक भुगतान से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति पर व्यय/
(विशेष केन्द्रीय सहायता)-
गैर योजना

मूल	2,08.24			
		1,50.59	1,50.62	+0.03
पुनर्वि०	(-)57.65			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 57.65 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों के संशोधन न करने, बाहरी स्रोतों, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों व वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय होने के कारण हुई।

योजना

मूल	2,48.00			
		5,80.33	1,43.65	(-)4,36.68
पुनर्वि०	3,32.33			

₹ 4,36.68 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,32.33 लाख का आवर्धन किराया दर, व कन्धार गांव की रूनु कलौनी के प्रभावित परिवारों के भुखलन पर अधिक व्यय तथा टेलीफोन, बिजली व पानी के बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 4,36.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

13- अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भरमौर के कार्यालय पर व्यय-
गैर योजना

मूल	15.38			
		11.00	11.00	..
पुनर्वि०	(-)4.38			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.38 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला कोषागार तथा उप-कोषागार स्थापना पर व्यय-

गैर योजना

मूल	3,56.64			
		3,03.30	3,03.33	+0.03
पुनर्वि०	(-)53.34			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 53.34 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न होने, बिजली, टेलीफोन व पानी बिलों की कम प्राप्ति, बाह्य स्रोतों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक व वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

2055- पुलिस-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- पुलिस संगठनों पर व्यय-
गैर योजना

मूल 59,94.40

44,81.69

44,81.76

+0.07

पुनर्वि० (-)15,12.71

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15,12.71 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

02- अपराध अनुसंधान तथा सतर्कता पर व्यय-
गैर योजना

(i) मूल 1,35.85

1,01.68

1,01.72

+0.04

पुनर्वि० (-)34.17

04- पुलिस रेडियो कर्मचारी वर्ग पर व्यय-
गैर योजना

(ii) मूल 8,50.14

7,00.02

7,00.06

+0.04

पुनर्वि० (-)1,50.12

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,84.29 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

2059- लोक निर्माण-कार्य-

01- कार्यालय भवन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- सरकारी जिला राजस्व भवनों के
रखरखाव तथा मरम्मत पर व्यय-
गैर योजना

(i) मूल 5.17

2.88

2.88

..

पुनर्वि० (-)2.29

05- नए औजारों तथा संयन्त्र की आपूर्ति
पर व्यय-**गैर योजना**

(ii) मूल 16.78

10.94

10.94

..

पुनर्वि० (-)5.84

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.13 लाख की कमी कोविड-19 में पूर्णबन्द/कर्फ्यू के कारण हुई।

08- स्कन्ध के अन्तर्गत व्यय (स्टॉक निर्माण)-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	5,00.00			
		3,99.20	3,99.20	..
पुनर्वि०	(-)1,00.80			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.80 लाख की कमी विभिन्न विभागों द्वारा भवनों के निर्माण हेतु सामग्री की कम खरीद/भण्डारण करने के कारण हुई।

- 11- वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव
का प्रावधान-

गैर योजना

मूल	11,61.03			
		1,14.47	1,14.47	..
पुनर्वि०	(-)10,46.56			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,46.56 लाख की कमी वसूलियों के समायोजन रखरखाव पर कम व्यय करने के कारण हुई।

80- सामान्य-

- 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

- 02- स्थाई स्थापना में परिवर्तित
कार्य प्रभारित कर्मचारी वर्ग पर व्यय-

गैर योजना

मूल	11,94.22			
		8,06.49	9,37.12	+1,30.63
पुनर्वि०	(-)3,87.73			

₹ 1,30.63 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में ₹ 3,87.73 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 1,30.63 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

- 05- प्राथमिक/माध्यमिक पाठशालाओं
का रखरखाव-

योजना

मूल	1,92.00			
		1,22.08	1,22.08	..
पुनर्वि०	(-)69.92			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 69.92 लाख की कमी कार्यालय भवनों के रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण हुई।

2062- सतर्कता-

- 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

- 01- राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधक ब्यूरो-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	1,94.21			
		1,36.01	1,36.06	+0.05
पुनर्वि०	(-)58.20			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 58.20 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- अग्नि शमन केन्द्रों पर व्यय-

गैर योजना

मूल	1,38.53			
		1,05.92	1,05.97	+0.05
पुनर्वि०	(-)32.61			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 32.61 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न करने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारंभिक शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय तथा कर्मचारियों पर व्यय-

गैर योजना

(i) मूल	4,61.58			
		2,63.94	2,63.93	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1,97.64			

03- प्राथमिक पाठशालाओं पर व्यय-

गैर योजना

(ii) मूल	90,18.15			
		72,48.82	72,48.82	..
पुनर्वि०	(-)17,69.33			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19,66.97 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

योजना

मूल	6,40.90			
		4,46.39	4,46.39	..
पुनर्वि०	(-)1,94.51			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,94.51 लाख की कमी आकस्मिक आधार पदों को चपड़ासी की पदोन्नती करने, टेलीफोन, बिजली, पानी बिलों की कम प्राप्ति, सेमीनारों/कार्यशालाओं के कम आयोजनों तथा छात्रवृत्ति, वजीफा व रियायतों के कम आवेदनों की प्राप्ति के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

07-	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण कम कर दिया गया।				
10-	अभिभावक शिक्षक संघ के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनुदान- योजना				
	मूल	6,59.00			
			5,82.65	5,82.66	+0.01
	पुनर्वि०	(-)76.35			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 76.35 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने तथा अभिभावक अध्यापक संघ को सहायता अनुदान पर कम व्यय करने के कारण हुई।				
11-	गर्म पकाया हुआ भोजन-मध्याह्न भोजन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	8,61.00			
			3,08.86	3,08.86	..
	पुनर्वि०	(-)5,52.14			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,52.14 लाख की कमी कोविड-19 में पूर्ण बन्द के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 4,16.42 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
	योजना				
	मूल	2,44.00			
			1,20.33	1,20.32	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)1,23.67			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,23.67 लाख की कमी मानदेय बिलों की कम प्राप्ति तथा कोविड-19 में पूर्णबन्दी के कारण हुई।				
12-	सर्व शिक्षा अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

	योजना				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण नहीं बताए गये (अक्टूबर 2020)।				
16-	अटल वर्दी योजना- योजना				
	मूल	3,05.00			
			2,99.47	28.14	(-)2,71.33
	पुनर्वि०	(-)5.53			
	₹ 2,71.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।				
19-	उर्दू एवं पंजाबी अध्यापक- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
20-	सफाई कर्मचारी वर्ग के छात्रों को पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण नहीं बताए गये (अक्टूबर 2020)।				
21-	समग्र शिक्षा अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	34,60.00			
			19,76.66	19,76.66	..
	पुनर्वि०	(-)14,83.34			
	योजना				
(ii)	मूल	3,83.00			
			2,19.64	2,19.64	..
	पुनर्वि०	(-)1,63.36			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16,46.70 लाख की कमी कोविड-19 में पूर्णबन्द/कर्फ्यू के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

02-	माध्यमिक शिक्षा-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत माध्यमिक पाठशालाओं पर व्यय- गैर योजना				
	मूल	49,01.39			
			38,81.46	38,81.46	..
	पुनर्वि०	(-)10,19.93			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,19.93 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।				
	योजना				
	मूल	2,78.60			
			1,59.91	1,40.54	(-)19.37
	पुनर्वि०	(-)1,18.69			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,18.69 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, दूरभाष, बिजली व पानी बिलों की कम प्राप्ति, संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने तथा योजना के अन्तर्गत कम छात्रों को शामिल करने के कारण हुई।				
03-	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से भिन्न उच्च विद्यालय पर व्यय- गैर योजना				
	मूल	64,03.59			
			51,26.26	51,09.66	(-)16.60
	पुनर्वि०	(-)12,77.33			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12,77.33 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।				
	योजना				
	मूल	6,65.40			
			2,85.13	2,85.13	..
	पुनर्वि०	(-)3,80.27			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,80.27 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने, सामग्री/मदों की खरीद पर कम व्यय, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा दूरभाष, बिजली व पानी के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
06-	छात्राओं के शौचालयों के निर्माण पर व्यय- योजना				
	मूल	2.00			
			1.00	1.00	..
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख की कमी पाठशाला भवनों की मरम्मत पर कम व्यय होने के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

09-	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	योजना				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण नहीं बताए गये (अक्टूबर 2020)।				
10-	अभिभावक अध्यापक संघ के तहत माध्यमिक शिक्षा को सहायता- योजना				
	मूल	90.00			
			52.37	52.37	
	पुनर्वि०	(-)37.63			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 37.63 लाख की कमी अभिभावक अध्यापक संघ से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।				
12-	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की मैरिट के उन्नयन पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	3.00			
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	₹ 3.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।				
15-	अटल वर्दी योजना/मुख्य मंत्री वर्दी योजना- योजना				
	मूल	1,35.00			
	पुनर्वि०	(-)1,35.00			
	₹ 1,35.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।				
16-	उच्चतर शिक्षा के व्यवसायिकरण पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

	योजना				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	योजना				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
17-	शिक्षक शिक्षा पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iii)	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	योजना				
(iv)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 5.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण नहीं बताए गये (अक्टूबर 2020)।				
18-	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	1,06.00			
			83.92	..	(-)83.92
	पुनर्वि०	(-)22.08			
	₹ 83.92 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.08 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 83.92 लाख के समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।				
	योजना				
	मूल	12.00			
			9.32	9.32	..
	पुनर्वि०	(-)2.68			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.68 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी की कम प्राप्ति के कारण हुई, राज्य की हिस्सेदारी उसी अनुपात में कम कर दी गई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

19-	माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	12.00			
	पुनर्वि०	(-)12.00			
	₹ 12.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा योजना को समग्र शिक्षा अभियान में समायोजित करने के कारण कम कर दिया गया।				
	योजना				
	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण नहीं बताए गये (अक्तूबर 2020)।				
22-	सूचना एवं संचार प्राद्यौगिकी के लिए सहायता अनुदान (चरण-I व II)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण नहीं बताए गये (अक्तूबर 2020)।				
25-	समग्र शिक्षा अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	26,75.00			
			6,72.32	6,72.32	
	पुनर्वि०	(-)20,02.68			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20,02.68 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना				
मूल	2,94.00			
		74.71	74.71	..
पुनर्वि०	(-)2,19.29			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,19.29 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य सरकार की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।				
26-	प्रचलि सूचना एवं संचार तकनीक प्रयोगशालो और अन्य प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन/रखरखाव-			
योजना				
मूल	4,50.00			
	
पुनर्वि०	(-)4,50.00			
₹ 4,50.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ई-बिड को अंतिम रूप न दिये जाने तथा पूर्ण बन्दी के कारण कम कर दिया गया।				
03-	विश्व विद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-			
796-	जनजातिय क्षेत्र उप योजना-			
02-	डिग्री कालेजों पर व्यय-			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना				
मूल	12,15.00			
		20,12.16	..	(-)20,12.16
पुनर्वि०	7,97.16			
₹ 20,12.16 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,97.16 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
₹ 20,12.16 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।				
गैर योजना				
मूल	8,14.69			
		5,42.79	5,42.82	+0.03
पुनर्वि०	(-)2,71.90			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,71.90 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।				
योजना				
मूल	1,51.50			
		2,39.17	15.61	(-)2,23.56
पुनर्वि०	87.67			
₹ 2,23.56 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 87.67 लाख का आवर्धन दूरभाष, बिजली तथा पानी बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

₹ 2,23.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

03-	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान- योजना				
	मूल	9,45.00			
			7,08.75	7,08.75	..
	पुनर्वि०	(-)2,36.25			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,36.25 लाख की कमी कोविड-19 में पूर्णबन्दी/कर्फ्यू के कारण हुई।				
08-	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	5,79.00			
			1,90.41	1,90.41	..
	पुनर्वि०	(-)3,88.59			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,88.59 लाख की कमी भारत सरकार से निधियां की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
	योजना				
	मूल	64.00			
			21.16	21.16	..
	पुनर्वि०	(-)42.84			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 42.84 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।				
80-	सामान्य-				
796-	जनजातिय क्षेत्र उप योजना-				
01-	स्कूल शिक्षा के लिए वातावरण उन्मुखीकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
2204-	खेलकूद तथा युवा सेवाएं-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
04-	युवा एवं किशोर विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण नहीं बताए गये (अक्टूबर 2020)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

2205- कला एवं संस्कृति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सार्वजनिक पुस्तकालयों पर व्यय-
गैर योजना

मूल 19.73

13.61

12.82

(-)0.79

पुनर्वि० (-)6.12

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान मे ₹ 6.12 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न करने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

गैर योजना

मूल 1,82.61

1,15.07

1,15.07

..

पुनर्वि० (-)67.54

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान मे ₹ 67.54 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

योजना

मूल 1,05.75

75.73

75.74

+0.01

पुनर्वि० (-)30.02

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान मे ₹ 30.02 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

02- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति कार्यक्रम पर व्यय-

गैर योजना

(i) मूल 8,37.12

6,08.72

6,08.73

+0.01

पुनर्वि० (-)2,28.40

03- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर व्यय

(प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)-

गैर योजना

(ii) मूल 10,33.42

7,98.45

7,98.45

..

पुनर्वि० (-)2,34.97

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान मे ₹ 4,63.37 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना

मूल	7,84.71			
		7,42.02	7,42.02	..
पुनर्वि०	(-)42.69			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 42.69 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण, योजना के अन्तर्गत कम मांग, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा दौरो पर कम व्यय होने के कारण हुई।

- 04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
04- आयुर्वेदिक कार्यक्रमों पर व्यय-
गैर योजना

मूल	5,94.42			
		4,76.47	4,76.39	(-)0.08
पुनर्वि०	(-)1,17.95			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,17.95 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

योजना

मूल	6,07.79			
		4,24.81	4,24.74	(-)0.07
पुनर्वि०	(-)1,82.98			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,82.98 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, सामग्री/मदों की खरीद पर कम व्यय, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, बिजली, दूरभाष, पानी के बिलों तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

- 05- चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-
03- डा० राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय
टाण्डा का उन्नयन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	योजना				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण नहीं बताए गये (अक्तूबर 2020)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

06-	लोक स्वास्थ्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	कर्मचारी वर्ग पर व्यय-				
	गैर योजना				
(i)	मूल	92.02			
			34.29	34.29	..
	पुनर्वि०	(-)57.73			
03-	क्षय रोग आरक्षण तथा आवसीय परिचर्या पर व्यय-				
	गैर योजना				
(ii)	मूल	16.64			
			9.40	9.40	..
	पुनर्वि०	(-)7.24			
04-	यौन संक्रामक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम पर व्यय-				
	गैर योजना				
(iii)	मूल	68.91			
			41.75	41.75	..
	पुनर्वि०	(-)27.16			
05-	विस्तारित रोग प्रतिरक्षा कार्यक्रम पर व्यय-				
	गैर योजना				
(iv)	मूल	1,43.14			
			1,07.88	1,07.88	..
	पुनर्वि०	(-)35.26			
07-	कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम पर व्यय-				
	गैर योजना				
(v)	मूल	8.22			
			5.94	5.95	+0.01
	पुनर्वि०	(-)2.28			
	उपरोक्त पांच मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,29.67 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।				
12-	राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण निगरानी				
	इकाईयों की स्थापना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
	मूल	31.00			
			19.39	19.39	..
	पुनर्वि०	(-)11.61			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.61 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति न होने तथा दौरों पर कम व्यय होने के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

15-	अभिघात केन्द्र- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00
	योजना				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण नहीं बताए गये (अक्तूबर 2020)।				
2211-	परिवार कल्याण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	परिवार नियोजन कार्यक्रम पर व्यय- गैर योजना				
	मूल	55.60			
	पुनर्वि०	(-)29.44	26.16	26.16	..
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 29.44 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने कारण हुई।				
03-	परिवार कल्याण कार्यक्रम पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	6,08.00			
	पुनर्वि०	(-)62.22	5,45.78	5,45.79	+0.01
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 62.22 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, दूरभाष, बिजली, पानी बिलों की कम प्राप्ति, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, मशीनरी उपकरणों, सामग्री की खरीद, कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा दौरों पर कम व्यय होने के कारण हुई।				
	योजना				
	मूल	7.90			
	पुनर्वि०	(-)6.30	1.60	1.60	..
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6.30 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।				
05-	इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

	योजना				
	मूल	6.50			
			3.75	3.75	..
	पुनर्वि०	(-)2.75			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.75 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।				
06-	पंचायतों को उत्कृष्ट महिला जन्मदर अनुपात हेतु अतिरिक्त विकास अनुदान-योजना				
	मूल	5.00			
		
	पुनर्वि०	(-)5.00			
	₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
08-	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	34,06.00			
			15,38.00	15,38.00	..
	पुनर्वि०	(-)18,68.00			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18,68.00 लाख की कमी भारत सरकार के द्वारा कम निधियां जारी करने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 14,73.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
09-	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर व्यय-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	योजना				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण नहीं बताए गये (अक्टूबर 2020)।				
10-	राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना				
मूल	50.00			
पुनर्वि०	(-)50.00			
₹ 50.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
2215- जलापूर्ति तथा सफाई-				
01- जलापूर्ति-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02- स्थाई स्थापना में परिवर्तित कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर व्यय-				
गैर योजना				
मूल	31,38.29			
		23,90.27	23,88.22	(-)2.05
पुनर्वि०	(-)7,48.02			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,48.02 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन, दौरों पर कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
08- ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों हेतु विद्युत प्रभार-योजना				
मूल	3.50			
		0.12	0.12	..
पुनर्वि०	(-)3.38			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.38 लाख की कमी ऊर्जा प्रभारों पर कम व्यय के कारण हुई।				
09- वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव प्रावधान-गैर योजना				
मूल	28,35.56			
		17,94.84	17,94.84	..
पुनर्वि०	(-)10,40.72			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,40.72 लाख की कमी वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई।				
2216- आवास-				
03- ग्रामीण आवास-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01- ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर गरीबों को गांधी कुटीर योजना/इन्दिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

(i) योजना				
मूल	3,32.00			
	
पुनर्वि०	(-)3,32.00			
(ii) योजना				
मूल	37.00			
	
पुनर्वि०	(-)37.00			
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 3,69.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
08- मुख्य मंत्री आवास योजना-योजना				
मूल	1,77.00			
		88.38	56.00	(-)32.38
पुनर्वि०	(-)88.62			
₹ 32.38 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 88.62 लाख की कमी आवासीय भवनों की मरम्मत पर कम व्यय तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 32.38 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।				
05- साधारण पूल आवास-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01- रखरखाव तथा मरम्मत पर व्यय-योजना				
मूल	22.00			
		3.65	3.65	..
पुनर्वि०	(-)18.35			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 18.35 लाख की कमी आवासीय भवनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।				
2217- शहरी विकास-				
03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
04- प्रधान मंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास (शहरी)-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
मूल	20.00			
		1,59.00	..	(-)1,59.00
पुनर्वि०	1,39.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

₹ 1,59.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,39.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा अधिक निधियां जारी करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,56.60 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 1,59.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

योजना

मूल	2.00			
		17.40	..	(-)17.40
पुनर्वि०	15.40			

₹ 17.40 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.40 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा जारी अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 17.40 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

2220- सूचना तथा प्रचार-

60- अन्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

गैर योजना

मूल	43.94			
		31.92	31.94	+0.02
पुनर्वि०	(-)12.02			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12.02 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- प्रचार कार्यक्रम पर व्यय-

गैर योजना

मूल	1,07.62			
		79.10	79.15	+0.05
पुनर्वि०	(-)28.52			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.52 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं के भुगतान पर अधिक व्यय होने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2225- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-

796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों

और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए योजना पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 25.00

पुनर्वि० (-)25.00

₹ 25.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजना

(i) मूल 45.00

4.93

4.93

..

पुनर्वि० (-)40.07

12- कम्प्यूटर अनुप्रयोग प्रशिक्षण-
योजना

(ii) मूल 60.00

39.82

39.82

..

पुनर्वि० (-)20.18

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 60.25 लाख की कमी योजना के अंतर्गत प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2230- श्रम तथा रोजगार-

01- श्रम-

796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- श्रम कानूनों को लागू करने पर व्यय-

गैर योजना

(i) मूल 33.46

25.61

25.64

+0.03

पुनर्वि० (-)7.85

02- रोजगार सेवाएं-

796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- रोजगार सेवाओं पर व्यय-

गैर योजना

(ii) मूल 77.90

26.81

26.81

..

पुनर्वि० (-)51.09

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 58.94 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

योजना

मूल 14.00

7.56

7.57

+0.01

पुनर्वि० (-)6.44

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6.44 लाख की कमी दूरभाष, पानी तथा बिजली बिलों व चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा दौरों पर कम व्यय के कारण हुई।

02- बेरोजगारी भत्ता-

गैर योजना

मूल 1,00.00

35.46

35.46

..

पुनर्वि० (-)64.54

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 64.54 लाख की कमी बेरोजगार भत्तों के लिए कम पात्रता होने के कारण हुई।

03- प्रशिक्षण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- हिमाचल प्रदेश में सिलाई केन्द्रों पर व्यय-

गैर योजना

(i) मूल 11.47

5.04

5.04

..

पुनर्वि० (-)6.43

04- हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थानों

में तकनीकी शिक्षा पर व्यय-

केंद्रीय योजना

योजना

(ii) मूल 16.00

4.85

4.85

..

पुनर्वि० (-)11.15

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 17.58 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

योजना

मूल 1,52.00

1,04.50

1,04.50

..

पुनर्वि० (-)47.50

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 47.50 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने व वेतनमानों में संशोधन न करने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, सामग्री, उपकरणों की खरीद पर कम व्यय, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

06- कौशल विकास भत्ता-

गैर योजना

मूल 1,03.37

21.91

21.61

(-)0.30

पुनर्वि० (-)81.46

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 81.46 लाख की कमी कौशल विकास भत्ते के लिए कम पात्र होने के कारण हुई।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- सामाजिक कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- एकीकृत शिशु रक्षा सेवाओं पर व्यय-
योजना

मूल 2.00

..

पुनर्वि० (-)2.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के कार्यान्वित न होने के कारण कम कर दिया गया।

03- एकीकृत बाल विकास योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 23,01.00

7,57.50 7,57.51 +0.01

पुनर्वि० (-)15,43.50

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15,43.50 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, दूरभाष, बिजली, पानी बिलों की कम प्राप्ति, शिविरों के आयोजन न होने, आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्री स्कूल पूर्व किटों की खरीद न होने, किराया बिलों की कम प्राप्ति, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा दौरों पर कम व्यय के कारण हुई।

योजना

मूल 4,36.00

95.88 95.90 +0.02

पुनर्वि० (-)3,40.12

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,40.12 लाख की कमी रक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, सामग्री/मदों की खरीद पर कम व्यय, दूरभाष, बिजली, पानी बिलों की कम प्राप्ति, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति करने तथा दौरों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

06- बाल/बालिका आश्रम के निवासियों

को पुर्नवास अनुदान-

योजना

(i) मूल 30.00

4.40 4.40 ..

पुनर्वि० (-)25.60

08- विधवा पुनर्विवाह पर व्यय-

योजना

(ii) मूल 5.00

2.00 2.00 ..

पुनर्वि० (-)3.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28.60 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

09-	जागरूकता अभियान- योजना				
	मूल	6.00			
			3.19	3.19	..
	पुनर्वि०	(-)2.81			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.81 लाख की कमी जागरूकता अभियान के कम आयोजन के कारण हुई।				
10-	विशेष महिला उत्थान योजना- योजना				
	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के तहत प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
11-	बलात्कार पीड़िताओं को सहायता- योजना				
	मूल	8.50			
		
	पुनर्वि०	(-)8.50			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8.50 लाख का समस्त प्रावधान योजना के समापन होने के कारण कम कर दिया गया।				
15-	विकलांग बच्चों का कल्याण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	4.00			
		
	पुनर्वि०	(-)4.00			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
19-	एकीकृत बाल सुरक्षा योजना- योजना				
	मूल	14.00			
			9.54	9.54	..
	पुनर्वि०	(-)4.46			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.46 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।				
20-	प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना					
मूल	92.00				
पुनर्वि०	(-)92.00				
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 92.00 लाख के समस्त प्रावधान को भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।					
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	सामाजिक कल्याण कार्यक्रम तथा वृद्धावस्था पेंशन पर व्यय-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना					
(i)	मूल	4,53.00			
			3,66.44	3,66.44	..
पुनर्वि०	(-)86.56				
04-	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विद्यवा पेंशन योजना-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना					
(ii)	मूल	91.50			
			71.48	71.47	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)20.02				
05-	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग पेंशन योजना--केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना					
(iii)	मूल	55.50			
			25.81	25.81	..
पुनर्वि०	(-)29.69				
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,36.27 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम निधियां जारी होने तथा योजना के अन्तर्गत कम आवेदनों की प्राप्ति के कारण हुई।					
2236-	पोषण-				
02-	पोषक भोजन तथा सुदेय का वितरण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	खाद्य कार्यक्रम पर व्यय-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना					
(i)	मूल	6,61.00	6,61.00	1,91.84	(-)4,69.16
योजना					
(ii)	मूल	73.00	73.00	20.61	(-)52.39

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में 5,21.55 लाख की कमी अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सचिवालय कर्मचारी वर्ग पर व्यय-
गैर योजना

(i)	मूल	1,16.73			
			75.49	75.49	..
	पुनर्वि०	(-)41.24			

02- आयुक्त जनजातीय/अनुसूचित जाति
विकास कार्यालय पर व्यय-
गैर योजना

(ii)	मूल	1,79.18			
	पूरक	0.01	1,26.49	1,26.53	+0.04
	पुनर्वि०	(-)52.70			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 93.94 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

योजना

	मूल	1,10.00			
			45.75	45.75	..
	पुनर्वि०	(-)64.25			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 64.25 लाख की कमी अन्य विविध वस्तुओं, बाह्य स्रोत वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेकों, वाहनों की मरम्मत, मेहमानबाजी पर कम व्यय, दूरभाष, बिजली, पानी बिलों की कम प्राप्ति, दौरो पर कम व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

03- मूलभूत सुविधाओं पर व्यय-
योजना

(i)	मूल	11,50.00			
			56.05	56.05	..
	पुनर्वि०	(-)10,93.95			

04- जनजातीय क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा-
योजना

(ii)	मूल	12,72.00			
			6,97.39	6,97.39	..
	पुनर्वि०	(-)5,74.61			

07- जनजातीय अनुसंधान संस्थान-
योजना

(iii)	मूल	1,20.00			
	पूरक	0.01	0.19	0.19	..
	पुनर्वि०	(-)1,19.82			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 17,88.38 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय एवं संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

2401- फसल कृषि-कर्म-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- कृषि विभाग की स्कीमों पर व्यय (सामान्य कृषि विस्तार व प्रशिक्षण के इलावा)

गैर योजना

मूल 1,61.37

1,07.08

1,07.12

+0.04

पुनर्वि० (-)54.29

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 54.29 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

03- कृषि योजनाओं पर व्यय (सामान्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण)-

गैर योजना

मूल 85.86

57.20

57.21

+0.01

पुनर्वि० (-)28.66

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

योजना

मूल 14.75

11.15

11.16

+0.01

पुनर्वि० (-)3.60

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.60 लाख की कमी लाभार्थियों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

04- उद्यान विभाग के अन्तर्गत जिला

स्थापना पर व्यय-

गैर योजना

मूल 85.78

43.95

43.96

+0.01

पुनर्वि० (-)41.83

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 41.83 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

05- उद्यान विभाग की योजनाओं पर व्यय-

गैर योजना

मूल 8,75.67

5,87.39

5,87.43

+0.04

पुनर्वि० (-)2,88.28

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,88.28 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

योजना

मूल	32.55				
		23.50	23.51		+0.01

पुनर्वि० (-)9.05

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.05 लाख की कमी कार्यालय भवनों की मरम्मत, बाह्य स्रोत वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों, वाहनों की मरम्मत, सामग्री/मदों की खरीद पर कम व्यय तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

06- कृषि विभाग की स्कीमों पर विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत व्यय-

केन्द्रीय योजना**योजना**

मूल	86.37				
		28.91	28.91		..

पुनर्वि० (-)57.46

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 57.46 लाख की कमी कृषकों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

07- फसल बीमा-
योजना

मूल	63.00				
		7.72	7.72		..

पुनर्वि० (-)55.28

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 55.28 लाख की कमी बीमा कम्पनीयों से कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

08- जनजातीय क्षेत्रों (पॉकेट्स) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता पर व्यय-

केन्द्रीय योजना**योजना**

मूल	10.10				
		5.00	5.00		..

पुनर्वि० (-)5.10

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.10 लाख की कमी कृषकों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

12- सेब स्कैब के उपदान पर व्यय-
योजना

मूल	11.50				
		6.43	6.43		..

पुनर्वि० (-)5.07

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.07 लाख की कमी सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

17-	उद्यान योजनाओं पर व्यय- गैर योजना				
	मूल	1,28.83			
			1,00.31	1,00.32	+0.01
	पुनर्वि०	(-)28.52			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.52 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

21-	जनजातीय क्षेत्र से बाहर रह रहे लोगों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत स्कीमों पर व्यय- केन्द्रीय योजना				
	मूल	53.00			
			29.79	29.79	..
	पुनर्वि०	(-)23.21			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 23.21 लाख की कमी कृषकों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

22-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	77.00			
			21.25	21.25	..
	पुनर्वि०	(-)55.75			
	योजना				
(ii)	मूल	9.00			
			3.11	3.12	+0.01
	पुनर्वि०	(-)5.89			

23-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (उद्यान)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	36.00			
			15.70	15.70	..
	पुनर्वि०	(-)20.30			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 81.94 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम निधियां जारी करने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (iii) पर ₹ 1,06.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

	योजना				
	मूल	4.00			
			1.74	1.74	..
	पुनर्वि०	(-)2.26			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.26 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।				
25-	एपीकल्चर स्कीमों पर व्यय- योजना				
	मूल	5.90			
			4.48	4.48	..
	पुनर्वि०	(-)1.42			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.42 लाख की कमी सामग्री/मदों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।				
26-	पुष्पोत्पादन के विकास पर व्यय- योजना				
	मूल	2.95			
			1.67	1.67	..
	पुनर्वि०	(-)1.28			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.28 लाख की कमी दूरभाष, बिजली तथा पानी बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
28-	बगीचे/नर्सरी की स्थापना तथा रखरखाव- योजना				
	मूल	17.85			
			6.49	6.48	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)11.36			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.36 लाख की कमी सामग्री व मदों की खरीद तथा टेलीफोन, बिजली व पानी बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
29-	फलदार वृक्षों के पोषण पर व्यय- योजना				
	मूल	3.10			
			1.79	1.79	..
	पुनर्वि०	(-)1.31			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.31 लाख की कमी सामग्री व मदों की खरीद पर कम व्यय होने के कारण हुई।				
30-	मशीनरी और औजारों के वितरण पर व्यय- केन्द्रीय योजना योजना				
(i)	मूल	16.00			
			6.58	6.58	..
	पुनर्वि०	(-)9.42			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

31-	पौधों के बचाओं पर व्यय- केन्द्रीय योजना योजना				
(ii)	मूल	5.00			
			1.50	1.50	..
	पुनर्वि०	(-)3.50			
35-	किसानों के प्रशिक्षण पर व्यय- केन्द्रीय योजना योजना				
(iii)	मूल	7.00			
			2.24	2.24	..
	पुनर्वि०	(-)4.76			
36-	पौध वितरण पर व्यय- केन्द्रीय योजना योजना				
(iv)	मूल	3.00			
			0.85	0.85	..
	पुनर्वि०	(-)2.15			
	उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19.83 लाख की कमी कृषकों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
37-	प्लास्टिक की टंकियां उपलब्ध करवाने पर व्यय- केन्द्रीय योजना योजना				
(i)	मूल	8.00			
		
	पुनर्वि०	(-)8.00			
38-	नई नर्सरियों की स्थापना पर व्यय- केन्द्रीय योजना योजना				
(ii)	मूल	3.50			
		
	पुनर्वि०	(-)3.50			
39-	मशीनरी तथा औजारों अवयवों के वितरण पर व्यय- केन्द्रीय योजना योजना				
(iii)	मूल	2.50			
		
	पुनर्वि०	(-)2.50			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

40-	पौध संरक्षण पर व्यय- केन्द्रीय योजना योजना				
(iv)	मूल	2.00			
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16.00 लाख की कमी कृषकों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
41-	किसानों के प्रशिक्षण पर व्यय- केन्द्रीय योजना योजना				
	मूल	2.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00	1.00	1.00	..
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख की कमी कृषकों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
46-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	1,34.00			
	पुनर्वि०	(-)88.24	45.76	45.76	..
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 88.24 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम निधियां जारी करने के कारण हुई।				
	योजना				
	मूल	15.00			
	पुनर्वि०	(-)9.92	5.08	5.08	..
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.92 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।				
48-	बागवानी के एकीकृत विकास पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	1,62.00			
	पुनर्वि०	(-)69.28	92.72	92.72	..
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 69.28 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम निधियां जारी करने के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

	योजना				
	मूल	19.00			
			10.30	10.30	..
	पुनर्वि०	(-)8.70			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8.70 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।				
50-	विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	1,13.00			
			74.10	74.10	..
	पुनर्वि०	(-)38.90			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 38.90 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम निधियां जारी करने के कारण हुई।				
	योजना				
	मूल	13.00			
			8.24	8.24	..
	पुनर्वि०	(-)4.76			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.76 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।				
53-	विश्व बैंक सहायता प्राप्त हिमाचल प्रदेश उद्यान विकास परियोजना- योजना				
	मूल	10,80.00			
		
	पुनर्वि०	(-)10,80.00			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 10,80.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न करने के कारण हुई।				
54-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	81.00			
			11.39	11.39	..
	पुनर्वि०	(-)69.61			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 69.61 लाख की कमी कोषागारों द्वारा बिलों को किसानों के हक में देने की टिप्पणी के साथ स्वीकार न किये जाने से हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

योजना					
	मूल	10.00			
			7.02	7.02	..
	पुनर्वि०	(-)2.98			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.98 लाख की कमी कोषागारों द्वारा बिलों को किसानों के हक में देने की टिप्पणी के साथ स्वीकार न किये जाने से हुई जोकि किसानों से अधिक मांग प्राप्त हाने से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।					
56-	मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना- योजना				
	मूल	3,15.00			
			2,50.00	2,50.00	..
	पुनर्वि०	(-)65.00			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 65.00 लाख की कमी किसानों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।					
57-	मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना- योजना				
	मूल	4.00			
		
	पुनर्वि०	(-)4.00			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान को खेत मजदूरों से मुआवजा दावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।					
58-	परम्परागत कृषि विकास योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	1,10.00			
			13.63	13.63	..
	पुनर्वि०	(-)96.37			
(ii)	मूल	13.00			
			1.51	1.51	..
	पुनर्वि०	(-)11.49			
59	मृदा की स्वास्थ्य एवं उर्वरकता हेतु राष्ट्रीय परियोजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iii)	मूल	29.00			
			14.87	14.87	..
	पुनर्वि०	(-)14.13			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना					
(iv)	मूल	3.00			
			1.80	1.80	..
	पुनर्वि०	(-)1.20			
उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,23.19 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।					
2402- मृदा तथा जल संरक्षण-					
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-					
01- कृषि योग्य भूमि पर भू-संरक्षण व्यय- गैर योजना					
	मूल	1,64.51			
			1,01.56	1,01.59	+0.03
	पुनर्वि०	(-)62.95			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 62.95 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।					
02- मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम (वन)- गैर योजना					
	मूल	2,95.45			
			2,54.79	2,54.82	+0.03
	पुनर्वि०	(-)40.66			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा दौरो पर कम व्यय होने के कारण हुई।					
06- लघु एवं सीमान्त किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता- केन्द्रीय योजना योजना					
	मूल	1,45.75			
			63.25	38.25	(-)25.00
	पुनर्वि०	(-)82.50			
₹ 25.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 82.50 लाख की कमी किसानों द्वारा मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।					
₹ 25.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।					
08- जनजातीय क्षेत्र से बाहर रह रहे जनजातीय लोगों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत भू-संरक्षण पर व्यय (कृषि)- केन्द्रीय योजना					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

	योजना				
	मूल	69.50			
			35.21	35.21	..
	पुनर्वि०	(-)34.29			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 34.29 लाख की कमी किसानों द्वारा मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
09-	केन्द्रीय योजनागत स्कीम के अंतर्गत जनजातीय				
	पाकेट हेतु भू.संरक्षण पर व्यय-				
	केन्द्रीय योजना				
	योजना				
	मूल	5.75			
		
	पुनर्वि०	(-)5.75			
	₹ 5.75 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा किसानों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
10-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर व्यय-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
(i)	मूल	49.00			
			27.19	27.19	..
	पुनर्वि०	(-)21.81			
	योजना				
(ii)	मूल	5.00			
			3.15	3.15	..
	पुनर्वि०	(-)1.85			
11-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
(iii)	मूल	1,78.00			
			1,22.71	1,22.71	..
	पुनर्वि०	(-)55.29			
	योजना				
(iv)	मूल	20.00			
			12.74	12.74	..
	पुनर्वि०	(-)7.26			
	उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 86.21 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) पर ₹ 1,06.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

12-	सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से प्रभावी सिंचाई- योजना				
	मूल	1,65.00			
			74.25	74.25	..
	पुनर्वि०	(-)90.75			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 90.75 लाख की कमी कृषकों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
2403-	पशु पालन-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	क्षेत्रीय स्थापना- गैर योजना				
	मूल	2,68.57			
			1,85.43	1,85.43	..
	पुनर्वि०	(-)83.14			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 83.14 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।				
02-	अस्पताल और औषधालय- गैर योजना				
	मूल	22,77.45			
			17,96.64	17,96.63	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)4,80.81			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,80.81 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण हुई।				
03-	कुकूट विकास पर व्यय- गैर योजना				
(i)	मूल	16.44			
			10.46	10.45	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)5.98			
04-	भेड़ एवं ऊँट विकास पर व्यय- गैर योजना				
(ii)	मूल	1,38.00			
			70.16	70.16	..
	पुनर्वि०	(-)67.84			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 73.82 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।				
05-	पशुपालन कार्यक्रम पर व्यय (विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत)- केन्द्रीय योजना				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

	योजना			
(i)	मूल	1,33.10		
			95.50	95.47
				(-)0.03
	पुनर्वि०	(-)37.60		
07-	जनजातीय क्षेत्रों से बाहर रह रहे जनजातीय लोगों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत पशुपालन कार्यक्रम पर व्यय- केन्द्रीय योजना			
	योजना			
(ii)	मूल	85.00		
			23.00	23.00
				..
	पुनर्वि०	(-)62.00		
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 99.60 लाख की कमी कृषकों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।			
08-	जनजातीय पाकेटस चम्बा तथा भटीयात पर विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत पशुपालन कार्यक्रम पर व्यय- केन्द्रीय योजना			
	योजना			
	मूल	10.00		
		
	पुनर्वि०	(-)10.00		..
	मार्च 2020 में ₹ 10.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा कृषकों से मांग की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।			
10-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
	योजना			
(i)	मूल	65.00		
			27.72	27.72
				..
	पुनर्वि०	(-)37.28		
	योजना			
(ii)	मूल	7.00		
			3.08	3.08
				..
	पुनर्वि०	(-)3.92		
12-	पशुओं की बीमारी के नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना					
(iii)	मूल	9.71			
			4.52	4.52	..
	पुनर्वि०	(-)5.19			
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 46.39 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) में ₹ 1,06.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।					
15-	खुर और मुँह रोग नियंत्रण कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना					
	मूल	58.98			
	पूरक	0.01	22.16	22.16	..
	पुनर्वि०	(-)36.83			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36.83 लाख की कमी सामग्री/मदों, मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद पर कम व्यय होने के कारण हुई।					
योजना					
(i)	मूल	8.50			
	पूरक	0.01	1.93	1.93	..
	पुनर्वि०	(-)6.58			
16-	पेस्ट डेस पेटिट्स नियंत्रण कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना					
(ii)	मूल	4.29			
			1.07	1.07	..
	पुनर्वि०	(-)3.22			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.80 लाख की कमी सामग्री/मदों की खरीद पर कम व्यय होने के कारण हुई।					
2405-	मत्स्य पालन-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	जिला प्रशासन के अधीन मत्स्य स्कीमों पर व्यय-				
गैर योजना					
	मूल	18.61			
			11.48	11.48	..
	पुनर्वि०	(-)7.13			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7.13 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

02-	मत्स्य स्कीमों पर व्यय- योजना				
	मूल	13.90			
			7.58	7.58	..
	पुनर्वि०	(-)6.32			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6.32 लाख की कमी सामग्री/मदों की खरीद, कार्यालय भवनों के रखरखाव तथा दूरभाष, बिजली व पानी बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
03-	चम्बा व भटियात पैकेट्स में विशेष- केन्द्रीय सहायता पर व्यय- केन्द्रीय योजना				
	मूल	1.53			
		
	पुनर्वि०	(-)1.53			
04-	विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत मत्स्य पालन पर व्यय- केन्द्रीय योजना				
	मूल	10.80			
			5.40	5.40	..
	पुनर्वि०	(-)5.40			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6.93 लाख की कमी कृषकों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
06-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	8.00			
			8.51	3.65	(-)4.86
	पुनर्वि०	0.51			
	₹ 4.86 लाख की अंतिम बचम के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,06.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
2406-	वानिकी तथा वन्य प्राणी-				
	01- वानिकी-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
	01- कर्मचारी वर्ग पर व्यय- गैर योजना				
	मूल	11,84.40			
			10,64.17	10,64.20	+0.03
	पुनर्वि०	(-)1,20.23			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,20.23 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा दौरों पर कम व्यय, बिजली, दूरभाष व पानी बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

02- वानिकी कार्यक्रम-

गैर योजना

मूल 5,33.08

2,91.62

2,91.64

+0.02

पुनर्वि० (-)2,41.46

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,41.46 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने तथा बिजली, दूरभाष व पानी बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

03- भवन कार्यक्रम-

गैर योजना

मूल 15.98

7.00

7.00

..

पुनर्वि० (-)8.98

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8.98 लाख की कमी भवनों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई।

07- चिलगोजा पाईन का पुनोत्पादन पर व्यय-

गैर योजना

मूल 16.24

12.31

12.32

+0.01

पुनर्वि० (-)3.93

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.93 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

20- वन क्षेत्र में सुधार/नर्सरी उत्पादन-

गैर योजना

मूल 15.97

10.86

10.87

+0.01

पुनर्वि० (-)5.11

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.11 लाख की कमी पौधों की सुरक्षा में सुधार तथा पौधशालाओं के उत्पादन के कारण हुई।

22- वन प्रबंधन की गहनता-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल 35.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)35.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना				
(ii)	मूल	4.00
	पुनर्वि०	(-)4.00		..
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 39.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्तियों तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।			
23-	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
(i)	मूल	37.00
	पुनर्वि०	(-)37.00		..
	योजना			
(ii)	मूल	4.00
	पुनर्वि०	(-)4.00		..
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 41.00 लाख का समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।			
24-	हिमाचल प्रदेश वन इको-सिस्टम जलवायु प्रूफिंग प्रोजेक्ट - योजना			
	मूल	4,50.00	16.70	16.70
	पुनर्वि०	(-)4,33.30		..
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,33.30 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने, दूरभाष, बिजली व पानी के बिलों की कम प्राप्ति, बाह्य स्रोतों, वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों तथा वाहनों के रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण हुई।			
27-	समृति वन योजना- योजना			
	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00		..
	मार्च 2020 में ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण कम कर दिया गया।			
29-	हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन और जीव विज्ञान सुधार परियोजना-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

	योजना				
	मूल	3,15.00			
	पुनर्वि०	(-)3,15.00			
	मार्च 2020 में ₹ 3,15.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने, सामग्री/मदों की खरीद तथा कार्यालय भवनों के रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण कम कर दिया गया।				
33-	सामुदायिक वन संमवर्धन योजना- योजना				
	मूल	50.00			
			27.05	27.05	
	पुनर्वि०	(-)22.95			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22.95 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, सामग्री/मदों की खरीद पर कम व्यय, सम्मेलनों/कार्यशालाओं के कम आयोजन, संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने तथा कार्यालय भवनों के रखरखाव पर कम व्यय करने के कारण हुई।				
34-	विधार्थी वन मितर योजना- योजना				
	मूल	25.00			
			2.87	2.87	
	पुनर्वि०	(-)22.13			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22.13 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, कार्यालय भवनों के रखरखाव पर कम व्यय तथा सम्मेलनों/कार्यशालाओं के कम आयोजन करने के कारण हुई।				
35-	वन समृद्धि जल समृद्धि- योजना				
	मूल	50.00			
			26.50	26.50	
	पुनर्वि०	(-)23.50			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ₹ 23.50 लाख की संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने/सम्मेलनों/कार्यशालाओं के कम आयोजन तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति करने के कारण हुई।				
36-	वन अग्नि प्रबंधन योजना योजना				
	मूल	9.00			
			5.31	5.32	+0.01
	पुनर्वि०	(-)3.69			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.69 लाख की कमी सामग्री/मदों की खरीद पर कम नियुक्तियाँ करने के कारण हुई।

02-	पर्यावरणीये वानिकी तथा वन्य जीव-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	वन्य प्राणी प्रबन्ध तथा प्राकृतिक संरक्षण पर व्यय- गैर योजना				
	मूल	49.32			
			34.55	34.55	..
	पुनर्वि०	(-)14.77			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.77 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।				
03-	वन्य प्राणी आश्रम के स्थलों के प्रगाढ़ प्रबन्धन पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	1,90.00			
			78.26	78.26	..
	पुनर्वि०	(-)1,11.74			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,11.74 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, सामग्री/मदों की खरीद पर कम व्यय, कार्यालय भवनों के रखरखाव पर कम निष्पादन, वन्य प्राणी आश्रम के स्थलों के रखरखाव, बाह्य स्रोत वाहनों, पेट्रोल, तेल स्नेहकों तथा वाहनों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई।				
04-	पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क के विकास पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	31.00			
			12.29	12.29	..
	पुनर्वि०	(-)18.71			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 18.71 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, कार्यालय भवनों के रखरखाव कार्य के कम निष्पादन तथा सामग्री/मदों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।				
07-	ठंडा रेगिस्तान बायोस्फियर रिजर्व के लिए प्रबंधन कार्य योजना पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	80.00			
		
	पुनर्वि०	(-)80.00			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 80.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

योजना				
मूल	3.00			
पुनर्वि०	(-)3.00			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी कम जारी करने के कारण कम कर दिया गया।				
2408- खाद्य भण्डार तथा भण्डागार-				
01- खाद्य-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01- खाद्य संगठन पर व्यय-				
गैर योजना				
मूल	1,28.42			
		92.04	91.98	(-)0.06
पुनर्वि०	(-)36.38			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 36.38 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण करने के कारण हुई।				
02- सहकारी सभाओं को उपदान पर व्यय-				
योजना				
मूल	28.20			
		21.70	21.70	..
पुनर्वि०	(-)6.50			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6.50 लाख की कमी भण्डार गृह के कार्य में कम निष्पादन के कारण हुई।				
2425- सहकारिता-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01- सहकारिता योजनाओं पर व्यय-				
गैर योजना				
मूल	1,76.07			
		1,25.25	1,25.26	+0.01
पुनर्वि०	(-)50.82			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50.82 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-				
06- स्वरोजगार योजना -				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
03- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना पर व्यय-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना					
	मूल	2,43.00	2,43.00	2,00.17	(-)42.83
₹ 42.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।					
05-	जिला ग्रामीण स्थापना विकास अभिकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	71.00			
	पुनर्वि०	(-)71.00
योजना					
(ii)	मूल	8.00			
	पुनर्वि०	(-)8.00
06-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iii)	मूल	2,03.00			
	पुनर्वि०	(-)2,03.00
योजना					
(iv)	मूल	23.00			
	पुनर्वि०	(-)23.00
07-	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(v)	मूल	3,96.00			
	पुनर्वि०	(-)3,96.00
योजना					
(vi)	मूल	44.00			
	पुनर्वि०	(-)44.00
08-	राष्ट्रीय रूबन मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(vii)	मूल	4,01.00			
	पुनर्वि०	(-)4,01.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

योजना				
(viii)	मूल	45.00		
	पुनर्वि०	(-)45.00
2505- ग्रामीण रोजगार-				
01- राष्ट्रीय कार्यक्रम-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
07- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना				
(ix)	मूल	40,50.00		
	पुनर्वि०	(-)40,50.00
उपरोक्त नौ मामलों में ₹ 52,41.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने तथा राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रहने के कारण कम कर दिया गया। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (iii) पर ₹ 1,69.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01- पंचायती योजनाओं पर व्यय-				
गैर योजना				
	मूल	2,16.93		
			1,57.91	1,57.89
	पुनर्वि०	(-)59.02		(-)0.02
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 59.02 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति करने के कारण हुई।				
02- सामुदायिक विस्तार के विकास कार्यक्रम पर व्यय-				
गैर योजना				
	मूल	6,64.41		
	पूरक	0.01	4,71.11	4,70.71
	पुनर्वि०	(-)1,93.31		(-)0.40
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,93.31 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।				
10- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

	योजना				
(i)	मूल	8.00			
		
	पुनर्वि०	(-)8.00			
	योजना				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
15-	स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राज्य पुरस्कार योजना- योजना				
(iii)	मूल	15.00			
		
	पुनर्वि०	(-)15.00			
16-	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजना				
(iv)	मूल	81.00			
		
	पुनर्वि०	(-)81.00			
	योजना				
(v)	मूल	9.00			
		
	पुनर्वि०	(-)9.00			
	उपरोक्त पांच मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,14.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।				
17-	कार्यालय भवन/भण्डार के निर्माण/नवीनीकरण- योजना				
	मूल	25.00	25.00	15.00	(-)10.00
	₹ 10.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।				
18-	महिला मंडल प्रोत्साहन योजना- योजना				
	मूल	15.00			
		
	पुनर्वि०	(-)15.00			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

2702- लघु सिंचाई-

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- उठाऊ सिंचाई योजनाओं के रखरखाव
तथा मरम्मतों पर व्यय (सामान्य रखरखाव)-
योजना

मूल 10.00

पुनर्वि० (-)10.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान उठाऊ सिंचाई योजना की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

06- कार्य प्रभारित कर्मचारी वर्ग को
स्थाई स्थापना में परिवर्तित करने
पर व्यय-
गैर योजना

(i) मूल 8,44.13

5,72.63

5,69.27

(-)3.36

पुनर्वि० (-)2,71.50

07- स्थापना पर व्यय-
गैर योजना

(ii) मूल 5,63.95

पूरक 0.01

3,42.25

3,41.70

(-)0.55

पुनर्वि० (-)2,21.71

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,93.21 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

11- वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव का प्रावधान-
गैर योजना

मूल 7,24.38

5,19.19

5,19.19

..

पुनर्वि० (-)2,05.19

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,05.19 लाख की कमी वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण हुई।

2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- औद्योगिक योजनाओं पर व्यय-
योजना

मूल 5.00

2.00

2.00

..

पुनर्वि० (-)3.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन करने के कारण हुई।

02- जिला औद्योगिक केन्द्रों पर व्यय-
गैर योजना

मूल	1,01.03				
		60.33	60.31	(-)0.02	
पुनर्वि०	(-)40.70				

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40.70 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।

08- हथकरघा और हस्तकला के लिए
एकीकृत योजना-
योजना

मूल	1.00				
		
पुनर्वि०	(-)1.00				

मार्च 2020 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2020)।

10- खाद्य उद्योग इकाइयों पर व्यय-
गैर योजना

मूल	1.98				
		
पुनर्वि०	(-)1.98				

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.98 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

16- खाद्यी ओर ग्रामीण उद्योगों पर विशेष
केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत व्यय-
केन्द्रीय योजना

मूल	10.00				
		
पुनर्वि०	(-)10.00				

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

17- हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा
विकास निगम पर विशेष केन्द्रीय सहायता
के अंतर्गत व्यय-
केन्द्रीय योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

योजना					
मूल	1,96.00		1,28.83	1,28.83	..
पुनर्वि०	(-)67.17				
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 67.17 लाख की कमी हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम से प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।					
21-	खाद्य प्रसंस्करण हेतु राज्य मिशन- योजना				
(i)	मूल	45.00			
		
	पुनर्वि०	(-)45.00			
26-	ग्रामीण इंजीनियरिंग आधारित उद्योग केन्द्र- योजना				
(ii)	मूल	10.00			
		
	पुनर्वि०	(-)10.00			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 55.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।					
2852-	उद्योगे-				
	80- सामान्य-				
	796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
	01- खनिज विकास पर व्यय- योजना				
	मूल	3.00			
			1.86	1.86	..
	पुनर्वि०	(-)1.14			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.14 लाख की कमी विज्ञापन बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।					
2853-	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग--				
	02- खानों का विनियमन और विकास-				
	796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
	01- खनिज विकास पर व्यय- गैर योजना				
	मूल	79.98			
			58.11	58.09	(-)0.02
	पुनर्वि०	(-)21.87			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21.87 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों में संशोधन न करने के कारण हुई।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

योजना				
मूल	4.00			
		2.78	2.76	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)1.22			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.22 लाख की कमी टेलीफोन, बिजली तथा पानी के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
3054- सड़कें तथा पुल-				
04- जिला तथा अन्य सड़कें-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02- कार्य प्रभारित कर्मचारी वर्ग को स्थाई स्थापना में परिवर्तित करने पर व्यय- गैर योजना				
मूल	92,57.61			
		72,13.77	84,46.95	+12,33.18
पुनर्वि०	(-)20,43.84			
₹ 12,33.18 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20,43.84 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने तथा यात्रा पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई ।				
₹ 12,33.18 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।				
03- जिला सड़कों के रख-रखाव तथा मरम्मत पर व्यय- गैर योजना				
मूल	17,11.00			
		14,96.96	16,64.36	+1,67.40
पुनर्वि०	(-)2,14.04			
₹ 1,67.40 लाख की अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,14.04 लाख की कमी जिला सड़कों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।				
₹ 1,67.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।				
05- वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव प्रावधान- गैर योजना				
मूल	86,02.77			
		72,13.77	15,80.57	(-)56,33.20
पुनर्वि०	(-)13,89.00			
₹ 56,33.20 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13,89.00 लाख की कमी वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव के प्रावधान पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 56,33.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।				
3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सर्वेक्षण कर्मचारी वर्ग मूल्यांकन अध्ययन तथा तकनीकी पर व्यय-
गैर योजना

मूल	82.38			
	0.01	45.60	47.13	+1.53
पुनर्वि०	(-)36.79			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 36.79 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों के संशोधन न करने के कारण हुई।

3456- नागरिक आपूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

04- उपभोक्ता जागरूकता-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	3.00			
	
पुनर्वि०	(-)3.00			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधियों जारी न करने के कारण कम कर दिया गया।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

2015- निर्वाचन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- मतदाता सूचियों के निर्माण तथा मुद्रण
पर व्यय विधान सभा-
गैर योजना

मूल	17.68			
	0.01	45.17	34.73	(-)10.44
पुनर्वि०	27.48			

₹ 10.44 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.48 लाख का आवर्धन विभिन्न बिलों के निपटान, अधिकारी/पर्यवेक्षक स्तर को मानदेय के संशोधन तथा भुगतान करने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 10.44 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

04- राज्य विधान सभा के चुनाव के संचालन प्रभार पर व्यय-
गैर योजना

मूल	0.06			
		3.19	3.20	+0.01
पुनर्वि०	3.13			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.13 लाख का आवर्धन यात्राओं पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

05-	संसद के चुनाव के संचालन प्रभार पर व्यय- गैर योजना				
	मूल	0.06			
		0.02	2,52.80	2,52.80	..
	पुनर्वि०	2,52.72			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,52.72 लाख का आवर्धन लोकसभा चुनाव इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशानों, बाह्य स्रोत वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों, वाहनों के मरम्मत पर अधिक व्यय, लंबित मानदेय बिलों के भुगतान, यात्राओं पर अधिक व्यय तथा महंगाई भत्ते व अंतरिम राहत के अधिक भुगतान के कारण हुआ।

2029- भू-राजस्व-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

06- राजस्व भवनों का निर्माण-
योजना

	पूरक	0.01			
			30.32	30.32	..
	पुनर्वि०	30.31			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.31 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों के रखरखाव पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

2053- जिला प्रशासन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- उप-मण्डल स्थापना पर व्यय-
गैर योजना

	मूल	1,30.26			
			1,27.79	1,54.78	+26.99
	पुनर्वि०	(-)2.47			

₹ 26.99 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

05- आवासीय आयुक्त पांगी के कार्यालय पर व्यय-
गैर योजना

	मूल	27.21			
			35.99	35.99	..
	पुनर्वि०	8.78			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.78 लाख का आवर्धन अतिरिक्त महंगाई भत्तो तथा अंतरिम राहत की किस्त के भुगतान के कारण हुआ जोकि दूरभाष, पानी व बिजली बिलों की कम प्राप्ति से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

10- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना

मूल	25,00.00			
		27,49.53	25,07.03	(-),2,42.50
पुनर्वि०	2,49.53			

₹ 2,42.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,49.53 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 27,49.53 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 2,42.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

योजना

मूल	2,78.00			
		3,05.50	3,05.50	..
पुनर्वि०	27.50			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.50 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

11- विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना-

योजना

मूल	3,35.00			
		4,02.00	3,70.88	(-),31.12
पुनर्वि०	67.00			

₹ 31.12 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 67.00 लाख का आवर्धन विधानसभा सदस्य निधि में संशोधन के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 31.12 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

12- अतिरिक्त उपायुक्त काजा के कार्यालय पर व्यय-

गैर योजना

मूल	8.48			
		5.85	10.67	+4.82
पुनर्वि०	(-),2.63			

₹ 4.82 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.63 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों के संशोधन न करने के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई।

₹ 4.82 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

2055- पुलिस-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

06- पंचायत चौकीदार/गृह रक्षकों द्वारा समन/वारंट पर व्यय-

गैर योजना

मूल	15.00			
		22.50	22.50	..
पुनर्वि०	7.50			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.50 लाख का आवर्धन हिमाचल गृह रक्षकों/पंचायतों चौकीदारों को समन/वारंट की तामिल के लिए पारिश्रामिक के भुगतान के कारण हुआ।

07- सुरक्षा सम्बन्धित व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	42.52			
		63.31	63.33	+0.02
पुनर्वि०	20.79			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.79 लाख का आवर्धन कर्मचारियों को बढ़े हुए मानदेय के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि बाह्य स्रोत, वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों तथा वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय होने से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

गैर योजना

मूल	0.01			
		8.02	8.02	..
पुनर्वि०	8.01			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.01 लाख का आवर्धन कर्मचारियों को बढ़े हुए मानदेय के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2059- लोक निर्माण-कार्य-

01- कार्यालय भवन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

07- स्कन्ध के अन्तर्गत व्यय (स्टाक)-

गैर योजना

(i) मूल	10,00.00			
		17,98.10	17,98.10	..
पुनर्वि०	7,98.10			

09- स्कन्ध के अन्तर्गत व्यय
(विविध लोक निर्माण विभाग)

गैर योजना

(ii) मूल	5,00.00			
		7,00.52	7,00.52	..
पुनर्वि०	2,00.52			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,98.62 लाख का आवर्धन विभिन्न विभागों के भवन निर्माण के लिए सामग्री की खरीद/भण्डारण के कारण हुआ।

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन निर्माण कार्यक्रम संबंधी

स्थापना पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

गैर योजना

मूल	6,92.03			
		3,88.69	10,20.79	+6,32.10
पुनर्वि०	(-)3,03.34			

₹ 6,32.10 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,03.34 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा वेतनमानों के संशोधन न करने के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई।

₹ 6,32.10 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

07- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों

पर व्यय-

योजना

मूल	1.00			
पूरक	0.03	2,51.39	2,51.38	(-)0.01
पुनर्वि०	2,50.36			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,50.36 लाख का सारभूत आवर्धन अतिरिक्त महंगाई भत्ते/अंतरिम राहत की किस्त के भुगतान, दूरभाष, बिजली तथा पानी के बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

17- स्कूल प्रबंधन कमेटी को सहायता अनुदान-

योजना

मूल	1,85.00			
		3,62.97	3,62.97	..
पुनर्वि०	1,77.97			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,77.97 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों की अदायगी के कारण हुआ।

02- माध्यमिक शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला शिक्षा अधिकारी तथा स्टाफ पर व्यय-

गैर योजना

मूल	1,26.77			
		1,47.63	1,47.66	+0.03
पुनर्वि०	20.86			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.86 लाख का आवर्धन महंगाई भत्ते/अंतरिम राहत की किस्त के भुगतान, बाह्य स्रोत वाहनों पर, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों तथा वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

14- स्कूल प्रबंधक समिति को सहायता अनुदान-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

गैर योजना					
पूरक	0.01				
		3,34.19	3,34.20	+0.01	
पुनर्वि०	3,34.18				
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,34.18 लाख का आवर्धन स्कूल प्रबंधन समिति पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ।					
20-	अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत जनजातीय विद्यार्थियों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना					
पूरक	0.03				
		20,47.98	20,47.98	..	
पुनर्वि०	20,47.95				
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20,47.95 लाख का सारभूत आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रीय निधियों की अधिक प्राप्ति, टेलीफोन, बिजली व पानी के बिलों की प्राप्ति पर अधिक व्यय तथा रिक्त पदों को भरने के कारण हुआ।					
23-	बोर्ड परिक्षाओं के लिए सी०सी०टी०वी किराये पर लेना-				
योजना					
मूल	18.00				
		30.53	30.53	..	
पुनर्वि०	12.53				
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.53 लाख का आवर्धन बोर्ड परीक्षाओं सी०सी०टी०वी० किराये में लेने पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।					
2210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-				
03-	<i>ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं/ पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-</i>				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति कार्यक्रम पर व्यय-				
योजना					
मूल	6,81.99				
	0.01	7,29.57	7,29.50	(-)0.07	
पुनर्वि०	47.57				
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 47.57 लाख का आवर्धन अतिरिक्त महंगाई भत्ते/अंतरिम राहत के भुगतान, सामग्री/मदों की खरीद एवं कार्यालय भवनों की मरम्मत पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।					
04-	<i>ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-</i>				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

06-	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिधा एवं होम्योपैथी- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	69.00			
			1,70.16	1,70.16	..
	पुनर्वि०	1,01.16			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,01.16 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
	योजना				
	मूल	8.00			
			18.91	18.91	..
	पुनर्वि०	10.91			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.91 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।				
05	<i>चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-</i>				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
07-	लाल बहादुर शास्त्री सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, नेर चौक- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	पूरक	0.01			
			99.56	99.56	..
	पुनर्वि०	99.55			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.55 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण हुआ।				
2215-	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता-				
01-	<i>जलापूर्ति-</i>				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर व्यय- गैर योजना				
(i)	मूल	3,92.66			
			4,06.02	4,99.00	+92.98
	पुनर्वि०	13.36			
04-	स्कन्ध- योजना				
(ii)		5,70.87	+5,70.87

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

05-	स्कन्ध विनिर्माण- योजना				
(iii)	6.41		+6.41
06-	विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम- योजना				
(iv)	31.19		+31.19

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 7,01.45 लाख का व्यय बिना प्रावधान के हुआ; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

2217- शहरी विकास-

03- छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

दीन दयाल अन्तयोदया योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

योजना

मूल 20.00

36.56

36.56

..

पुनर्वि० 16.56

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.56 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 29.27 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

योजना

मूल 2.00

4.06

4.06

..

पुनर्वि० 2.06

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.06 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

2225- अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-

02- अनुसूचित जनजातीय का कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

10- अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए गृह अनुदान-

योजना

मूल 2,55.00

2,86.70

2,86.70

..

पुनर्वि० 31.70

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.70 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों की अदायगी के कारण हुआ।

2230- श्रम तथा रोजगार-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

03- प्रशिक्षण-					
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-					
10- औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए					
कौशल को मजबूत बनाना-					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
योजना					
पूरक	0.01				
		10.00	10.00		..
पुनर्वि०	9.99				
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.99 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।					
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-					
02- सामाजिक कल्याण-					
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-					
04- बेटी है अनमोल पर व्यय-					
योजना					
(i)	मूल	7.00			
			23.25	23.25	..
	पुनर्वि०	16.25			
05- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना-					
योजना					
(ii)	मूल	15.00			
			24.77	24.77	..
	पुनर्वि०	9.77			
07- मदर टेरेसा असहाय मैत्री संबल योजना-					
योजना					
(iii)	मूल	20.00			
			29.65	29.65	..
	पुनर्वि०	9.65			
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 35.67 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों की अदायगी करने के कारण हुआ।					
22- विकलांगों का उत्थान-					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
योजना					
पूरक	0.02				
		17.07	17.07		..
पुनर्वि०	17.05				
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.05 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
01-	सामाजिक कल्याण तथा वृद्धावस्था पेंशन पर व्यय- योजना			
	मूल	7,51.50		
			10,41.17	10,41.17
	पुनर्वि०	2,89.67		..
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,89.67 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों की अदायगी तथा पेंशन सेवा प्रभारों के भुगतान पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।			
02-	विधवा पेंशन पर व्यय- योजना			
	मूल	1,82.50		
			3,00.23	3,00.23
	पुनर्वि०	1,17.73		..
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,17.73 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों की अदायगी के कारण हुआ।			
2251-	सचिवालय सामाजिक सेवाए-			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
07-	जनजातीय अनुसंधान संस्थान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजना			
	मूल	2.00		
			68.05	68.05
	पुनर्वि०	66.05		..
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 66.05 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।			
2401-	फसल कृषि कर्म-			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
54-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- योजना			
	मूल	1.00		
			5.75	5.75
	पुनर्वि०	4.75		..
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.75 लाख का आवर्धन किसानों से मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।			
61-	कृषि मैकनाइजेशन पर उप मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
(i)	मूल	1,13.00		
			3,90.00	3,90.00
	पुनर्वि०	2,77.00		..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

	योजना				
(ii)	मूल	13.00			
			43.00	43.00	..
	पुनर्वि०	30.00			
62-	राष्ट्रीय बैम्बु मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iii)	पूरक	0.01			
			17.10	17.10	..
	पुनर्वि०	17.09			
	योजना				
(iv)	पूरक	0.01			
			1.90	1.90	..
	पुनर्वि०	1.89			
उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,25.98 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।					
2403-	पशु पालन-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
07-	जनजातीय क्षेत्र से बाहर रह रहे जनजातीय लोगों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत पशुपालन कार्यक्रम पर व्यय- योजना				
	मूल	2.00			
			10.00	10.00	..
	पुनर्वि०	8.00			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.00 लाख का आवर्धन किसानों से मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।					
17-	राष्ट्रीय पशुधन मिशन - केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	0.01			
			51.67	51.67	..
	पुनर्वि०	51.66			
	योजना				
(ii)	मूल	1.00			
			2.87	2.87	..
	पुनर्वि०	1.87			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

19- पशुधन की जनगणना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(iii) पूरक	0.01			
		1.45	1.45	..
पुनर्वि०	1.44			

20- पशु चिकित्सा परिषद को अनुदान -
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(iv) पूरक	0.02			
		1.50	1.50	..
पुनर्वि०	1.48			

योजना

(v) पूरक	0.02			
		1.50	1.50	..
पुनर्वि०	1.48			

उपरोक्त पांच मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.93 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

2406- वानिकी तथा वन्य जीवन-

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

08- सुरक्षित हिमालय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

पूरक	0.05			
		88.71	88.71	..
पुनर्वि०	88.66			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 88.66 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति से हुआ।

2408- खाद्य भण्डारण तथा भण्डार गृह-

01- खाद्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत
सभाओं को उपदान सहायता पर व्यय-
योजना

पूरक	0.01			
		5.90	5.90	..
पुनर्वि०	5.89			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.89 लाख का आवर्धन प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

07-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	14.00			
			5,62.92	5,62.92	..
	पुनर्वि०	5,48.92			
	योजना				
(ii)	मूल	5.00			
			1,33.70	1,33.70	..
	पुनर्वि०	1,28.70			
2425-	सहकारिता-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	सहकारिता स्कीमों पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iii)	पूरक	0.01			
			1.97	1.97	..
	पुनर्वि०	1.96			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,79.58 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।				
2515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	पंचायती योजनाओं पर व्यय- योजना				
	मूल	9,26.00			
			10,88.30	10,88.30	..
	पुनर्वि०	1,62.30			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,62.30 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों की अदायगी करने के कारण हुआ।				
02-	सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विस्तार पर व्यय- योजना				
	मूल	95.00			
			8,34.15	5,59.27	(-)2,74.88
	पुनर्वि०	7,39.15			
	₹ 2,74.88 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,39.15 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों की मरम्मत पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 2,74.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

10- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	8.00			
पूरक	0.01	1,60.78	1,60.78	..
पुनर्वि०	1,52.77			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,52.77 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2702- लघु सिंचाई-

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- उद्धारसिंचाई योजनाएं (विशेष मरम्मत)

मरम्मत तथा रखरखाव पर व्यय-

गैर योजना

मूल	31.06			
		34.47	50.87	+16.40
पुनर्वि०	3.41			

₹ 16.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

03- अन्य लघु सिंचाई कार्यों के रखरखाव एवं
मरम्मत पर व्यय (विशेष मरम्मतें)-

गैर योजना

मूल	2,33.09			
		2,86.23	3,01.80	+15.57
पुनर्वि०	53.14			

₹ 15.57 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 53.14 लाख का आवर्धन लघु सिंचाई योजनाओं के रखरखाव पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अप्रयाप्त सिद्ध हुआ।

₹ 15.57 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

08- स्कन्ध पर व्यय (स्टॉक)-
योजना

(i) 11,26.58 +11,26.58

09- स्कन्ध पर व्यय (स्टॉक विनिर्माण)
योजना

(ii) 15.74 +15.74

10- स्कन्ध पर व्यय
(विविध लोक निर्माण अग्रिम)-
योजना

(iii) 2,16.76 +2,16.76

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 13,59.08 लाख का व्यय बिना प्रावधान के किया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम पर व्यय/

ग्रामीण उद्योग-

योजना

पूरक 0.03

5.20

5.20

..

पुनर्वि० 5.17

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.17 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों की अदायगी के कारण हुआ।

3054- सड़क तथा सेतु-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण सड़कों एवं पुल कार्यक्रम के

अंतर्गत स्थापना पर व्यय-

गैर योजना

मूल 18,90.41

10,84.27

22,69.07

+11,84.80

पुनर्वि० (-)8,06.14

₹ 11,84.80 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,06.14 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, वेतनमानों में संशोधन न करने तथा बिजली, दूरभाष व पानी के बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई।

₹ 11,84.80 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

04- जिला तथा अन्य सड़कों का रखरखाव-

गैर योजना

मूल 15,17.72

12,60.68

16,80.70

+4,20.02

पुनर्वि० (-)2,57.04

₹ 4,20.02 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,57.04 लाख की कमी जिला तथा अन्य सड़कों के रखरखाव पर कम व्यय, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति करने के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई।

₹ 4,20.02 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

3452- पर्यटन-

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन के विकास पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना

मूल	10.00			
		1,42.50	1,42.50	..

पुनर्वि० 1,32.50

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,32.50 लाख का आवर्धन हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के लिए वातानुकूल बसों की खरीद पर अधिक व्यय तथा विज्ञापन बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

(vi) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	--------------	--------------------------------	-----------------------

2702- लघु सिंचाई-

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- उठाऊ सिंचाई स्कीमें (विशेष मरम्मतें)

रखरखाव तथा मरम्मतों पर व्यय-

गैर योजना

(i) पूरक 16.40 16.40 .. (-)16.40

अनुपूरक विनियोजन से प्राप्त किया गया ₹ 16.40 लाख का विनियोजन अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- अन्य प्रशासन पर व्यय-

केन्द्रीय योजना**योजना**

(i) मूल 40.00 0.35 0.35 ..

पुनर्वि० (-)39.65

योजना

(ii) मूल 6,05.00

पूरक 1,66.29 4,80.02 4,80.02 ..

पुनर्वि० (-)2,91.27

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,30.92 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

05- न्यायालय पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- अग्निशमन विभाग के भवनों का निर्माण-
योजना

मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण नहीं बताए गये (अक्तूबर 2020)।

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन-
केन्द्रीय योजना
योजना

मूल 6,50.00

पूरक 96.57

6,96.57

6,96.57

पुनर्वि० (-)50.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी कोविड-19 में पूर्णबन्दी/कर्फ्यू के कारण हुई।

02- तकनीकी शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- नए पोलिटैक्निस खोलने/
स्तरोन्नत करने हेतु-
योजना

मूल 1,78.00

पुनर्वि० (-)1,78.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,78.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

03-	खेलकूद तथा युवा सेवाएं-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	भवन-				
	योजना				
	मूल	1,00.00			
			74.62	74.62	..
	पुनर्वि०	(-)25.38			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.38 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।				
4210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर				
	पूंजीगत परिव्यय-				
02-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	भवन-				
	केन्द्रीय योजना				
	योजना				
	मूल	3,70.00			
			2,90.00	2,90.00	..
	पुनर्वि०	(-)80.00			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 80.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई।				
03-	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
03-	इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय				
	शिमला में निर्माण कार्य-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2020)।				
05-	चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
	मूल	1,42.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1,42.00			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.42.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

06-	चिकित्सा महाविद्यालय नाहन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण नहीं बताए गये (अक्टूबर 2020)।				
07-	चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	3,15.00			
			1,30.86	1,30.86	
	पुनर्वि०	(-)1,84.14			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,84.14 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।				
4215-	जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	जल आपूर्ति-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
14-	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजना				
	मूल	9,90.00			
			9,06.25	9,38.53	+32.28
	पुनर्वि०	(-)83.75			
	₹ 32.28 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 83.75 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 9,06.25 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ। ₹ 32.28 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।				
16-	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना- बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (राष्ट्रीय विकास बैंक)- योजना				
	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण नहीं बताए गये (अक्टूबर 2020)।				
4225-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति
विकास निगम की हिस्सेदारी पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 49.00

25.00

25.00

..

पुनर्वि० (-)24.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

02- अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं
अल्पसंख्यक मामले विभाग के भवन-
योजना

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्य के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।

**4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर
पूँजीगत परिव्यय-**

02- समाज कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- बहुदेशीय सामुदायिक/आंगनवाड़ी केन्द्रों
का निर्माण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 7.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)7.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 7.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजना

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने तथा अनुपातिक राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रहने के कारण कम कर दिया गया।

4401- फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -

01- कृषि भवनों पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

केन्द्रीय योजना
योजना

(i)	मूल	63.00			
	पूरक	1,77.74	1,97.03	1,97.03	..
	पुनर्वि०	(-)43.71			
योजना					
(ii)	मूल	27.00			
			14.99	14.99	..
	पुनर्वि०	(-)12.01			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 55.72 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन करने के कारण हुआ।

4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -

01- ग्रामीण संरचित विकास निधि योजना के अंतर्गत पॉलीहाउस एवं सूक्ष्म सिंचाई के निर्माण पर व्यय-

योजना

मूल	1,00.00				
		
पुनर्वि०	(-)1,00.00				

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।

4425 - सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सहकारी समितियों में निवेश-

योजना

मूल	2.00				
		
पुनर्वि०	(-)2.00				

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान कम कर दिया गया; जिसके कारण नहीं बताए गये (अक्तूबर 2020)।

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय (प्रवाह सिंचाई योजनाएं)-

योजना

मूल	7,21.00				
पूरक	1,35.45	8,24.54	8,24.55		+0.01
पुनर्वि०	(-)31.91				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31.91 लाख की कमी कोविड-19 में पूर्णबन्दी/कफर्यू लगाने के कारण हुई।

- 06- ग्रामीण संरचित विकास निधि/राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना पर व्यय-
योजना

मूल	5,00.00			
		3,74.95	3,24.95	(-)50.00
पुनर्वि	(-)1,25.05			

₹ 50.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,25.05 लाख की कमी कोविड-19 में पूर्णबन्दी/कफर्यू लगाने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 50.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

- 08- लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम)-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

(i) मूल	4,04.00			
		..	0.74	+0.74
पुनर्वि	(-)4,04.00			

योजना

(ii) मूल	45.00			
		..	3.82	+3.82
पुनर्वि	(-)45.00			

- 10- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना

(iii) मूल	6,07.00			
	
पुनर्वि	(-)6,07.00			

योजना

(iv) मूल	68.00			
		..	9.43	+9.43
पुनर्वि	(-)68.00			

उपरोक्त तीन मामलों में क्रमांक संख्या (i), (ii) एवं (iv) पर ₹ 13.99 लाख के बिना प्रावधान की दृष्टि से उपरोक्त चार मामलों में ₹ 11,24.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने तथा राज्य की हिस्सेदारी भी जारी न करने के कारण कम कर दिया गया जोकि अनुचित सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में क्रमांक संख्या (i), (ii) एवं (iv) पर ₹ 13.99 लाख का व्यय बिना प्रावधान के किया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

11- हिमाचल प्रदेश में जल संरक्षण द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने हेतु योजना-
योजना

(i) मूल 9.00

पुनर्वि (-)9.00

4705- कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- कमांड क्षेत्र विकास पर व्यय-
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना**

(ii) मूल 3,56.00

पुनर्वि0 (-)3,56.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3,65.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

योजना

मूल 3,55.00

3,19.69

3,19.69

पुनर्वि0 (-)35.31

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35.31 लाख की कमी चले हुए कार्यों तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

4711- बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- बाढ नियंत्रण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- बाढ नियंत्रण कार्य पर व्यय-
**केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना**

मूल 8.00

पुनर्वि0 (-)8.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 8.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजना

मूल 2,50.00

2,27.80

2,24.31

(-)3.49

पुनर्वि0 (-)22.20

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22.20 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- हाइडेल उत्पादन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- हिमाचल प्रदेश संचारण एवं वितरण
निगम में अंशदान**योजना**

मूल 8,00.00

6,00.00

6,00.00

..

पुनर्वि० (-)2,00.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,00.00 लाख की कमी संचारण एवं वितरण निगम में कम अंशदान के कारण हुई।

4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- औद्योगिक सहकारिता में पूंजी निवेश-

योजना

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।

05- औद्योगिक भवन/इस्टेट का निर्माण-

योजना

मूल 20.00

10.00

10.00

..

पुनर्वि० (-)10.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की कमी कार्यों में कम निष्पादन के कारण हुई।

5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर व्यय-

योजना

मूल 36,49.88

पूरक 6,73.25

42,48.17

42,48.17

..

पुनर्वि० (-)74.96

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 74.96 लाख की कमी कोविड-19 में लगी पूर्णबन्दी/कर्फ्यू के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

04-	शुद्ध वर्तमान मूल्य सहित भूमि मुआवजा पर व्यय- गैर योजना				
	पूरक	93.75	93.75	..	(-)93.75
	अनुपूरक अनुदान से प्राप्त किया गया ₹ 93.75 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।				
07-	मुख्य जिला सड़कें- योजना				
	मूल	1,50.00			
	पूरक	30.00	3.04	..	(-)3.04
	पुनर्वि०	(-)1,76.96			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,76.96 लाख की कमी कोविड-19 में लगी पूर्णबन्दी/कर्फ्यू के कारण हुई।				
08-	केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़को का निर्माण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	9,90.00			
	पुनर्वि०	(-)9,90.00			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 9,90.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।				
80-	<i>सामान्य-</i>				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
03-	मशीनरी तथा उपस्कर, औजार तथा संयंत्र पर व्यय- योजना				
	मूल	1,30.40			
	पुनर्वि०	(-)1,30.40			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,30.40 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 में लगी पूर्णबन्दी/कर्फ्यू के कारण कम कर दिया गया।				
05-	प्रमुख पुलों पर व्यय- योजना				
(i)	मूल	7,94.72			
	पूरक	(-)1,28.95	6,65.77	6,68.81	+3.04
09-	ग्रामीण संरचित विकास निधि/राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक के अन्तर्गत मुख्य पुलों के निर्माण पर व्यय-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

03- माध्यमिक पाठशाला भवनों का निर्माण-
योजना

(i) मूल	1,12.00			
		1,49.50	1,49.50	..
पुनर्वि०	37.50			

02- तकनीकी शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
होस्टल भवनों का निर्माण-
योजना

(ii) मूल	1,32.00			
		2,40.00	2,40.00	..
पुनर्वि०	1,08.00			

04- कला तथा संस्कृति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन-
योजना

(iii) मूल	1,25.00			
		1,56.26	1,56.26	..
पुनर्वि०	31.26			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,76.76 लाख का आवर्धन चले हुए कार्यों को पूरा करने के कारण हुआ।

**4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर
पूंजीगत परिव्यय-**

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सड़कों के निर्माण पर व्यय-
योजना

मूल	4,00.00			
		4,67.98	4,67.98	..
पुनर्वि०	67.98			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 67.98 लाख का आवर्धन चले हुए कार्यों को पूरा करने के कारण हुआ।

**4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत
स्कीमों पर व्यय -**

01- जलापूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण पाइप जलापूर्ति स्कीमों पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

योजना				
मूल	8,05.00			
		8,59.50	8,81.07	+21.57

पुनर्वि० 54.50

₹ 21.57 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.50 लाख का आवर्धन चले हुए कार्यों को पूरा करने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 21.57 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

- 09- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक/ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति योजनाओ पर व्यय-

योजना

मूल	60.00			
		77.75	76.75	(-)1.00
पुनर्वि०	17.75			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.75 लाख का आवर्धन चले हुए कार्यों को पूरा करने के कारण हुआ।

- 14- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-
योजना

मूल	1,10.00			
		1,00.14	1,26.02	+25.88
पुनर्वि०	(-)9.86			

₹ 25.88 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-

- 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

- 02- उद्यान भवनों पर व्यय-

योजना

मूल	37.50			
		47.50	47.50	..
पुनर्वि०	10.00			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख का आवर्धन चले हुए कार्यों को पूरा करने के कारण हुआ।

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-

- 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

- 01- भवन निर्माण कार्यक्रम-

योजना

(i) मूल	1,08.00			
		1,53.00	1,53.00	..
पुनर्वि०	45.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31(क्रमशः)

**4406- वानिकी तथा अन्य प्राणियों पर
पूंजीगत परिव्यय-**

01- वानिकी-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सड़क निर्माण पर व्यय-
योजना

(ii) मूल 1,00.00

1,30.51

1,30.51

..

पुनर्वि० 30.51

02- भवन निर्माण पर व्यय-
योजना

(iii) मूल 1,69.70

1,87.68

1,87.68

..

पुनर्वि० 17.98

**4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओ पर
पूंजीगत परिव्यय-**

01- बाढ़ नियन्त्रण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि/
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के
अन्तर्गत बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम पर व्यय-
योजना

(iv) मूल 15.00

26.40

29.89

+3.49

पुनर्वि० 11.40

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,04.89 लाख का आवर्धन चले हुए कार्यों को पूरा करने के कारण हुआ।

5054- सड़कों तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि/
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के
अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों पर निर्माण पर व्यय-
योजना

मूल 8,00.00

पूरक 53.85

10,91.55

10,35.79

(-)55.76

पुनर्वि० 2,37.70

₹ 55.76 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,37.70 लाख का आवर्धन चले हुए कार्यों को पूरा करने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे**अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)**

₹ 55.76 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

04-	शुद्ध वर्तमान मूल्य सहित भूमि मुआवजा पर व्यय - योजना				
	मूल	20.00	20.00	1,13.75	+93.75

₹ 93.75 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

(ix) उच्चंत लेन-देन:-

- (i) उच्चंत के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए अनुदान के अन्तर्गत व्यय में ₹ 48,65.37 लाख (₹48,65.37 लाख राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत तथा ₹ 0.00 लाख पूंजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत) सम्मिलित हैं।
- (ii) उच्चंत लेनदेन के स्वरूप का वर्णन अनुदान संख्या-10 लोक निर्माण कार्य- सडकें, पुल तथा भवन के अन्तर्गत पैरा- (x) में किया गया है।
- (iii) अथ तथा अंत शेषों सहित वर्ष 2019-20 में इस अनुदान में उच्चंत लेनदेनों का विश्लेषण विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत नीचे दिया गया है:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2019 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाखों में)	क्रेडिट	31 मार्च 2020 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
राजस्व शीर्ष				
2059- लोक निर्माण-कार्य-				
01- कार्यालय भवन-				
796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना-				
07- उच्चंत के अन्तर्गत व्यय स्कन्ध-	(-)22,01.15	17,98.10	17,77.75	(-)21,80.80*
08- उच्चंत के अन्तर्गत व्यय (स्कन्ध विनिर्माण)	+9,23.35	3,99.20	4,26.31	+8,96.24
09- उच्चंत के अन्तर्गत व्यय (विविध लोक निर्माण अग्रिम)-	+45,29.77	7,00.52	4,94.70	+47,35.59
कुल 2059-	+32,51.97	28,97.82	26,98.76	+34,51.03
2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-				
01- जलापूर्ति-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
04- स्कन्ध-	(-)2,51.87	5,70.87	4,11.80	(-)92.80*
05- स्कन्ध विनिर्माण-	+1,63.18	6.41	12.75	+1,56.84
06- विविध लोक निर्माण अग्रिम-	+21.49	31.19	26.26	+26.42
कुल 2215-	(-)67.20	6,08.47	4,50.81	+90.46

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 - (समाप्त)

शीर्ष	1 अप्रैल 2019 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+)क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाखों में)	क्रेडिट	31 मार्च 2020 को अन्त शेष डैबिट (+)क्रेडिट (-)
2702- लघु सिंचाई-				
80- सामान्य-				
796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना- उच्चंत -				
08- उच्चंत पर व्यय- (स्टॉक)-	(-)1,16.50	11,26.58	9,65.56	+44.52
09- उच्चंत पर व्यय- (स्कन्ध विनिर्माण)-	+1,22.71	15.74	11.91	+1,26.54
10- उच्चंत पर व्यय- (विविध कार्य अग्रिम)-	+5,06.69	2,16.76	2,08.09	+5,15.36
कुल-2702-	+5,12.90	13,59.08	11,85.56	+6,86.42
कुल राजस्व प्रवर्ग-	+36,97.67	48,65.37	43,35.13	+42,27.91
कुल मांग-	+36,97.67	48,65.37	43,35.13	+42,27.91

टिप्पणी:- * ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32- अनुसूचित जाति उपयोजना

(शीर्ष- 2029- भू-राजस्व, 2055- पुलिस, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2202- सामान्य शिक्षा, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205-कला एवं संस्कृति, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2215- जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2217- शहरी विकास, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230-श्रम तथा रोजगार, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236- पोषण, 2401- फसल कृषि-कर्म 2402- भू तथा जल संरक्षण, 2403- पशुपालन, 2404- दूध विकास, 2405- मछली पालन, 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन, 2407-बागान,2408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2425-सहकारिता, 2435- अन्य कृषि कार्यक्रम, 2501- ग्राम विकास के लिए कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 3054- सड़क तथा सेतु, 3055- सड़क परिवहन, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 3452- पर्यटन, 3456- नागरिक आपूर्ति 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय,4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय, 4408- खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय, 4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,5002-भारतीय रेल वाणिज्यिक लाईनो पर पूंजीगत परिव्यय, 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, 6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण तथा 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	14,24,40,78		
		14,24,41,13	(-)5,13,36,51
पूरक	35		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			3,95,09,11

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

पूँजीगत प्रवर्ग**दत्तमत**

मूल	11, 18, 25, 22			
		12, 69, 17, 50	10, 37, 55, 09	(-)2, 31, 62, 41
पूरक	1, 50, 92, 28			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित

राशि (31 मार्च 2020)

2, 22, 54, 53

टिप्पणियां तथा अभ्यक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 5, 13, 36.51 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2020 में ₹ 3, 95, 09.11 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।
- (ii) पूँजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2, 31, 62.41 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2020 में प्राप्त ₹ 1, 50, 92.28 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और मार्च 2020 में ₹ 2, 22, 54.53 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- उच्च शिक्षा विभाग के भवनों का रख रखाव-
योजना

मूल	5, 00.00			
		4, 76.67	4, 76.67	..
पुनर्वि०	(-)23.33			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.33 लाख की कमी रख रखाव कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्राथमिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं पर व्यय-
योजना

मूल	5, 00.00			
		2, 82.15	2, 82.14	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)2, 17.85			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,17.85 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय मदों, सामग्री की कम खरीद और दैनिक वेतन भोगियों के नियमितिकरण होने के कारण हुई।

06- मध्याह्न आहार-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	24,10.00			
		18,55.94	18,35.12	(-)20.82
पुनर्वि०	(-)5,54.06			

₹ 20.82 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,54.06 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 20,74.55 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 20.82 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

योजना

मूल	6,82.00			
पूरक	0.01	5,26.02	5,26.01	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1,55.99			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,55.99 लाख की कमी केन्द्र के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने और मानदेय के भुगतान पर कम व्यय के कारण हुई।

07- सर्व शिक्षा अभियान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

(ii) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

08- साक्षर भारत योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(iii) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

(iv) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

11- अभिभावक अध्यापक संघ को सहायता

अनुदान पर व्यय-

योजना

मूल 19,23.00

11,88.20

11.88.20

..

पुनर्वि० (-)7,34.80

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,34.80 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

12- अटल वर्दी योजना-

योजना

मूल 8,53.00

7,98.77

7,98.77

..

पुनर्वि० (-)54.23

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 54.23 लाख का कमी सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

13- अनुसूचित जातियों को प्रीमेट्रिक छात्रवृत्ति-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल 30.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)30.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 30.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

15- विद्यालय प्रबंधक समिति को सहायता अनुदान-

योजना

मूल 5,19.00

1,52.08

1,52.08

..

पुनर्वि० (-)3,66.92

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,66.92 लाख की कमी स्कूल प्रबंधक समिति की सेवाएं न बढ़ाने के कारण हुई।

16- जिला शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना

मूल	1.00			
पूरक	0.02
पुनर्वि०	(-)1.02			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.02 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

17- प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के भवनों

की मरम्मत/रखरखाव-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजना**

मूल	5,37.00			
		4,23.84	4,23.84	..
पुनर्वि०	(-)1,13.16			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,13.16 लाख की कमी रख रखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

18- उर्दू एवं पंजाबी शिक्षक-

योजना

मूल	35.00			
		7.96	7.96	..
पुनर्वि०	(-)27.04			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27.04 लाख की कमी मानदेय के भुगतान पर कम व्यय के कारण हुई।

19- समग्र शिक्षा अभियान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजना**

(i) मूल	96,88.00			
		69,41.80	69,41.80	..
पुनर्वि०	(-)27,46.20			

योजना

(ii) मूल	10,75.00			
		7,71.31	7,71.31	..
पुनर्वि०	(-)3,03.69			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में ₹ 30,49.89 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति और केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

02- माध्यमिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

	योजना				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	योजना				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
04-	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	योजना				
(iv)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।				
12-	विधार्थियों के लिए डिजिटल योजना- योजना				
	मूल	4,53.00	4,53.00	..	(-)4,53.00
	₹ 4,53.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।				
13-	अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	योजना				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
14-	उच्चतर शिक्षा का व्यवसायीकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

	योजना				
(iii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	योजना				
(iv)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
15-	अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(v)	मूल	3.00			
		
	पुनर्वि०	(-)3.00			
16-	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(vi)	मूल	6,39.00			
		
	पुनर्वि०	(-)6,39.00			
	उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 6,46.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।				
	योजना				
	पूरक	0.01			
			5,49.81	..	(-)5,49.81
	पुनर्वि०	5,49.80			
	₹ 5,49.81 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,49.80 लाख का आवर्धन छात्रवृत्ति प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 5,49.81 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।				
18-	माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना					
(i)	मूल	35.00			
		
	पुनर्वि०	(-)35.00			
योजना					
(ii)	मूल	4.00			
		
	पुनर्वि०	(-)4.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 39.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के समग्र शिक्षा अभियान में विलय होने के कारण कम कर दिया गया।				
19-	स्कूल शिक्षा के वातावरण का उन्मुखीकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
21-	मुख्यमंत्री वर्दी योजना- योजना				
	मूल	3,78.00			
			3,18.52	3,18.52	..
	पुनर्वि०	(-)59.48			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 59.48 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।				
23-	शिक्षा तकनीकी कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
	मूल	3.00			
		
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
24-	समग्र शिक्षा अभियान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
(i)	मूल	74,93.00			
			41,06.20	41,06.20	..
	पुनर्वि०	(-)33,86.80			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना					
(ii)	मूल	8,29.00			
			4,56.26	4,56.26	..
	पुनर्वि०	(-)3,72.74			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 37,59.54 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई और केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी भी कम जारी कर दी गई।					
25-	प्रचलित सूचना एवं संचार तकनीक प्रयोगशालाओं और अन्य प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन/रख रखाव- योजना				
	मूल	12,60.00			
		
	पुनर्वि०	(-)12,60.00			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 12,60.00 लाख का समस्त प्रावधान इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से बोली को अंतिम रूप न देने के कारण कम कर दिया गया।					
03-	विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला को सहायता अनुदान- योजना				
	मूल	26,45.00			
			19,83.75	19,83.75	..
	पुनर्वि०	(-)6,61.25			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,61.25 लाख की कमी कोविड-19 पूर्णबंद के कारण अंतिम तिमाही के लिए सहायता अनुदान जारी न कर सकने के कारण हुई।					
04-	अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति- केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजना				
	मूल	34,28.00			
		
	पुनर्वि०	(-)34,28.00			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 34,28.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।					
योजना					
	मूल	10,00.00	10,00.00	..	(-)10,00.00
₹ 10,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।					
05-	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	16,21.00			
		3,80.82	3,80.82	..
पुनर्वि०	(-)12,40.18			

योजना

(ii) मूल	1,80.00			
		42.31	42.31	..
पुनर्वि०	(-)1,37.69			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13,77.87 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति और केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 6,86.82 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

**06- राजकीय महाविद्यालयों पर व्यय-
योजना**

मूल	12,00.00			
	
पुनर्वि०	(-)12,00.00			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,00.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- पर्वतीय संस्थान तथा सम्बन्धित खेलकूद मनाली-
योजना

मूल	13.00			
		10.24	10.24	..
पुनर्वि०	(-) 2.76			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.76 लाख की कमी कोविड-19 पूर्णबंद के कारण हुई।

2205- कला तथा संस्कृति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- कला खजाना और दुर्लभ वस्तुएँ अधिनियम 1972-
योजना

मूल	30.00			
		28.21	1.27	(-)26.94
पुनर्वि०	(-)1.79			

₹ 26.94 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

03-	सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन- योजना				
	मूल	85.00			
			54.01	54.01	..
	पुनर्वि०	(-)30.99			
2210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-				
03-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	ग्रामीण स्वास्थ्य- योजना				
	मूल	57,38.00			
			10,65.61	10,64.93	(-)0.68
	पुनर्वि०	(-)46,72.39			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46,72.39 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, सामग्री, कार्यालय मदों की कम खरीद और दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।				
03-	राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।				
04-	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	95,34.00			
			79,73.00	79,73.00	..
	पुनर्वि०	(-)15,61.00			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15,61.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

04-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य			
	चिकित्सा पद्धति-			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
01-	आयुर्वेदिक अस्पताल-			
	योजना			
	मूल	11,92.00		
			11,49.66	11,49.65
				(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)42.34		
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्षण द्वारा प्रावधान में ₹ 42.34 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद के कारण हुई जोकि अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के बकाया भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।			
02-	होमोपैथी ओषधालय-			
	योजना			
	मूल	40.00		
			30.22	30.22
				..
	पुनर्वि०	(-)9.78		
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.78 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।			
05-	चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
02-	राजकीय मैडिकल कॉलेजों का उन्नयन-			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
	योजना			
(i)	मूल	1.00		
		
	पुनर्वि०	(-)1.00		..
	योजना			
(ii)	मूल	1.00		
		
	पुनर्वि०	(-)1.00		..
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।			
06-	लोक स्वास्थ्य-			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
01-	एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम-			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

	योजना				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
02-	ट्रामा सेंटर- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
(iii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
2211-	परिवार कल्याण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	राष्ट्रीय एम्बूलेंस सेवा- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iv)	मूल	1,39.00			
	पुनर्वि०	(-)1,39.00			
	उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,42.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुआ और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।				
04-	ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	15,73.00	13,23.12	13,22.84	(-)0.28
	पुनर्वि०	(-)2,49.88			
05-	शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(ii)	मूल	1,58.00	1,13.98	1,13.98	..
	पुनर्वि०	(-)44.02			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,93.90 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

2215- जलापूर्ति तथा सफाई-

02- मलजल तथा सफाई-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- मल निकासी योजनाओं की मरम्मत तथा रख रखाव-
योजना

मूल 4,03.00

3,29.00

3,28.81

(-)0.19

पुनर्वि० (-)74.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 74.00 लाख की कमी मल प्रवाह पद्धति के रखरखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

2216- आवास

03- ग्रामीण आवास-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- मुख्यमंत्री आवास योजना-
योजना

मूल 3,15.00

3,15.00

..

(-)3,15.00

₹ 3,15.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

05- मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकानों का रख रखाव-
योजना

मूल 1,83.00

91.35

..

(-)91.35

पुनर्वि० (-)91.65

₹ 91.35 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 91.65 लाख की कमी आवासों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 91.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

06- प्रधानमंत्री आवास योजना-
योजना

(i) मूल 9,30.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)9,30.00

योजना

(ii) मूल 1,03.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1,03.00

2217- शहरी विकास-

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

02- स्मार्ट सिटी मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(iii) मूल 12,60.00

पुनर्वि० (-)12,60.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 22,93.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुआ और राज्य की आनुपातिक हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

04- प्रधानमंत्री आवास योजना- सभी के लिए आवास (शहरी)-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल 7,92.00

7,77.00 .. (-)7,77.00

पुनर्वि० (-)15.00

योजना

(ii) मूल 88.00

60.20 .. (-) 60.20

पुनर्वि० (-)27.80

₹ 8,37.20 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42.80 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति और केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 8,37.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

**2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े
वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-**

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- निदेशन तथा प्रशासन-

योजना

मूल 11,00.00

2,31.85 2,11.85 (-)20.00

पुनर्वि० (-)8,68.15

₹ 20.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,68.15 लाख की कमी विविध मदों पर कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने, बाह्य वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों और वाहनों की मरम्मत, विज्ञापन पर कम व्यय और रख रखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 20.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

10- मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना-
योजना

मूल	11,65.00			
		11,44.00	..	(-)11,44.00
पुनर्वि०	(-)21.00			

₹ 11,44.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21.00 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 11,44.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

11- अनुवर्ती कार्यक्रम-
योजना

मूल	1,00.00			
		76.85	76.85	..
पुनर्वि०	(-)23.15			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.15 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

12- कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम-
योजना

मूल	28.00			
	
पुनर्वि०	(-)28.00			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

2230- श्रम तथा रोजगार-

03- प्रशिक्षण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- व्यवसायिक शिक्षा पर व्यय-
योजना

मूल	10,64.00			
पूरक	0.01	1,95.48	9,91.53	+7,96.05
पुनर्वि०	(-)8,68.53			

₹ 7,96.05 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,68.53 लाख की कमी मशीनरी और उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई जोकि वेतन और अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई और अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 7,96.05 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- सामाजिक कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- एकीकृत बाल विकास योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	64,41.00			
		55,27.97	55,27.98	+0.01
पुनर्वि०	(-)9,13.03			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,13.03 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने, प्री स्कूल किट की खरीद न होने, किराया, दर, करों के भुगतान और शिविरों के आयोजन पर कम व्यय के कारण हुई जोकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/ कार्यकर्ताओं और सहायकों के मानदेय की दरों में वृद्धि होने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

योजना

मूल	12,21.00			
पूरक	0.01	6,98.07	6,98.07	..
पुनर्वि०	(-)5,22.94			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,22.94 लाख की कमी, रिक्त पदों को न भरने, प्री स्कूल किटों की खरीद न होने, किराया, दर, करों के भुगतान पर कम व्यय के कारण हुई जोकि कार्यालय सामग्री की अधिक खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- किशोरियों (सबला) के सशक्तिकरण
के लिए राजीव गांधी योजना के
अन्तर्गत पोषण प्रावधान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना-
योजना

(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

06- बेंटी है अनमोल-
योजना

मूल	3,78.00			
		3,57.36	3,57.36	..
पुनर्वि०	(-)20.64			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.64 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुए।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

08- जागरूकता अभियान-
योजना

मूल 5.00

..

पुनर्वि० (-)5.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान जागरूकता शिविरों के आयोजन न होने के कारण कम कर दिया गया।

10- विशेष महिला उत्थान योजना-
योजना

मूल 8.00

..

पुनर्वि० (-)8.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

11- बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता-
योजना

मूल 13.00

..

पुनर्वि० (-)13.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के बन्द होने के कारण कम कर दिया गया।

12- महिला आयोग-
योजना

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान जागरूकता शिविरों के आयोजन न होने के कारण कम कर दिया गया।

18- विकलांग बच्चों का कल्याण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 11.00

..

पुनर्वि० (-)11.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम दिया गया।

20- समेकित बाल संरक्षण योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना				
मूल	40.00			
		30.00	30.00	..

पुनर्वि० (-)10.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

21- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल 2,58.00

पुनर्वि० (-)2,58.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,58.00 लाख का समस्त प्रावधान खाते द्वारा प्रत्यक्ष निधिकरण करने के कारण कम कर दिया गया।

योजना

(i) मूल 28.00 28.00 18.95 (-)9.05

2236- पोषण-

02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- अनुसूचित जाति के लिए विशेष पोषण कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(ii) मूल 18,50.00 18,50.00 7,67.38 (-)10,82.62

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 10,91.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

योजना

मूल 2,06.00

पुनर्वि० 46.14

2,52.14 82.42 (-)1,69.72

₹ 1,69.72 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 46.14 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 1,69.72 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

2401- फसल कृषि कर्म-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

10- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना					
मूल	20.00				
		15.37	15.37		..
पुनर्वि०	(-)4.63				
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.63 लाख की कमी सामग्री और कार्यालय मदों की कम खरीद के कारण हुई।					
11- फसल बीमा योजना-					
योजना					
मूल	1,76.00				
		85.00	85.00		..
पुनर्वि०	(-)91.00				
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 91.00 लाख की कमी बीमा कम्पनियों से दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।					
13- उद्यान विकास-					
योजना					
मूल	75.00				
		49.81	49.80		(-)0.01
पुनर्वि०	(-)25.19				
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.19 लाख की कमी बागवानी सामग्री और कार्यालय मदों की कम खरीद के कारण हुई।					
15- पुष्प विकास-					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
योजना					
(i) मूल	6.00				
		3.79	3.79		..
पुनर्वि०	(-)2.21				
योजना					
(ii) मूल	24.00				
		15.40	15.40		..
पुनर्वि०	(-)8.60				
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.81 लाख की कमी पुष्पकृषि सामग्री और कार्यालय मदों की कम खरीद के कारण हुई।					
16- राजकीय उद्यानों तथा पौधशालाओं की					
स्थापना तथा रख रखाव-					
योजना					
मूल	28.00				
		13.24	13.24		..
पुनर्वि०	(-)14.76				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.76 लाख की कमी उर्वरकों की कम खरीद के कारण हुई।

17- खुम्ब खेती परियोजना-
केन्द्रगत योजना
योजना

मूल	8.00			
		5.86	5.86	..
पुनर्वि०	(-)2.14			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.14 लाख की कमी, पेट्रोल, तेल और स्नेहक पर कम व्यय के कारण हुई।

योजना

मूल	30.00			
		17.73	17.74	+0.01
पुनर्वि०	(-)12.27			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.27 लाख की कमी, कूड़ा खाद की मांग की कम प्राप्ति तथा पेट्रोल, तेल और स्नेहक पर कम व्यय के कारण हुई।

25- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(कृषि)-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	2,15.00			
		89.22	89.22	..
पुनर्वि०	(-)1,25.78			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,25.78 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के कम अनुमोदन के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 4,43.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

योजना

मूल	24.00			
		9.83	9.83	..
पुनर्वि०	(-)14.17			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,39.95 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के कम अनुमोदन के कारण हुई।

26- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(उद्यान)-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	1,02.00			
		39.88	39.88	..
पुनर्वि०	(-)62.12			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

	योजना				
(ii)	मूल	11.00			
			4.57	4.57	..
	पुनर्वि०	(-)6.43			
36-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iii)	मूल	3,74.00			
			2,82.59	2,82.59	..
	पुनर्वि०	(-)91.41			
	योजना				
(iv)	मूल	42,00			
			30.98	30.98	..
	पुनर्वि०	(-)11.02			
	उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,70.98 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही। जबकि क्रम संख्या (i) पर ₹ 4,43.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।				
41-	उठारु सिंचाई योजना एवं बोरवेल्स- योजना				
	मूल	2,72.00			
			2,36.14	2,36.14	..
	पुनर्वि०	(-)35.86			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35.86 लाख की कमी किसानों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
42-	विश्व बैंक सहायतार्थ हिमाचल प्रदेश उद्यान विकास परियोजना- योजना				
	मूल	30,23.00			
		
	पुनर्वि०	(-)30,23.00			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 30,23.00 लाख का समस्त प्रावधान निधियों के अप्रयुक्त रहने के कारण कम कर दिया गया।				
44-	फसल विविधीकरण (जापान अंतराष्ट्रीय सहकारी अभिकरण) चरण-II - योजना				
	मूल	50.00			
		
	पुनर्वि०	(-)50.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अमल में न लाने के कारण कम कर दिया गया।

45-	प्राकृतिक खेत खुशहाल किसान- योजना				
	मूल	4,40.00			
			4,18.00	4,18.00	..
	पुनर्वि०	(-)22.00			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.00 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
47-	मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना- योजना				
	मूल	10.00			
			0.30	0.30	..
	पुनर्वि०	(-)9.70			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.70 लाख की कमी आपात मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
48-	बीज और उपजाऊ सामग्री पर उपलाभ- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1,24.00			
			86.59	86.59	..
	पुनर्वि०	(-)37.41			
	योजना				
(ii)	मूल	13.00			
			9.60	9.60	..
	पुनर्वि०	(-)3.40			
50-	परम्परागत कृषि विकास योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	3,08.00			
			59.07	59.07	..
	पुनर्वि०	(-)2,48.93			
	योजना				
(iv)	मूल	35.00			
			6.56	6.56	..
	पुनर्वि०	(-)28.44			
51-	मृदा की स्वास्थ्य एवं उर्वरकता हेतु राष्ट्रीय परियोजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
(v)	मूल	83.00			
			24.73	24.73	..
	पुनर्वि०	(-)58.27			
	योजना				
(vi)	मूल	9.00			
			2.83	2.83	..
	पुनर्वि०	(-)6.17			
	उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,82.62 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई और राज्य की हिस्सेदारी भी प्रयुक्त रही।				
2402-	भू तथा जल संरक्षण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	प्रदर्शन वन विभाग-				
	केन्द्रगत योजना				
	योजना				
	मूल	2,50.00			
			2,24.76	2,24.76	..
	पुनर्वि०	(-)25.24			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.24 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, रखरखाव कार्य के निष्पादन न होने और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।				
05-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
	मूल	4,99.00			
			4,39.19	4,28.56	(-)10.63
	पुनर्वि०	(-)59.81			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 59.81 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
2403-	पशु पालन-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03-	मवेशी और भैंस विकास-				
	केन्द्रगत योजना				
	योजना				
	मूल	80.00			
			1,10.00	..	(-)1,10.00
	पुनर्वि०	(-)30.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 1,10.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 1,10.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

09-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	1,81.00			
			1,15.80	1,15.80	..
	पुनर्वि०	(-)65.20			
	योजना				
(ii)	मूल	20.00			
			12.86	12.86	..
	पुनर्वि०	(-)7.14			
11-	पशु बीमारी उन्मूलन हेतु राज्य सहायता- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iii)	मूल	21.77			
			5.65	5.65	..
	पुनर्वि०	(-)16.12			
	योजना				
(iv)	मूल	1.89			
			0.67	0.67	..
	पुनर्वि०	(-)1.22			
14-	व्यावसायिक निपुणता विकास योजना के अन्तर्गत पशु चिकित्सा परिषद को सहायता अनुदान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(v)	मूल	4.00			
			2.00	2.00	..
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	योजना				
(vi)	मूल	4.00			
			2.00	2.00	..
	पुनर्वि०	(-)2.00			

उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 93.68 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही। जबकि क्रम संख्या (1) पर भारत सरकार से ₹ 4,43.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

16-	पेस डेस पेटिट्स रूमिनेन्ट्स नियन्त्रण कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना	मूल	8.98			
				2.25	2.25	..
		पुनर्वि०	(-)6.73			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6.73 लाख की कमी मशीनरी, उपकरण और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।					
21-	भेड़ और बकरी पालन को प्रोत्साहन- योजना	मूल	25.00	25.00	..	(-)25.00
	₹ 25.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।					
22-	खुर तथा मुंह रोग नियन्त्रण कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना	मूल	1,54.70			
		पूरक	0.01	39.64	39.64	..
		पुनर्वि०	(-)1,15.07			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,15.07 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद के कारण हुई ।					
	योजना	मूल	11.33			
		पूरक	0.01	3.76	3.75	(-)0.01
		पुनर्वि०	(-)7.58			
	मार्च 2020 पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7.58 लाख की कमी सामग्री, मशीनरी और उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई।					
23-	उत्तम चार उत्पादन योजना- योजना	(i) मूल	1,60.00			
				1,59.99	1,47.76	(-)12.23
		पुनर्वि०	(-)0.01			
2405-	मत्स्य पालन-					
	789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-					
	03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना					
(ii)	मूल	23.91			
			27.68	..	(-)27.68
	पुनर्वि०	3.77			
योजना					
(iii)	मूल	2.09			
			3.07	..	(-)3.07
	पुनर्वि०	0.98			

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 42.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)। जबकि क्रम संख्या (ii) पर भारत सरकार से ₹ 4,43.00 लाख क अनुदान प्राप्त हुआ।

07- नील क्रान्ति एकीकृत मत्स्य पालन प्रबंध एवं विकास-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i)	मूल	1,16.00			
			2,52.35	89.66	(-)1,62.69
	पुनर्वि०	1,36.35			
योजना					
(ii)	मूल	15.14			
			33.87	10.05	(-)23.82
	पुनर्वि०	18.73			

₹ 1,86.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,55.08 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति और केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,47.49 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 1,86.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

2406- वानिकी तथा वन्य जीवन-

01- वानिकी-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

07- वन प्रबन्धन का तीव्रीकरण-

योजना

(i)	मूल	99.00			
			20.05	20.04	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)78.95			
योजना					
(ii)	मूल	11.00			
			0.75	0.75	..
	पुनर्वि०	(-)10.25			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 89.20 लाख की कमी निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई और राज्य की हिस्सेदारी भी प्रयुक्त रही।

08-	हिमाचल प्रदेश वन इको- सिस्टम जलवायु प्रूफिंग परियोजना(बाह्य सहायता परियोजना)- योजना				
	मूल	6,05.00			
			2,88.31	2,88.31	..
	पुनर्वि०	(-)3,16.69			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,16.69 लाख की कमी प्रत्यक्ष संवितरण भुगतान के लेखा समायोजन की प्राप्ति न होने, ग्रामीण वन प्रबंधक कमेटी से मांग की कम प्राप्ति होने और रख रखाव कार्यों के निष्पादन न होने के कारण हुई।				
09-	राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	1,03.00			
			6.82	6.82	..
	पुनर्वि०	(-)96.18			
	योजना				
(ii)	मूल	12.00			
			0.75	0.75	..
	पुनर्वि०	(-)11.25			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,07.43 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होने के कारण हुआ और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही। जबकि भारत सरकार से ₹ 6,82.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
10-	एकीकृत उद्यान विकास मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय बैम्बू मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	3.00			
		
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	योजना				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
11-	स्थायी कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत कृषि-वानिकी मिशन-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना					
(iii)	मूल	2.00			
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 6.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।				
12-	वनक्षेत्र का सुधार- योजना				
	मूल	5,74.00			
			4,09.87	4,09.87	
	पुनर्वि०	(-)1,64.13			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,64.13 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।				
13-	स्मृति वन योजना- योजना				
	मूल	32.00			
	पुनर्वि०	(-)32.00			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 32.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के बंद होने के कारण कम कर दिया गया।				
14-	पुराने वृक्षारोपण का रख रखाव- योजना				
	मूल	1,25.00			
			94.18	94.18	
	पुनर्वि०	(-)30.82			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.82 लाख की कमी रख रखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।				
15-	हिमाचल प्रदेश वन समृद्धि परियोजना- योजना				
	मूल	12,09.00			
			3.23	3.23	
	पुनर्वि०	(-)12,05.77			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12,05.77 लाख की सारभूत कमी परियोजना के विश्व बैंक द्वारा अनुमोदन न करने के कारण हुई।				
16-	हिमाचल प्रदेश वन परिस्थितिकीय प्रबंधन और जीव विज्ञान सुधार परियोजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना

मूल	3,53.00			
पूरक	0.01
पुनर्वि०	(-)3,53.01			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,53.01 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

17- समेकित और जलवायु लचीली वर्षा
आधारित कृषि के लिए एकीकृत परियोजना-
योजना

मूल	8,81.00			
		88.87	88.87	..
पुनर्वि०	(-)7,92.13			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,92.13 लाख की कमी योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

02- पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास-
योजना

मूल	85.00			
		48.08	48.08	..
पुनर्वि०	(-)36.92			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 36.92 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति और सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

02- हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण और
प्रजनन समाज के लिए सहायता अनुदान-
योजना

मूल	2,75.00			
		55.00	55.00	..
पुनर्वि०	(-)2,20.00			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,20.00 लाख की कमी चिड़ियाघर संरक्षण और प्रजनन संस्था में आवश्यकता की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2425- सहकारिता-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- उपदान-

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना**

मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

04- समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- अपराम्परागत ऊर्जा स्रोत-

केन्द्रगत योजना

योजना

पूरक 0.01

2,00.00

..

(-)2,00.00

पुनर्वि0 1,99.99

₹ 2,00.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,99.99 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के कारण हुआ जोक अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 2,00.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

06- स्वरोजगार योजना-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल 6,80.00

4,21.89

2,76.43

(-)1,45.46

पुनर्वि0 (-)2,58.11

योजना

(ii) मूल 76.00

19.13

2.97

(-)16.16

पुनर्वि0 (-)56.87

₹ 1,61.62 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,14.98 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 11,71.22 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 1,61.62 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

04- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

(i) मूल 1,98.00

..

..

..

पुनर्वि0 (-)1,98.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना				
(ii)	मूल	22.00		
	पुनर्वि०	(-)22.00		
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,20.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।				
06-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
(i)	मूल	5,67.00		
			16,83.30	
	पुनर्वि०	11,16.30		(-)16,83.30
योजना				
(ii)	मूल	63.00		
			1,87.03	
	पुनर्वि०	1,24.03		(-)1,87.03
₹ 18,70.03 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12,40.33 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति और केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
जबकि क्रम संख्या (i) पर ₹ 16,83.30 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ। उपरोक्त दो मामलों में ₹ 18,70.03 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।				
07-	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
(i)	मूल	11,09.00		
	पुनर्वि०	(-)11,09.00		
योजना				
(ii)	मूल	1,23.00		
	पुनर्वि०	(-)1,23.00		
08-	राष्ट्रीय ग्रामीण शहरी मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना				
(iii)	मूल	11,22.00		
		
	पुनर्वि०	(-)11,22.00		..
योजना				
(iv)	मूल	1,25.00		
		
	पुनर्वि०	(-)1,25.00		..
2505-	ग्रामीण रोजगार-			
	01- राष्ट्रीय कार्यक्रम-			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
02-	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
	योजना			
(v)	मूल	1,13,35.00		
		
	पुनर्वि०	(-)1,13,35.00		..
	उपरोक्त पाँच मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,38,14.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही। जबकि क्रम संख्या (i) पर ₹ 19.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।			
2515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
07-	कार्यालय भवनों/ग्राम सेवक हट का रख रखाव-			
	योजना			
	मूल	2,52.00		
			1,52.00	72.00
	पुनर्वि०	(-)1,00.00		(-)80.00
	₹ 80.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की कमी रख रखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
	₹ 80.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।			
08-	राज्य पुरस्कार योजना-			
	योजना			
(i)	मूल	78.00		
		
	पुनर्वि०	(-)78.00		..
09-	महिला प्रोत्साहन योजना-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना					
(ii)	मूल	49.00
	पुनर्वि०	(-)49.00			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,27.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।					
10-	पंचायती राज विभाग का उन्नयन-योजना				
	मूल	4,00.00			
			1,65.00	1,33.75	(-)31.25
	पुनर्वि०	(-)2,35.00			
₹ 31.25 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,35.00 की कमी रख रखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।					
₹ 31.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।					
13-	स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)-योजना				
	मूल	3.00			
		
	पुनर्वि०	(-)3.00			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के हिस्सेदारी क स्वरूप में बदलाव के कारण कम कर दिया गया।					
15-	महिला मण्डल के भवनों का निर्माण एवं नवीनीकरण-योजना				
	मूल	50.00			
			39.17	39.17	..
	पुनर्वि०	(-)10.83			
मार्च 2020 में अभ्यर्षण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.83 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।					
2851-	ग्रामीण तथा लघु उद्योग-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
10-	रेशम उद्योग का विकास-योजना				
	मूल	2,03.00			
			1,62.84	1,62.82	(-)0.02
	पुनर्वि०	(-)40.16			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.16 लाख की कमी मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

- 15- हथकरघा और हस्तशिल्प कला के लिए एकीकृत योजना-
योजना

मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान मांग की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

- 19- ग्रामीण अभियंत्रिकी आधारित उद्योग केन्द्र-
केन्द्रगत योजना
योजना

(i) मूल 40.00 40.00 .. (-)40.00

योजना

(ii) मूल 70.00 70.00 .. (-)70.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹1,10.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

- 20- लघु उद्योग इकाइयों को उपदान-
योजना

मूल 11.00

पुनर्वि० (-)10.00

1.00 1.00 ..

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की कमी मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

- 22- बांस शिल्प के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र-
केन्द्रगत योजना
योजना

मूल 10.00

पुनर्वि० (-)10.00

..

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10.00 लाख का समस्त मांग की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

- 25- राष्ट्रीय हथकरघा विकास-
योजना

मूल 23.00

पुनर्वि० (-)16.62

6.38 6.38 ..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.62 लाख की कमी माँग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

30- खाद्य विधायन उद्योग हेतु
राज्य मिशन-
योजना
मूल 1,26.00

पुनर्वि० (-)1,26.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,26.00 लाख का समस्त प्रावधान माँग की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

3452- पर्यटन-

01- पर्यटन अवसंरचना-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचा विकास निवेश कार्यक्रम-
योजना

मूल 17,63.00 17,63.00 .. (-)17,63.00

₹ 17,63.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- प्रशिक्षुओं के लिए वजीफा/छात्रवृत्ति-
योजना

मूल 17.00 5.61 5.61 ..

पुनर्वि० (-)11.39

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन /अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.39 लाख की कमी छात्रवृत्ति आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

3456- नागरिक आपूर्ति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- उपभोक्ता जागरूकता-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 7.00

पुनर्वि० (-)7.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन /अभ्यर्पण द्वारा ₹ 7.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2059- लोक निर्माण कार्य-			
01- कार्यालय भवन-			
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
04- सरकारी स्वामित्व के आंगनबाड़ी केन्द्रों का रख रखाव- केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजना			
पूरक	0.01	44.74	44.74 ..
पुनर्वि०	44.73		
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.73 लाख का आवर्धन, भारत से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।			
योजना			
पुनर्वि०	4.88	4.88	4.88 ..
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.88 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई। निधियां मूल/अनुपूरक बजट अनुमानों द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए थी। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित और हिमाचल प्रदेश राज्य बजट पुस्तिका के पैरा 12.5 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है।			
2202- सामान्य शिक्षा-			
01- प्रारम्भिक शिक्षा-			
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
13- अनुसूचित जातियों को प्री० मैट्रिक छात्रवृत्ति- योजना			
पूरक	0.01	83.82	83.82 ..
पुनर्वि०	83.81		
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 83.81 लाख का आवर्धन छात्रवृत्ति आवेदनों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।			
16- जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान- योजना			
मूल	1.00		
पूरक	0.08	6,09.76	6,09.76 ..
पुनर्वि०	6,08.68		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,08.68 लाख का आवर्धन कमचारियों की वेतनदेयता चुकाने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

02- माध्यमिक शिक्षा-				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02- उच्चतर पाठशालाएं-				
योजना				
मूल	8,06.00			
		25,48.20	23,33.37	(-)2,14.83
पुनर्वि०	17,42.20			

₹ 2,14.83 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17,42.20 लाख का आवर्धन सामग्री की खरीद पर अधिक व्यय, रिक्त पदों को भरने और छात्रवृत्ति के लिए आवेदनों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनुवृत्ति प्रस्तावों की कम प्राप्ति और कार्यालय सामग्री की कम खरीद के कारण हुई बचत से सामग्री की कम खरीद के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 2,14.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03- विद्यमान आयुष संस्थानों का उन्नयन-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना				
(i)	मूल	1,93.00		
			2,87.66	2,87.66
	पुनर्वि०	94.66		..
योजना				
(ii)	मूल	21.00		
			31.96	31.96
	पुनर्वि०	10.96		..
05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान-				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
06- लाल बहादुर शास्त्री सरकारी चिकित्सा				
महाविद्यालय और अस्पताल नेरचौक-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
योजना				
(iii)	पूरक	0.01		
			1,63.83	1,63.83
	पुनर्वि०	1,63.82		..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,69.44 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति और केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

2215- जलापूर्ति तथा सफाई-

01- जलापूर्ति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर ऊर्जा प्रभास-
योजना

मूल 4,00.00

4,27.34

4,25.04

(-)2.30

पुनर्वि० 27.34

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.34 लाख का आवर्धन ऊर्जा प्रभासों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2217- शहरी विकास-

04- गन्दी बस्तियों का विकास-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

10- दीन दयाल अन्त्योदय योजना-
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल 57.00

1,53.15

1,53.15

..

पुनर्वि० 96.15

योजना

(ii) मूल 6.00

17.02

17.02

..

पुनर्वि० 11.02

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,07.17 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति होने और केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,53.15 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

**2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य
पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-**

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

05- आवास-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना				
मूल	12,00.00			
		13,98.00	13,26.50	(-) 71.50
पुनर्वि०	1,98.00			
<p>₹ 71.50 लाख का अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,98.00 लाख का आवर्धन आवास अनुवृत्ति के अधिक मामलों की प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।</p> <p>₹ 71.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।</p>				
08-	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना			
पूरक	0.01			
		18,86.39	27.97	(-) 18,58.42
पुनर्वि०	18,86.38			
<p>₹ 18,58.42 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18,86.38 लाख का आवर्धन, भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।</p> <p>₹ 18,58.42 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।</p>				
12-	कम्प्यूटर एप्लीकेशन कार्यक्रम- केन्द्रगत योजना योजना			
मूल	2,00.00			
		3,09.78	3,09.78	..
पुनर्वि०	1,09.78			
<p>मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,09.78 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के कारण हुआ।</p>				
13-	अत्याचार के शिकार लोगों को मुआवजा- योजना			
मूल	90.00			
		2,86.00	2,86.00	..
पुनर्वि०	1,96.00			
<p>मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,96.00 लाख का आवर्धन, मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।</p>				
15-	अंतरजातीय विवाह हेतु पुरस्कार- योजना			
मूल	1,00.00			
		2,17.00	2,17.00	..
पुनर्वि०	1,17.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,17.00 लाख का आवर्धन प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2230- श्रम तथा रोजगार-

03- प्रशिक्षण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- विश्व बैंक सहायता प्राप्त औद्योगिक कौशल
उपयोगिता संवर्धन सशक्तिकरण परियोजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजना**

पूरक 0.01

19.00

19.00

..

पुनर्वि० 18.99

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.99 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

01- पुनर्वास-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- विकलांग पुनर्वास-

योजना

मूल 9,48.00

13,85.16

13,85.16

..

पुनर्वि० 4,37.16

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,37.16 लाख का आवर्धन, अधिक नए पेंशन लाभार्थियों के जुड़ने से हुआ।

02- समाज कल्याण -

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

16- महिला विकास निगम-

योजना

पूरक 0.01

64.33

64.33

..

पुनर्वि० 64.32

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 64.32 लाख का आवर्धन, लक्ष्यों पर आधारित ऋण की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

23- विकलांगों का उत्थान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-**योजना**

पूरक 0.01

92.84

92.84

..

पुनर्वि० 92.83

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 92.83 लाख का आवर्धन, भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

25-	बलात्कार बाल उत्पीडन और औब्जैक्टि फिकेशन पृष्ठभूमि के नाबालिग पीडितों के पुनर्वास के लिए योजना- योजना				
	पूरक	0.01			
			6.03	6.03	..
	पुनर्वि०	6.02			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.02 लाख का आवर्धन नई योजना के अमल में लाने के कारण हुआ।

60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03-	वृद्धावस्था पेंशन- योजना				
	मूल	40,35.00			
			55,41.21	55,41.21	..
	पुनर्वि०	15,06.21			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15,06.21 लाख का आवर्धन, नए पेंशन लाभार्थियों के जुड़ने के कारण हुआ।

2401-	फसल कृषि-कर्म-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
07-	पौध संरक्षण- केन्द्रगत योजना योजना				
	मूल	15.00			
			19.99	19.99	..
	पुनर्वि०	4.99			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.99 लाख का आवर्धन, किसानों से मांग की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ।

33-	विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	3,12.00			
			3,27.60	3,27.60	..
	पुनर्वि०	15.60			

38-	उद्यान एकीकृत विकास मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
-----	---	--	--	--	--

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना					
(ii)	मूल	4,53.00			
			5,78.75	5,78.75	..
	पुनर्वि०	1,25.75			
43-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iii)	मूल	2,27.00			
			2,55.31	2,55.31	..
	पुनर्वि०	28.31			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,69.66 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जबकि क्रम संख्या (iii) पर ₹ 4,50.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।				
योजना					
	मूल	85.00			
			1,20.07	1,20.10	+0.03
	पुनर्वि०	34.57			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.57 लाख का आवर्धन अनुदान अनुवति मामलों की अधिक प्राप्ति और केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।				
49-	कृषि मेकेनाइजेशन पर उप मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(i)	मूल	3,12.00			
			11,29.98	11,30.00	+0.02
	पुनर्वि०	8,17.98			
	योजना				
(ii)	मूल	35.00			
			1,22.80	1,22.80	..
	पुनर्वि०	87.80			
52-	राष्ट्रीय बम्बू मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iii)	पूरक	0.01			
			74.11	74.11	..
	पुनर्वि०	74.10			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना					
(iv)	पूरक	0.01			
			8.40	8.40	..
	पुनर्वि०	8.39			
उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,88.27 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति और केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।					
2402- भू तथा जन संरक्षण-					
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-					
03- फार्म पर टैंक द्वारा जल का सिंचाई योजना द्वारा प्रबंध- केन्द्रगत योजना					
योजना					
	मूल	1,49.00			
			1,88.89	1,88.89	..
	पुनर्वि०	39.89			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 39.89 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के कारण हुआ।					
2403- पशुपालन-					
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-					
05- कुक्कुट विकास पर व्यय- केन्द्रगत योजना					
योजना					
	मूल	30.00			
			44.69	44.69	..
	पुनर्वि०	14.69			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.69 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के कारण हुआ।					
20- राष्ट्रीय पशुधन मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना- योजना					
(i)	मूल	0.02			
		
	पुनर्वि०	1,55.40			
योजना					
(ii)	मूल	0.03			
			17.26	17.26	..
	पुनर्वि०	17.23			
2408- खाद्य भंडारण तथा भाण्डागार-					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

01- भोजन-					
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-					
01- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
योजना					
(iii)	मूल	38.00			
			6,65.00	6,65.00	..
	पुनर्वि०	6,27.00			
योजना					
(iv)	मूल	13.00			
			3,71.48	3,71.48	..
	पुनर्वि०	3,58.48			
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-					
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-					
12- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान-					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
योजना					
(v)	मूल	2,27.00			
			7,59.50	7,59.50	..
	पुनर्वि०	5,32.50			
योजना					
(vi)	मूल	25.00			
			84.39	84.39	..
	पुनर्वि०	59.39			
13- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
योजना					
(vii)	मूल	23.00			
	पूरक	0.01	10,19.15	10,19.15	..
	पुनर्वि०	9,96.14			

उपरोक्त सात मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27,46.14 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति होने और केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ। जबकि क्रम संख्या (v) पर ₹ 4,00.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

10- रेशम उद्योग का विकास-
केन्द्रगत योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना				
मूल	55.00			
		2,55.00	99.72	(-)1,55.28
पुनर्वि०	2,00.00			

₹ 1,55.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 1,55.28 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

3456- नागरिक आपूर्ति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण-
योजना

पूरक	0.01			
		1.79	1.79	..
पुनर्वि०	1.78			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.78 लाख का आवर्धन कार्यालय मदों की अधिक खरीद के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- आवासीय भवन-

योजना

मूल	16,30.00			
		7,87.91	7,87.91	..
पुनर्वि०	(-)8,42.09			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8,42.09 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

02- न्यायपालिका आधारिक संरचना का उन्नयन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजना

मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹1.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्य के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।

योजना

(i)	मूल	90.00			
			9.00	9.00	..
	पुनर्वि०	(-)81.00			

04- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय-
योजना

(ii)	मूल	1,40.00			
			1,26.00	1,26.00	..
	पुनर्वि०	(-)14.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 95.00 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

05- भवन (जेल विभाग)-
योजना

(i)	मूल	1,50.00	1,50.00	..	(-)1,50.00
-----	-----	---------	---------	----	------------

06- कानूनगो/पटवार भवनों का निर्माण-
योजना

(ii)	मूल	3,02.00			
			2,95.50	2,39.50	(-)56.00
	पुनर्वि०	(-)6.50			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,06.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

4202- शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति
पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- भवन (माध्यमिक विद्यालय)-
योजना

(i)	मूल	8,81.00			
			7,98.97	7,98.97	..
	पुनर्वि०	(-)82.03			

03- भवन (माध्यमिक विद्यालय)-
योजना

(ii)	मूल	3,15.00			
			2,92.95	2,92.95	..
	पुनर्वि०	(-)22.05			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

05- कॉलेज भवनों का निर्माण- योजना					
(iii)	मूल	14,48.00			
			7,86.10	7,86.10	..
	पुनर्वि०	(-)6,61.90			
03- खेलकूद तथा युवा सेवाएं- 789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना- 01- भवन निर्माण- योजना					
(iv)	मूल	3,50.00			
			2,94.75	2,94.75	..
	पुनर्वि०	(-)55.25			

उपरोक्त चार मामलों में, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8,21.23 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-

03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान- 789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना- 01- इंदिरा गांधा मेडिकल कॉलेज- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना					
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
03- मेडिकल कॉलेज चम्बा- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना					
(ii)	मूल	3,97.00			
		
	पुनर्वि०	(-)3,97.00			
04- मेडिकल कॉलेज नाहन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना					
(iii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3,99.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्य के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।

05- मेडिकल कॉलेज हमीरपुर-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना				
मूल	8,81.00			
		2,18.10	2,18.10	..
पुनर्वि०	(-)6,62.90			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,62.90 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-				
01- जलापूर्ति-				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01- शहरी जलापूर्ति योजनाओं पर व्यय-				
योजना				
मूल	18,14.00			
		15,11.61	15,11.61	..
पुनर्वि०	(-)3,02.39			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,02.39 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।				
07- आर०आई०डी०एफ०(नाबार्ड)के अन्तर्गत				
हैंडपम्पों की स्थापना पर व्यय-				
योजना				
मूल	3,87.00			
		..	0.67	+0.67
पुनर्वि०	(-)3,87.00			
मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3,87.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्य के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।				
09- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना				
बाह्य सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट (राष्ट्रीय विकास बैंक)-				
योजना				
मूल	33,70.00			
	
पुनर्वि०	(-)33,70.00			
मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 33,70.00 लाख का समस्त प्रावधान परियोजना के अनुमोदित न होने के कारण कम कर दिया गया।				
02- मल निकासी तथा सफाई-				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02- विभिन्न जिलों में जलस्तर तथा मल व्यवस्था योजनाएं-				
योजना				
मूल	10,08.00			
		8,26.95	8,29.25	+2.30
पुनर्वि०	(-)1,81.05			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,81.05 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सरकारी आवासीय भवन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- सरकारी आवासीय भवन-
योजना

मूल 2,00.00

पुनर्वि० (-)2,00.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान, संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम कर दिया गया।

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए
विभागीय/अन्य भवनों का निर्माण-
योजना

(i) मूल 1,35.00

पुनर्वि० (-)1,35.00

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-

01- कन्या छात्रावास के भवनों का निर्माण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(ii) मूल 1,50.00

पुनर्वि० (-)1,50.00

योजना

(iii) मूल 2,00.00

पुनर्वि० (-)2,00.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 4,85.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

02- सामाजिक कल्याण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

789- अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-

01- बहुउद्देशीय सामुदायिक/आंगन बाड़ी केन्द्र-
योजना

मूल	20.00			
पूरक	3,44.00	2,52.00	2,52.00	..
पुनर्वि०	(-)1,12.00			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹1,12.00 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन और भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई, राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

**4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर
पूंजीगत परियोजना-**

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- पोलीहाउस एवं माइक्रो सिंचाई परियोजना-
योजना

मूल	2,00.00			
पुनर्वि०	(-)2,00.00			..

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान नीति दिशानिर्देशों को वर्ष के अंत में अंतिम रूप दिए जाने के कारण कम कर दिया गया।

03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	1,36.00			
पूरक	52.96	1,85.25	1,27.42	(-)57.83
पुनर्वि०	(-)3.71			

₹ 57.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020) जबकि ₹ 4,43.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

04- सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से प्रभावी सिंचाई-
योजना

मूल	7,35.00			
पुनर्वि०	(-)1,84.80	5,50.20	5,09.89	(-)40.31

₹ 40.31 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,84.80 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 40.31 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परियोजना-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- भवन (पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य)-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना					
(i)	मूल	3,02.00			
			2,66.54	2,66.54	..
	पुनर्वि०	(-)35.46			
4406-	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय-				
	01- वानिकी-				
	789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
	02- भवन- योजना				
(ii)	मूल	4,00.00			
			2,18.44	2,18.44	..
	पुनर्वि०	(-)1,81.56			
4702-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
	789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
	01- विभिन्न जिलों में लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय(उठाऊ स्कीमें)- योजना				
(iii)	मूल	3,00.00			
			2,57.74	2,52.26	(-)5.48
	पुनर्वि०	(-)42.26			
	03- विभिन्न जिलों में जल प्रवाह सिंचाई योजना- योजना				
(iv)	मूल	3,00.00			
			2,73.29	2,73.29	..
	पुनर्वि०	(-)26.71			
	04- विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजना, नाबार्ड- योजना				
(v)	मूल	16,69.00			
			16,35.93	16,35.93	..
	पुनर्वि०	(-)33.07			
	05- नाबार्ड के अंतर्गत विभिन्न जिलों में बहाव सिंचाई योजना- योजना				
(vi)	मूल	9,00.00			
			2,00.34	2,00.35	+0.01
	पुनर्वि०	(-)6,99.66			
	उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,18.72 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।				
	07- ए०आई०वी०पी० के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में जल प्रवास योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	4,25.00			
		3,51.24	3,41.42	(-)9.82
पुनर्वि०	(-)73.76			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 73.76 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

11- जल संरक्षण द्वारा हिमाचल प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने हेतु योजना (बाह्य सहायता द्वारा)-
योजना

मूल	25.00			
	
पुनर्वि०	(-)25.00			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान परियोजना के अनुमोदित न होने के कारण कम कर दिया गया।

4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- कमांड क्षेत्र विकास-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल	9,98.00			
	
पुनर्वि०	(-)9,98.00			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9,98.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न हाने के कारण कम कर दिया गया।

योजना

मूल	9,93.00			
		8,05.56	8,58.58	+53.02
पुनर्वि०	(-)1,87.44			

₹ 53.02 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से, मार्च 2020 में प्रावधान में ₹ 1,87.44 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन और केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न हाने के कारण हुई जोकि अत्यधिक सिद्ध हुई और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

₹ 53.02 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- बाढ़ नियन्त्रण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

07- मण्डी तथा हमीरपुर जिलों में सीर खड्ड

से बरछबाड़ से जाहू तक तटीयकरण-

(बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम)-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
(i)	मूल	2.30
	पुनर्वि०	(-)2.30			
09-	पंजाब सीमा तक स्वां नदी का तटीयकरण (चरण-III)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
(ii)	मूल	2.30
	पुनर्वि०	(-)2.30			
10-	दौलतपुर से गगरेट पुल तक स्वां तथा इसकी सहायक नदियों का तटीयकरण (4-एफ०एम०पी०)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
(iii)	मूल	2.30
	पुनर्वि०	(-)2.30			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 6.90 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।				
	योजना				
	मूल	6,80.40	6,80.00	5,06.00	(-)1,74.00
	पुनर्वि०	(-)0.40			
	₹ 1,74.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।				
11-	जिला उजा में लिकरी खड्ड का तटीयकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
(i)	मूल	2.30
	पुनर्वि०	(-)2.30			
12-	तहसील इन्दौरा में छौंछखड का बाढ नियन्त्रण कार्य (बाढ प्रबंधन कार्यक्रम)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	योजना				
(ii)	मूल	2.30
	पुनर्वि०	(-)2.30			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

13-	जिला कुल्लू में पलचान से औट तक तटीयकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iii)	मूल	2.30			
	पुनर्वि०	(-)2.30
14-	ब्यास नदी और उसकी सहायक नदियों नदौन, हमीरपुर, ज्वालामुखी और रक्कर जिला हमीरपुर में ब्यास नदी और इसकी सहायक नदियों का तटीयकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(iv)	मूल	2.30			
	पुनर्वि०	(-)2.30
15-	जिला शिमला में पब्वर नदी का तटीयकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(v)	मूल	2.30			
	पुनर्वि०	(-)2.30
16-	जिला कांगड़ा में जब्बर और गरली खड्ड, का तटीयकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
(vi)	मूल	2.30			
	पुनर्वि०	(-)2.30
17-	जिला मंडी में सुकेती खड्ड तथा इसकी सहायक खड्डों हेतु बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम- योजना				
(vii)	मूल	2.30			
	पुनर्वि०	(-)2.30

उपरोक्त सात मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 16.10 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- हाईडल उत्पादन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

02- हिमाचल प्रदेश संचारण निगम समीति में निवेश-
योजना

मूल	14,00.00			
		10,50.00	10,50.00	..
पुनर्वि०	(-)3,50.00			

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,50.00 लाख की कमी कम निवेश के कारण हुई।

03- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में इक्विटी-
योजना

मूल	45,00.00	45,00.00	..	(-)45,00.00
-----	----------	----------	----	-------------

₹ 45,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रोंका सृजन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(i) मूल	5,00.00			
	
पुनर्वि०	(-)5,00.00			

योजना

(ii) मूल	1,25.00			
	
पुनर्वि०	(-)1,25.00			

05- औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

(iii) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

योजना

(iv) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2020 में ₹ 6,27.00 लाख का समस्त प्रावधान, भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

06-	जिला उद्योग केन्द्र भवन- योजना				
(i)	मूल	80.00			
			62.80	62.79	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)17.20			
5054-	सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-				
04-	जिला तथा अन्य सड़कें-				
789-	अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-				
01-	ग्रामीण सड़कों का निर्माण- केन्द्रगत योजना योजना				
(ii)	मूल	1,23.00			
	पूरक	5,00.00	91.80	91.80	..
	पुनर्वि०	(-)5,31.20			
	योजना				
(iii)	मूल	1,24,08.00			
	पूरक	1,46.31	1,08,67.67	1,08,86.98	+19.31
	पुनर्वि०	(-)16,86.64			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22,35.04 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।				
03-	प्रतिपूरक पौधरोपण(वन भूमि की जीगत और नेट प्रेजेन्ट वेल्यू की अदायगी)- योजना				
	मूल	3,50.00			
			0.47	0.47	..
	पुनर्वि०	(-)3,49.53			
	मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,49.53 लाख की कमी क्षतिपूर्ति मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
04-	पुलों का निर्माण- योजना				
(i)	मूल	53,00.00			
	पूरक	4,47.00	41,75.46	41,66.13	(-)9.33
	पुनर्वि०	(-)15,71.54			
05-	सड़कों के किनारे सुविधा- योजना				
(ii)	मूल	15.00			
			6.74	6.74	..
	पुनर्वि०	(-)8.26			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15,79.80 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

09- मुख्य जिला सड़कें-
योजना

मूल 1,00.00

..

पुनर्वि० (-)1,00.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्य के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया।

11- ग्रामीण सड़क विश्व बैंक-
योजना

मूल 25,00.00

..

पुनर्वि० (-)25,00.00

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 25,00.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अंतर्गत सड़को के अनुमोदित न होने के कारण हुआ।

12- सी०आर०एफ० के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
योजना

मूल 27,71.00

25,23.64 24,98.30 (-)25.34

पुनर्वि० (-)2,47.36

₹ 25.34 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,47.36 लाख की कमी कोविड-19 के दौरान पूर्णबंद/कर्फ्यू लगने के कारण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 25.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- परिवहन विभाग के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
भवनों का निर्माण-
योजना

मूल 50.00

50.00 .. (-)50.00

₹ 50.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

03- उप मंडल/खंड स्तर पर बस अड्डों का निर्माण-
योजना

पूरक 0.01

4,03.00 .. (-)4,03.00

पुनर्वि० (-)4,02.99

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 4,03.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,02.99 लाख का आवर्धन लेखाओं के अन्य मुख्य शीर्ष में प्रावधान करने के कारण हुआ जोकि अनुचित सिद्ध हुआ। यह बजट पुस्तिका के पैरा 12.5 और हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 का उल्लंघन है।

₹ 4,03.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अक्तूबर 2020)।

05- परिवहन नगर-
योजना

मूल 1,01.00

.. ..

पुनर्वि० (-)1,01.00

मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,01.00 लाख का समस्त प्रावधान, बिलों की अदायगी न होने के कारण कम कर दिया गया।

01- परिवहन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- हिमाचल पथ परिवहन निगम में निवेश-
योजना

(i) मूल 15,62.00

.. ..

पुनर्वि० (-)15,62.00

03- उप मंडल/खंड स्तर पर बस अड्डों का निर्माण-
योजना

(ii) मूल 4,03.00

.. ..

पुनर्वि० (-)4,03.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19,65.00 लाख का समस्त प्रावधान गलत बजट प्रावधान के कारण कम कर दिया गया। मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष के अनुसार मुख्यशीर्ष 5055 के अधीन 01- उप-मुख्यशीर्ष दर्शाया नहीं गया। अतः उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत गलत बजट प्रावधान किया गया है।

6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण
के लिए ऋण-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिवारों

के बच्चों को उच्चतर शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

योजना					
(i)	मूल	30.00			
	पुनर्वि०	(-)30.00			
6801-	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण-				
	योजना				
(ii)	मूल	62,00.00			
	पुनर्वि०	(-)62,00.00			
04-	ऊर्जा परियोजनाओं के लिए के०एफ०डब्ल्यू० शेयर-				
	योजना				
(iii)	मूल	25.00			
	पुनर्वि०	(-)25.00			
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 62,55.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।					
(vi) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-					
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
			(₹ लाखों में)		
4210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-				
04-	लोक स्वास्थ्य-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	भवन-				
	योजना				
(i)	मूल	50.00			
			60.00	60.00	..
	पुनर्वि०	(-)10.00			
4215-	जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	जलापूर्ति-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	विभिन्न जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना-				
	योजना				
(ii)	मूल	50,00.00			
			51,83.02	51,84.89	+1.87
	पुनर्वि०	1,83.02			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

04-	ग्रामीण संरचना विकास निधि/कृषि और, ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि बैंक- योजना				
(iii)	मूल	32,00.00			
			35,33.06	35,33.06	..
	पुनर्वि०	3,33.06			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,26.08 लाख का आवर्धन कार्य के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।				
4402-	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-				
789-	अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-				
03-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत व्यय- योजना				
	मूल	15.00			
			21.20	21.20	..
	पुनर्वि०	6.20			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.20 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।				
4702-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
789-	अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-				
06-	ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजना				
	मूल	24,05.00			
			24,78.76	24,64.45	(-)14.31
	पुनर्वि०	73.76			
	मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 73.76 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
4801-	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	हाइडल उत्पादन-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03-	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में इक्विटी- योजना				
	मूल	11,02.00	11,02.00	56,02.00	+45,00.00
	₹ 45,00.00 लाख की अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2020)।				
5054-	सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-				
04-	जिला तथा अन्य सड़कें-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

02- उच्च मार्गों के साथ पंचायतों को लिक सड़क द्वारा जोड़ना-
योजना

मूल	7,50.00			
		11,21.75	11,31.05	+9.30
पुनर्वि०	3,71.75			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,71.75 लाख का आवर्धन कार्य के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

10- कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक
के अंतर्गत सड़कों का निर्माण-
योजना

मूल	10,25.00			
		27,31.01	27,46.12	+15.11
पुनर्वि०	17,06.01			

₹ 15.11 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से, मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17,06.01 लाख का आवर्धन कार्य के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 15.11 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2020)।

5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में निवेश-
योजना

पूरक	0.01			
		15,62.00	15,62.00	..
पुनर्वि०	15,61.99			

मार्च 2020 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15,61.99 लाख का आवर्धन लेखाओं के अन्य मुख्यशीर्ष में गलत प्रावधान करने के कारण हुआ। यह हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के पैरा 12.5 और हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 पैरा 44 का उल्लंघन है।

विनियोग लेखे

परिशिष्ट

(सभी दत्तमत)

(विनियोग लेखाओं के सारांश में सन्दर्भित)

वर्ष 2019-20 के लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियों के अनुमानों और वास्तविकताओं के आँकड़ों का अनुदानवार विवरण

अनुदान संख्या व नाम	बजट अनुमान		वास्तविक आंकड़े		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	वृद्धि (+)	ह्रास (-)
1	2	3	4	5	6	7
(₹ हजारों में)						
5- भू-राजस्व और जिला प्रशासन-	5,18,06,00	(-)5,18,06,00	..
10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन-	13,84,68,90	..	12,18,31,17	..	(-)1,66,37,73	..
11- कृषि-	..	45,06,97	..	47,10,46	..	+2,03,49
12- उद्यान-	..	12,93,10	..	14,10,49	..	+1,17,39
13- सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता-	9,69,47,04	..	10,64,59,71	+95,12,67
31-जनजातीय विकास-	1,71,23,03	..	1,20,82,10	..	(-)50,40,93.	..
सकल जोड़-	30,43,44,97	58,00,07	24,03,72,98	61,20,95	(-)6,39,71,99	+3,20,88

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2020
www.cag.gov.in

www.aghp.cag.gov.in